षोडश माला, खंड 12, अंक 16 बुधवार, 12 अगस्त, 2015
21 श्रावण , 1937 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

पांचवा सत्र
(सोलहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 12 में 11 से 17 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

© 2015 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुन: प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुन: प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि, इस सामग्री का केवल निजी, गैर-वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

अस्वीकरण

इस वेबसाइट पर उपलब्ध 16वीं और 17वीं लोक सभा की वाद- विवाद के मूल पाठ का हिन्दी अनुवाद कृत्रिम मेधा (AI) साधनों के माध्यम से केवल संदर्भ हेतु किया गया है। यद्यपि सटीक अनुवाद उपलब्ध कराने का हर संभव प्रयास किया गया है, उपयोगकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे पूर्ण प्रामाणिक संस्करण हेतु लोक सभा की वेबसाइट पर "वाद-विवाद" वेबलिंक के तहत उपलब्ध लोक सभा वाद-विवाद के आधिकारिक मूल संस्करण का संदर्भ लें।

विषय-सूची

षोडश माला, खंड 12, पांचवां सत्र, 2015 / 1937 (शक)

अंक 16, बुधवार, 12 अगस्त, 2015 / 21 श्रावण , 1937 (शक)

विषय	पृष्ठ संख्या
निधन संबंधी उल्लेख	17-18
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 323 से 325	27-52
प्रश्नों के लिखित उत्तर	**53**
तारांकित प्रश्न सं. 326 से 342	
अतारांकित प्रश्न सं. 3681 से 3910	

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने ही पूछा था।

स्थगन प्रस्ताव के बारे मे 54-57

सभा पटल पर रखे गए पत्र 58-80,

,224-235

राज्य सभा से संदेश 78-79

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

14वां प्रतिवेदन 80

अधीनस्थ विधान संबंधी समिति

छठा, सातवां, आठवां और नौवां प्रतिवेदन 80

लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति

तीसरा प्रतिवेदन 80

श्रम संबंधी स्थायी समिति

नौवां तथा 10वां प्रतिवेदन 81

रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति

12वां प्रतिवेदन 82

ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति

10वां से 15वां प्रतिवेदन 83

कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति

(1)14वां प्रतिवेदन 84

(2) विवरण 84-85

सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति

20वां प्रतिवेदन 86

वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति

119वां प्रतिवेदन 86

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति

268वां प्रतिवेदन 86

परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति

223वां प्रतिवेदन 87

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) शहरी विकास मंत्रालय से संबंधित दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) का कार्यकरण, "विशेष रूप से दिल्ली में सस्ते मकान और दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण में इसकी भूमिका के संदर्भ में, तथा उससे संबंधित विषयों " के बारे में शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति के 31वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

श्री एम. वेंकैया नायडू 88 -89

(दो) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से संबंधित "प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्री कार्यक्रम का कार्यान्वयन" के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के 46वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

डॉ. नजमा ए. हेपतुल्ला 90

(तीन) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अनुदानों की मागों (2014-15) के बारे में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति के पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

डॉ. जितेंद्र सिंह 90-91

(चार) कृषि और सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2014-15) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति के तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

श्री मोहनभाई कुंडारिया 91

(पाँच) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, विज्ञान और प्रौद्यागिकी मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2015-16) के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन

संबंधी स्थायी समिति के 257वें और 258वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

92

श्री वाई. एस. चौधरी

(छह) सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित "पेड न्यूज से संबंधित मुद्दों" के बारे में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के 47वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

कर्नल राज्यवर्धन राठौर 93

कार्य मंत्रणा समिति के 21 वें प्रतिवेदन के बारे मे प्रस्ताव 94

स्थगन प्रस्ताव 95-214

एक केंद्रीय मंत्री द्वारा एक भगोड़े की सहायता करने में कथित संलिप्तता तथा स्वीकारोक्ति तथा तत्संबंधी कृत्य और कार्रवाई और इस संबंध में सरकार द्वारा अपनाए गए रुख के बारे मे सूचना

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे 95-129

श्रीमती सुषमा स्वराज -129-139

डॉ. पी. वेणुगोपाल 141-147

श्री दिनेश त्रिवेदी	148-149
श्री भर्तृहरि महताब	150-156
श्री आनंदराव अडसुल	157-159
श्री थोटा नरसिम्हम	160-161
श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी	162-164
श्री पी. करूणाकरन	165-169
श्री मेकापति राजा मोहन रेड्डी	170
श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा	171-173
श्री तारिक अनवर	174-175
श्री भगवंत मान	176-177
श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर	178-179
श्री असादुद्दीन ओवैसी	180-181
श्रीमती अनुप्रिया पटेल	182-182
श्री दुष्यंत चौटाला	183-188
श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन	185-189
	193-201
श्री चिराग पासवान	190-197
श्री राहुल गांधी	198-207
श्री अरुण जेटली	204-214

प्रस्ताव - अस्वीकृत

नियम 377 के अधीन मामले 231-252

(एक) ललितपुर-सिंगरौली रेल परियोजना के निर्माण में तेजी लाए जाने तथा सिंगरौली से दिल्ली और भोपाल तक सीधी ट्रेन चलाए जाने की आवश्यकता

श्रीमती रीती पाठक 231-232

(दो) गाय और गाय प्रजातियों के संरक्षण के लिए उचित उपाय किए जाने तथा गौहत्या तथा गौमांस के निर्यात और तस्करी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाए जाने हेतु कठोर विधि तैयार किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल 233

(तीन) अनुकम्पा के आधार पर रोजगार प्रदान किए जाने हेतु एक पारदर्शी नीति तैयार किए जाने की आवश्यकता

श्री ए. टी. नाना पाटिल 234

(चार) अवैध बूचड़खानों को बंद किए जाने तथा उत्तर प्रदेश के कोने-कोने में गौमांस की खुली बिक्री जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर संकट बनी हुई है, को बंद किए जाने की आवश्यकता

योगी आदित्यनाथ 235

(पाँच) उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के गन्ना कृषकों और कर्मकारों के हितों का संरक्षण किए जाने की आवश्यकता

श्री रविंदर कुशवाहा 236

(छः) उत्तर प्रदेश में गन्ना कृषकों को बकाया रकम के भुगतान में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

श्री जगदम्बिका पाल 237

(सात) उत्तर प्रदेश के गोंडा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में चीनी मिलों द्वारा कृषकों के बकायों का भुगतान किए जाने की आवश्यकता

श्री कीर्ति वर्धन सिंह 238

(आठ) कर्नाटक के बेल्लारी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के कुडलगी तालुक को फ्लूरायड रहित पानी प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री बी. श्रीरामूलू 239

(नौ) सरकारी विभागों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कल्याण संघों को अपनी शिकायतें प्रस्तुत करने के लिए प्रबंधन के साथ बैठक करने की अनुमति दिए जाने की आवश्यकता

डॉ. उदित राज 240

(दस) उत्तराखण्ड के चमोली जिले में केन्द्रीय विद्यालय गोपेश्वर के लिए एक स्थायी स्कूल इमारत का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) बी. सी. खंडूरी, एवीएसएम 241

(ग्यारह) उत्तर प्रदेश के संत कबीरनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में ऐसे व्यथित किसान जिनकी फसल अतिवर्षा ओर ओलावृष्टि के कारण नष्ट हुई है, को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री शरद त्रिपाठी 242

(बारह) उत्तर प्रदेश के अकबरपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में ऐसे सभी व्यथित किसान जिनकी फसल अतिवर्षा ओर ओलावृष्टि के कारण नष्ट हुई है, को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री देवेन्द्र सिंह भोले 243-244

(तेरह) असम के शिवसागर जिले के पुरातन स्मारकों का संरक्षण किए जाने हेतु कदम उठाए जाने तथा उसे एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता

श्री कामाख्या प्रसाद तासा 245

(चौदह) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुचिरापल्ली के नॉन-टीचिंग नॉन-मस्टर रोल कर्मचारियों की सेवाओं को विनियमित किए जाने की आवश्यकता

श्री पी. कुमार 246

(पंद्रह) तमिलनाडु के मदुरई शहर में आउटर रिंग रोड के निर्माण को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता

श्री आर. गोपालकृष्णन 247

(सौलह) जेनेक्सपर्ट टीबी टेस्ट मशीनों की खरीद में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

श्री कलिकेश एन. सिंह देव 248

(सत्रह) एअर इंडिया कार्यालय को मुम्बई से दिल्ली स्थानांतरित किए जाने के निर्णय की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

श्री गजानन कीर्तिकर 249

(अट्ठारह) कोयला खान कर्मकारों के कल्याण के लिए कोयला खान पेंशन स्कीम, 1988 का पुनरीक्षण किए जाने की आवश्यकता

श्री पी. श्रीनिवास रेड्डी 250-251

(उन्नीस) केरल में इलायची कृषकों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं के बारे में

एडवोकेट जॉएस जॉर्ज 252

नियम 193 के अधीन चर्चा 253

संधारणीय विकास लक्ष्य के बारे

श्री प्रहलाद सिंह पटेल **253**

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती सुमित्रा महाजन

उपाध्यक्ष

डॉ. एम. तंबिदुरै

सभापति तालिका

श्री अर्जुन चरण सेठी

श्री हुक्मदेव नारायण यादव

श्री आनंदराव अडसुल

श्री प्रह्लाद जोशी

डॉ. रत्ना डे (नाग)

श्री रमेन डेका

श्री कोनाकल्ला नारायण राव

श्री हुकुम सिंह

श्री के.एच. मुनियप्पा

डॉ. पी. वेणुगोपाल

महासचिव

श्री अनूप मिश्र

लोक सभा

<u>बुधवार, 12 अगस्त, 2015 / 21 श्रावण, 1937 (शक)</u>

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**माननीय अध्यक्ष** *पीठासीन हुईं*]

निधन संबंधी उल्लेख

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे दो पूर्व सदस्यों श्री बालेश्वर राम और श्री जगन्नाथ सिंह के दुःखद निधन के बारे में सभा को सूचित करना है।

श्री बालेश्वर राम बिहार के रोसड़ा संसदीय क्षेत्र से सातवीं लोक सभा के सदस्य थे।

श्री बालेश्वर राम ने सन् 1982 से 1983 तक केंद्रीय कृषि और ग्रामीण पुनर्गठन राज्यमंत्री के रूप में कार्य किया।

इससे पूर्व, श्री बालेश्वर राम सन् 1952 से 1977 तक पांच बार बिहार विधान सभा के सदस्य थे और उन्होंने बिहार राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री के रूप में भी कार्य किया।

श्री बालेश्वर राम का 87 वर्ष की आयु में पटना, बिहार में 2 मई, 2015 को निधन हो गया।

श्री जगन्नाथ सिंह ने नौवीं और बारहवीं लोक सभा में मध्य प्रदेश के सीधी संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

श्री जगन्नाथ सिंह नौवीं लोक सभा के दौरान सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति और खाद्य, नागरिक आपूर्ति और सार्वजनिक वितरण संबंधी समिति के सदस्य थे और दसवीं लोक सभा के दौरान रेल संबंधी समिति के सदस्य थे।

श्री जगन्नाथ सिंह सन् 1992 से 1998 तक राज्य सभा के सदस्य थे और चार बार मध्य प्रदेश विधान सभा के सदस्य रहे। उन्होंने मध्य प्रदेश की सरकार में मंत्री के रूप में भी कार्य किया।

श्री जगन्नाथ सिंह का निधन 69 वर्ष की आयु में 3 अगस्त, 2015 को भोपाल, मध्य प्रदेश में हो गया।

हम अपने पूर्व सहयोगियों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं और मैं अपनी और सभा की ओर से शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करती हूं।

अब यह सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़ी रहेगी।

<u>पूर्वाह्न 11.03 बजे</u>

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मुझे श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, श्री के.सी. वेणुगोपाल, श्री राजीव सातव, डॉ. थोकचोम मेन्या, श्री डी.के. सुरेश, श्री आर. ध्रुवनारायण, श्री गौरव गोगोई, श्रीमती बुत्ता रेणुका, श्री पी. करूणाकरन, श्री मोहम्मद बदरुद्दुज़ा खान, श्री एन.के. प्रेमचंद्रन, श्री एम.बी. राजेश, श्री धर्मेंद्र यादव, श्री जय प्रकाश नारायण यादव और डॉ. ए. संपत की ओर से विभिन्न विषयों पर स्थगन प्रस्ताव के नोटिस प्राप्त हुए हैं। हालांकि ये मामले काफी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन दिन के कामकाज में रुकावट की आवश्यकता नहीं है। अन्य माध्यमों से भी मुद्दे उठाये जा सकते हैं। इसलिए, मैंने स्थगन प्रस्ताव की सभी सूचनाओं को अस्वीकार कर दिया है।

… (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : प्लीज़, आप बैठिए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : हर कोई खड़ा नहीं रहेगा।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपने कोई नोटिस भी नहीं दिया।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप रोज-रोज क्यों खड़े होते हैं? प्लीज़ बैठिए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं जानती हूँ। मुझे खेद है। मैं आपको पूछूंगी न!

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: नहीं, मुझे खेद है। हाँ, श्रीमती सुषमा स्वराज।

[हिन्दी]

विदेश मंत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री **(**श्रीमती सुषमा स्वराज**) :** अध्यक्ष जी, मैं कल उस समय यहाँ बैठी थी,*... (व्यवधान)* आज आपने अभी बताया,*... (व्यवधान)* खड़गे जी, दो मिनट दीजिए, *... (व्यवधान)*

<u>पूर्वाह्न 11.05 बजे</u>

इस समय श्री केसी वेणुगोपाल, श्री एंटो एन्टोनी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष जी, अभी आपने यह बोला कि आज कुछ एडजर्नमेंट मोशंस आए हैं।*... (व्यवधान)* एक मिनट मेरी बात सुनिए।*... (व्यवधान)* जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे जी का भी मोशन है।*... (व्यवधान)* मैंने वह मोशन देखा है।*... (व्यवधान)* वह मोशन मेरे विषय से सम्बन्धित है।*... (व्यवधान)* मैं आपसे प्रार्थना करना चाहती हूँ कि आप खड़गे जी का वह स्थगन प्रस्ताव स्वीकार कर लें।*... (व्यवधान)* और जिस भाषा में उन्होंने दिया है, उसी भाषा में स्वीकार कर लें।*... (व्यवधान)* और प्रश्नकाल को स्थगित कराकर तुरन्त चर्चा शुरू करवा दें।*... (व्यवधान)* आप इनसे कहिए कि ये अपनी सीटों पर जाएं।*... (व्यवधान)* खड़गे जी चर्चा शुरू करें।*... (व्यवधान)* मैं चर्चा के लिए तैयार हूँ।*... (व्यवधान)* स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के लिए मैं तैयार हूँ।*... (व्यवधान)* उन्हीं की भाषा में तैयार हूँ।*... (व्यवधान)* बिना फुल स्टाप काटे, बिना कोमा हटाए, मैं उन्हीं की भाषा में, उन्हीं के द्वारा दिये गए स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार हूँ।*... (व्यवधान)*

महोदया, मेरा आपसे निवेदन है कि आप इनका स्थगन प्रस्ताव स्वीकार कर लें और अभी तुरन्त चर्चा शुरू करवायें और खड़गे जी को कहें कि वह बोलें।*... (व्यवधान)* मैं और आगे बढ़कर कहना चाहती हूँ कि स्थगन

प्रस्ताव पर आप ऐसी चर्चा करवा लें,... *(व्यवधान)* जिसमें केवल विपक्ष के सांसद बोलें, हमारी ओर से कोई नहीं बोले।... *(व्यवधान)* और जितने समय वे बोलना चाहें, उतने समय बोलें।... *(व्यवधान)* और जितने सांसद बोलना चाहें, वे सब बोलें।... *(व्यवधान)* बस एक निवेदन है, जिस समय मैं उत्तर दूँ, उस समय सदन में जरूर उपस्थित रहें।... *(व्यवधान)* मेरा उत्तर सुनने के लिए बैठें।... *(व्यवधान)* मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप स्थगन प्रस्ताव स्वीकार कर लें, खड़गे जी को बुलवायें।... *(व्यवधान)* अभी तुरन्त चर्चा शुरू करें।... *(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी।

... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : मैडम स्पीकर, हम यह चाहते थे कि इस एडजर्नमेंट मोशन को आप एक्सेप्ट करो, एडमिट करो और जब इतना चैलेंज करके सुषमा जी बोल रही हैं कि इसको डिस्कशन के लिए लिया जाए। आपने एडजर्नमेंट मोशन तो रिजेक्ट किया, लेकिन हम यह चाहते हैं कि एडजर्नमेंट मोशन आप एडमिट करके, सभी बिजनेस पोस्टपोन करके, चर्चा के लिए प्राइम मिनिस्टर को बुलाइए, क्योंकि जब तक प्राइम मिनिस्टर नहीं आएंगे, तब तक यहाँ कुछ नहीं होगा।... *(व्यवधान)* प्राइम मिनिस्टर को आने दीजिए। ... *(व्यवधान)* उनके बारे में... *(व्यवधान)* एक मिनट।... *(व्यवधान)* अरे ठहरो... *(व्यवधान)* आपकी पोल खोलता हूँ।... *(व्यवधान)* आप ठहरिए।... *(व्यवधान)* मैडम स्पीकर, जब तक प्राइम मिनिस्टर नहीं आएंगे।... *(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : उनकी बात नहीं है।

... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: वे जब तक यहाँ बैठकर सुनेंगे नहीं, तब तक वह मिनिस्टर के ऊपर एक्शन कैसे लेंगे?... *(व्यवधान)* एक आरोपी अपने मामले की पैरवी कैसे कर सकता है? ... (*व्यवधान*)हमें उनके खिलाफ आरोप मिले हैं। ... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम वेंकैय्या नायडू) : माननीय अध्यक्ष, कल उन्होंने कहा: "इसे प्राथमिकता पर लें।" सरकार की ओर से हमें कोई समस्या नहीं है। अब, माननीय विदेश मंत्री जी ने आगे आकर कहा है कि उन्हें इसे किसी भी रूप में प्राथमिकता के आधार पर लेने में कोई समस्या नहीं है। मैं अध्यक्षपीठ से अनुरोध करता हूं। … (*व्यवधान*) यह कोई तरीका नहीं है। *... (व्यवधान)* अगर वे जाएं, अपनी सीट पर बैठें और इसे प्राथमिकता से लेना चाहें तो सरकार को कोई दिक्कत नहीं है। आप इसे बदल सकते हैं। लेकिन मैं माननीय अध्यक्ष जी के फैसले का सम्मान करता हूं। मैं माननीय अध्यक्ष के फैसले के खिलाफ नहीं जा सकता। यदि वे सभा को चलने देने के लिए सहमत हों तो माननीय अध्यक्ष जी इसमें संशोधन कर सकते हैं। हम दो घंटे की चर्चा कर सकते हैं जिसमें सभी को इस मुद्दे पर तथ्य जानने का मौका मिलेगा। *... (व्यवधान)* यह न्याय है क्या ? अब, 500 सदस्य चुपचाप बैठे हैं, 20 सदस्य चिल्ला रहे हैं और फिर सभा नहीं चलने दे रहे हैं। यह न्याय है क्या ? उन्हें स्वीकार करने दीजिए। हमें कोई समस्या नहीं है।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : मैंने माननीय खड़गे जी को भी सुना है, माननीय सुषमा जी और माननीय पार्लियामैंट्री अफेयर्स मिनिस्टर को भी सुना है।

पहली बात तो यह है कि एक बार मैंने इसको डिसअलाउ किया है। अगर सदन चाहता है, आप सब लोग अगर चाहते हैं तो प्रोसीजर के अनुसार मुझे इसे लेना पड़ेगा। मैं प्रक्रिया का पालन करूंगी। मगर प्रोसीजर में एक बात यह भी है कि स्थगन प्रस्ताव 12 बजे, प्रश्न काल के बाद लिया जाता है। प्रश्नकाल के बाद, अगर आप लोग सहमत है और अगर यह प्रक्रिया के मुताबिक होगा तो प्रश्नकाल के बाद ही मैं इस बारे में सोचूंगी। खड़गे जी, स्थगन प्रस्ताव के बारे में आप भी जानते हैं।

[अनुवाद]

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: हम आपके अधिकार को चुनौती नहीं देना चाहते लेकिन नियम 56 के तहत नोटिस देने का उद्देश्य यह है कि हम स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा करना चाहते हैं, किसी अन्य नियम के तहत नहीं, जिसे नायडू जी प्रस्तावित कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि स्थगन प्रस्ताव उठाया जाए, जिसे मतदान के लिए एक स्थान और महत्व मिला है। इस लिए हम चाहते हैं कि आप स्थगन प्रस्ताव पर विचार करे।

श्री एम. वेंकैया नायडू: हमें कोई समस्या नहीं है, बशर्ते सभा व्यवस्थित हो। उन्हें जाकर अपनी सीटों पर बैठने दीजिए। उन्हें सदन के नियमों का पालन करने दें। हम तैयार हैं। 12 बजे डिसकशन शुरू करिये। महोदया, प्रक्रिया पूरी करें, निर्णय लें; हमें अपनी तरफ से कोई समस्या नहीं है। सरकार चर्चा के लिए तैयार है ।

माननीय अध्यक्ष: केवल एक बात यह है कि मुझे पहले इसे देखना होगा क्योंकि आज ही मैंने घोषणा की है कि मैं इसकी अनुमति नहीं दे रही हूं। आप लोग अपनी जगह पर जाइए। मुझे पहले इस बात को समझने दो, इसके बाद ही मैं आप सबकी रिक्वैस्ट पर एडजर्नमैंट मोशन ले सकती हूँ। मुझे उसके लिए ऑब्जैक्शन नहीं है, लेकिन एडजर्नमैंट मोशन का भी एक प्रोसीजर होता है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : पहली बात है कि यहाँ खड़े रहकर आप नहीं बोलेंगे। तभी आपको बोलने की अनुमति है। फालतू जैसी बात यहाँ पर नहीं करते हैं। यह सदन है, सम्मान रखना सीखो। सबसे पहले, आपको सदन का सम्मान करना होगा।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: खड़गे जी, मुझे स्थगन प्रस्ताव लेने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इस तरीके से नहीं होता है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : फिर भी वह शुरू नहीं होता।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: जैसे ही आप यहाँ आये और कार्यवाही की अध्यक्षता की, उसी समय आपको घोषणा करनी चाहिए थी कि आपने हमारा स्थगन प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है; आइए चर्चा शुरू करें। ... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: इसमें कोई संदेह नहीं है, मैंने इसे अस्वीकार कर दिया है क्योंकि नियम 193 के तहत चर्चा हो रही है। यदि सभा ऐसा सोचती है, मैं हाउस के अनुसार चलने के लिए तैयार हूँ। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे स्थगन प्रस्ताव पर भी विचार करने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन एडजर्नमैंट मोशन का भी प्रोसीजर है कि - यह मध्याह्न 12 बजे के बाद ही शुरू हो सकेगा हाँ, नियम हैं।

[हिन्दी]

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्लीज़, ऐसे चर्चा मत करो। ऐसा नहीं हो सकता।

... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष : जो अरेंजमैंट ऑफ द बिज़नैस है, इसके अनुसार अगर आप देखेंगे तो क्वैश्चन्स होंगे और क्वैश्चन्स के बाद - सदन के कार्य को स्थगित करने के लिए प्रस्ताव लाने की अनुमति। दिन के कार्य में यही कहा है। उसके अनुसार मैं करूंगी।

... (व्यवधान)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : आप लोग एक बात सुनिये। रूल्स के अनुसार, जो रूल आप ही लोगों ने बनाया है, - प्रश्नकाल का कोई निलंबन नहीं होगा। इसलिए, प्रश्नकाल के निलंबन का कोई प्रश्न नहीं है।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया (गुना): महोदया, हमने प्रश्नकाल के निलंबन के लिए कहा है। … (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है। आप लोगों के बनाए हुए रूल्स हैं। मुझे खेद है। मैं इसे प्रश्नकाल के बाद ले लूंगी। यह नियम है। मैं क्या कर सकती हूं? सबसे पहले अपने स्थानों पर वापस जाएँ। फिर, मैं सभी को अनुमति दूंगी। लेकिन इस तरह नहीं।

… (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : यह क्या है, कुछ लोग खड़े हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं। ऐसे चलने वाला यह क्या सदन है,

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: प्रश्नकाल में कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है पहली बात। क्वश्चन ऑवर सस्पेंड करने का कोई रूल नहीं है, यह समाप्त कर दिया गया है। इसलिए प्रश्नकाल को निलंबित नहीं किया जा सकता है और अध्यक्ष के निर्देशों में लिखा है कि स्थगन प्रस्ताव प्रश्नकाल के बाद लिया जाएगा, उससे पहले नहीं। यहाँ लिखा है। प्रश्नकाल का कोई निलंबन नहीं है। मैं उसकी मदद नहीं कर सकती।

… (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री एम. वैंकैय्या नायडू : हमको कोई आपत्ति नहीं है, स्पीकर मैडम को भी कोई आपत्ति नहीं है*... (व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री कल्याण बनर्जी (श्रीरामपुर): अध्यक्ष महोदया, नियम 56 को अलग-थलग तरीके से नहीं पढ़ा जा सकता है। कृपया नियम 61 को भी पढ़ें। … (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: मुझे पता है।

… (*व्यवधान*)

श्री एम. वेंकैया नायडू: महोदया, पहले सभा को व्यवस्थित होने दें। हमें कुछ प्रक्रियाओं का पालन करना होगा। उन्हें पहले अपने स्थानों पर वापस जाने दें। … (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: मैं पहले ही बोल रही हूं, अगर आप सब चाहते हैं तो मुझे कोई परेशानी नहीं है।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: मैं स्थगन प्रस्ताव लेने के लिए तैयार हूं, लेकिन प्रश्नकाल के बाद, उससे पहले नहीं क्योंकि नियमों के अनुसार प्रश्नकाल का कोई निलंबन नहीं है।

… (*व्यवधान*)

पूर्वाह्न 11.06 बजे

[1]प्रश्नों के मौखिक उत्तर

माननीय अध्यक्षः प्र. सं. 323 कुमारी शोभा कारान्दलाजे।

… (*व्यवधान*)

(प्रश्न संख्या 323)

कुमारी शोभा कारान्दलाजे: अध्यक्ष महोदया, मंत्री जी ने विस्तृत जवाब दिया है। … (*व्यवधान*) हमें इस बात पर गर्व होना चाहिए कि भारत दुनिया का पहला विकासशील देश है जिसके पास भू-स्थिर उपग्रह है और आई.एन.एस.ए.टी. है। आई.एन.एस.ए.टी. के ज़रिए दुनिया के इस हिस्से में, खासकर चक्रवात की चेतावनी के लिए, लगातार मौसम की निगरानी की जाती है... *(व्यवधान)* भारतीय मौसम विभाग (आई.एम.डी.) आम जनता के लिए कृषि, विमानन, शिपिंग, मत्स्य पालन, चक्रवात की चेतावनी और कई अन्य विशेष सेवाओं के लिए बहुत व्यापक मौसम पूर्वानुमान प्रदान करता है। … (*व्यवधान*) हमारी कृषि का लगभग 80 प्रतिशत केवल बारिश पर निर्भर करता है। … (*व्यवधान*) इसलिए मौसम पूर्वानुमान असामान्य मौसम की स्थिति के कारण किसानों को अपने नुकसान को कम करने में मदद करेगा। … (*व्यवधान*) भारत एक विशाल देश है और इसलिए हमारे पास मानसून का उचित पूर्वानुमान होना चाहिए। … (*व्यवधान*) देश को कम से कम 5,000 उपग्रह-आधारित स्वचालित वर्षामापी, कम से कम 50 ऊपरी वायु वेधशालाएँ, हवा के पैटर्न की रूपरेखा तैयार करने के लिए 50 उपकरण, 20 चक्रवात का पता लगाने वाले रडार और 35 तूफान का पता लगाने वाले रडार की आवश्यकता है। ... *(व्यवधान)* स्वचालित वर्षा गॉगर, पवन प्रोफाइलर्स और तूफान का पता लगाने वाले रडार की

[1] प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाए। https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers

इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फ़िल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

आवश्यकता है। … (*व्यवधान*) सरकार को बेहतर अवलोकन उपकरण और सुपर कंप्यूटर के आई.एम.डी. को प्रदान करने चाहिए। … (*व्यवधान*) इस स्थिति में विभाग अच्छा काम कर रहा है। … (*व्यवधान*) लेकिन फिर भी मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूँ कि मौसम के पूर्वानुमान में त्रुटियों को कम करने के लिए सरकार क्या कदम उठाएगी। … (*व्यवधान*)

डॉ. हर्षवर्धन: महोदया, आपके माध्यम से, मैं माननीय सदस्य को सूचित करना चाहता हूं कि हम मौसम का पूर्वानुमान लगाने और सभी संबंधित सेवाएं प्रदान करने के लिए पूरी तरह से सुसज्जित हैं*... (व्यवधान)* वर्तमान में, हमारी सेवाएं विश्व स्तरीय हैं। यद्यपि माननीय सदस्य ने स्वयं विस्तृत उत्तर का उल्लेख करते हुए विस्तार से बताया है कि मैंने विभाग में उपलब्ध विभिन्न सेवाओं और विभिन्न उपकरणों के बारे में दिया है, मैं उन्हें सूचित करना चाहता हूं कि हम आगे सुधार की प्रक्रिया में हैं। … (*व्यवधान*) हम 1.5 पेटाफ्लॉप से 10 पेटाफ्लॉप तक अपनी सुपर कंप्यूटिंग सुविधा में सुधार करने की योजना बना रहे हैं। … (*व्यवधान*) पूरे देश में, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे पास विभिन्न उपकरण हैं। … (*व्यवधान*) जैसे, हर जिले में हमारे पास पहले से ही एक स्वचालित मौसम स्टेशन है। … (*व्यवधान*) हर जिले में हमारे पास दो स्वचालित वर्षा गेज हैं। … (*व्यवधान*) दिल्ली, जयपुर, पटियाला, श्रीनगर, लखनऊ, पटना, कोलकाता, विशाखापत्तनम, मछलीपट्टनम, चेन्नई, मुंबई, भुज, भोपाल, नागपुर, असम, अगरतला, हैदराबाद और दिल्ली में दूसरा, और नेल्लोर में भी, हमारे पास 19 डॉप्लर मौसम रडार हैं*... (व्यवधान)* 39 स्थानों पर, हमारे पास पहले से ही ऊपरी वायु अवलोकन स्टेशन हैं। … (*व्यवधान*) जैसा कि आपने भी उल्लेख किया है, हमारे पास एक आई.एन.एस.ए.टी.-3डी उपग्रह है जिसके माध्यम से, हर आधे घंटे में, हम तापमान, आर्द्रता, बादल, हवा की दिशा और गति के बारे में अपडेट लेते हैं। … (*व्यवधान*) निकट भविष्य के लिए भी, हमारे पास पहाड़ी क्षेत्रों के लिए योजनाएं हैं। हम 9 और डॉप्लर मौसम रडार, 5 ऊपरी वायु अवलोकन प्रणाली, 10 माइक्रो रेंज रडार लगाने जा रहे हैं। … (*व्यवधान*) उत्तर पूर्व के लिए – विशेष रूप से हमारा ध्यान प्रधानमंत्री जी के निर्देशों के अनुसार – हम 12 और रडार और 5 ऊपरी वायु अवलोकन प्रणाली लगाने जा रहे हैं। … (*व्यवधान*) मैं समझता हूं कि चूंकि सदस्य दक्षिण के हैं, इसलिए मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि हमारे पास हैदराबाद में एक डॉप्लर मौसम रडार है जो कार्यात्मक है, जो रायचूर,

गुलबर्गा और बीदर की मदद कर रहा है। ... (*व्यवधान*) गोवा में एक डॉप्लर मौसम रडार चालू होने की प्रक्रिया में है, जो तटीय क्षेत्रों, बेलगाम, हुबली, धारवाड़ और बीजापुर की मदद करने वाला है। ... (*व्यवधान*) कोच्चि में एक डॉप्लर मौसम रडार चालू होने की प्रक्रिया में है, जो दक्षिण-पश्चिम कर्नाटक क्षेत्र की मदद करेगा। ... (*व्यवधान*) हमारे पास मैंगलोर, बेंगलुरु और अनन्तपुर में डॉप्लर मौसम रडार स्थापित करने की योजना है। ... (*व्यवधान*) इसलिए, हमारे पास एक बहुत ही व्यापक कार्यक्रम है जो यह सुनिश्चित करने के लिए है कि जो सेवाएं पहले से ही बहुत व्यापक और बहुत उन्नत हैं, विश्व में सर्वश्रेष्ठ के तुलनीय हैं, हम उन्हें आने वाले वर्षों में और बेहतर बनाने जा रहे हैं*... (व्यवधान)* हम पूरे देश में जिला स्तर पर जो सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं, उनको नए दो सालों में ब्लॉक स्तर तक ले जाने की हमारी योजना है। ... (*व्यवधान*)

कुमारी शोभा कारान्दलाजे: महोदया, आई.एम.डी. अब पूरी तरह से सुसज्जित है। ... (*व्यवधान*) तब भी सिक्का समिति ने सिफारिशें दी हैं। ... (*व्यवधान*) मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि क्या उनकी सिक्का समिति की सिफारिशों को लागू करने की कोई योजना है। ... (*व्यवधान*)

डॉ. हर्ष वर्धन: महोदया, जैसा कि मैंने अपने उत्तर में कहा, और मैंने तथ्यों के बारे में भी विस्तृत उत्तर दिया है, किसी के द्वारा भी जो भी अच्छी सिफारिशें दी गई हैं, हमारे वैज्ञानिक पूरी तरह से सुसज्जित हैं*... (व्यवधान)* हमारे पास जो पहले से है उसमें सुधार करने के लिए विस्तृत, निश्चित योजनाएँ हैं। ... (*व्यवधान*) हमारी मौजूदा सुविधाएं पहले से ही बहुत अच्छी हैं। ... (*व्यवधान*) जैसा कि मैंने विस्तार से बताया है, हमारे पास पहले से ही जो कर रहे हैं उसमें सुधार करने की विस्तृत योजना है। ... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: श्री प्रताप सिम्हा – उपस्थित नहीं।

श्रीमती आर. वेनरोजा

... (*व्यवधान*)

श्रीमती आर. वनरोजा: धन्यवाद, महोदया। आपकी अनुमति से, मैं इस स्थान से बोलना चाहूंगी। ... (*व्यवधान*) हालांकि सैटेलाइट और कंप्यूटर तकनीक में हुई हालिया प्रगति ने मौसम पूर्वानुमान में उल्लेखनीय सुधार किया

है, फिर भी वायुमंडल के बारे में हमारा ज्ञान अभी भी अपूर्ण है, और इसलिए, मौसम की भविष्यवाणी में सौ प्रतिशत सटीकता संभव नहीं है।... (*व्यवधान*)

माननीय मंत्री जी और सरकार इस बात से अवगत हैं कि भारत जैसे देशों की अर्थव्यवस्था काफी हद तक कृषि क्षेत्र पर निर्भर है*... (व्यवधान)* इसलिए, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगी कि सरकार किसानों को सटीक मौसम पूर्वानुमान के बारे में जागरूक करने के लिए क्या कदम उठा रही है*.... (व्यवधान)*

डॉ. हर्ष वर्धन: माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्या की टिप्पणियों से थोड़ा असहमत होना चाहता हूँ।... (*व्यवधान*) मुझे उन्हें सूचित करना है कि हम अपने विभाग के माध्यम से विशेष रूप से किसानों और मछुआरों को बहुत सारी सेवाएं प्रदान करते हैं, जिनके बारे में वह भी चिंतित हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च द्वारा एक अध्ययन किया गया था। ... (*व्यवधान*) उन्होंने कहा कि देश में विभागों द्वारा किसानों को दी जाने वाली सेवाएं और जानकारी से सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 1 लाख करोड़ से 2.1 लाख करोड़ रुपये का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मछुआरों को सुरक्षित क्षेत्र बताने और उन्हें मछली पकड़ने के लिए बहुत ही उत्पादक क्षेत्र बताने के लिए हम जो जानकारी देते हैं, उस जानकारी का ही सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) पर 34,000 करोड़ रुपये का प्रभाव पड़ता है। ... (*व्यवधान*) यह जी.डी.पी. में एक सकारात्मक प्रभाव है।

जैसा कि मैंने पिछले सदस्य के प्रश्न के उत्तर में कहा कि जिला स्तर पर हमने जो सेवाएं प्रदान की हैं, अब हम उन्हें ब्लॉक स्तर पर प्रदान करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसानों को इस जानकारी के आधार पर मदद की जाए। यह जानकारी फसल विशेष के लिए भी है। ... (*व्यवधान*) हम अब उन्हें ब्लॉक स्तर पर भी जानकारी देने जा रहे हैं। चूंकि हमेशा बेहतर से सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए सुधार की गुंजाइश होती है – हमारे पास पहले से ही पूरी दुनिया में उपलब्ध सर्वोत्तम सेवाओं में से एक है – हम निश्चित रूप से जो हमारे पास पहले से है उसे जारी रखने का प्रयास करेंगे। ... (*व्यवधान*)

श्री कुण्डा विश्वेश्वर रेड्डी: माननीय अध्यक्ष महोदया, मेरा प्रश्न किसानों और मछुआरों को मिलने वाले लाभों से संबंधित है।

भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केन्द्र मेरे निर्वाचन क्षेत्र में है। हम वहां गए थे। मछली पकड़ने के बंदरगाहों तक डेटा पहुंच रहा है लेकिन इसे ठीक से प्रसारित नहीं किया जा रहा है। यह मूल्यवान डेटा लेने के लिए सरकार क्या कर रही है? सरकार इसे आगे बढ़ा रही है लेकिन इसे प्रसारित नहीं किया जा रहा है।

दूसरा, डेटा ग्राउंड प्रूफ या वॉटर प्रूफ नहीं है, क्योंकि हमारी सरकार अन्य देशों के साथ इस डेटा के आदान-प्रदान पर रोक लगाती है। अब, बंगाल की खाड़ी में, आपके पास उपग्रह और महासागर बी.आई.ओ.एस. हैं। यदि हम थाईलैंड, मलेशिया और बंगाल की खाड़ी के अन्य देशों से इस डेटा का आदान-प्रदान करते हैं, तो केवल यह संकलित डेटा ही मूल्यवान होगा। मैं जानना चाहता हूं कि मंत्रालय बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के पड़ोसी देशों से समुद्री डेटा के आदान-प्रदान के लिए क्या कदम उठा रहा है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है।

अगला मुद्दा किसानों से संबंधित है। इससे उन्हें काफी फायदा होता है। यदि स्वचालित मौसम स्टेशन ज़मीन पर आधारित हैं तो हमारे पास वहां उपग्रह चित्रण उपलब्ध है। इस उपग्रह चित्रण का अनुवाद करना होगा। अब, अनुवाद केवल तभी प्रभावी है जब डेटा ग्राउंड प्रूफ हो। तो, सवाल यह है। उपग्रह डेटा को ग्राउंड प्रूफ करने के लिए इन स्वचालित मौसम स्टेशनों का उपयोग कैसे किया जा रहा है?

महोदया, मैं माननीय सदस्य को सूचित करना चाहता हूं कि हम पहले से ही अंतरराष्ट्रीय डेटा के सभी संभावित स्रोतों के साथ सहयोग कर रहे हैं। यह पहला बिंदु है।

जहां तक समुद्र में क्या हो रहा है, इस बारे में हमारी जानकारी का संबंध है, हम इस समय कम से कम दो दर्जन देशों को जानकारी प्रदान कर रहे हैं जो समुद्र के पास या समुद्र के किनारे हैं।

जहां तक मछुआरों से संबंधित डेटा की बात है, हम तकनीकी प्रगति के सभी संभव साधनों का उपयोग कर रहे हैं ताकि लाखों किसानों के साथ-साथ मछुआरों को भी एस.एम.एस., ऐप्स और विभिन्न स्क्रीनिंग के

माध्यम से जानकारी प्रदान की जा सके, जो विभिन्न स्थानों पर हैं। यह सब मछुआरों और किसानों को बहुत आसानी से दिया जाता है। उन लोगों तक पहुंचना भी बहुत आसान है जो इसमें रुचि रखते हैं।

और, जैसा कि मैंने पहले कहा, इसका मूल्यांकन इंस्टीट्यूट ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च द्वारा भी किया गया है। … (*व्यवधान*) हम किसानों और मछुआरों के लिए अपनी संचार प्रणाली को और बेहतर बनाने और मजबूत करने के लिए किसी भी अन्य सुझाव का हमेशा स्वागत करेंगे। … (*व्यवधान*)

श्री नागेंद्र कुमार प्रधान: ओडिशा राज्य में छह मौसम केंद्र हैं जिन्हें भारत सरकार द्वारा अनुमति दी गई है। एक पारादीप में है, दूसरा सम्बलपुर में है, तीसरा बालासोर, चौथा, भुवनेश्वर, पांचवां बहरामपुर है। (*व्यवधान*) लेकिन आज तक भले ही पांच साल पहले वित्तीय सहायता हो गई हो, मेरे निर्वाचन क्षेत्र सम्बलपुर में अधिकतर भवनों में निर्माण पूरा हो चुका है लेकिन मशीनरी का निर्माण कार्य नहीं हो पाया है। … (*व्यवधान*) इसलिए, महोदया, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं। उन स्टेशनों की स्थिति क्या है जो स्थापना और संचालन के लिए भारत सरकार द्वारा स्वीकृत हैं? … (*व्यवधान*)

डॉ. हर्ष वर्धन: महोदया, मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूँ कि केवल ओडिशा राज्य के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए, योजनाओं में जो कुछ भी है, उन योजनाओं के कार्यान्वयन की एक सक्रिय प्रक्रिया है। … (*व्यवधान*) माननीय सदस्य ने भवन के होने का उल्लेख किया है और वह अभी भी उपकरणों की प्रतीक्षा कर रहा है। मैं उन्हें आश्वस्त कर सकता हूं कि हम इन सभी चीजों को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं और बहुत जल्द माननीय सदस्य देखेंगे कि आने वाले वर्षों में वे सभी योजनाएं जो अतीत में तैयार की गई हैं, लागू की जाएंगी। … (*व्यवधान*) हमारे पास हमें जो बेहतर बनाने के लिए नई योजनाओं का मसौदा और तैयार करने का प्रावधान है।

जहां तक ओडिशा मामले का संबंध है, मुझे विभाग द्वारा सूचित किया गया है कि पारादीप और गोकुलपुर में, वे पहले से ही चालू होने की प्रक्रिया में हैं और 2-3 महीनों में, उन्हें शुरू किया जाएगा। … (*व्यवधान*)

(प्रश्न संख्या 324)

[हिन्दी]

श्री राहुल शेवाले **:** अध्यक्ष महोदया, हमारी दूरसंचार कंपनियां अपने नेटवर्क को बढ़ाना और अपग्रेड करना चाहती हैं।... *(व्यवधान)* उसके लिए वे उन्नत दूरसंचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर रही हैं... *(व्यवधान)* उनकी सेवा में कुछ विकास भी हुआ है... *(व्यवधान)* पर, आज हमारी दूरसंचार कम्पनियां सर्विस के मामले में प्राइवेट कम्पनियों से पिछड़ी हुयी दिखती हैं।... *(व्यवधान)* हमारे फिक्स्ड लाइन पर टेलीफोन, ब्रॉडबैंड कनैक्शन कई बार बीच में जवाब दे जाते हैं।... *(व्यवधान)* खास तौर से बरसात में छुट्टी का दिन हो तो ठीक होने के लिए दूसरे दिन का इंतजार करना पड़ता है।... *(व्यवधान)* आज टेलीफोन और इंटरनेट हमारी आवश्यकता बन चुके हैं।... *(व्यवधान)* मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हम डिजिटल इंडिया की ओर बढ़ रहे हैं तो क्या दूर संचार कम्पनियां अपने ग्राहकों को नयी टेक्नोलॉजी के उपयोग द्वारा अबाध टेलीफोन और इंटरनेट की व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए कोई कदम उठा रही है? ... *(व्यवधान)* इस संबंध में शिकायत के निपटान और सेवाओं को दुरुस्त करने के लिए 24/7 सेवा की व्यवस्था के लिए आप क्या विचार कर रहे हैं? ... *(व्यवधान)*

श्री रवि शंकर प्रसाद : अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने कई सवाल पूछे हैं।... *(व्यवधान)* आपने सही कहा है कि इंटरनेट को सुधारने के लिए 'डिजिटल इंडिया' का कार्यक्रम है।... *(व्यवधान)* जिसके तहत हम देश के ढाई लाख ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ रहे हैं।... *(व्यवधान)* उसका बहुत बड़ा काम हुआ है।... *(व्यवधान)* हम उसको 'भारत नेट' के नाम से कर रहे हैं।... *(व्यवधान)* आपने सरकारी कंपनियों और प्राइवेट कंपनियों के बारे में बात कही है।... *(व्यवधान)* सरकारी कंपनियों को सुधारने की दिशा में हम प्रयासरत हैं।... *(व्यवधान)* पिछले एक साल में बी.एस.एन. एल. ने 47 लाख नये कस्टमर्स जोड़े हैं।... *(व्यवधान)* आज वह फ्री रोमिंग दे रहे हैं।... *(व्यवधान)* रात के नौ बजे से सुबह सात बजे तक लैंड लाइन फ्री है। ... *(व्यवधान)* आप जिससे चाहें उससे बात कर सकते हैं।... *(व्यवधान)* उसे और सुधारने की गुंजाइश है।... *(व्यवधान)* जहां तक नयी टेक्नोलॉजी की बात है... *(व्यवधान)* आपको मालूम है कि 'फोर-जी' की सेवा शुरू हो गयी है।... *(व्यवधान)*

उसमें और आधिक सुधार हो यह हमारी कोशिश है।... *(व्यवधान)* मैं यह नहीं कहूंगा कि सब कुछ ठीक है।... *(व्यवधान)* लेकिन हम सुधार की दिशा में काम कर रहे हैं।... *(व्यवधान)*

श्री राहुल शेवाले : अध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री जी ने यह कहा है कि हमारी सरकारी कंपनियां नये प्रावधान कर रही हैं। ... *(व्यवधान)* वे ज्यादा नये ब्रॉडबैंड कनैक्शंस और सुविधायें दे रही हैं।... *(व्यवधान)* मेरी जानकारी में दोनों सरकारी कंपनियां चाहे वे बी.एस.एन.एल. हो या एम.टी.एन.एल. हो... *(व्यवधान)* दोनों का फाइनैंशियल स्टेट्स देखा जाये तो दोनों कंपनियां लॉस में हैं। ... *(व्यवधान)* अगर प्राइवेट कम्पनियों के फाइनैंशियल स्टेट्स देखे जाएं तो सब प्रॉफिट में हैं। क्या कारण है कि हमारे दोनों पीएसयूज़ बीएसएनएल और एमटीएनएल लॉस में हैं? ... *(व्यवधान)* उनके फाइनैंशियल स्टेट्स बताइए। उन्हें प्रॉफिट में लाने के बारे में सरकार क्या विचार कर रही है?... *(व्यवधान)*

श्री रवि शंकर प्रसाद : आप इस बात को नोट कीजिए कि बीएसएनएल वर्ष 2004 तक 10 हजार करोड़ रुपये के प्रॉफिट में था। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार गई, उस समय बीएसएनएल 10 हजार करोड़ रुपये के प्रॉफिट में था। ... *(व्यवधान)* दस साल के बाद 8 हजार करोड़ रुपये के लॉस में है। वह लॉस में क्यों आया, यह इनसे पूछिए। हम सुधार रहे हैं। ... *(व्यवधान)* दूसरी बात, आपने एमटीएनएल के बारे में कही। एमटीएनएल भी प्रॉफिट में था। 2008 के बाद से एनटीएनएल लॉस में चला गया। ... *(व्यवधान)* हम उसे सुधार रहे हैं। वह लॉस में क्यों गया, हमसे मत पूछिए, इनसे पूछिए जिन्होंने दस साल काम किया। ... *(व्यवधान)* लेकिन हां, हम एक बात कहना चाहते हैं कि यहां कई सांसद बैठे हुए हैं जो जानते हैं कि एमटीएनएल और बीएसएनएल में जितना पूंजी निवेश होना चाहिए, उतना नहीं हुआ।... *(व्यवधान)* मैं यह काम कर रहा हूं कि उसमें पूंजी निवेश हो, प्रोफैशनलिज़्म आए, आधिक से आधिक ग्राहक आएं।... *(व्यवधान)* अभी बीएसएनएल एकमात्र ऐसी संस्था है जो फ्री रोमिंग दे रही है, और कोई नहीं दे रहा है। फ्री रोमिंग का मतलब क्या है?... *(व्यवधान)* फ्री रोमिंग का मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति जो भोपाल, बलिया, गोरखपुर, पटना से दक्षिण भारत में जाता है, अपने परिजनों से जितनी चाहे फ्री इनकमिंग बात कर सकता है, कोई रोमिंग चार्ज इनकमिंग

कॉल पर नहीं लगेगा। ... *(व्यवधान)* लैंडलाइन का मतलब क्या है? रात के नौ बजे से सुबह के सात बजे तक हिन्दुस्तान में किसी भी मोबाइल, लैंडलाइन से जितनी चाहें बात कर सकते हैं।... *(व्यवधान)* यह हमने एक साल में करके दिखाया है। समय दीजिए, और काम करना बाकी है। हम सुधार में आगे बढ़ रहे हैं।... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री कलिकेश एन. सिंह देव: महोदया, माननीय प्रधानमंत्री जी का डिजिटल इंडिया का सपना आज भारत में मौजूद वायरलेस ब्रॉडबैंड की खराब गुणवत्ता के कारण खतरे में बना हुआ है।... *(व्यवधान)* हमारे पास सबसे सस्ता ब्रॉडबैंड है, लेकिन हमारे पास सबसे खराब गुणवत्ता वाले ब्रॉडबैंड भी है। ... (*व्यवधान*) यही वह चर्चा है जो माननीय सदस्यों के साथ हुई थी। कल शाम मंत्री जी। ... (*व्यवधान*) कारण यह है कि भारत ने कम से कम स्पेक्ट्रम की कुछ मात्रा की नीलामी की है। ... (*व्यवधान*) जैसा कि आज है, अमेरिका ने 425 मेगाहर्ट्ज की नीलामी की है और चीन ने 300 मेगाहर्ट्ज की नीलामी की है जबकि भारत ने केवल 125 मेगाहर्ट्ज की नीलामी की है। ... (*व्यवधान*) उसका समाधान यह है कि हमारे पास नई टेक्नोलॉजी है जिसे हम इसमें ला सकते हैं जिससे थ्रूपुट बढ़ सके। ... (*व्यवधान*) वाहक एकत्रीकरण प्रौद्योगिकी प्रत्येक इकाई में थ्रूपुट को 100 एमबीपीएस से 400 एमबीपीएस तक बढ़ा सकती है। ...(*व्यवधान*) क्या माननीय मंत्री जी यह सुनिश्चित करेंगे कि नई तकनीक, जैसे कि कैरियर एग्रीगेशन तकनीक, अस्तित्व में आए और सेवा की गुणवत्ता में वास्तव में सुधार हो? ... (*व्यवधान*)

श्री रवि शंकर प्रसाद: महोदया, माननीय सदस्य ने प्रौद्योगिकी से संबंधित एक प्रश्न पूछा है। देश में स्पेक्ट्रम की उपलब्धता तय है। आप इसे अच्छी तरह से जानतीं हैं। ... (*व्यवधान*) जो भी स्पेक्ट्रम हमारे पास उपलब्ध था, हमने नीलामी की है। माननीय सदस्य को यह ज्ञात होगा कि रक्षा के संबंध में, हमने रक्षा बैंड का कार्य पूरा कर लिया है। ... (*व्यवधान*) साथ ही, अनुकूलन सामंजस्य चल रहा है। बहुत जल्द, हम स्पेक्ट्रम शेयरिंग, स्पेक्ट्रम ट्रेडिंग दिशानिर्देश जारी करने वाले हैं। ... (*व्यवधान*) वह भी हम कर रहे हैं, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि हम

अपना काम करेंगे, लेकिन ऑपरेटरों को भी अपने सिस्टम को मजबूत करना होगा। उन्हें इष्टतम उपयोग करना होगा। सारी प्रक्रियाएं चलती रहेंगी। ... (*व्यवधान*)

हां, डिजिटल इंडिया एक सपना है, लेकिन हम इसे लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। माननीय सदस्य को मैं यह बताना चाहूंगा कि जब श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यक्रम शुरू किया था, तब बहुत विरोध हुआ था, लेकिन हम सफल रहे। इसी प्रकार हम डिजिटल इंडिया में भी सफल होंगे। मुझे आप सभी के सहयोग की आवश्यकता है। ... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री जगदम्बिका पाल: अध्यक्ष महोदया, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पर पूरक प्रश्न पूछने दिया। *... (व्यवधान)* माननीय मंत्री जी ने बीएसएनएल और एमटीएनएल में जिस तरह सुधार के लिए कदम उठाए हैं, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया, निश्चित तौर से सुधार है कि 47 लाख और उपभोक्ता बीएसएनएल में जुड़े हैं।*... (व्यवधान)* ढाई लाख गांवों तक ब्रॉडबैंड पहुंचाने की योजना है। जिस तरह रोमिंग को फ्री किया गया है, लैंडलाइन को भी रात से सुबह तक फ्री किया गया है। *... (व्यवधान)* मैं इसके लिए अपनी सरकार और माननीय मंत्री जी को बधाई दूंगा। *... (व्यवधान)* लेकिन मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि उन्होंने जिस तरह ब्रॉडबैंड और नेशनल ऑप्टीकल फाइबर की बात की है। अभी ब्रॉड बैंड की स्पीड कम है, *... (व्यवधान)* आप गांवों में ढ़ाई लाख ब्रॉड बैंड लगाना चाहते हैं, *... (व्यवधान)* अभी उत्तर प्रदेश के प्रमुख जनपद जैसे सिद्धार्थ नगर और बस्ती में शिकायत है कि ब्रॉड बैंड की स्पीड कम है, *... (व्यवधान)* क्या विभाग की प्रस्तावित ब्रॉड बैंड की स्पीड को बढ़ाने की कोई योजना है *... (व्यवधान)* या नेशनल ऑप्टीकल फाइबर उत्तर प्रदेश के एक-एक विकास खंडों में लग रहे हैं, *... (व्यवधान)* अगर सभी विभागों को ब्रॉड बैंड से जोड़ने की विभाग की योजना है, *... (व्यवधान)* क्या एक-एक विकास खंड को ऑप्टीकल फाइबर से साल में जोड़ने की योजना है, *... (व्यवधान)* यह कितने वर्षों में पूरी हो पाएगी? *... (व्यवधान)* क्या माननीय मंत्री जी डिस्ट्रिक्ट के सभी खंडों को सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, बस्ती, पूर्वांचल या श्रावस्ती जनपदों के सभी

विकास खंडों को नेशनल ऑप्टीकल फाइबर से जोड़ने की कोई निश्चित योजना है, ... *(व्यवधान)* समयबद्ध योजना है, ... *(व्यवधान)* अगर है यह तो कब तक पूरी हो जाएगी?

श्री रवि शंकर प्रसाद : महोदया, नेशनल ऑप्टीकल फाइबर प्रोग्राम को हम 'भारत नेट' कहते हैं। ... *(व्यवधान)* अगले तीन साल में देश के ढ़ाई लाख ग्राम पंचायतों को हम इससे जोड़ने वाले हैं। ...*(व्यवधान)* उसमें सिद्धार्थनगर और संत कबीर नगर शामिल है। ... *(व्यवधान)* इस देश में लगभग 6,00000 गांव हैं, ... *(व्यवधान)* 2,50,000 पंचायत हैं और 650 जिले हैं। ... *(व्यवधान)* भारत नेट में डिस्ट्रिक्ट से ब्लॉक और ब्लॉक से ग्राम पंचायत में ऑप्टीकल फाइबर ले कर रहे हैं, ... *(व्यवधान)* फिर वहां से उसे आऊटसोर्स करेंगे, हम दूसरी टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग करेंगे। ... *(व्यवधान)* ऑप्टीकल फाइबर नेटवर्क का क्या उद्देश्य है? लोगों को ई-शिक्षा मिले, ई-स्वास्थ्य मिले, रोजगार मिले तो हम काफी काम कर सकते हैं। ... *(व्यवधान)* हम किसी भी ग्राम पंचायत को छोड़ना नहीं चाहते हैं, केरल में हमने सभी ग्राम पंचायतों में कर लिया है, ... *(व्यवधान)* कर्नाटक में जल्द ही पूरा होने वाला है। ... *(व्यवधान)* आपके सिद्धार्थनगर की स्थिति के बारे में मैं स्वयं देखूंगा और इसे जल्दी किया जाएगा।

[अनुवाद]

श्रीमती कविता कल्वकुंतला : महोदया, धन्यवाद। … (*व्यवधान*) आपके माध्यम से, मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगी। … (*व्यवधान*) हमें खुशी है कि आप बी.एस.एन.एल. के स्थिति में सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही एक दायित्व निधि भी है जो ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास के लिए स्थापित की गई है। … (*व्यवधान*) हम समझते हैं कि यह निधि हज़ारों करोड़ रुपये में चलती है और यह निधि निजी कंपनियों को दी जाएगी और बोली लगाई जाएगी। … (*व्यवधान*) इसके बजाय, क्या हम इस काम को बी.एस.एन.एल. को दे सकते हैं ताकि बी.एस.एन.एल. की स्थिति में सुधार हो? … (*व्यवधान*) मैं यह इसलिए कह रही हूं क्योंकि बी.एस.एन.एल. एक सरकारी संगठन है और यह अधिक जिम्मेदारी के साथ काम करेगा। … (*व्यवधान*) इससे रूरल इन्फ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा हो सकता है। तो, क्या हम इसे निविदा करने और निजी

कंपनियों को देने के बजाय, इस ग्रामीण दायित्व निधि को बी.एस.एन.एल. को दे सकते हैं? … (*व्यवधान*) धन्यवाद, अध्यक्ष महोदया। … (*व्यवधान*)

श्री रवि शंकर प्रसाद : महोदया, उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा है और इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं। … (*व्यवधान*) मैं उन्हें बहुत विनम्रता से बताना चाहूंगा कि जहां तक बी.एस.एन.एल. की भूमिका का संबंध है, यह मौजूद है। … (*व्यवधान*) मैं पिछले 10 वर्षों में बी.एस.एन.एल. के साथ जो हुआ उसके विपरीत, उनके कामकाज में सुधार लाने का प्रयास कर रहा हूँ… (*व्यवधान*) असल में, मैं संसद में एक दिन इस पर वाद-विवाद का इंतजार कर रहा हूँ कि एम.टी.एन.एल. और बी.एस.एन.एल. के साथ क्या किया गया, और हमें उसका जवाब देने की जरूरत है*... (व्यवधान)*

जहां तक आपके विशिष्ट प्रश्न का संबंध है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने सभी मंत्रियों की बैठक बुलाई है और तेलंगाना के मंत्री जी भी आए थे। … (*व्यवधान*) हमने इस मामले पर विस्तार से चर्चा की थी और कई राज्य सरकारों ने कहा था कि हमें राज्य एस.पी.वी. के माध्यम से राज्यों को भी बड़े पैमाने पर शामिल करने की आवश्यकता है। … (*व्यवधान*) लगभग 14 राज्य आगे आये हैं। … (*व्यवधान*) आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक अलग मॉडल अपना रहे हैं, जहां वे ग्राम पंचायत से आगे भी बहुत कुछ शामिल करना चाहते हैं, और मैं इस बात से काफी खुश हूं। … (*व्यवधान*) इसलिए, एस.पी.वी. मॉडल में भी बी.एस.एन.एल. शामिल रहेगा, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि हम सभी को मिलकर काम करना होगा -- भारत सरकार, राज्य सरकारें, तेलंगाना राज्य, आंध्र प्रदेश राज्य -- ताकि इस महान भारतनेट को सफल बनाया जा सके, जिसके लिए हम सभी प्रतिबद्ध हैं। … (*व्यवधान*)

श्री ए. अरूणमणिदेवन: महोदया, प्रतिवेदनों के अनुसार पूर्व संचार मंत्री जी द्वारा लगभग 700 हाई स्पीड टेलीफोन लाइनों का दुरुपयोग किया गया, जिससे पहले से ही घाटे में चल रही बी.एस.एन.एल. को कई करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि उच्च गति टेलीफोन लाइनों के इस तरह के दुरुपयोग को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है। …(*व्यवधान*)

श्री रवि शंकर प्रसाद: महोदया, जहां तक प्रश्न का संबंध है, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि इस मामले में सी.बी.आई. जांच कर रही है तथा इसमें शामिल सभी व्यक्तियों के खिलाफ उचित कार्यवाही की जा रही है। मैं सरकार की ओर से उनसे कह सकता हूं कि सी.बी.आई. को स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच करने की अनुमति दी जानी चाहिए और हम पूरा सहयोग करेंगे।

श्री अरविंद सावंत : महोदया, मैं सबसे पहले आई.टी.आई. को पुनर्जीवित करने की पहल के लिए माननीय मंत्री जी को हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। यहां पर आई.टी.आई. के बड़े संयंत्र लगे हैं। बेंगलुरु में, शायद 50 से 60 एकड़ भूमि उपलब्ध है और बुनियादी ढांचा भी उपलब्ध है। जैसा कि मेरी सहयोगी श्रीमती कविता ने ठीक ही कहा है, मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगी कि इसमें दो बिंदु हैं। पुनरुद्धार करते समय हमें ब्रॉडबैंड की गति भी सुनिश्चित करनी होगी। वह यह भली-भांति देख सकते हैं कि प्रत्येक शनिवार और रविवार को सामान्यतः ब्रॉडबैंड पहुँच से बाहर होता है। वह पूरे वर्ष इसकी जांच बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। वह पाएंगे कि शनिवार और रविवार को सर्वर पहुँच से बाहर होता है। इसलिए मैं माननीय अध्यक्ष के माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या वे इस मामले की जांच कराने जा रहे हैं कि शनिवार और रविवार को क्या हो रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा विशेष रूप से आई.टी.आई. के पुनरुद्धार के लिए इसे एक व्यापारी कंपनी के रूप में न बनाया जाए। जैसा कि हम 'मेक इन इंडिया' के बारे में बात करते हैं, आइए हम आई.टी.आई. के माध्यम से 'मेक इन इंडिया' करने का प्रयास करें। मैं उनसे मोबाइल उपकरण, मोबाइल यंत्र और मोबाइल चिप कार्ड के विनिर्माण का कार्य शुरू करने का अनुरोध करूँगा। यह कार्य आई.टी.आई. के माध्यम से भी किया जा सकता है। क्या हम ऐसा करेंगे? क्या हम इस तरह से सोच रहे हैं? कृपया हमें प्रबुद्ध करें ... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रवि शंकर प्रसाद : आदरणीय अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य टेलीकॉम के क्षेत्र में बहुत ही अनुभवी आदमी हैं। ... *(व्यवधान)* उनको इसका बहुत ही व्यापक अनुभव है। ... *(व्यवधान)* वे मुझसे मिलते भी रहते हैं और मैं उनके अनुभव का बहुत सम्मान करता हूं। ... *(व्यवधान)* इस क्वश्चेन का सही में यही सार था कि

आईटीआई में क्या करना है? ... *(व्यवधान)* बाकी लोगों ने बीएसएनएल के बारे में पूछा, तो मैंने उसका उत्तर दिया। ... *(व्यवधान)* आईटीआई की स्थिति अभी अच्छी नहीं है। ... *(व्यवधान)* मैं इस बात में जाना नहीं चाहता कि पिछले दस सालों में आईटीआई के लिए क्या किया गया? ... *(व्यवधान)* उस बारे में हम कभी चर्चा करेंगे और आपको बतायेंगे। ... *(व्यवधान)*

अरविंद जी, आपके लिए जानना जरूरी है कि एक आईटीआई रायबरेली में भी है। ... *(व्यवधान)*

रायबरेली के आईटीआई की क्या हालत है, क्या किया गया, यह आप मुझसे न पूछकर उनसे पूछिये। ... *(व्यवधान)* एक आईटीआई मनकापुर में है। ... *(व्यवधान)* मनकापुर भी रायबरेली के बगल में है। उसकी भी पिछले दस सालों में क्या चिंता की गयी, यह आप मुझसे न पूछकर उनसे पूछिये। ... *(व्यवधान)* यह जो दस साल की विरासत है, मुझे अच्छा लगता कि आज ये आवाज करने की बजाय इस पर बहस करते। ... *(व्यवधान)* मेरे उत्तर को सुनते, मुझसे और पूछते। ... *(व्यवधान)* मैं यह भी कहूंगा कि माननीय सोनिया जी भी मुझसे सवाल पूछती, तो मैं कहता कि रायबरेली में क्या हो रहा है, यह आप बताइये? ... *(व्यवधान)* हम मिलकर काम करना चाहते हैं। ... *(व्यवधान)* लेकिन जहां तक सवाल है ... *(व्यवधान)* मैं सुधार रहा हूं, कैबिनेट ने एक पैकेज दिया है। ... *(व्यवधान)* मैंने आईटीआई को कहा है कि कृपया आप भारत में नये प्रोडक्ट्स लायें। ... *(व्यवधान)* वे एल-वन से परेशान होते हैं। ... *(व्यवधान)* मैंने स्मार्ट कार्ड के लिए कहा है। ... *(व्यवधान)* मैंने यह भी कहा है कि प्राइवेट से टाईअप करो। ... *(व्यवधान)* मैं आपसे कह सकता हूं कि आईटीआई को सुधारने के लिए मेरी ओर से पूरा प्रयास जारी है। ... *(व्यवधान)* उनको भी नयी टेक्नोलॉजी में काम करना पड़ेगा। ... *(व्यवधान)*

(प्रश्न संख्या 325)

[हिन्दी]

श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी : माननीय अध्यक्ष जी, मैंने माननीय मंत्री जी का जवाब पढ़ा। मुझे लगा कि माननीय मंत्री जी जिस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में नए परिवर्तन लाना चाहती हैं, नई योजनाएं बना रही हैं और इसके लिए 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' का विषय भी लिया है। ... *(व्यवधान)* आज हर परिवार को लगता है कि हमारा बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े, अच्छी शिक्षा मिले इसलिए हर अच्छे स्कूल की सीढ़ियां चढ़ने की कोशिश करते हैं लेकिन प्रवेश नहीं मिलता। उनको कहां प्रवेश मिलता है, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय में मिलता है। सिम्बाओसिस, फर्ग्युसन या के.जी. कॉलेज के ब्रैंड से हर मां-बाप को लगता है कि मेरा बच्चा इस युनिवर्सिटी में पढ़े। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या केंद्रीय और नवोदय विद्यालय को ब्रैंड के रूप में प्रस्तावित करने का विचार है? ... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्रीमती स्मृति जूबिन ईरानी: माननीय अध्यक्ष महोदया, इससे पहले कि मैं इस प्रश्न का उत्तर देना शुरू करूं, एक महिला के रूप में मैं कहना चाहती हूं कि जिस तरह से आप इस सदन का संचालन करती हैं, जिस दृढ़ संकल्प और दृढ़ता के साथ आप हमारे सदन की गरिमा को बनाए रखती हैं, उस पर मुझे बहुत गर्व है; और मुझे यकीन है कि आप देश भर की लाखों महिलाओं के लिए प्रेरणा हैं।

जहां तक माननीय सदस्य के प्रश्न के उत्तर का प्रश्न है, मैं समझती हूं कि जब वे केन्द्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों की तुलना विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों से करते हैं तो यह अंतर स्पष्ट किया जाना चाहिए कि केन्द्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय मुख्यतः विद्यालय हैं जो उन विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों से भिन्न हैं जिनका उन्होंने अपने प्रश्न में उल्लेख किया है।

माननीय अध्यक्ष महोदया, यह तथ्य कि पूरे देश में लोग सांसदों से बार-बार यह आग्रह कर रहे हैं कि वे अपने बच्चों को केन्द्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों में प्रवेश दिलाएं, यह तथ्य कि केन्द्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों के बच्चे परिणामों के मामले में उन निजी संस्थानों से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, जहां शिक्षा काफी महंगी है, इस बात का प्रमाण है कि केन्द्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय देश में स्थापित और प्रतिष्ठित ब्रांड हैं।

[हिन्दी]

श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी : माननीय अध्यक्ष जी, मेरा कहना है कि मानव संसाधन मंत्रालय में पैसे की कमी नहीं है। आजादी के 50 साल बाद 1950-60, 1960-70, 1970-80, 1980-90, 1990-2000 और 2000 से 2015 तक कितने केंद्रीय विद्यालय खोले गए? ... *(व्यवधान)* इसकी संख्या का अभ्यास करने से पता चलता है जिस संख्या में जनसंख्या बढ़ी है, उस संख्या में इन विद्यालयों की संख्या नहीं बढ़ी है। मैं संसद के सभी सांसदों के माध्यम से माननीय मंत्री जी के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं, उन्होंने जवाब में कहा कि अगर राज्य सरकारें जमीन उपलब्ध करा दें, अलग-अलग सुविधा उपलब्ध करा दें तो हम सहयोग करेंगे। मैं

विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अब हम पर जिम्मेदारी है, हम हर जगह पर आपको जगह ही नहीं बल्कि सुविधाएं भी उपलब्ध कराएंगे क्योंकि हमें लोगों की अपेक्षाएं पूर्ण करनी हैं। ... *(व्यवधान)*

आपने जवाब में कहा कि छः जिलों में ग्रामीण जनसंख्या नहीं है इसलिए वहां नवोदय विद्यालय खोलने की आवश्यकता नहीं है। महाराष्ट्र में अहमदनगर जिला सबसे बड़ा है, जनसंख्या में भी बड़ा है और क्षेत्रफल में भी बड़ा है। मेरा प्रश्न है कि क्या महाराष्ट्र में छः जिलों में विद्यालय खोलेंगे? क्या अहमदनगर में विद्यालय खोलेंगे?... *(व्यवधान)*

श्रीमती स्मृति ज़ुबिन ईरानी : माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सांसद महोदय का आभार व्यक्त करना चाहती हूं कि वह चाहते हैं कि पूरे देश में केंद्रीय और नवोदय विद्यालय जनसंख्या के आधार पर खोले जाएं, लेकिन नियमानुसार मेरी भी कुछ मर्यादाएं हैं। ... *(व्यवधान)* मैं माननीय सांसद द्वारा कही गई बात के बारे में बताना चाहती हूं, जो भ्रम माननीय सांसद सभा के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि एचआरडी मिनिस्ट्री में पैसे की कमी नहीं है, काश मेरे पास भी कुबेर का खजाना होता, लेकिन यह सत्य नहीं है।

मैं कहना चाहती हूं कि केंद्रीय विद्यालय खोलने की संभावनाएं नियमानुसार तभी प्रस्तुत होती हैं जब प्रदेश की सरकार कोई प्रस्ताव भेजे अथवा भारत सरकार का कोई मंत्रालय, कोई डिपार्टमेंट या उनसे संबंधित कर्मचारी संगठन के माध्यम से कोई प्रस्ताव आए। ... *(व्यवधान)* अगर प्रस्ताव इन मानकों के आधार पर नहीं आते तो चाहे हम सब सांसद कितनी भी कोशिश करें, उन नियमों को भंग नहीं कर सकते हैं। ... *(व्यवधान)* मैं यह भी कहना चाहता हूं कि नवोदय विद्यालय वहीं प्रस्तावित हो सकता है जहां मुख्यतः रूरल आबादी हो, क्योंकि नवोदय विद्यालय का नियम है कि 75 परसेंट सीटें ग्रामीण बच्चों के लिए आरक्षित हैं। जहां पर आरक्षण का नियम पूर्ण नहीं होता वहां चाहे क्षेत्रफल कितना भी बड़ा हो, जनसंख्या चाहे कितनी भी हो, नियमानुसार हम नवोदय विद्यालय नहीं खोल सकते।

श्री सुनील कुमार सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि उन्होंने कहा कि हम सब सांसद चाह लें फिर भी नियम भंग नहीं होंगे।... *(व्यवधान)* मैं यह जानना चाहूंगा कि शिक्षा के प्रचार और

प्रसार की दृष्टि से इन नियमों को किसके लिए बनाया जाता है और ये नियम कौन बनाते हैं?... *(व्यवधान)* इन नियमों के चलते आज देश की आजादी को 66-68 साल हो गये हैं और जिनके ऊपर सभी को शिक्षा उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी थी, उनका आचरण आज हम सदन में देख रहे हैं कि ये किस रूप में सदन को चला रहे हैं। ... *(व्यवधान)* मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि जब से पिछली सरकार ने खासकर यू.पी.[हिन्दी] ए.सरकार ने जिस तरह से निजी क्षेत्रों को बढ़ावा दिया, उसमें देश में प्राथमिक शिक्षा महंगी हो गई।... *(व्यवधान)*

ऐसे समय में देश की गरीब जनता जिसने हम सभी को चुनकर भेजा है और हमने उनसे वह वादा भी किया है, उसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है लेकिन आज देश के 178 जिले ऐसे हैं जहां कोई केन्द्रीय विद्यालय नहीं हैं। ... *(व्यवधान)* ये बातें हम भी जानते हैं कि केन्द्रीय विद्यालय सेना और राष्ट्रीय स्तर की नौकरियों में काम करने वाले लोगों के लिए होते हैं। लेकिन देश का कोई जिला इससे वंचित नहीं है। खासकर मेरा चतरा जिला भारत के अत्यंत निर्धनतम जिलों में आता है और उग्रवाद से प्रभावित जिला है। ... *(व्यवधान)* वहां एन.टी.पी.सी. और सी.सी.एल. तथा कोयले की बड़ी-बड़ी केन्द्रीय उत्पादन इकाइयां हैं। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आप जिस तरह की सहायता हम लोगों से चाहती हैं, हम लोग देंगे। लेकिन आप ऐसे क्षेत्रों में केन्द्रीय विद्यालयों की स्थापना करने का प्रयास करें। साथ ही साथ आपने जवाब में जो सीधे सीधे यह कहा कि इनकी संख्या बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। ... *(व्यवधान)* दूसरी ओर आपके जवाब में यह भी लिखा हुआ है कि केन्द्रीय विद्यालय खोलने का यह कंटीनुअस प्रोसैस है तो यह विरोधाभास है। उसी तरह से लातेहार में हमारी सीट को बढ़ाने की कृपा करें।... *(व्यवधान)*

श्रीमती स्मृति ज़ुबिन ईरानी : माननीय अध्यक्ष जी, मेरे जवाब में कोई विरोधाभास नहीं है। ... *(व्यवधान)* जो जो प्रस्ताव नियमानुसार आए हैं, उन प्रस्तावों के आधार पर स्कूलों को खोलना एक कंटिनुअस प्रोसैस है, यह सत्य है। ... *(व्यवधान)* जो जो प्रस्ताव नियम के बाहर आए हैं, उसके आधार पर हम लोग एक्सपेंशन नहीं कर

सकते। ... *(व्यवधान)* इसलिए ऐसा कोई भी प्रस्ताव मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है। यह भी सत्य है। इसलिए जवाब में विरोधाभास कोई नहीं है, पहले तो मैं यह बात स्पष्ट कर देना चाहती हूं।

दूसरे, माननीय सांसद ने अपने क्षेत्र से संबंधित एन.टी.पी.सी. और कोयले से संबंधित कुछ पी.एस.यूज की चर्चा की।... *(व्यवधान)* अगर वो एन.टी.पी.सी. अथवा कोयले की किसी भी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा अपने क्षेत्र में नियमानुसार स्पांसर करवाना चाहें और अगर यह प्रस्ताव एचआरडी मिनिस्ट्री में आता है तो सहानुभूति पूर्वक उन प्रस्तावों पर विचार अवश्य होगा।

श्री अजय मिश्रा टेनी: माननीय अध्यक्ष जी, अभी मुझे कई केन्द्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालयों का निरीक्षण करने का अवसर मिला। वास्तव में केन्द्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालयों ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही सराहनीय काम किया है। ... *(व्यवधान)* मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि कई ऐसे केन्द्रीय विद्यालय हैं जो किराये की बिल्डिंग में चल रहे हैं। उनके भवन निर्माण के लिए भूमि की आवश्यकता है। ... *(व्यवधान)* कई विद्यालय ऐसे हैं जैसे उदाहरण के रूप में मै कह सकता हूं कि लखीमपुर जनपद का विद्यालय है जिसमें सशस्त्र सीमा बल द्वारा एवं भूमि उपलब्ध कराने के लिए साढ़े तीन एकड़ जमीन का प्रस्ताव किया गया है। ऐसे बहुत सारे विद्यालय हैं जिनके लिए सशस्त्र सीमा बल, बीएसएफ आदि संगठन भूमि देना चाहते हैं।... *(व्यवधान)*

मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से प्रश्न है कि क्या सरकार ऐसी भूमि को लेकर विद्यालय भवन का निर्माण आतिशीघ्र शुरू कराएगी?

श्रीमती स्मृति ज़ुबिन ईरानी : महोदया, माननीय सदस्य ने एक पर्टीकुलर स्कूल की तरफ ध्यान आकर्षित किया है। मैं बताना चाहती हूं कि मानकों और नियमों के अनुसार मेट्रो सिटीज में जमीन की दरकार 4 एकड़ है, हिली एरियाज में 8 एकड़ जमीन की दरकार है और ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन की दरकार 10 एकड़ है।... *(व्यवधान)* इन मानकों के आधार पर जब जमीन प्रस्तावित होती है, तभी उस जमीन पर भवन निर्माण किया जाता है। अगर किसी विशेा परिस्थिति में और उस परिस्थिति को भी विस्तार से लिख कर मंत्रालय तक पहुंचाना पड़ता है, स्पोंसरिंग ओर्गेनाइजेशन अथवा सरकार अगर हम तक पहुंचाती है तो उस पर निर्णय जरूर होता है।...

(व्यवधान) रेंटिड एकोमोडेशन में केंद्रीय विद्यालय तब चलते हैं, जब इन चुनौतियों को पार नहीं किया जाता लेकिन यह जिम्मेदारी स्पोंसरिंग एजेंसी की होती है कि जब तक स्थायी भवन का निर्माण नहीं होता, तब तक रेंटिड एकोमोडेशन को भी स्पोंर्स्ड करे ताकि वहां विद्यालय चल सके।... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: हां, प्रश्नकाल अब समाप्त हो गया है। माननीय सदस्यगण कृपया अपने स्थानों पर वापस जाएं।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, यदि आप स्थगन प्रस्ताव चाहते हैं तो कृपया अपने स्थान पर वापस जाएं।

… (*व्यवधान*)

<u>अपराह्न 12.01 बजे</u>

इस समय श्री के.सी. वेणुगोपाल, श्री एंटो एन्टोनी और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने स्थान पर वापस चले गए।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, कृपया बैठ जाइये; आप भी सहयोग करें। मुझे पता है, आप अपना मुद्दा उठाना चाहते हैं।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: मैं बाद में आपको अनुमति दूंगी। पहले हम स्थगन प्रस्ताव पर विचार करेंगे और फिर मैं आपको शून्यकाल में बोलने की अनुमति दूंगी।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, कृपया सहयोग करें। मैं आपको बाद में अनुमति दूंगी, लेकिन अभी नहीं।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: मुझे सभा को सूचित करना है कि मुझे श्री मल्लिकार्जुन खड़गे और अन्य लोगों से एक भगोड़े की सहायता करने में एक केंद्रीय मंत्री जी की कथित संलिप्तता और स्वीकृति पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में सात स्थगन नोटिस प्राप्त हुए हैं।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: अब आपको अध्यक्ष को भी कुछ कहने की अनुमति देनी होगी।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने पहली बार नोटिस दिया है। तदनुसार मैंने श्री मल्लिकार्जुन खड़गे को निम्नलिखित प्रारूप में प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति दे दी है।

…(*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: कृपया मेरी बात सुनें। अध्यक्ष को इतना अधिकार है।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: वहां कई नोटिस थे। नोटिस में कहा गया है, 'एक भगोड़े की सहायता करने में एक केंद्रीय मंत्री जी की कथित संलिप्तता और स्वीकारोक्ति पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई'।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: अब श्री मल्लिकार्जुन खड़गे सदन की अनुमति मांग सकते हैं।

… (*व्यवधान*)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा): अध्यक्ष महोदया, मैं स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिये सभा की अनुमति चाहता हूँ।

"मोदीगेट घोटाले पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई... *(व्यवधान)*"

माननीय अध्यक्ष: नहीं, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे।

… (*व्यवधान*)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: यह मेरा नोटिस है। … (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: यह शब्द वहां नहीं है। 'मोदीगेट' शब्द नहीं है।

… (*व्यवधान*)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: मेरे नोटिस में कहा गया है, 'एक भगोड़े की सहायता करने में विदेश मंत्री जी के इस्तीफे के संबंध में मोदीगेट घोटाले पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई *... (व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष: आपने जो शब्द प्रयोग किया है। 'मोदीगेट' शब्द नहीं है।

… (*व्यवधान*)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: इसमें आगे कहा गया है, 'और उन्होंने कानून और प्रक्रिया के विपरीत काम करने की बात स्वीकार की है'… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: मुझे खेद है। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगी। यह शब्द नहीं जायेगा।

… (*व्यवधान*)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: इसमें यह भी कहा गया है कि, 'मोदीगेट के संबंध में सरकार द्वारा अपनाया गया रुख। कृपया प्रश्नकाल भी स्थगित करें। … (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: 'मोदीगेट' सही शब्द नहीं है। आप जो भी शब्द इस्तेमाल करते हैं, मुझे खेद है श्री खड़गे।

… (*व्यवधान*)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: यह वही नोटिस है जो मैंने दिया है। मैं इस नोटिस पर कायम हूं। … (*व्यवधान*) यदि आप स्वीकार करेंगी, तो मैं बोलूंगा; अन्यथा, मैं नहीं बोलूंगा। … (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: नहीं, श्रीमती सुषमा स्वराज।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: कृपया मेरी भी बात सुनिए।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : सुषमा जी, आप बैठ जाएं।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: अध्यक्ष महोदय यह निर्णय ले सकते हैं कि क्या यह पूर्ण पाठ होना चाहिए।

… (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : स्थगन प्रस्ताव कितना और किस तरीके से लेना है, इतना आधिकार स्पीकर को है। आपका मतिदार्थ लाना मतलब है। आपने जो लिखा है उसका मतिदार्थ लाना यह मतलब है। 'मोदी गेट' शब्द कहीं भी नहीं है। यह शब्द आपने निर्माण किया है। ऐसा कोई शब्द यहां नहीं आ सकता। मुझे खेद है। यह शब्द यहां नहीं आ सकता है।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: नहीं, मुझे खेद है।

… (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : ऐसा कोई शब्द यहाँ नहीं आ सकता। वह सदन के सदस्य नहीं हैं। यहाँ पर यह शब्द नहीं आ सकता है। वह सदन के सदस्य भी नहीं हैं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : स्पीकर को यह आधिकार है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : इसका मतलब है कि आप न एडजर्नमेंट मोशन में इंट्रेस्टेड हैं, न ही चर्चा में।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: मुझे खेद है। हाँ, सुषमा जी।

… (*व्यवधान*)

<u>अपराह्न 12.06 बजे</u>

इस समय श्री के.सी. वेणुगोपाल और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

… (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

विदेश मंत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : अध्यक्ष जी, मैं श्री खड़गे जी से यह कहना चाहती हूँ कि मैं चर्चा के लिए कोई चैलेन्ज नहीं कर रही हूँ, ..(व्यवधान) बल्कि सदन का गतिरोध समाप्त करने के लिए इनकी बात को स्वीकार करके आपसे निवेदन कर रही हूँ कि आप इनका एडजर्नमेंट मोशन स्वीकार कर लें।*... (व्यवधान)* मैं इनसे कहना चाहती हूँ कि स्पीकर साहिबा ने भाषा की शुद्धि की है, तो आप चर्चा करते समय मोदी गेट, ललित गेट, जो बोलना है, बोल लीजिए, लेकिन आप चर्चा करवाइए। *... (व्यवधान)* चर्चा से मत भागिए। आपने कल कहा था, आप स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा चाहते हैं, आप 193 पर चर्चा नहीं चाहते। *... (व्यवधान)* आपने कल कहा था कि आप आईपीएल के लिए नहीं, बल्कि अपनी भाषा पर चर्चा चाहते हैं। *... (व्यवधान)* इसलिए मैं आज स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के लिए तैयार हूँ। आपसे भी निवेदन कर रही हँ। *... (व्यवधान)* चर्चा के दौरान मोदी गेट, ललित गेट, जो बोलना है, बोलिए। *... (व्यवधान)* स्पीकर की भाषा-शुद्धि

को स्वीकार करके चर्चा कराइए। ... *(व्यवधान)* आप बहाने मत बनाइए। चर्चा से मत भागिए। आप स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराइए। ... *(व्यवधान)* मैं रात भर बैठने को तैयार हूँ। ... *(व्यवधान)* जितने सांसद उस पर बोलना चाहें, बोलें, लेकिन स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराइए। आप बहाने बना-बनाकर मत भागिए। ... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: सभा 12.30 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित किया जाता है।

<u>अपराह्न 12.07 बजे</u>

तत्पश्चात लोक सभा अपराह्न बारह बजकर तीस मिनट तक के लिए स्थगित हुई।

[2*]प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न सं.326 से 342
अतारांकित प्रश्न सं.3681 से 3910

[2*] प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाए। https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers

इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फ़िल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

<u>अपराह्न 12.30 बजे</u>

लोक सभा अपराह्न बारह बजकर तीस मिनट पर पुनः समवेत हुई।

(**माननीय अध्यक्ष** *पीठासीन हुई*)

स्थगन प्रस्ताव के बारे में

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : सब लोग बहुत ही होशियार हो रहे हैं।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, आपने सुधार के साथ एक नोटिस दिया है, जिसमें कहा गया है: 'एक भगोड़े की सहायता करने में एक केंद्रीय मंत्री जी की कथित संलिप्तता और स्वीकारोक्ति तथा संबंधित कृत्यों और कार्रवाइयों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई और इस संबंध में सरकार द्वारा अपनाया गया रुख'।

मुझे नहीं पता कि वह भगोड़ा है या नहीं।

शहरी विकास मंत्री, आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वेंकैया नायडू): महोदया, ऐसा आरोप लगाया गया है क्योंकि सरकार ने उन्हें भगोड़ा घोषित नहीं किया है*... (व्यवधान)* हमारी तरफ से हमें कोई समस्या नहीं है। इससे पहले की सरकार ने उन्हें भगोड़ा घोषित नहीं किया था। यदि वे इसे भूल गए हैं तो मुझे कोई समस्या नहीं है*... (व्यवधान)*

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : मैं अपने ज्ञान के लिए पूछ रही हूं कि पार्लियामेंट की दृष्टि से यह शब्द हम यहां दे सकते हैं या नहीं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं अपने लिए पूछ रही हूं। आप सब ज्ञानी हैं, मैं ही एक अज्ञानी यहां बैठी हूं।

[अनुवाद]

वित्त मंत्री, कॉरपोरेट मामले मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री अरुण जेटली): महोदया, चूंकि यह वित्त मंत्रालय के अंतर्गत एक जांच एजेंसी से संबंधित है, इसलिए मैं स्पष्ट कर सकता हूँ। पिछले सप्ताह ही उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया गया था। इससे पहले, प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच लंबित थी... *(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष: मैं 'भगोड़ा' शब्द के बारे में स्थिति समझना चाहती हूं। उन्हें अपनी बात पूर्ण करने दीजिए। मैंने उनसे इस शब्द के बारे में पूछा है। मैं जानना चाहतती हूं कि यह शब्द सही है या नहीं।

श्री अरूण जेटली : महोदया, इसका उत्तर यह है कि यू.पी.ए. सरकार के कार्यकाल के दौरान वह भगोड़ा नहीं था। उसके खिलाफ कोई वारंट नहीं था। पिछले सप्ताह ही उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया गया है।

माननीय अध्यक्ष: इसलिए, आज हम 'भगोड़ा' शब्द का प्रयोग कर सकते हैं।

श्री एम. वेंकैया नायडू: हमें किसी भी तरह से कोई समस्या नहीं है, लेकिन सच्चाई सामने आ जाएगी।

माननीय अध्यक्ष: अब श्री मल्लिकार्जुन खड़गे अनुमति मांग सकते हैं।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा): अध्यक्ष महोदया, मैं एक भगोड़े की सहायता करने में केन्द्रीय मंत्री जी की कथित संलिप्तता और स्वीकारोक्ति तथा संबंधित कृत्यों और कार्रवाइयों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई तथा इस संबंध में सरकार द्वारा अपनाए गए रुख के संबंध में स्थगन प्रस्ताव पेश करने के लिए सभा की अनुमति चाहता हूं।

[हिन्दी]

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): मैडम, क्या इनके पास 50 मेम्बर्स हैं?*... (व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : प्लीज, आप बैठिए।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: जब मैं यहां हूं तो आप यह क्यों पूछ रहे हैं?

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : मैंने अपने आपको केवल एक शब्द के लिए अज्ञानी कहा है, रूल्स के लिए नहीं कहा है।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: क्या अनुमति का विरोध किया गया है? यह जो एडजर्नमेंट मोशन पेश हुआ है, क्या उसे कोई अपोज कर रहा है?

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः अब अनुमति दी जाती है। अगर ओपोज़ नहीं कर रहे हैं तो 50 सदस्यों खड़े करने की आवश्यकता नहीं है। अगर ओपोज़ कर रहे हैं तो उसके लिए 50 सदस्यों की जरूरत पड़ती है।

... (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री एम. वैंकैय्या नायडू : सरकार की ओर से हम बहस के लिए तैयार हैं। हम ओपोज़ नहीं कर रहे हैं।*... (व्यवधान)* हाउस बाद में डिसपोज करेगा।*... (व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष: अगर यही चलना है तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। अब आप बैठ जाएं, आप तो बहुत होशियार हैं। स्थगन प्रस्ताव नियम 61 वास्तव में सायं 1600 बजे लिया जाना है, यह जो नियम 62 है उसके अनुसार,नियम के तहत समय से पहले या दो घंटे और तीस मिनट से कम नहीं, ढाई घंटे एडजॉर्नमेंट मोशन के लिए दिए जाते हैं। भाग लेने के इच्छुक सदस्यों की बड़ी संख्या को देखते हुए। यदि आप इस चर्चा को दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने के बाद करना चाहते हैं तो क्या यह ठीक है, अथवा इसे किस समय शुरू किया जाना चाहिए?

[अनुवाद]

श्री एम. वेंकैया नायडू: माननीय अध्यक्ष महोदया, हम कागजातों को सदन के पटल पर रखने के बाद चर्चा शुरू कर सकते हैं।

माननीय अध्यक्ष: इसलिए, हम पत्रों को सदन के पटल पर रखने के बाद चर्चा शुरू कर सकते हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

[हिन्दी]

विदेश मंत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : अध्यक्ष जी, ढाई घंटे क्यों देते हैं, समय सीमा मत बांधिए। जितनी देर बोलना चाहें, बोलने दिया जाए।

माननीय अध्यक्ष: ऐसा नहीं होता है।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: हर किसी को मुझे निर्देश नहीं देना चाहिए। मुझे पता है कि क्या करना है। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मैं इसके लिए ढाई घंटे निर्धारित कर रही हूं। आप जानते हैं कि ढाई घंटे से पांच-दस मिनट इधर-उधर हो जाते हैं, लेकिन ऐसा न करें, थोड़ा निर्णय मुझे भी लेने दीजिए।

<u>अपराह्न 12.37 बजे</u>

सभा पटल पर रखे गए पत्र

माननीय अध्यक्ष: अब सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र।

वित्त मंत्री, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री और सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री अरुण जेटली): महोदया, मैं सभा पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूँ: -

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 469 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(1) कंपनी (रजिस्ट्रेशन कार्यालय और फीस) दूसरा संशोधन नियम, 2015 जो 30 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या साकानि 438 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) कंपनी (प्रभारों का रजिस्ट्रेशन) दूसरा संशोधन नियम, 2015 जो 30 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या साका०नि० 440 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(3) कंपनी (लाभांश की संदायगी की घोषणा) दूसरा संशोधन नियम, 2015 जो 30 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या साकानि 441 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(4) कंपनी (शेयर पूंजी और ऋण पत्र) दूसरा संशोधन नियम, 2015 जो 30 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या साका०नि० 439 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 3061/16/15]

(2) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 463 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(1) सा.का.नि. 464 (अ) जो 5 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 462 के अंतर्गत निजी कंपनियों को छूट दिए जाने के बारे में है।

(2) सा.का.नि. 465 (अ) जो 5 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 462 के अंतर्गत निधियों को छूट दिए जाने के बारे में है।

(3) सा.का.नि. 466 (अ) जो 5 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 462 के अंतर्गत धारा 8 कंपनियों को छूट दिए जाने के बारे में है।

(4) सा.का.नि. 463 (अ) जो 5 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 462 के अंतर्गत सरकारी कंपनियों को छूट दिए जाने के बारे में है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 3062/16/15]

1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 458 की उपधारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या साकानि 333 (अ) जो 29 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसमें निदेश दिया गया है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 458 के उपबंध इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से सीमित दायित्व साझेदारी के लिए लागू होंगे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 3063/16/15]

वित्त मंत्री, कॉरपोरेट कार्य मंत्री और सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री अरुण जेटली): महोदया, मैं अधिसूचना सं. 45/2015-सीमा शुल्क (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो 12 अगस्त, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 159 के अंतर्गत अध्याय 72 के अंतर्गत आने वाले निर्दिष्ट माल पर 2.5 प्रतिशत आधारभूत सीमा शुल्क को बढ़ाना है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 3063क/16/15]

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्री और संसदीय मामलों के मंत्री (श्री एम. वेंकैया नायडू): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं: -

(1) पथ विक्रेताओं (आजीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014 की धारा 36 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(1) दादर और नगर हवेली संघ राज्यक्षेत्र पथ विक्रेता (आजीविका संरक्षण औरपथ विक्रय विनियमन) नियम, 2015 जो 28 जुलाई, 2015 के भारत केराजपत्र में अधिसूचना सं. सा. का. नि. 583(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) अंडमान निकोबार द्वीप समूह संघ राज्यक्षेत्र पथ विक्रेता (आजीविका संरक्षणऔर पथ विक्रय विनियमन) नियम, 2015 जो 28 जुलाई, 2015 के भारतकेराजपत्र में अधिसूचना सं. सा. का. नि. 584 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(3) दमन और दीव संघ राज्यक्षेत्र पथ विक्रेता (आजीविका संरक्षण और पथविक्रय विनियमन) नियम, 2015 जो 28 जुलाई, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा. का. नि. 585(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(4) चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र पथ विक्रेता (आजीविका संरक्षण और पथ विक्रयविनियमन) नियम, 2015 जो 28 जुलाई, 2015 के भारत के राजपत्र मेंअधिसूचना सं. सा. का. नि. 586 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(5) लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र पथ विक्रेता (आजीविका संरक्षण और पथ विक्रयविनियमन) नियम, 2015 जो 28 जुलाई, 2015 के भारत कं राजपत्र मेंअधिसूचना सं. सा. का. नि. 587 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले चार विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 3064/16/15]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री और पृथ्वी विज्ञान मंत्री (डॉ. हर्ष वर्धन): महोदया, मैं श्री रविशंकर प्रसाद की ओर से, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 की धारा 10 की उपधारा (1) के अंतर्गत तथा उक्त अधिनियम के नियम 13 के खण्ड च(क) के अनुसरण में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी माल (अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण की अपेक्षाएं) आदेश, 2012 जो 19 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ.. 1324(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 3065/16/15]

[हिन्दी]

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विष्णु देव साय) : महोदया, श्री नरेन्द्र सिंह तोमर की ओर से, मैं संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अंतर्गत भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, इस्पात मंत्रालय, में आधुनिकीकरण और विस्तार संबंधी कायरनिष्पादन लेखापरीक्षा के संबंध में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक--संघ सरकार (वाणिज्यिक) के प्रतिवेदन (2015 का संख्यांक 23) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 3066/16/15]

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री, प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह): महोदया, मैं श्री राजीव प्रताप रूडी की ओर से, शिक्षु अधिनियम, 1961 की धारा 37 की उपधारा

(3) के अंतर्गत शिक्षु (संशोधन) नियम, 2015 जो 18 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 502(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजीसंस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 3067/16/15]

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री, प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री **(**डॉ. जितेन्द्र सिंह**) :** महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 3068/16/15]

(दो) इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 3069/16/15]

(तीन) इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड तथा परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 3070/16/15]

(चार) न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 3071/16/15]

(पाँच) भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड तथा परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन ।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 3072/16/15]

(2) नॉर्थ ईस्टर्न हैंडीक्राफ्ट्स एण्ड हैंडलूम्स डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 3073/16/15]

(3) प्रशासनिक आधिकरण आधिनियम, 1985 की धारा 37 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित आधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) केन्द्रीय प्रशासनिक आधिकरण (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2015 जो 1 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में आधिसूचना संख्या सा.का.[हिन्दी] नि. 357(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक आधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 2015 जो 26 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में आधिसूचना संख्या सा.का.[हिन्दी] नि. 428(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 3074/16/15]

(4) सूचना का आधिकार, 2005 की धारा 29 की उपधारा (1) के अंतर्गत केन्द्रीय सूचना आयोग (स्टेनोग्राफर ग्रेड 'डी') भर्ती नियम, 2015 जो 6 जुलाई, 2015 के भारत के राजपत्र में आधिसूचना संख्या सा.का.नि. 540(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 3074क/16/15]

माननीय अध्यक्ष: श्री उपेन्द्र कुशवाहा - उपस्थित नहीं।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. रामशंकर कठेरिया):- मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं-

प्रो0 (डॉ.) रामशंकर कठेरिया निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखेंगे:-

(1) (एक) प्रोजेक्ट ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडियन साइंस, फिलॉस्फी एण्ड कल्चर, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) प्रोजेक्ट ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडियन साइंस, फिलॉस्फी एण्ड कल्चर, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 3088/16/15]

(3) (एक) इंडियन काउंसिल ऑफ फिलॉसोफिकल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन काउंसिल ऑफ फिलॉसोफिकल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 3089/16/15]

(5) (एक) अटल बिहारी वाजपेयी इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इंफार्मेशन टेक्नोलॉजी एण्ड मैनेजमेंट, ग्वालियर के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) अटल बिहारी वाजपेयी इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इंफार्मेशन टेक्नोलॉजी एण्ड मैनेजमेंट, ग्वालियर के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(तीन) अटल बिहारी वाजपेयी इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इंफार्मेशन टेक्नोलॉजी एण्ड मैनेजमेंट, ग्वालियर के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 3090/16/15]

(7) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इंफार्मेशन टेक्नोलॉजी, इलाहाबाद के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इंफार्मेशन टेक्नोलॉजी, इलाहाबाद के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(तीन) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इंफार्मेशन टेक्नोलॉजी, इलाहाबाद के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 3091/16/15]

(9) (एक) डॉ. बी.आर. अम्बेडकर नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जालंधर के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) डॉ. बी.आर. अम्बेडकर नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जालंधर के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 3092/16/15]

(11) (एक) नेशनल काउंसिल फॉर प्रोमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल काउंसिल फॉर प्रोमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(तीन) नेशनल काउंसिल फॉर प्रोमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 3093/16/15]

(13) (एक) मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इलाहाबाद के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इलाहाबाद के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 3094/16/15]

(15) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी शिमला के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी शिमला के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 3095/16/15]

(17) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अरुणाचल प्रदेश, यूपिया के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अरुणाचल प्रदेश, यूपिया के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 3096/16/15]

(19) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट काशीपुर, काशीपुर के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट काशीपुर, काशीपुर के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 3097/16/15]

(21) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोझीकोड, कोझीकोड के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोझीकोड, कोझीकोड के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 3098/16/15]

(23) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलांग, शिलांग के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलांग, शिलांग के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 3099/16/15]

(25) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रोहतक, रोहतक के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रोहतक, रोहतक के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) उपर्युक्त (25) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 3100/16/15]

(27) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट तिरुचिरापल्ली, तिरुचिरापल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट तिरुचिरापल्ली, तिरुचिरापल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) उपर्युक्त (27) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 3101/16/15]

(29) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मणिपुर, मणिपुर के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मणिपुर, मणिपुर के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(30) उपर्युक्त (29) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 3102/16/15]

(31) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट राँची, राँची के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट राँची, राँची के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(32) उपर्युक्त (31) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 3103/16/15]

(33) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, पटना के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, पटना के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(34) उपर्युक्त (33) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 3104/16/15]

(35) (एक) स्कूल ऑफ प्लानिंग एण्ड आर्किटेक्चर, विजयवाडा के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) स्कूल ऑफ प्लानिंग एण्ड आर्किटेक्चर, विजयवाडा के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(36) उपर्युक्त (35) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 3105/16/15]

(37) (एक) इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(38) उपर्युक्त (37) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 3106/16/15]

(39) (एक) इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(40) उपर्युक्त (39) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 3107/16/15]

(41) (एक) इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स, धनबाद के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स, धनबाद के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(42) उपर्युक्त (41) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 3108/16/15]

(43) ऑरोविल्ले फाउंडेशन (समूह 'क') भर्ती नियम, 2014 जो 12 अप्रैल, 2014 के भारत के राजपत्र में आधिसूचना संख्या सा.का.[हिन्दी] नि. 72 में प्रकाशित हुए थे तथा जिसका शुद्धिपत्र 1 अप्रैल, 2015 के भारत

के राजपत्र में आधिसूचना संख्या सा. का. नि. 244(अ) में दिया हुआ है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(44) उपर्युक्त (43) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 3109/16/15]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वाई. एस. चौधरी): महोदया, मैं सभा पटल पर रखता हूं: -

(1) (एक) साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 केवार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथालेखापरीक्षित लेखे।

(दो) विज्ञान एवं इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी एवं अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले चार विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 3110/16/15]

———

अपराह्न 12.39 बजे

राज्य सभा से संदेश

महासचिव: माननीय अध्यक्ष महोदया, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना देनी है:-

'मुझे लोक सभा को सूचित करने का निर्देश दिया गया है कि राज्य सभा ने बुधवार, 5 अगस्त, 2015 को आयोजित अपनी बैठक में अन्य पिछड़े वर्गों (ओ.बी.सी.) के कल्याण संबंधी समिति के संबंध में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत किया:-

"यह सभा संकल्प करती है कि राज्य सभा दोनों सभाों की अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ.बी.सी.) के कल्याण संबंधी समिति में समिति की प्रथम बैठक की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए शामिल हो तथा उक्त समिति में कार्य करने के लिए सभा के सदस्यों में से आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा दस सदस्यों का निर्वाचन करे।"

2. मैं लोक सभा को यह भी सूचित करना चाहता हूं कि उपरोक्त प्रस्ताव के अनुसरण में, राज्य-सभा के निम्नलिखित सदस्यों को उक्त समिति के लिए विधिवत निर्वाचित किया गया है: -

1. श्री राम नारायण डूडी
2. श्री चूनीभाई कांजीभाई गोहेल
3. श्री बी. के. हरिप्रसाद
4. श्री अहमद हसन
5. श्री विशम्भर प्रसाद निषाद

6. श्री वी. हनुमंत राव

7. श्री राजपाल सिंह सैनी

8. श्रीमती विजिला संत्यानंत

9. श्री अश्क अली तक

10. श्री राम नाथ ठाकुर

अपराह्न 12.39 ½ बजे

निजी सदस्यों के विधेयकों और प्रस्तावों पर समिति

14वां प्रतिवेदन

डॉ. एम. तंबिंदुरै (करूर): महोदया, मैं निजी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति का चौदहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ।

———

अपराह्न 12.39 ¾ बजे

अधीनस्थ विधान पर समिति

6वें से 9वां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी (अहमदनगर) : महोदया, मैं अधीनस्थ विधान संबंधी समिति का छठा, सातवां, आठवां और नौवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.40 बजे

लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति

तीसरा प्रतिवेदन

श्री पी. पी. चौधरी (पाली): मैं लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति का तीसरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ।

अपराह्न 12.40 ¼ बजे

श्रम संबंधी स्थायी समिति

9वां और 10वां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

डॉ. वीरेन्द्र कुमार **(टीकमगढ़) :** अध्यक्ष महोदया, मैं श्रम संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:-

(1) शहरी हाटों की समीक्षा' नौवां प्रतिवेदन।

(2) 'राउरकेला इस्पात संयंत्र के मृत कर्मकारों के विधिक उत्तराधिकारियों का कल्याण-एक मामलापरक अध्ययन' के बारे में समिति के 37वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी दसवां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.40 ½ बजे

रसायनों और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति

12वां प्रतिवेदन

श्रीमती अंजू बाला (मिश्रिख): मैं रसायन और उर्वरक मंत्रालय (भेषज विभाग) से संबंधित 'राष्ट्रीय भेषज शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों का कार्यकरण' विषय पर रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति का बारहवां प्रतिवेदन (अंग्रेज़ी तथा हिन्दी संस्करण) प्रस्तुत करती हूँ।

अपराह्न 12.41 बजे

ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति

10वें से 15वां प्रतिवेदन

श्री अजय मिश्रा टेनी (खीरी): मैं से ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ: -

(1) ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) की 'अनुदान मांगों (2014-15)' पर पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी दसवां प्रतिवेदन।

(2) ग्रामीण विकास मंत्रालय (भूमि संसाधन विभाग) की 'अनुदान मांगों (2014-15)' पर दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी 11वां प्रतिवेदन।

(3) पंचायती राज मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2014-15)' पर तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी 12वां प्रतिवेदन।

(4) पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय की 'अनुदान मांगों (2014-15)' पर चोथे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी 13वां प्रतिवेदन।

(5) 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), 2005 का कार्यान्वयन' के बारे में 42वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी 14वां प्रतिवेदन।

(6) 'पंचायती राज संस्थाओं (पी.आर.आई.) का क्षमता निर्माण' पर 45वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी 15वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.41 ½ बजे

कोयला एवं इस्पात संबंधी स्थायी समिति

(1)14वां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री राकेश सिंह (जबलपुर) : अध्यक्ष महोदया, मैं कोयला मंत्रालय से संबंधित 'कोयला/लिग्नाइट खनन क्षेत्रों में निवासियों/कर्मकारों के लिए संरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाएं' विषय पर कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति का 14वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) रखता हूं।

(2) विवरण

[हिन्दी]

श्री राकेश सिंह : अध्यक्ष महोदया, मैं कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के अध्याय एक और पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों के संबंध में सरकार द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित की-गई-कार्रवाई संबंधी विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कोयला मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2013-2014)' के बारे में 33वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति का 44वां प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा)।

(2) खान मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2013-2014)' के बारे में 34वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के संबंध में कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति का 45वां प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा)।

(3) इस्पात मंत्रालय से संबंधित 'सरकारी क्षेत्र की इस्पात कंपनियों में कर्मकारों की सेवा शर्तें' के बारे में 51वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के संबंध में कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति का पांचवां प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)।

(4) इस्पात मंत्रालय से संबंधित 'सरकारी क्षेत्र की इस्पात कंपनियों द्वारा इस्पात का विपणन और ढुलाई' के बारे में 52वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई- कार्यवाही के संबंध में कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति का छठा प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)।

अपराह्न 12.42 बजे

सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति

20वां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

कुँवर भारतेन्द्र सिंह (बिजनौर): अध्यक्ष जी, मैं 'वक्फ संपत्ति (अनधिकृत आधिभोगियों की बेदखली) विधेयक, 2014' के बारे में सामाजिक न्याय और आधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (2014-15) का 20वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.42 ¼ बजे

वाणिज्य पर स्थायी समिति

119वां प्रतिवेदन

श्री बोध सिंह भगत (बालाघाट): मैं वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के भारत में रबर उद्योग पर 119वें प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखता हूँ (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण)।

अपराह्न 12.42 ½ बजे

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति

268वां प्रतिवेदन

श्री दद्दन मिश्रा (श्रावस्ती): 'नीलगिरी के पर्यावरण संबंधी मुद्दे' पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति का दो सौ अड़सठवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

अपराह्न 12.42 ¾ बजे

परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति

223वां प्रतिवेदन

कुंवर हरिबंश सिंह (प्रतापगढ़): मैं को राष्ट्रीय जलमार्ग विधेयक, 2015 परिवहन, पर्यटन और संस्कृति पर स्थायी समिति का दो सौ तेईसवां प्रतिवेदन (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

अपराह्न 12.43 बजे

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) शहरी विकास मंत्रालय से संबंधित 'दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी.डी.ए.) के कार्यकरण' और विशेष रूप से दिल्ली में किफायती घरों के संदर्भ में दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण और उससे संबंधित मामलों' के संबंध में शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति की 31वे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।[3*]

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वेंकैया नायडू): मैं 'दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी.डी.ए.), विशेष रूप से दिल्ली में किफायती घरों के संदर्भ में और दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण में इसकी भूमिका और शहरी विकास मंत्रालय से संबंधित

[3*] सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, देखिए संख्या एल.टी.3111/16/15

मामलों' के बारे में शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति की 31वां प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य देना चाहता हूं।

अपराह्न **12.43 ¼** बजे

(2) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से संबंधित " प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्री कार्यक्रम का कार्यान्वयन " के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के 46वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखा।[4*]

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (डॉक्टर श्रीमती नजमा हेपतुल्ला) : मैं अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय से संबंधित 'प्रधानमंत्री के नए 15-सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन' के संबंध में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति की 46वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में एक वक्तव्य देना चाहती हूँ।

अपराह्न **12.43 ½ बजे**

(3) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से संबंधित अनुदान मांगों (2014-15) के संबंध में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति के पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।[5□]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री धर्मेंद्र प्रधान) की ओर से उत्तरपूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार; प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्यमंत्री और अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री [डॉ.क्टर जितेन्द्र सिंह]: ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अनुदानों की मांगों 2014-15) के बारे

[4*] □ सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, देखिए संख्या एल.टी 3112/16/15

[5□] सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, देखिए एल.टी. संख्या 3113/16/15

में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधीस्थायी समिति के पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति केबारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखा। कृपया इसे पढ़ा हुआ माना जाए।

अपराह्न 12.43 ¾ बजे

(4) कृषि और सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2014-15) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति के तीसरे (3) प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।[6]□

[हिन्दी]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहनभाई कल्याणजीभाई कुंदरिया): अध्यक्ष जी, मैं कृषि और सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2014-15) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति के तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.44 बजे

(5) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय सेसंबंधित अनुदानों की मांगों (2015-16) के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी,पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 257वें और 258वैं प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।[7]*

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वाई. एस. चौधरी): मैं निम्नलिखित वक्तव्य को सभा पटल पर रखता हूं:-

---

[6]□ सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, देखिए एल.टी. संख्या 3114/16/15

[7]* सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, देखिए एल.टी. संख्या 3115/16/15

(1) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2015-16) के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 257वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्टि सिफारिशों के कार्यान्वयनकी स्थिति।

(2) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, विज्ञान और प्रौद्यागिकी मंत्रालय सेसंबंधित अनुदानों की मांगों (2015-16) के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 258वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

अपराह्न 12.45 बजे

(6) सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित 'पेड न्यूज से संबंधित मुद्दों' के बारे में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के 47वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति ।*

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कर्नल राज्यवर्धन राठौर): मैं अध्यक्ष महोदय के 1 सितंबर, 2004 के लोक सभा बुलेटिन भाग 2 में प्रकाशित निर्देश 73क के अनुपालन में, सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित "पेड न्यूज़ से संबंधित मुद्दे" विषय पर सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति (2012-13) के सैंतालीसवें प्रतिवेदन में निहित सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति पर एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के संबंध में सूचना प्रौद्योगिकी पर स्थायी समिति के 47वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट उपरोक्त 18 सिफारिशों/टिप्पणियों पर की गई कार्रवाई का एक विवरण सदन के पटल पर रखे गए अनुसार लिया जा सकता है।

* सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, देखिए एल.टी. संख्या 3117/16/15

अपराह्न 12.46 बजे

कार्य मंत्रणा समिति की 21वें प्रतिवेदन के बारे मे प्रस्ताव

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा 11 अगस्त, 2015 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 21वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

माननीय अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा 11 अगस्त, 2015 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 21वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.47 बजे

स्थगन प्रस्ताव

एक केंद्रीय मंत्री द्वारा एक भगोड़े की सहायता करने में कथित संलिप्तता तथा स्वीकारोक्ति तथा तत्संबंधी कृत्य और कार्रवाई और इस संबंध मे सरकार द्वारा अपनाए गए रुख के बारे मे सूचना दी गई

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा): मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि सभा अब स्थगित हो।"

[हिन्दी]

मैडम स्पीकर, मुझे खुशी है कि बहुत दिन के बाद मेरा एडजर्नमैन्ट मोशन आज एडमिट हुआ और जिस मकसद से हमने इस सदन में बार-बार उसे रखने की कोशिश की तो सरकार ने बार-बार अप्रत्यक्ष रूप से आप पर दबाव डालने की कोशिश भी की, लेकिन आप उनके दबाव में नहीं आयेंगी, ऐसा मेरा हमेशा विश्वास था।

माननीय अध्यक्ष : कोई दबाव नहीं होता है।

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वैंकैय्या नायडू) : स्पीकर के ऊपर कोई दबाव नहीं डाल सकते और कागज फेंकने के बाद भी कुछ नहीं होगा।

माननीय अध्यक्ष : एक्चुअली दबाव नहीं होता है।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : मैं तो यह कह रहा हूं कि ... *(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : आप सभी से रिक्वैस्ट है कि अगर वास्तव में चर्चा चाहते हैं तो जरा थोड़ा समझ के शब्दों का इस्तेमाल करें, स्पीकर पर दबाव नहीं होता है।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : मैंने यह कहा कि आप उनके दबाव में नहीं आती हैं, ऐसा मुझे विश्वास है, समझ में नहीं आता तो मैं क्या करूं।... *(व्यवधान)* आप बैठिये। मैं दूसरी बात कहने से पहले आपकी तरफ से इस सदन

को और खासकर सरकार को यह बताना चाहता हूं, क्योंकि वह हमेशा बहुत बड़ी-बड़ी बातें करते हैं और चाणक्य नीति भी अपनाने की कोशिश करते हैं। *... (व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : कल आप नाटक देखने नहीं आए।

... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: चाणक्य ने यह कहा - "आंख के अंधे को दुनिया नहीं दीखती, काम के अंधे को विवेक नहीं दीखता, मद के अंधे को अपने से श्रेष्ठ नहीं दीखता, स्वार्थी को कभी भी दोष नहीं दीखता"। ये जो स्वार्थी हैं और ये जो मद से भरे हुए हैं, उन्हें दूसरा कुछ नहीं दीखता, वह जो कर रहे हैं, वही सही है और वे जो बता रहे हैं, वही सही है। इसी पर निर्भर रहकर आज उन्होंने यह शुरू किया और हमेशा इस बात को कहने की कोशिश की कि हम जो कह रहे हैं, वह ठीक है और आप जो कहते हैं वह गलत है, उन्होंने हमेशा यह कहने की कोशिश की है। मैडम, जो डिस्कशन हम चाहते थे, हम हाऊस को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। *... (व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : प्लीज़, आप चुप रहिए। बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में नहीं जाएगा। केवल श्री मल्लिकार्जुन खड़गे का भाषण ही कार्यवाही वृत्तांत में जाएगा।

… (*व्यवधान*)..*

[हिन्दी]

---

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : अगर सरकार इतनी चिंतित थी तो जब हम एड्जर्न्मेंट मोशन दो-तीन हफ्तों से ला रहे थे, तब सरकार स्वीकार कर सकती थी और आपसे विनती कर सकती थी। *... (व्यवधान)* अच्छा आप ही बोलिए, मैं बैठ जाता हूँ। *... (व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : यह बार-बार अच्छा नहीं है। उनकी बात सुनिए न! चर्चा हो रही है, आपके मंत्री सक्षम हैं, वे जवाब देंगे। *... (व्यवधान)*

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : आप अगर चार हफ्ते पहले इसी एड्जर्न्मेंट मोशन को स्वीकार करते तो यह प्रश्न ही नहीं उठता। *... (व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : गलती मेरी हो गई।

... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : लेकिन आपने आज इसको जो स्वीकार किया है, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ क्योंकि आपने हमारे एड्जर्न्मेंट मोशन को स्वीकार किया है। हम इसमें क्यों लाना चाहते थे, क्योंकि बाहर के लोग भी हमसे पूछते हैं कि *... (व्यवधान)* अगर ऐसे ही बात करनी है, तो मैं बोलना छोड़ देता हूँ और आप ही बोलिए। *... (व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : यह सब ठीक नहीं है।

... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : अगर आपको ही बोलना है, तो आप ही बोलिए *... (व्यवधान)* मैं बैठ जाता हूँ। *... (व्यवधान)* आपका बोलना खत्म होने के बाद मैं बात करूंगा। *... (व्यवधान)*

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: मैंने कहा है कि कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में नहीं जाएगा; केवल आपका भाषण कार्यवाही वृत्तांत में जाएगा।

… (*व्यवधान*)... *

[हिन्दी]

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: मैडम, जरा उनको भी टोकिए। ... *(व्यवधान)* आप उधर ज़रा ज्यादा टोकिए तो वे ज़रा ठीक हो जाएंगे। ... *(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : मेरे टोकने से कहां कोई रूक रहा है?

... *(व्यवधान)*

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : इस समस्या को सुलझाने का काम उनका था। यह उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सदन को ठीक ढंग से चलाने के लिए कोऑपरेट करना चाहिए। आज जो उठ-उठ कर फॉरन मिनिस्टर भी बोल रही हैं, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर भी बोल रहे हैं कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, अभी लो, अभी करो। आपने दो बजे का कुछ प्रस्ताव रखा तब भी उन्होंने कहा कि अभी लो। यानि यह जो आतुरता है, जो ऐंग्ज़ाइटी आप दिखा रहे हैं, अगर 15-20 दिन पहले यह दिखाते तो इतना समय बर्बाद नहीं होता। ... *(व्यवधान)* इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो सरकार जिम्मेदार है। अगर इसके लिए कोई जिम्मेदार है, तो प्राईम मिनिस्टर जिम्मेदार हैं। ... *(व्यवधान)* अगर इसके लिए कोई जिम्मेदार है, तो उधर के लोग जिम्मेदार हैं। ... *(व्यवधान)* हम कोई जिम्मेदार नहीं हैं। ... *(व्यवधान)* इसीलिए मैं आपसे अपील करता हूँ कि इस चर्चा के वक्त प्राईम मिनिस्टर का यहां पर रहना जरूरी है। ... *(व्यवधान)* आप मेरी बात सुनिए कि क्यों जरूरी है, आपने तो हमारे मोशन को एडमिट किया और जो फॉरेन मिनिस्टर ने एक भगोड़े को जो सपोर्ट किया, उसके बारे में जब हम बताएंगे तो किनको बताएंगे, इस सदन के जो नेता हैं, प्राईम मिनिस्टर, उनको ही हम बता सकते हैं। ... *(व्यवधान)* अगर कोई गलती हो तो वही एक्शन ले सकते हैं। उनका संपूर्ण आधिकार है मिनिस्ट्री बनाना,

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

मिनिस्टर किसको रखना, किसको निकालना, किसका क्या दोष है, यह सारी चाज़ें देखने का आधिकार प्राईम मिनिस्टर को है। जिनके विषय में हम प्रस्ताव करना चाहते हैं, जो हमारे एलिगेशंस हैं, अगर वे ही बार-बार उठ कर, उत्तर देते रहेंगे, एक बार तो उन्होंने स्पष्ट रूप से यहां पर कहा है, अपनी बात सदन के सामने रखी है और बाहर भी बताया है तो आज हम यह चाहते हैं कि प्राईम मिनस्टर खुद आ कर हमारी बात को सुनें, उसी वक्त हमको संतोष होगा कि वे एक्शन लेने वाले हैं, या नहीं लेने वाले हैं। अगर वह सुनना भी नहीं चाहते और यहाँ क्या चल रहा है, उसके बारे में बात भी नहीं करना चाहते, वे अंदर भी बात नहीं करना चाहते, बाहर भी बात नहीं करना चाहते हैं। वे जो भी बात करना चाहते हैं या तो रेडिया में या तो टीवी पर या एडवरटाइजमेंट पर, यह ठीक नहीं है। सदन में ऐसा गंभीर विषय जब आ रहा है और चंद आरोप जो हम कर रहे हैं, तो उसका वही जवाब दे सकते हैं, दूसरा कोई भी उसका जवाब नहीं दे सकता है।*... (व्यवधान)* इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि उनको भी बुला लीजिए और बुलाकर इस विषय पर उनकी क्या राय है और उनका उत्तर भी हम चाहेंगे और उनको खुद प्रेजेंट भी यहाँ रहना चाहिए।*... (व्यवधान)* यह मेरी एक विनती है, इसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप उनके ऊपर प्रभाव डालकर, उनको किसी ढंग से यहाँ पर बुला लीजिए, क्योंकि अगर मैं चर्चा भी करूँ, अगर वह नहीं सुनेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है।*... (व्यवधान)* इसलिए मैं चाहता हूँ कि वे खुद यहाँ आएं। *... (व्यवधान)*

दूसरी जो चीज है, जो यहाँ पर उत्तर देने वाले हैं, खैर उनका तो एक बार उत्तर हो गया, एक बार फिर वह उत्तर दे देंगे। मैं आपसे विनती करना चाहता हूँ कि बार-बार उन्हीं की तरफ से उत्तर हम नहीं लेना चाहते हैं। हम जो उत्तर लेना चाहेंगे, वह प्राइम मिनिस्टर की ओर से ही उत्तर लेना चाहेंगे।*... (व्यवधान)* प्रधानमंत्री से ही उत्तर लेना चाहेंगे।*... (व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : इसका डिसीजन तो मुझे लेना है।

... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: महोदया, इसका डिसीजन आप ही के द्वारा होगा।... *(व्यवधान)* उसका प्रधानमंत्री जी को ही उत्तर देना चाहिए, यह पहली चीज है। दूसरी चीज, इसको रूल 56 में इसलिए हम लाए, इस विषय की गंभीरता देखकर ही हम रूल 56 में इसे लाए। इस सदन में रूल 184 का भी प्रस्ताव था, हमारे सदस्य प्रेमचंद्रन जी का ऐसा प्रस्ताव था। आपने फिर इसको नियम 193 में, क्योंकि इस सदन के चीफ व्हिप भी नियम 193 में लाए थे, तो इसको डाइल्यूट करने के लिए नियम 193 में लाकर चर्चा करके उसे खत्म करना चाहते थे।... *(व्यवधान)* इसलिए हमने इसको एडजर्नमेंट मोशन के तहत, रूल 56 के तहत ही इनसिस्ट किया। इस वजह से हम बार-बार इसको इनसिस्ट करते रहे, ताकि आप यह न समझें और सदन के बाहर के लोगों को भी यह मालूम हो कि रूल 56, नियम 193 और रूल 184 में क्या फर्क है? ... *(व्यवधान)* इसलिए रूल 56 का हमने आपके सामने प्रस्ताव रखा।... *(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : यह अच्छा नहीं है, आपके लोग जवाब देंगे। यह क्या हो रहा है?

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : बैठे-बैठे कोई भी कोई बात नहीं कहेगा। आप बैठिए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्लीज, आप बैठिए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : गौरव जी, आप बैठिए।

... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: महोदया, यह जो मुझे बोलने का आपने मौका दिया, इस पर मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, जो बार-बार यह कहते रहे हैं कि उनकी कोई गलती नहीं है, उन्होंने किसी को चिट्ठी नहीं दी, उन्होंने किसी को पत्र नहीं दिया।

<u>अपराह्न 01.00 बजे</u>

कोई करॉस्पॉन्डैन्स नहीं है, जो यहाँ से एक इकोनॉमिक ऑफैन्डर चला गया, वह वहाँ पर बसा हुआ है। यह सब उनको मालूम रहते हुए भी उनकी मदद करने की पूरी-पूरी कोशिश उन्होंने की और यहाँ तक कि उनको यह भी मालूम था कि उनके ऊपर फाइनैन्स डिपार्टमैंट के एनफोर्समैंट डायरैक्टोरेट का नोटिस था और ब्लू कॉर्नर नोटिस था। अब फिर कल रैड कॉर्नर नोटिस भी उनको इश्यू करने का निर्णय फाइनैन्स डिपार्टमैंट ने किया है, ऐसा मैंने पेपर में पढ़ा। ये सारी चीज़ें उनको मालूम रहते हुए भी क्यों उन्होंने उसकी मदद करने की कोशिश की, यह पहला प्रश्न है।

दूसरा प्रश्न क्या है? भारत सरकार के बार-बार कहने पर भी ललित मोदी एनफोर्समैंट डायरैक्टोरेट के सामने हाज़िर नहीं हुए। हाज़िर नहीं होने की वजह से उनका पासपोर्ट भी कैंसेल हुआ। जब पासपोर्ट कैंसेल हुआ तो हाई कोर्ट में वह पड़ा हुआ था। हाई कोर्ट ने वह पासपोर्ट दिलाने के लिए उनके फेवर में एक जजमैंट दिया। लेकिन फॉरैन अफेयर्स मिनिस्टर का कर्तव्य था कि अगर किसी का पासपोर्ट कैंसेल हुआ और वह एक इकोनॉमिक ऑफैन्डर है, वह विदेश में रहता है, उसके ऊपर ब्लू कॉर्नर नोटिस है तो क्यों आप अपील में नहीं गए, यह मैं पूछना चाहता हूँ। आप अपील में क्यों नहीं गए, अगर मैं वह कहूँगा तो नाराज़ हो जाएँगे, लेकिन कोई हरकत नहीं है। ... *(व्यवधान)*

विदेश मंत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : मैं नाराज़ नहीं हूँ।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : क्योंकि उसमें उनके घर के लोग वकील थे और उस ग्रुप में ललित मोदी को प्रोटैक्ट करने के लिए इन लोगों ने वह केस लिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए सरकार तैयार क्यों नहीं थी, क्यों कोशिश नहीं की, यह मैं पूछना चाहता हूँ। आप बहुत सी चीज़ें कह सकते हैं। आपने अपील क्यों नहीं की?

इतना सब मालूम होते हुए भी इसके पहले के जो फाइनैन्स मिनिस्टर थे, उन्होंने दो बार 2013 में इंग्लैंड के चांसलर ऑफ एक्सचैकर को लिखा कि ललित मोदी के खिलाफ एक्शन लेना है, इसीलिए आप उनके ऊपर एक्शन लीजिए क्योंकि वे यहाँ से इकोनॉमिक ऑफैन्स में इनवॉल्व्ड हैं, इसीलिए उनके ऊपर एक्शन लेना है। ऐसा खत दो बार उन्होंने लिखा। लेकिन अगर आपमें हिम्मत है तो वह लैटर्स, करॉस्पॉन्डैन्स क्या है, वह ज़ाहिर करो। वह नहीं बोल रहे हैं। ... *(व्यवधान)* चिदम्बरम जी ने जो लैटर लिखा। ... *(व्यवधान)* आर.टी.आई. में जो सात प्रश्न मेरी पार्टी की ओर से पूछे गए, उन प्रश्नों का राइट टु इनफॉर्मेशन में कोई उत्तर नहीं आया। यह चीज़ तो मालूम थी, इसके बावजूद भी फाइनैंस मिनिस्टर साहब ने भी कोशिश नहीं की। पिछली यूपीए गवर्नमैंट में चिदम्बरम साहब ने जब दो बार बात की थी तो उसका सारांश क्या था और क्या क्या वजह थीं, क्या कारण थे, किसलिए ऐसा हुआ, यह भी उन्होंने उसके अंदर जाकर उसकी इनक्वायरी करने की कोशिश नहीं की। तो उसके बजाय उन्होंने यह कहा कि वह कोई बड़ी बात नहीं है और बाद में उन्होंने यह भी एडमिट किया कि जो कुछ भी वहां चल रहा है, यह ठीक नहीं है। उनके ऊपर 16 केसेज़ हैं, उन्होंने बताया। जब 16 केसेज़ हैं, आपको मालूम है, यहां से इकोनोमिक ऑफेंस में वह इन्वोल्व है, यह भी मालूम है और वह कहां रह रहा है, यह भी आपको मालूम है। मालूम रहते हुए भी, फॉरेन मिनिस्टर ने किस बेसिस पर उसकी मदद करने की कोशिश की, हम यह जानना चाहते हैं?

वे कहते हैं कि ह्यूमेनिटेरिन ग्राउण्ड पर, ह्यूमेनिटेरिन लॉ और ह्यूमेनिटेरिन ग्राउण्ड्स, ये अलग होते हैं। जेटली साहब तो बहुत बड़े वकील हैं, माने हुए वकील हैं, अच्छी फीस भी लेते हैं और ... *(व्यवधान)* जब ह्यूमेनिटेरिन ग्राउण्ड पर अगर उनकी मदद करनी है तो कानून के तहत आप मदद कर सकते थे। आपने इमोशन में आकर इस हाउस को इतना इमोशनल कर दिया कि सारा बोझ आपके ऊपर है और जितनी भी ह्यूमेनिटेरिन वैल्यूज़ हैं, वे पूरे आप ही के पास हैं, हम सब निर्दयी हैं। ऐसी एक भावना आपने यहां पर जाहिर की। अगर आपको किसी की मदद करनी भी है तो इस देश का कानून है। यहां पर उनको था, आप यहां भारत में आइये, आपकी वाइफ अगर कैंसर से वहां पर पुर्तगाल में हॉस्पिटल में अगर है तो उसकी कानून के तहत हम मदद कर सकेंगे, यह आप कह सकते थे, लेकिन बिना किसी को पूछे, किसी को भी आपने नहीं पूछा, फाइनेंस डिपार्टमेंट

को नहीं पूछा, आपने अपने डायरैक्टर को नहीं पूछा और आपने अपने एम्बेसडर को नहीं पूछा और फॉरेन मिनिस्ट्री में किसी ऑफिस को यह पता नहीं है कि आप डायरैक्टली उसकी मदद करने के लिए आप बात करते हैं। फॉरेन सैक्रेटरी भी इसमें इन्वोल्व्ड नहीं हैं तो मैं समझता हूं और आप कहते हैं कि मानवता की दृष्टि से किया। आपने कहा कि मेरी चिट्ठी भी वहां नहीं है, मेरा पत्र भी नहीं है, अगर है तो बताओ। आप जो ओरली बात करते हैं, उसका क्या सबूत रहता है। ओरली जो चीज़ आपके और ब्रिटेन के बीच क्या हो गई, आप वहां के फॉरेन अफेयर्स डिपार्टमेंट है, उनके बीच क्या हो गई, ओरली जो बातचीत हो गई, वह आपके और उनके बीच में हो गई, हमको तो मालूम नहीं है, इसलिए वह रिकार्ड में कैसे आएगी। चिट्ठी कहां है, रखेंगे, वह चिट्ठी भी नहीं है, कुछ भी फाइल भी नहीं है, सिर्फ आपकी जुबानी इंस्ट्रक्शंस हैं, यह सब काम हो गया, क्योंकि रिकार्ड में कुछ नहीं मिला। क्या हुआ, यह ऐसा हुआ कि गलती करने के बाद उसका कहीं सबूत न मिले, उसका एक उदाहरण कहें तो मैंने ह्यूमेनिटेरिन ग्राउण्ड्स पर बात की, यह आपने एडमिट किया। जब आप यह एडमिट करते हैं और जेटली साहब भी यह जानते हैं, कानून अलग चीज़ है और किसी को ह्यूमेनिटेरिन ग्राउण्ड पर मदद करना, वह अलग चीज है। जब आप कानून के तहत आप उसकी मदद नहीं कर सके और आज गलती करके आपने ह्यूमेनिटेरिन ग्राउण्ड पर उनकी मदद की हो, यह कहना कानून के खिलाफ है, इसी से यह मालूम होता है कि आपके और उनके सम्बन्ध बहुत बड़े गहरे थे और 20 साल से उनके साथ आपका सम्बन्ध है और यह सिर्फ हो सकता है कि इकोनोमिकली आपके रिश्ते हो सकते हैं। आपके रिश्ते, जैसे कि फेवर देने के लिए आपने जो कुछ किया, वह शायद उनको फेवर करने के लिए आपने किया, यह तो हमारा एलीगेशन है।

आपने इस हाउस में पहले ही बोल दिया, यहां तक आपने कहा कि सदन चलेगा या नहीं चलेगा, मैं तो पूरी बात रखने के लिए आई हूं। बाहर लोग हम से पूछ रहे हैं कि इतना सब हो रहा है और आप अपनी सफाई क्यों नहीं दे रही हैं? इसलिए उन्होंने यहां पर सफाई दे दी। उन्होंने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कोई चिट्ठी नहीं लिखी, कोई गलती नहीं की, सिर्फ मानवता की दृष्टि से मैंने उनकी मदद करने की कोशिश की। उन्होंने उन पर उपकार किया। माननीय विदेश मंत्री जी ने ऐसे व्यक्ति को विदेश जाने के लिए इंग्लैंड सरकार से ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स दिलाने में सहायता की और यह भी कहा कि ललित मोदी को ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स दे देने से भारत

और इंग्लैंड के रिश्तों में कोई कमी नहीं आएगी। इसके लिए इन्होंने ब्रिटिश एन्वॉय से स्पेशल बात की। उसकी सहायता करने से पहले इन्होंने अपने ही मंत्रालय के विदेश सचिव, वित्त मंत्रालय, ई.डी. और डी.आर.आई. से भी कंसल्ट नहीं किया, यह हमारा निवेदन है। माननीय मंत्री जी ने इसे मान लिया है और उन्होंने खुद ही एडमिट किया है कि उन्होंने यह किया है। उन्होंने यह जो किया है, यह गलती है। इसीलिए, हम उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। हम हवा में इस्तीफे की बात नहीं कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी ने जो गलती की, अगर इस गलती को उन्होंने महसूस किया है, तो वे अपने मोरल ग्राउण्ड पर इस्तीफा दें।

दूसरी चीज़, कभी-कभी इमोशन में आकर कुछ कहना और बात है, लेकिन सत्यता तो यह है कि उन्होंने यह भी कहा कि वहां की सरकार ललित मोदी को ट्रैवल कागज़ात देना चाहती थी। *... (व्यवधान)* उन्होंने दिनांक 14 जून के अपने ट्वीट में यह कहा है कि हमें इस में कोई आपत्ति नहीं होगी, इससे दोनों देशों के संबंधों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यूपीए सरकार में चिदम्बरम साहब ने वहां की सरकार को यह वार्न किया था कि अगर आप उन्हें यह ट्रैवल डॉक्यमेंट्स देंगे तो हमारे संबंधों में कुछ बाधा आएगी। यह भी रिकॉर्ड उनके पास है। जब यह रिकॉर्ड सरकार के पास है, तो वे ऐसा कैसे कह सकती हैं कि अगर ट्रैवल डॉक्यूमेंट दिया गया तो हमारे संबंधों में बाधा नहीं आएगी। क्या यह देश के हित में है? क्या वे उन्हें डिफेंड करना चाहती थीं? क्या वे उनका सपोर्ट करना चाहती थीं, यह मैं पूछना चाहता हूं। ऐसे व्यक्ति को, जिस ने यहां से टैक्स की चोरी की है, आई.पी.एल. में घोटाला किया है, 460 करोड़ रुपये का घोटाला करके जो भाग गया है, ह्यूमैनिटैरियन ग्राउण्ड की आड़ में उसका आप सपोर्ट कर रहे हैं। *... (व्यवधान)*

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: खड़गे जी जो कह रहे हैं, उसके अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में नहीं जाएगा।

…(*व्यवधान*)... *

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : महोदय, वास्तविकता यह है कि वहां की सरकार ने उनके ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स की याचना को खारिज़ कर दिया था। ललित मोदी को यू.के. के ट्रैवल डॉक्यमेंट्स न देने के संबंध में वहां की सरकार ने और वहां के जो भी संबंधित आधिकारी हैं, उन्होंने 03 जुलाई 2014 को यह सूचना आधिकृत रूप से लिखित रूप में ललित मोदी और उनके वकीलों को दी थी। यह सब चीज़ें हो गयी थीं। फिर यह सब होने के बाद इन्होंने ऐसा क्यों किया? यह महत्वपूर्ण है कि दोबारा इसके लिए प्रयास इनकी ओर से शुरू हुआ। वहां की होम अफेयर्स कमेटी के चेयरमैन मिस्टर कीथवाज हैं। ललित मोदी जी ने सुषमा जी से बात की, उसके बाद कीथवाज को कहा कि भारत की विदेश मंत्री यह कहने को तैयार हैं कि सरकार को कोई आपत्ति नहीं है और उनको कागजात दे दिए जाएं। ... *(व्यवधान)* वाज ने पत्र के द्वारा सारी जानकारी वहां के जो सबसे बड़े आधिकारी हैं, उनको दी। उस आफिस को पासपोर्ट देना, ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स देना, जिनके आधिकार क्षेत्र में आता है, उनको दिया। अब यह कहना कि कोई कागज नहीं है, कोई ई-मेल नहीं है, लिखकर भी नहीं बताया तो उसका क्या अर्थ है? मैं यह पूछना चाहता हूं।

वाज ने यह भी लिखा है, बोला है, लिखकर दिया है कि सुषमा जी ने स्वयं यह कहा कि मैंने वहां के हाई कमिश्नर से बात की। यानी यह तो वहां के डॉक्यूमेंट्स के लिए उन्होंने जो विजिट की थी, उसके बाद आपके प्रयास से फिर उसको पुनर्जीवन मिला, आपने भी खुद यह कहा है कि मैंने वहां के हाई कमिश्नर से बात की है। यू.के. के हाई कमिश्नर को भारत के विदेश मंत्री का यह कहना आज उनको ट्रैवल कागजात दे दें और हमारे संबंधों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, यह सिफारिश नहीं है तो क्या है? अगर यह सिफारिश नहीं है तो सिफारिश क्या हो सकती है? आप जब यह कहते हैं कि प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो इसीलिए यह आपके कहने के ऊपर ही मिला। आप अब मोड़-तोड़ कर बोल सकते हैं, क्योंकि आप बातों में बहुत ही एक्सपर्ट हैं, व्याकरण वाली बातें बोलते हैं, भाषण अच्छा करते हैं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर आप ओरली भी कहते हैं तो क्या यह रिकमेंडेशन नहीं है, क्या रिकमेंडेशन सिर्फ राइटिंग में होती है, क्या रिकमेंडेशन अगर सिर्फ

रिकार्ड में है, फाइल में है, तो ही यह है? आपने खुद माना है कि मैंने ओरली उनको कहा, ह्यूमेनेटेरियन ग्राउंड पर कहा। ये महाशय, ह्यूमेनेटेरियन ग्राउंड पर आपने जिनको पासपोर्ट दिया या वीजा के लिए रिकमेंड किया, वे कहां गए?

उन्होंने तीन कारण बताये थे। उन्होंने पहला कारण बताया था कि हमारे किसी रिलेटिव की शादी है, इसके लिए जाना है, दीजिए। दूसरा कारण उन्होंने बताया था कि वहां के प्राइम मिनिस्टर या किन्हीं से मिलना है, उसके लिए... *(व्यवधान)* उनको मिलना था। ... *(व्यवधान)* तीसरा कारण यह था, यह तीसरे नम्बर पर था, जिसे आप ह्यूमेनेटेरियन ग्राउंड पर बता रहे हैं, यह उनकी लिस्ट में तीसरे नम्बर पर था कि मेरे को पुर्तगाल जाना है, मेरी पत्नी बहुत बीमार हैं और इसलिए मेरा वहां प्रेजेंट रहना बहुत जरूरी है। हालाँकि पुर्तगाल के रूल्स के मुताबिक वहाँ पर आपरेशन करते वक्त इनकी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन कभी भी कोई पति जाना चाहता है। लेकिन पति की प्रायोरिटी क्या थी? एक तो नम्बर वन पर उनको शादी में जाना था, दूसरीी प्रायोरिटी उनकी प्रेसीडेंट से मिलने की थी और तीसरी प्रायोरिटी वाइफ से मिलने की थी। एक और लेटर उन्होंने ट्वीट किया, उसमें जब एप्लाई किया तो उस दूसरे लेटर में उन्होंने क्या दिया? पहली प्रायोरिटी फिर भी शादी दिया, सेकेंड प्रायोरिटी वाइफ का दिया, थर्ड प्रायोरिटी प्राइम मिनिस्टर से मिलने का दिया। कहीं भी अपनी पत्नी के बारे में पहली प्रायोरिटी अपने लेटर में दी ही नहीं। ... (*व्यवधान*)... *

इसीलिए मैं स्पष्ट यहाँ रिकॉर्ड में लाना चाहता हूँ कि इस सम्बन्ध में एक और प्रश्न उठता है कि मान भी लीजिए कि वह सही कह रहे हैं। तथ्य में जाने की जरूरत है, इलाज की जरूरत है, पत्नी भारत की नागरिक हैं, वह स्वयं भारत के नागरिक हैं, पासपोर्ट रद्द होने से भारत की नागरिकता नहीं चली जाती है या नागरिकता खत्म नहीं होती है तो वहां उनकी याचना पर भारत का ट्रेवेल कागजात देतीं, यह उनका आधिकार है, भारत सरकार का आधिकार है।

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

वहां उनको इलाज के लिए जाना है तो उसके बाद आप उनसे भारत लौटने के लिए कह सकती थीं, क्योंकि उनकी यहां जरूरत थी। जब आपसे उनके संबंध इतने गहरे हैं तो आप उनसे यह कह सकती थीं कि आपके ऊपर ब्लू कॉर्नर नोटिस है, अब जेटली साहब ने रेड कॉर्नर नोटिस भी इश्यू किया है, इसीलिए आप जल्दी वापस आइए। आप यह कह सकते थीं, लेकिन आपने ऐसा नहीं कहा है, आपने यह नहीं बताया है। आपने यह सब छोड़ दिया। आप इमोशन में आकर बार-बार यही कहती रहीं कि मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने कोई गलती नहीं की है, मेरा उससे कोई संबंध नहीं है, आपने यह बताया है, फिर यह कौन-सा संबंध है। ... *(व्यवधान)* मैडम, कृपया मेरी ओर ध्यान दीजिए।

माननीय अध्यक्ष : मैं आपकी बात सुन रही हूं।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : ट्रैवेल डॉक्यूमेंट मिलने के बाद वह कहां-कहां गये, वह पुर्तगाल गये, उसके बाद वियाना गये... *(व्यवधान)* उसके बाद जहां-जहां अच्छे रिसोर्ट्स हैं, वहां-वहां जाकर आराम करते रहे, और आप उनको मानवीय आधार पर मदद करते हैं।... *(व्यवधान)* जो लोग रिसोर्ट्स में जाकर रहते हैं, जो लोग वियाना में जाते हैं, जो यूरोपियन कंट्रीज का टूर करते हैं, आप उन्हें वीजा देने के लिए रिकमैंड करते हैं। ... *(व्यवधान)* आप यह कह सकती हैं कि अगर आठ दिनों के लिए जाना है तो आप पुर्तगाल जा कर वापस आ सकते हैं, यह इंडियन गवर्नमेंट कह सकती थी। आप यहां उसे बुलाकर भेज सकते थे। लेकिन आपने यह नहीं किया। आपने उनको घुमने के लिए जितनी मदद करनी चाहिए थी, आपने उतनी मदद की।

मैंने सात प्रश्न पहले पूछे थे। मैं उन सात प्रश्नों का जवाब माननीय प्रधानमंत्री जी से चाहता हूं। यह जरूरी है कि आप उन सात प्रश्नों का उत्तर दें। पहला प्रश्न है, अनेक बार मांग करने के बावजूद सरकार द्वारा भारत के तत्कालीन वित्त मंत्री और यू.के. के चांसलर ऑफ एक्सचेकर के बीच हुए पत्राचार को जारी क्यों नहीं किया जा रहा है?

दूसरा प्रश्न, यदि विदेश मंत्री की मंशा मानवीय आधार पर मिस्टर ललित मोदी को पुर्तगाल के लिए यात्रा दस्तावेज की सुविधा प्रदान कराने की थी, तब उन्होंने मिस्टर ललित मोदी को यह सलाह क्यों नहीं दी कि वह

स्थायी यात्रा दस्तावेज के लिए लंदन में भारतीय उच्चायुक्त के समक्ष आवेदन करें ताकि वह एक सीमित अवधि के लिए केवल पुर्तगाल जा सकें। माननीय विदेश मंत्री जी ने ऐसा क्यों किया, महसूस किया कि एक भारतीय नागरिक मिस्टर ललित मोदी के पास भारतीय यात्रा दस्तावेज होने की बजाय, यू.के. का यात्रा दस्तावेज होना चाहिए, आपने यह क्यों सोचा? इंडियन पासपोर्ट यहां से लेकर जाने की बजाय, यू.के. का पासपोर्ट लेकर जाना, यह क्यों किया, यह क्यों सोचा?

तीसरा प्रश्न यह है कि माननीय विदेश मंत्री जी ने इस बात पर जोर क्यों नहीं दिया कि मिस्टर ललित मोदी को पहले भारत लौटना चाहिए। मैं इसे एक बार और पढ़ता हूं - "माननीय विदेश मंत्री जी ने इस बात पर जोर क्यों नहीं दिया कि मिस्टर ललित मोदी को पहले भारत लौटना चाहिए और इसी शर्त पर उन्हें मानवीय आधार पर अस्थायी यात्रा दस्तावेज जारी किया जाये। "

मेरा चौथा प्रश्न यह है कि जब हाई कोर्ट की डिवीजन बैंच ने श्री ललित मोदी का पासपोर्ट रद्द करने का निर्णय बदला, तब सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ अपील नहीं करने का निर्णय किसने लिया? क्या आपने लिया, फाइनैंस डिपार्टमैंट ने लिया या प्राइम मिनिस्टर ने लिया? हमें यह मालूम होना चाहिए क्योंकि जब आपका हाई कोर्ट में केस फेल हुआ तब आपने अपील क्यों नहीं की, क्यों चुप बैठे? इस चुप्पी में कुछ गड़बड़ है।... *(व्यवधान)* इसीलिए पूरी सरकार चुप है, इसीलिए प्रधान मंत्री जी चुप हैं। क्या ईडी, जिसकी पहल पर पासपोर्ट को निरस्त किया गया था, के साथ इस मामले में सलाह की गई थी? श्री ललित मोदी को एक नया पासपोर्ट जारी करने का निर्णय किसने लिया? सरकार द्वारा इस मामले में फाइल में की गई नोटिंग को सार्वजनिक किया जाए। फाइल में क्या लिखा है, उसे सार्वजनिक होने दीजिए। इसीलिए हमने आरटीआई दी थी। उस नोटिंग में क्या है, आपने वह भी नहीं बताया। आपने यूके के साथ क्या कौरेसपॉडैंस किया, वह भी नहीं बताया।... *(व्यवधान)*

मेरा पांचवा प्रश्न यह है कि पासपोर्ट यात्रा करने का एक दस्तावेज है। विदेश में रुकने के लिए उस देश का वीज़ा अथवा परमिट लेने की जरूरत होती है। क्या भारत सरकार द्वारा यूके सरकार के साथ इस आपत्ति को उठाया गया कि श्री ललित मोदी, जिन्होंने ईडी के सम्मुख पेश होने से मना कर दिया, को लम्बे समय तक

वीज़ा अथवा रैजिडैंसी परमिट कैसे दिया गया? आपको इसका जवाब भी देना होगा कि उन्हें रैज़िडैंसी परमिट कैसे दिया गया।... *(व्यवधान)*

छठा प्रश्न है कि अभी श्री ललित मोदी के पास भारतीय पासपोर्ट है। भारतीय कानून के अनुसार वह भारत के नागरिक हैं। चूंकि ईडी द्वारा जारी सम्मन को लागू कराने के लिए एक नया पासपोर्ट जारी किया गया है, सरकार द्वारा इस मामले में क्या कदम उठाए गए हैं, यह भी सदन को बताना होगा, लोगों को भी बताना होगा।

मेरा सातवां प्रश्न यह है कि श्री ललित मोदी के आरोप कि यदि वे भारत लौटते हैं तो उनके जीवन को खतरा है, यह उन्होंने ट्विटर पर दिया है, मैंने पेपर में भी पढ़ा है। क्या एनडीए सरकार एक भारतीय नागरिक जिसे ईडी की जांच में पेश होने की जरूरत है, उसकी सुरक्षा नहीं कर सकती?... *(व्यवधान)* मैं पूछना चाहता हूं कि जो घोटाले में फंसा हुआ है, जो इकोनॉमिक ऑफैंडर है, जो काला धन लेकर गया है, भगोड़ा है, उसे अगर आप यहां नहीं ला सकते, बार-बार दूसरों की बात करते हैं, आपको इसका जवाब देना चाहिए।

मैंने अभी जो सात-आठ प्रश्न उठाए हैं, उनका जवाब प्राइम मिनिस्टर दे सकते हैं क्योंकि इस केस में जो इन्वॉल्व हैं, अगर वे उत्तर देंगे तो हमारी बात का समाधान नहीं होगा और देश को भी यह मान्य नहीं होगा।... *(व्यवधान)* इसके अलावा फॉरेन मिनिस्टर और श्री ललित मोदी में क्या अंडरस्टैंडिंग है, यह भी बताना होगा। आपको इसके बारे में बताना इसलिए जरूरी है कि आपने पहले जो स्टेटमैंट दिए हैं, मैं उसके तहत पूछ रहा हूं। वहां के एमपी के बारे में भी, जो कहा है, वह भी बताना होगा। इसीलिए मैं बार-बार कह रहा था कि प्राइम मिनिस्टर ने कान बंद कर लिए, आंख बद कर ली और मुंह भी बंद कर लिया। यह मुश्किल हो गया है। अगर इस बारे में बाहर और अन्दर स्पष्टीकरण दिया जाता इतना एजिटेशन नहीं होता, अब इनसे खता हो गई। ललित मोदी ने और क्या किया? ... *(व्यवधान)* राजस्थान की मुख्यमंत्री जी के बारे में ललित मोदी ने यह भी यह भी बताया कि मेरे और ... *से मेरी दोस्ती पिछले 30 सालों से है।

---

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

माननीय अध्यक्ष : नाम रिकार्ड में नहीं जाएगा।

... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : वर्ष 2011 से वह यूके में है।

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्षः नाम कार्यवाही वृत्तांत में नहीं जाएगा।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष : कृपया अपना-अपना स्थान ग्रहण करें।

… (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : आप बैठ जाइए। मैंने कह दिया है कि नाम नहीं जाएगा।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्षः मैं इसे जानती हूं, और मैं पहले ही कह चुकी हूं।

… (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : मैडम, ललित मोदी ने खुद ही बताया कि ... .* से पिछले तीस वर्षों से संबंध हैं।

---

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्षः नाम कार्यवाही वृत्तांत में नहीं जाएगा।

… (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : उन्होंने भी उनकी मदद की थी। वर्ष 2011 में *... (व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, आप भी नियम जानते हैं नाम नहीं लिया जाता है, जो संसद का सदस्य नहीं है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बैठ जाइए, आप बहुत होशियार हैं, आपके नेता बोल रहे हैं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बैठ जाइए, मैंने एक्सपंज करा दिया है। जो व्यक्ति इस सदन का सदस्य नहीं है उसका नाम नहीं जाएगा, मैंने बोल दिया है।

... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : मैडम, यह बताना जरूरी है कि वर्ष 2011 में यूके में रेसिडेन्सी परपस के लिए यूके बॉर्डर एजेंसी को जो एप्लीकेशन दी गई थी उसमें चार लोगों के हस्ताक्षर थे उनमें से एक....* (व्यवधान)।

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, यह विषय से संदर्भित नहीं है।

... (व्यवधान)

---

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, जो आवश्यक नहीं है उसका नाम नहीं लेना चाहिए, आप एडजर्नमेंट मोशन से संदर्भित बात कीजिए।

... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : यू.के. बार्डर एजेंसी को जो एप्लीकेशन दी गई उसमें चार लोगों के हस्ताक्षर थे, उसमें एक चीफ मिनिस्टर ने एक कंडीशन भी लिखा है *... (व्यवधान)* यह उन्होंने कहा है।*... (व्यवधान)* ऐसा उन्होंने उनकी मदद करने की कोशिश की। *... (व्यवधान)* इतना ही नहीं, ललित मोदी को जो जान मिली, वह राजस्थान से मिली। *... (व्यवधान)* वे क्रिकेट एसोसियेशन के चेयरमैन बने, उसके लिए वहां जगह बना कर दी गयी, इसलिए मैं यह बात कह रहा हूं। *... (व्यवधान)* व्यक्तिगत उनके खिलाफ नहीं हूं। *... (व्यवधान)* जो संस्था है, उनको इतना बड़ा बना दिया *... (व्यवधान)* चार-पांच सौ हजार करोड़ रुपये का घोटाला करने के लिए उन्होंने मदद की। *... (व्यवधान)* इतना ही नहीं, ललित मोदी जो इकोनॉमिक अफेन्डर, जो चोरी करके भागा, उसे पद्म-विभूषण देने के लिए भी उन्होंने रिकमंड किया। *... (व्यवधान)*

दूसरी बात यह है कि एक कम्पनी, ललित मोदी की कम्पनी जो मॉरिशियस में एग्जिस्टन्स में नहीं है, उस कम्पनी के थ्रू यहां पर, अब सदस्य भी यहीं हैं, इसलिए मैं कह सकता हूं *... (व्यवधान)* दुष्यंत सिंह जी भी यहां हैं। *... (व्यवधान)*

[अनुवाद]

डॉ. किरिट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व): महोदया, मैं व्यवस्था के प्रश्न पर हूँ। … (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्षा: यह क्या है? आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है?

… (*व्यवधान*)

डॉ. किरिट सोमैया : उप-खंड (3), (4) और नियम 352 का (5) कहता है,

"कोई सदस्य बोलते समय नहीं करेगा-

(3) संसद या किसी राज्य विधायिका के संचालन या कार्यवाही के बारे में आपत्तिजनक अभिव्यक्तियों का उपयोग करना;

(4) सभा के किसी भी दृढ़ संकल्प पर विचार करें, सिवाय उसके कि उसे निरस्त करने के प्रस्ताव पर;

(5) उच्च प्राधिकारी व्यक्तियों के आचरण पर विचार करें जब तक कि चर्चा उचित शर्तों में तैयार किए गए ठोस प्रस्ताव पर आधारित न हो;

अब, मुख्यमंत्री जी 'उच्च प्राधिकार' की श्रेणी में आते है। वह राजस्थान की मुख्यमंत्री हैं। वह राजस्थान के मुख्यमंत्री जी के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं जबकि उप-खंड (5) में कहा गया है, 'एक सदस्य बोलते समय उच्च प्राधिकार में व्यक्तियों के आचरण पर विचार नहीं करेगा जब तक कि चर्चा उचित शब्दों में लिए गए मूल प्रस्ताव पर आधारित नहीं हो। (*व्यवधान*)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: मैंने स्थगन प्रस्ताव की सूचना दे दी है। मैं मोदीगेट के बारे में बात कर रहा हूं और उसमें सब कुछ शामिल है। *... (व्यवधान)* इसीलिए मैं चाहता हूं कि ... *की कम्पनी, जिसमें 11 करोड़ 63 लाख रुपये लगाये गये हैं। *... (व्यवधान)*

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : किरीट जी, आप बैठिये। मैंने बोला है कि वे नाम नहीं लेंगे।

... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : यह खुलासा उसके सहयोग की जांच में हुआ*... (व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, आपने बहुत ज्यादा समय ले लिया है।

---

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: मैडम, यह इश्यू बहुत बड़ा है। *... (व्यवधान)* यह कम्पनी जो आस्तित्व में काम नहीं कर रही *... (व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री निशिकांत दुबे (गोड्डा): महोदया, मैं एक व्यवस्था के प्रश्न पर हूं। … (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, फिर भी समय तय है।

... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: जो डिफंक्ट कम्पनी है, उस कम्पनी से पैसा मंगाकर दस रुपये का शेयर 96 हजार रुपये में *... (व्यवधान)* जो बिजनस नहीं करती, जो काम नहीं करती, अगर उसे खरीदते हैं *... (व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : आप समय तय कीजिए।

... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: मैडम, यह इम्पोर्टेंट इश्यू है। *... (व्यवधान)*

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्षः आपने एक घंटे से अधिक समय लिया है।

… (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: मैडम, ईडी के एक सूत्र के मुताबिक ललित मोदी की फर्म- आनंद हेरिटेज होटल्स प्राइवेट लिमिटेड को मॉरिशियस की कम्पनी विल्टन इनवेस्टमेंट लिमिटेड से मिले 21 करोड़ रुपये की जांच

के दौरान यह पता चला कि इस धनराशि का एक हिस्सा ... की फर्म आनंद हेरिटेज होटल्स प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया।

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष : श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, आपको कोई आरोप नहीं लगाना चाहिए। ऐसा नहीं होता।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नो एलीगेशन, ऐसे नहीं होता है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपने जो विषय दिया है, उसी के संदर्भ में बोलिए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : एडजर्नमेंट मोशन का जो विषय है...

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: मैं कुछ भी आरोप नहीं लगा रहा हूँ। ... (*व्यवधान*) यह कहना है आयकर विभाग का। ... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : क्या सब लोग बोलेंगे?

... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे**:** इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं जो डिफंक्ट कंपनियां हैं, कोई होटल का काम नहीं करती,*... (व्यवधान)* आस्तित्व में नहीं है, अगर दस रुपए का शेयर अगर 96,000 रुपए में बेचा जाता है तो आप बोलिए कि उसे क्या कहेंगे?*... (व्यवधान)* यह घोटाला नहीं तो क्या है?*... (व्यवधान)*

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्षः मैं उन्हें अनुमति दूंगी। मुझे मालूम है।

… (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : मुझे मालूम है कि नियम 353 में एलीगेशन्स नहीं होने चाहिए। यह मुझे भी मालूम है। दुष्यंत सिंह जी बोलेंगे, उनको जो बोलना है*... (व्यवधान)*

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: और इसके लिए फाइनेंस मिनिस्टर जी ने*... (व्यवधान)*… (*व्यवधान*)*...* *

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, जो मर्यादा है, उसी में बोलिए। एलीगेशन्स नहीं लगाइए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपने पहले कुछ बोला है। आप क्यों एलीगेशन लगा रहे हैं।

... (व्यवधान)

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: मैं एलीगेशन नहीं लगा रहा हूं*... (व्यवधान)* श्री अरुण जेटली जी ने क्या कहा। उन्होंने खुद कहा कि वह मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि श्री ललित मोदी और श्री दुष्यंत सिंह के बीच लेन-देन केवल दो व्यक्तियों के बीच एक व्यावसायिक लेनदेन था। यह बात उन्होंने खुद कही है। … (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्षः आप 55 मिनट से बोल रहे हैं। कम्पलीट कीजिए। एक घंटा हो चुका है। मुझे खेद है। श्री खड़गे जी, आप लगभग एक घंटे से बोल रहे हैं।

… (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : आप अपने एडजर्नमेंट मोशन के विषय में बोलें।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्षः आप इतना समय नहीं ले सकते। एक घंटा हो चुका है।

… (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : अब आप कम्पलीट करें।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बैठिए।

... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : मैं सदन में ज्यादा रिस्पेक्ट से कहना चाहता हूं, मैं जेटली साहब की डिबेट बहुत सुनता हूं। अरुण जेटली साहब ने खुद कहा है *... (व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : यह रिकार्ड में नहीं जाएगा ।

... (व्यवधान)...[*]

<u>अपराह्न 01.44 बजे</u>

इस समय श्री के.सी. वेणुगोपाल और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष : बैठिए, क्या हो रहा है?

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बैठिए। क्या हो गया?

... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: माननीय अध्यक्ष जी, इनको बिठा दीजिए, ऐसे करेंगे तो हमें फिर वही करना पड़ेगा।*...*

(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में नहीं जाएगा।

(व्यवधान) ...[*]

---

[*] कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[*] कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

माननीय अध्यक्षः मुझे पहले देखने दें। यह क्या है?

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्षः मुझे तो कुछ भी पता नहीं। मैं कैसे कह सकती हूं? यह सब क्या है? क्या आप कोई वाद-विवाद नहीं चाहते हैं?

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्षः मुझे खेद है, मुझे देखना होगा। मुझे बस पता नहीं है। मैंने पहले ही कहा है कि कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। मुझे नहीं पता। मैं रिकॉर्ड देखूंगी। मैं कैसे जान सकती हूं? … (*व्यवधान*)

… (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : यहां बैठे हुए लोग यहां बैठे-बैठे चिल्ला रहे हैं और उधर से आप चिल्ला रहे हैं।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्षः मुझे पता होना चाहिए कि क्या हुआ। श्री खड़गे, क्या आप अभी समाप्त कर रहे हैं या नहीं?

… (*व्यवधान*)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: महोदया, उन्होंने जो कहा, उसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। … (*व्यवधान*) हम इसे इस तरह नहीं छोड़ सकते। … (*व्यवधान*) नहीं, यह नहीं किया जा सकता। इसे हटाया जाना चाहिए। उन्हें माफी मांगनी चाहिए। उन्हें माफी मांगनी चाहिए।... *(व्यवधान)* उन्होंने जो कुछ कहा, वो पहले माफी मांगे।... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: अपराह्न 2:45 बजे पुनः समवेत होने के लिए सभा की कार्यवाही स्थगित होती है।

<u>अपराह्न 01.46 बजे</u>

तत्पश्चात लोक सभा अपराह्न दो बजकर पैंतालीस मिनट तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 02.46 बजे

लोक सभा दो बजकर छियालीस मिनट पर पुनः समवेत हुई।

(**माननीय अध्यक्ष** *पीठासीन हुई*)

स्थगन का प्रस्ताव

एक भगोड़े को सहायता प्रदान करने में केन्द्रीय मंत्री की कथित संलिप्तता और उनके द्वारा उसकी स्वीकृति तथा संबंधित कृत्यों और कार्रवाइयों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई -जारी

[हिन्दी]

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : अध्यक्ष जी, चर्चा के दौरान उधर से सोनिया गांधी जी के बारे में दो-तीन सदस्यों ने आपत्तिजनक बात कही। अगर वह बात रिकार्ड में है, तो उसे रिकार्ड से निकाल देना चाहिए। जिन सदस्यों ने कमेंट किया है, उन्हें आइडेंटिफाई करना चाहिए और उन्हें माफी मांगनी चाहिए क्योंकि एक नेता के खिलाफ कोई भी कुछ भी कमेंट करे तो हम उसे सहन करने वाले नहीं हैं।*... (व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, मैंने शुरू में ही कहा था कि जो भी ऐसे कमेंट्स हैं वे रिकार्ड में नहीं जाएंगे। मैंने कहा था कि जिसे मैं एलाऊ करूंगी, केवल वही बात रिकार्ड में जाएगी। जब आप बोलने के लिए खड़े हुए थे, यह बात मैंने तभी कह दी थी इसलिए कोई अन्य बात रिकार्ड में जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता है।

एक बात मैं और कहना चाहती हूं कि इधर से भी कमेंट्स आते हैं और उधर से भी कमेंट्स आते हैं। ऐसे कमेंट्स रिकार्ड में जाने का सवाल ही नहीं है।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : अगर कोई सदस्य ऐसे कमेंट्स करता है तो उसे माफी मांगनी चाहिए।*... (व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : ऐसा कुछ रिकार्ड में नहीं गया है, आप अपनी बात पूरी कीजिए।

[अनुवाद]

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वेंकैया नायडू): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं श्री खड़गे से सहमत हूं कि किसी भी सदस्य को, चाहे इस तरफ या उस तरफ, अन्य सदस्यों या यहां तक कि महत्वपूर्ण नेताओं के खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाना चाहिए, चाहे वह कांग्रेस अध्यक्ष हों, भाजपा अध्यक्ष हों या भारत के प्रधान मंत्री हों। किसी भी सदस्य को आरोप लगाने का अधिकार नहीं है। मैंने सिर्फ पूछताछ की और मैं आपको बताना चाहूंगा कि रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं है। यदि किसी के बारे में कोई आपत्तिजनक बात अभिलिखित है, तो उसे हटाया जाना चाहिए। यदि यह अभिलिखित नहीं है, तो हम इसकी चर्चा भी नहीं कर सकते।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्षः हाँ, रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं है। इस तरह के कमेंट्स तो किसी तरफ से भी नहीं आने चाहिए। मैं सभी को कह रही हूं। आपका प्वायंट आफ आर्डर खड़गे जी की बात के बाद देखती हूं। खड़गे जी, आप इस बात पर ज्यादा जोर मत दीजिए और अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : मैंने बहुत-सी बातें सदन के सामने रखी हैं। फाइनेंस मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दी थी, उसके बारे में भी मैंने सदन को बताया। उन्होंने इसका समर्थन भी किया कि ललित मोदी का इनवाल्मेंट है, जो पैसे मारिसिस से इस संस्था को आए, जिस फोरम में … (*व्यवधान*)* मैंने किसका नाम लिया है। वे एमपी यहीं बैठे हैं।*... (व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, ऐसा नहीं होता है। मुझे भी बार-बार बताया गया कि नियम 353 भी है। आप बिना नोटिस के एलीगेशन करो और फिर उन्हें भी बोलने का समय देना पड़ेगा।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

* कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: नहीं, मैं 'मोदीगेट' पर बात कर रहा हूँ; मैं मोदी स्कैंडल पर बात कर रहा हूँ। ... (*व्यवधान*) ये सब चीजें उसमें हैं। *... (व्यवधान)*

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: आपको बिना नाम लिए बोलना चाहिए।

... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : कोई फर्म हो तो बताएं, वह बात अलग है।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: कृपया अब समाप्त करने का प्रयास करें।

... (*व्यवधान*)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : मैं दो या तीन मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं सत्य बोल रहा हूँ, असत्य नहीं। *... (व्यवधान)* यह बयान मेरा नहीं है, यह जेटली साहब का बयान है। इसीलिए मैं आपके सामने पढ़कर सुना रहा हूँ। *... (व्यवधान)*

ललित मोदी और दुष्यंत सिंह के बीच लेन-देन केवल एक व्यावसायिक लेनदेन था। (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

यह स्टेटमेंट इन्होंने ही दिया। जब मॉरिशस की एक कंपनी से उनकी कंपनी को पैसा आया, तो यह बात उन्होंने ही कही कि यह उन दोनों के बीच की बात है, इसीलिए इसका सरकार से कोई वास्ता नहीं है। ऐसा

उन्होंने कहा। ये किसके पैसे हैं, जो इनकम टैक्स ऑफेंस में इंवोल्व है यहाँ से आईपीएल में जो घोटाला किया गया, उनके पैसे हैं। ... *(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : उसे इंवेस्टमेंट कहिए न।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : उन्होंने इसमें इंवेस्ट किया है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि एक आदमी 10 रुपये के शेयर को 96 हजार रुपये में यदि खरीदता है, तो आप भी उसे समझ सकते हैं और पूरी दुनिया समझ सकती है कि इसमें क्या है। ...([हिन्दी] व्यवधान) किसको फायदा पहुंचाने के लिए उन्होंने किया। यह बहुत महत्व की बात है।

लास्ट में मैं कहना चाहता हूँ ... (*व्यवधान*)... [8*] मैं आपसे एक और विनती करना चाहता हूँ, इसीलिए ये सारी चीजें आपके सामने मैंने रखी हैं। हम इस्तीफा इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि इन सारी चीजों में उनका इंवोल्वमेंट है और उन्होंने इसे पुष्टि दी है और प्रोत्साहन दिया है। हो सकता है कि बार-बार रिकॉर्ड में क्या है, पेपर्स में क्या है, फाइल में क्या है, इसकी बात कर रहे हैं, लेकिन जब खुद एडमिट करते हैं, स्वीकारोक्ति ही प्रमाण है। हमें इसे साबित करने की जरूरत नहीं है। इसलिए यह एक स्वीकारोक्ति है। तो कंफेशन उन्होंने खुद ही किया। इसीलिए उनको राज़ीनामा देना चाहिए और हम उनके इस्तीफे की मांग करते हैं। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर जी, जो हमेशा यह कहते हैं कि "न मैं खाऊँगा, न खाने दूँगा।" ऐसी बात हो रही है। आज वे ऐसी बात कर रहे हैं कि जो खा रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि तुम खाते जाओ, मैं देखता रहता हूँ। यह हो रहा है। दूसरी बात, हमेशा हाऊस में रहने की वजह से कभी-कभी यदि कोई अच्छी बात बोलते हैं, तो उसे मेरी लिख लेने की आदत है। जब यूपीए गवर्नमेंट में हम उधर बैठे थे, तो श्रीमती सुषमा स्वराज जी इस जगह से यह बात बोली थीं। वे बोली थीं-

"न इधर-उधर की तू बात कर,

[8*] कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

यह बता कि क़ाफिला क्यूँ लूटा,

हमें रहजनों का गिला नहीं,

तेरी रहबरीपन का सवाल है।"

इसे आपने ही कहा था, तो जो रहबरी करने वाले प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्हें आने दीजिए, उन्हें बोलने दीजिए कि ऐसा क्यों हुआ। मैंने सारी चीजें आपके सामने रखी है। मेरे जो भी सात-आठ प्रश्न हैं, उनका पूरा उत्तर प्राइम मिनिस्टर दें, उसके जो मेरा क्लैरिफिकेशन होगा, उसे हम पूछेंगे। इसीलिए हम डिमांड कर रहे हैं कि आज श्रीमती सुषमा स्वराज जी नैतिकता की दृष्टि से और उनका जो डायरेक्टली या इन-डायरेक्टली इंवोल्वमेंट है, उसके लिए उन्हें राजीनामा देना चाहिए।

आपने मुझे इतना लम्बा समय दिया, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: श्रीमती सुषमा स्वराज।

श्री एम. वेंकैया नायडू: श्रीमती सुषमा स्वराज, बस एक क्षण। … (*व्यवधान*)

जहां तक श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी द्वारा प्रधान मंत्री जी के बारे में दिए गए संदर्भ का संबंध है, इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है। इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है। … (*व्यवधान*) हमारे प्रधानमंत्री जी खाते नहीं और किसी को खाने देते नहीं, इनकी यही शिकायत है।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: दूसरों को बोलने दीजिए और फिर उन्हें जवाब देने दीजिए। … (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: श्रीमती सुषमा स्वराज।

कई माननीय सदस्य: नहीं। … (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: वह हस्तक्षेप कर सकती हैं। आप 'नहीं' कैसे कह सकते हैं?

… (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : वह इंटरवीन कर सकती हैं, यह गवर्नमेंट की रिप्लाई नहीं है। नहीं, आपको बैठना होगा। यह उचित नहीं है ।

… (*व्यवधान*)

<u>अपराह्न 02.55 बजे</u>

इस समय श्री कोडिकुन्नील सुरेश और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

… (*व्यवधान*)

श्री एम. वेंकैया नायडू: वह जवाब नहीं दे रही हैं। भाजपा की तरफ से वह हस्तक्षेप कर रही हैं। इसका उत्तर वित्त मंत्री जी देंगे. . . (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: वह हस्तक्षेप कर सकती हैं। वह हस्तक्षेप कर रही हैं। उन्हें हस्तक्षेप करने का पूरा अधिकार है। यह उचित नहीं है । आप अपनी सीट्स पर जाइए।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: कृपया अपने स्थानों पर जाएं।

… (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री एम. वैंकैय्या नायडू : यह क्या तरीका है? आप लोग अपनी सीट पर जाइए।*... (व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : आप अपनी जगह जाइए। ऐसे बात नहीं बनती है कि अपनी बात बोलकर आप चले जाओ। अपनी बात बोलो और गड़बड़ करो। यह उचित नहीं है । वह हस्तक्षेप कर सकती हैं।

… (*व्यवधान*)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: जो भी श्रीमती सुषमा स्वराज कहती हैं, उसके अलावा कुछ भी कार्यवाही वृतांत में नहीं जाएगा क्योंकि वह अपनी पार्टी की तरफ से हस्तक्षेप कर सकती हैं। वह हस्तक्षेप कर रही हैं और उन्हें अधिकार है। कृपया अपने स्थानों पर जाएं।

… (*व्यवधान*)*

[हिन्दी]

विदेश मंत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : धन्यवाद अध्यक्ष जी।

अध्यक्ष जी, सबसे पहले मैं आपके प्रति धन्यवाद व्यक्त करना चाहूंगी।*... (व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष: यदि आप सुनना नहीं चाहते हैं, तो आप बाहर जा सकते हैं लेकिन यह तरीका नहीं है। आप हर समय सभा को परेशान कर रहे हैं। यह उचित नहीं है । मैं सभी नेताओं से पूछ रही हूं। यह कोई तरीका नहीं है । आप सदन को डिस्टर्ब कर रहे हैं । उन्हें पूरा अधिकार है। हाँ, सुषमा जी।

… (*व्यवधान*)

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष जी, जस्टिस तभी होगा कि जिस पर आरोप लगे हैं, उसे बोलने का मौका दिया जाए।*... (व्यवधान)* अन्यथा जस्टिस कैसे होगा।*... (व्यवधान)* जस्टिस तो मुझे चाहिए।*... (व्यवधान)*

* कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया

वित्त मंत्री, कॉर्पोरेट कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री अरुण जेटली) : एक घण्टे खड़गे जी सुषमा जी के खिलाफ बोले हैं, *... (व्यवधान)* इसलिए यह स्वाभाविक है कि अब खड़गे जी उसका उत्तर भी सुन लें। क्या खड़गे जी के जवाब इतने खोखले हैं, ...(व्यवधान) उनके दावे इतने खोखले हैं कि वह उनके उत्तर को सुनने के लिए तैयार नहीं है? ... (*व्यवधान*)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्षः मुझे खेद है, यह उचित नहीं है।

... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : आप वेल में से नहीं बोलेंगे।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: कृपया अपने स्थानों पर जाएं। मैं एक नेता के रूप में श्री खड़गे से अनुरोध कर रही हूं कि वे सभी सदस्यों को उनके स्थानों पर वापस ले जाएं।

... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : एक घण्टे तक आपने जिन पर आरोप लगाया है, आपको उसकी बात सुननी होगी। मुझे खेद है, यह उचित नहीं है।

... (*व्यवधान*)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्षः श्री मोहम्मद सलीम, अपना स्थान ग्रहण करें।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्षः आप उनके बाद बोल सकते हैं लेकिन अब आपको सुनना होगा।

… (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : ऐसा नहीं होता है।

... (व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष जी, *... (व्यवधान)*

श्री एम. वैंकैय्या नायडू : मैडम स्पीकर, मैंने सुबह कहा था कि ये लोग अपना मौका लेकर बाद में साथ नहीं देंगे। ये लोग वही कर रहे हैं। *... (व्यवधान)* मैंने सुबह भी कहा था आपको।*... (व्यवधान)* आपको भी कहा है।*... (व्यवधान)* आप मेरी बात सुनिए।*... (व्यवधान)* ये लोग एक महिला से इतना डर रहे हैं।*... (व्यवधान)* क्यों?*... (व्यवधान)* नियम 353 देखिए, आपने उनका नाम लिया है, अब उनकी बात सुनने की हिम्मत होनी चाहिए।*... (व्यवधान)* धैर्य रखना चाहिए सुनने के लिए।*... (व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष जी, मैं सबसे पहले आपके प्रति धन्यवाद व्यक्त करना चाहती हूं कि आपने मेरे निवेदन को स्वीकार करके, सदन की सेंस लेकर इस स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार किया।*... (व्यवधान)* हालांकि वही हो रहा है, जिसकी हमें शंका थी। मेरे साथी मुझसे कह रहे थे कि तुम पहल मत करो चर्चा की, ये लोग खुद बोलेंगे और तुम्हें सुनने नहीं देंगे।

<u>अपराह्न 03.00 बजे</u>

लेकिन मुझे विश्वास था कि इस पर चर्चा हो जाए ताकि मैं अपनी बात कह सकूं। पहले ही दिन दोनों सदनों में मैंने कह दिया था कि मैं बोलना चाहती हूं, अपनी स्थिति स्पष्टकरना चाहती हूं, लेकिन चर्चा स्वीकारी नहीं गई। मुझे लगा कि सत्र समाप्ति से एक दिन पहले दोबारा कोशिश करके देख लूं। हालांकि आपने स्थगन प्रस्ताव रिजेक्ट कर दिया था, तो भी मैंने आपसे निवेदन किया और आपने कहा कि मैं हाउस की कंसेंस ले लेती हूं। उसके बाद आपने इसे स्वीकार कर लिया। बहुत अच्छी तरह से चर्चा चल रही थी। हमने खड़गे जी की पूरी बात सुनी। मैं यह अपेक्षा करती हूं कि ये मेरी भी बात सुनें। ये नारा लगा रहे हैं - वी वाँट जस्टिस, जस्टिस तो मैं मांग रही हूं। आपने जो आरोप लगाया, उसके बारे में अगर आप मेरा उत्तर ही नहीं सुनेंगे तो मुझे न्याय कैसे मिलेगा।

अध्यक्ष जी, इसलिए ये शोर करते रहें, तो भी मेरा आपसे निवेदन है कि आप मुझे पूरी बात कहने का मौका दें। अध्यक्ष जी, खड़गे जी कह रहे थे कि मेरी इन्वॉल्वमेंट भी है और मेरा एडमिशन भी है। वह कह रहे थे, मैं बार-बार कहती हूं कि मैंने गलती नहीं की। मैं आज भी कहती हूं कि मैंने कोई गलती नहीं की। मैं इस बात को दोहराती हूं। जिसे वह एडमिशन कहते हैं, वह एडमिशन मैंने आपके सामने किया था। मैंने क्या कहा था,

> "कि अगर एक ऐसी महिला की मदद करना, जो भारत की नागरिक है, जो 17 वर्षों से कैंसर से ग्रसित है, जो किसी अपराध में लिप्त नहीं है, जिसके खिलाफ कोई केस नहीं है और आपरेशन कराने के लिए पुर्तगाल जा रही है, वह ऑपरेशन जीवन घातक है। अगर उस महिला की मदद करना गुनाह है तो मैं यह गुनाह कबूल करती हूं। "

यह मैंने कहा था। उसे ये मेरा सिर्फ गिल्ट कह रहे हैं। ये जरा पढ़ें उसे कि मैंने क्या कहा था। जहां तक ताल्लुक है इस बात का, मैं आपके सामने एक बात कहना चाहती हूं। ललित मोदी को यात्रा दस्तावेज देना या दिलवाना, यह तो मेरे विचाराधीन ही नहीं था। मेरे विचाराधीन तो इतना ही विषय था, "कि अगर ब्रिटिश सरकार उसको यात्रा दस्तावेज दे देती है, देने का फैसला कर लेती है तो क्या हम दोनों देशों के रिश्ते खराब होंगे?" उस पर मैंने कहा, जो मौखिक संदेश भिजवाया -

उन्होंने कहा, "ब्रिटिश सरकार को ब्रिटिश नियमों और विनियमों के अनुसार ललित मोदी के अनुरोध की जांच करनी चाहिए। यदि ब्रिटिश सरकार ललित मोदी को यात्रा दस्तावेज देने का विकल्प चुनती है जो हमारे द्विपक्षीय संबंधों को खराब नहीं करेंगे। ”

यही उन्होंने किया भी। मैंने उस दिन यू.के. होम ऑफिस का एक संदेश पढ़कर सुनाया था, जिसमें यू.के. होम डिपार्टमेंट ने कहा -

"ब्रिटेन के गृह विभाग ने सोमवार को दावा किया: 'अपनी बीमार पत्नी की सहायता के लिए पुर्तगाल की यात्रा करने के लिए आईपीएल प्रमुख ललित मोदी को जारी किए गए यात्रा दस्तावेज उचित नियमों के अनुसार निर्धारित किए गए थे।"

ब्रिटिश सरकार जब यह कहती है कि हमने ललित मोदी को सारे दस्तावेज अपने नियमों के तहत दिए हैं तो फिर मुद्दा कहां रह जाता है। एक नॉन-इश्यू को ये इश्यू क्यों बना रहे हैं? जब यह तय हो जाता है कि वह नियमों के अनुसार दिए गए थे, तो बाकी के सारे तर्क निरर्थक हो जाते हैं, बेमानी हो जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद जो विषय ये उठा रहे हैं... *(व्यवधान)*

आज खड़गे जी ने कहा कि मेरे परिवार के लोग उसके वकील हैं इसलिए कंफलिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। अध्यक्ष जी, मैं यहां खड़े होकर कहना चाहती हूं कि मेरे पति ललित मोदी के पासपोर्ट केस में वकील नहीं थे। जहां तक मेरी बेटी का सवाल है, मेरी बेटी नौवें नम्बर की जूनियर थी। मैं इस केस की एपियरेंस लिस्ट लाई हूं। इस एपियरेंस लिस्ट में 11 वकील हैं। पहले हैं मि. पराग त्रिपाठी, जो सीनियर एडवोकेट हैं, जिनको उसने वकील किया, जिसका वह क्लाइंट बना। उसके बाद अनुप घोष, ऋषि अग्रवाल, स्वदीप भूरा, मेनका, आभिषेक सिंह, रोहित गुप्ता, उमंग गुप्ता और नौवें नंबर पर बांसुरी स्वराज है... *(व्यवधान)* कुणाल बाहरी और फिर एक है... *(व्यवधान)* नौवें नंबर के जुनियर को कोई एक पैसा भी देता है? एक रुपया भी मेरी बेटी ने ललित मोदी से इस केस की वकालत के लिए हासिल नहीं किया... *(व्यवधान)* वह अपने सीनियर के साथ अपीयर हुई। वह जुनियर

है, वह भी नौवें नंबर की... *(व्यवधान)* लेकिन कनफलिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, यह मैं इन्हें बताना चाहती हूं। अध्यक्ष जी, कनफलिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तब होता है, जब पी. चिदंबरम जी वित्त मंत्री होते हैं और उनकी पत्नी ... को उनका अपना विभाग इनकम टैक्स की तरफ से वकालत... *(व्यवधान)* पी. चिदंबरम जी वित्त मंत्री होते हैं और ... * को उनका अपना विभाग इनकम टैक्स की तरफ से वकील नियुक्त करता है और जब राज्य सभा में विषय उठता है, अन्नाडीएमके के एन. ज्योति इस विषय को उठाते हैं तो चिदंबरम जी सदन में आकर स्वीकार करते हैं और क्या कहते हैं?...(व्यवधान) मंत्री जी ने लोक सभा में इस संबंध में एक वक्तव्य दिया। मंत्री जी श्री पी. चिदम्बरम हैं। उन्होंने राज्य-सभा में कही गई बात को दोहराया कि उन्हें अपनी पत्नी को विशेष वकील के रूप में नियुक्त करने के आईटी विभाग के फैसले के बारे में तब तक कोई जानकारी नहीं थी, जब तक कि उन्हें ए.आई.ए.डी.एम.के. सांसद एम. ज्योति द्वारा इस संबंध में राज्य-सभा के सभापति को सौंपा गया नोटिस नहीं मिला। उन्होंने कहा, "मेरा मानना है कि सभा में मेरे किसी भी सम्मानित सहयोगी ने गंभीरता से नहीं सोचा होगा कि अगर मामला मेरे संज्ञान में लाया गया होता तो मैं उसे आगे नहीं बढ़ने देती।"... (*व्यवधान*) यानी स्वीकार करते हैं कि यह हुआ है, लेकिन कहते हैं कि मुझे तब तक पता नहीं था, जब तक ज्योति जी ने बताया नहीं और कहते हैं कि मेरे साथी यह स्वीकार करेंगे कि मुझे पता होता तो मैं ऐसा नहीं होने देता... *(व्यवधान)* यानी खुद ही खुद को बरी कर लेते हैं... *(व्यवधान)* गुनाह स्वीकार करते हैं और खुद ही खुद को बरी कर लेते हैं... *(व्यवधान)* एक बार नहीं, कनफलिक्ट इंटरेस्ट तब होता है, जब पी. चिदंबरम जी वित्त मंत्री होते हैं और उनकी पत्नी ... *शारदा स्कैम में, जिसकी फाइल वह वित्त मंत्री के तौर पर देख रहे हैं, उस शारदा स्कैम में एक करोड़ रुपया लेकर के..(व्यवधान) तृणमूल कांग्रेस ने यह विषय उठाया था। तृणमूल कांग्रेस ने गुरुवार को वित्त मंत्री श्री पी. चिदम्बरम को शारदा चिटफंड के बदनाम चेयरमैन ...* द्वारा उनकी पत्नी को 1 करोड़ रुपये के भुगतान पर सवाल उठाते हुए सामने आ रहे शारदा घोटाले में घसीट लिया। शारदा के अनावरण से होने वाले राजनीतिक नुकसान को रोकने के लिए आक्रामक तरीके से आगे बढ़ते हुए, जिसमें हजारों लोगों

* कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया

ने अपना पैसा लगाया था। ममता की तृणमूल कांग्रेस ने श्री चिदम्बरम से उनकी पत्नी और चेन्नई स्थित वरिष्ठ वकील ...*, के शारदा घोटाले से संबंधों को स्पष्ट करने को कहा।

मेरे केस में कोई कनफलिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। मेरे पति ने एक नया पैसा इस पासपोर्ट केस में ललित मोदी से नहीं लिया... *(व्यवधान)* मेरी बेटी नौवें नंबर की जुनियर थी, एक नया पैसा उसे इसमें नहीं मिला... *(व्यवधान)* मेरा कनफलिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। कनफलिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पी. चिदंबरम जी का है, जब उनकी पत्नी ... पैसा लेती है... *(व्यवधान)*

दूसरा सवाल, मुझ से सात प्रश्न खड़गे जी ने किए हैं। उन सातों प्रश्नों का जवाब देने से पहले मैं इनके उपाध्यक्ष राहुल गांधी का जवाब देना चाहूंगी जो वह बाहर खड़े होकर बोले।... *(व्यवधान)* कभी कहते हैं कि सुषमा स्वराज ने क्रिमिनल एक्ट किया है। क्रिमिनल एक्ट, एक भगौड़े को साइन करके दे दिया। अभी-अभी अरुण जी ने बताया कि वह भगौड़ा नहीं था... *(व्यवधान)* किसी कोर्ट ने ललित मोदी को फ्यूजिटिव या एबस्कोंडर या भगौड़ा घोषित नहीं किया हुआ है। साइन करके दे दिए। क्या साइन करके दे दिया? आप बाहर खड़े होकर आरोप लगाते हैं, मैं आपसे पूछती हूं कि बताइये सुषमा स्वराज ने ललित मोदी को क्या साइन करके दे दिया। अभी खड़गे जी कहते हैं कि इनके परिवार के संबंध हैं, उन संबंधों के कारण यह मदद की गई। इसे अंग्रेजी में कहते हैं - *प्रतिदान* क्विड प्रो को का मुझ पर आरोप लगाया है और राहुल गांधी कहते हैं कि चोर आते हैं तो छुप-छुप कर आते हैं, सुषमा जी ने जो काम किया है, वह छुप-छुप कर किया है। अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहती हूं कि सुषमा स्वराज ने कोई काम छुप-छुप कर नहीं किया है। अगर छुप-छुप कर किया तो क्वात्रोची को भगाने का काम आपने किया।... *(व्यवधान)* अगर छुप-छुप कर कोई काम किया तो राजीव गांधी की सरकार में एंडरसन को भगाने का काम किया... *(व्यवधान)* यह मैं अपनी ओर से नहीं कह रही हूं, यह इनके अपने मुख्य मंत्री की किताब है, अर्जुन सिंह जी की आटोबॉयग्राफी है, अर्जुन सिंह मध्य प्रदेश के केवल मुख्य मंत्री नहीं थे, उसी पद पर थे, जिस पर आज राहुल गांधी हैं। वह कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे। उस समय मां-बेटा अध्यक्ष,

उपाध्यक्ष नहीं होते थे। कोई न कोई व्यक्ति और होता था। ... *(व्यवधान)* यह किताब है, इस आटोबॉयग्राफी में उस एंडरसन के भगाने का जिक्र है।

अध्यक्ष जी आप मध्य प्रदेश की हैं, आप भोपाल गैस त्रासदी से परिचित हैं। यूनियन कार्बाइड की कंपनी से रात को जहरीली गैस का रिसाव हुआ। 15 हजार लोग मर गये, कितने - 15 हजार लोग मर गये।... *(व्यवधान)* चार दिन बाद एंडरसन वहां आए, मुख्य मंत्री, अर्जुन सिंह ने उनको अरेस्ट के वारंट दे दिये। राजीव गांधी चुनाव के लिए तभी वहां पहुंचे, उनसे पूछा, आपने एंडरसन को अरेस्ट क्यों कर लिया? मुख्य मंत्री ने कहा कि इस देश की जनता ने, प्रदेश की जनता ने मुझ पर कोई जिम्मेदारी सौंपी हैं, इसके लिए मैंने अरेस्ट किया है। मैं यहां से इन चार लाइनों को पढ़ती हूं।

> अर्जुन सिंह राजीव गांधी से बात कर रहे हैं। वह कहते है:
>
> "मैंने इस बात पर जोर दिया कि लोगों ने मुझ पर जो भरोसा जताया है उसे बरकरार रखने के लिए मुझे एंडरसन की गिरफ्तारी का आदेश देना पड़ा। राजीव ने मुझे चुपचाप सुना लेकिन कोई टिप्पणी नहीं की। थोड़ी देर बाद, जब हम यात्रा कर रहे थे, मुझे ब्रह्म स्वरूप से एक वायरलेस संदेश मिला जिसमें बताया गया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक शीर्ष अधिकारी ने उन्हें नई दिल्ली से बार-बार फोन किया था और हमें यह सुनिश्चित करने की सलाह दी थी कि एंडरसन को जमानत दे दी जाए। उसके बाद, हमें उन्हें राजकीय विमान से नई दिल्ली भेजने का निर्देश दिया गया।

... (*व्यवधान*) यह अर्जुन सिंह कह रहे हैं जब मैंने यह बताया कि मैंने उन्हें क्यों अरेस्ट किया था तो मुझे एक फोन और वायरलैस मैसेज आया और कहा कि उसकी तुरंत बेल होनी चाहिए और उसे स्टेट प्लेन से वापस भेजें... *(व्यवधान)* आगे सुनिये, यह आप ही की किताब है, मुख्य मंत्री की किताब है।

> “दोपहर में, एंडरसन को भोपाल जिला मजिस्ट्रेट द्वारा भारतीय कानून के अनुसार जमानत दे दी गई। भोपाल के डी.आई.जी., जिन्हें एंडरसन की रिहाई के निर्देश दिए जाने के बाद उन्हें हवाईअड्डे तक ले जाना था, शहर में नहीं थे। नतीजतन, यह काम स्वराज पुरी को बहुत समझदारी से करना पड़ा। "

… (*व्यवधान*) छुप-छुप कर, अरुण जी इन्हें बताओ डिस्क्रीटली की हिन्दी क्या होती है। यह अर्जुन सिंह कह रहे हैं।

> उन्होंने कहा, “स्वराज पुरी ने यह काम बहुत ही समझदारी से किया था। मीडिया को तुरंत पता नहीं चला कि एंडरसन दोपहर 1 बजे भोपाल से दिल्ली और फिर अमेरिका के लिए उड़ान भर चुके हैं। यह केवल शाम 6 बजे के आसपास था कि बीबीसी ने इस खबर की सूचना दी जिसने जल्द ही एक राजनीतिक तूफान पैदा कर दिया। "

एक बड़ी बात थी और यह जानने की मांग कर रहा था कि एंडरसन को इतनी हल्के में क्यों छोड़ दिया गया था। एंडरसन कभी वापस न लौटने के लिए भारत से बाहर निकले थे। … (*व्यवधान*) एंडरसन कभी वापस न लौटने के लिए भारत से बाहर निकले थे। … (*व्यवधान*) यह सुषमा स्वराज नहीं कह रही है। *... (व्यवधान)* यह कौन कह रहा है? यह इनके पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कह रहे हैं। यह तत्कालीन मुख्य मंत्री, मध्य प्रदेश कह रहे हैं कि छिप-छिप के एंडरसन को वहां से ले जाया गया और छह बजे भेज दिया गया, ताकि वह वापस न आ सके। *... (व्यवधान)* अध्यक्ष जी, इसका खुलासा थोड़े दिन बाद हुआ। *... (व्यवधान)* यह सौदा क्या हुआ था, वह पता नहीं लगा था। *... (व्यवधान)* अर्जुन सिंह इसमें कहते हैं कि मेरे कान में राजीव गांधी ने कुछ कहा था, लेकिन वह राज़, राज़ ही रहेगा। *... (व्यवधान)* मेरे साथ चिता में भस्म हो जाएगा। *... (व्यवधान)* मैं बोलूंगा नहीं। *... (व्यवधान)* लेकिन वह राज़ पता चला। *... (व्यवधान)* वह राज़ कैसे पता चला? *... (व्यवधान)* वह राज़ कब

पता चला? ... *(व्यवधान)* छह महीने बाद वह राज़ खुला। ... *(व्यवधान)* वह राज़ क्या था? ... *(व्यवधान)* राजीव गांधी का एक बचपन का दोस्त, गांधी परिवार के घनिष्ठ मित्र का बेटा आदिल शहरयार अमरीका में 35 वर्ष के लिए जेल में बंद था। ... *(व्यवधान)* कोई छोटी-मोटी बात तो नहीं होगी, जब 35 वर्ष के लिए जेल हुई होगी। ... *(व्यवधान)* अब आप सुन लीजिए। ... *(व्यवधान)* राजीव गांधी सरकार ने आदिल शहरयार को राष्ट्रपति पद से *क्षमादान* देने के बदले में संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ समझौते के तहत एंडरसन को भागने की अनुमति दी थी। … (*व्यवधान*) ये *क्षमा दान* यह वह राज़, जो अर्जुन सिंह अपने अंदर दफन करके चले गए,वह राज़ छह महीने बाद खुला। ... आदिल के पिता, मुहम्मद यूनुस, स्पेन में पूर्व भारतीय राजदूत और भारत के व्यापार मेला प्राधिकरण के लंबे समय के अध्यक्ष गांधी परिवार के करीब थे। आदिल, जिसे विभिन्न अपराधों के लिए 35 साल की जेल की संघीय सजा दी गई थी, को संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन द्वारा 11 जून, 1985 को राष्ट्रपति क्षमा दी गई थी। … (*व्यवधान*) यह वह तारीख है, जिस दिन राजीव गांधी अमरीका पहुंचे। ... *(व्यवधान)* राजीव गांधी अमरीका पहुंचते हैं, 11 जून, 1985 को, छह महीने चार दिन के बाद उनके बचपन के दोस्त मोहम्मद युनुस का बेटा, आदिल शहरयार को अमरीका के राष्ट्रपति क्षमा दान दे देते हैं एंडरसन के बदले शहरयार को छुड़ा कर भारत ले कर आते हैं। ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष जी, मैं यहां के माननीय सांसद, कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी को कहना चाहती हूँ कि आपको बहुत शौक है छुट्टियां मनाने का, दो-दो महीने आप छुट्टियां मनाते हैं। ... *(व्यवधान)* आप किसी दिन इस बार की छुट्टी में कहीं एकांत में बैठ कर अपने परिवार का इतिहास पढ़िए और मैं उन्हें कहना चाहूंगी कि अकेले में बैठ कर क्वात्रोची से शहरयार तक के सारे काले कारनामे जो उस इतिहास में दर्ज हैं, उनको पढ़ें और लौट कर पूछें कि मम्मा! क्वात्रोची के उसमें हमने कितना पैसा लिया था। ... *(व्यवधान)* और पूछें कि मम्मा! 15000 लोगों के हत्यारे को, एंडरसन को डैडी ने क्यों छुड़वाया था? ... *(व्यवधान)* और पूछें कि एंडरसन को छोड़ कर, शहरयार को ला कर उन्होंने यह *प्रतिदान* क्यों किया था। खड़गे जी, मैं बताना चाहती हूँ जो *प्रतिदान* आप कह रहे हैं, इसे कहते हैं *प्रतिदान* जब एंडरसन को छुड़वा कर शहरयार को लाया जाता है। यह परिभाषा है *प्रतिदान*।

सुषमा स्वराज ने कोई प्रतिदान नहीं किया।... *(व्यवधान)* आप मुझसे सात सवाल पूछते हैं।... *(व्यवधान)* आपने मुझसे कहा कि चिदम्बरम की करॉस्पॉन्डैन्स आप शाया क्यों नहीं करतीं, आप पब्लिक क्यों नहीं करतीं।... *(व्यवधान)* अध्यक्ष जी, चिदम्बरम ने कोई चिट्ठी एम.ई.ए. को बताई हो तो मैं शाया करूँ।... *(व्यवधान)* आज मैं देश को बताना चाहती हूँ कि चिदम्बरम ने अपनी एक भी चिट्ठी एम.ई.ए. को नहीं दी।... *(व्यवधान)* और एम.ई.ए. को बाईपास करके वे चिट्ठी लिखते रहे अपने समकक्ष विदेश मंत्री (ब्रिटिश) को, जिसे चांसलर ऑफ एक्स्चेकर कहते हैं।... *(व्यवधान)* चांसलर ऑफ एक्स्चेकर को चिट्ठी लिखते रहे।... *(व्यवधान)* ब्रिटेन के वित्त मंत्री जो इनके समकक्ष हैं, वहाँ ब्रिटेन में उसे चांसलर ऑफ एक्स्चेकर कहते हैं।... *(व्यवधान)* उसको इन्होंने पत्र लिखा।... *(व्यवधान)* जब उसका जवाब आया प्रोटोकॉल के तहत विदेश मंत्रालय में तब हमें पता चला कि चिदम्बरम ने कोई चिट्ठी लिखी थी।... *(व्यवधान)* और क्या लिखी कि आप उसको डिपोर्ट कर दें।... *(व्यवधान)* चांसलर ऑफ एक्स्चेकर ने कहा कि कोई हमारे पास रास्ता डिपोर्टेशन का नहीं है, आप एक्स्ट्रडिशन की रिक्वेस्ट डाल दें।... *(व्यवधान)* दोबारा फिर चिट्ठी लिख दी कि एक्स्ट्रडिशन नहीं चाहिए, डिपोर्टेशन चाहिए।... *(व्यवधान)* आप जानती हैं, देश की साख कितनी गिरी।... *(व्यवधान)* चिदम्बरम की चिट्ठी का जवाब तक देना गंवारा नहीं समझा वहाँ के वित्त मंत्री ने।... *(व्यवधान)* उसने वह चिट्ठी, वहाँ के वित्त मंत्री ने वह चिट्ठी विदेश मंत्रालय को दे दी कि यह तो ऐसे ही चिट्ठियाँ लिखता रहता है, अपने राज्य मंत्री को कहो कि भारत के विदेश राज्य मंत्री को चिट्ठी लिख दें।... *(व्यवधान)* और यह चिट्ठी मेरे पास है, जो परनीत कौर को आई।... *(व्यवधान)* वित्त मंत्री की चिट्ठी का जवाब उनके विदेश राज्य मंत्री अपनी समकक्ष परनीत कौर को देते हैं।... *(व्यवधान)* ओसबोर्न ने जवाब देना बन्द कर दिया, उनको लगा कि ये लगातार ऐसी ही चिट्ठियाँ लिखते रहते हैं।... *(व्यवधान)* कौन सा पत्राचार, कौन सा करॉस्पॉन्डैन्स... *(व्यवधान)*

श्री एम. वैंकैय्या नायडू : ऐसे इधर आना अच्छा नहीं है।... *(व्यवधान)* यह आप लोगों को शोभा नहीं देता है।... *(व्यवधान)* मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप अपनी जगह पर जाइए।... *(व्यवधान)* हमारी तरफ के सभी लोग अपनी सीटों पर बैठ जाइए।... *(व्यवधान)* खड़गे जी, एक महिला मंत्री जवाब दे रहे हैं, ऐसा मत कीजिए।... *(व्यवधान)* आपके लोग यहाँ आकर कुछ हमला करें तो अच्छा नहीं होगा।... *(व्यवधान)* यह शोभा

नहीं देगा।... *(व्यवधान)* आपके संसद सदस्य यहाँ आकर महिला मंत्री के सामने कुछ करें, वह अच्छा नहीं होगा।... *(व्यवधान)* आप उनको सलाह दीजिए।... *(व्यवधान)* उनको अपनी जगह पर जाने के लिए बता दीजिए।... *(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष जी, 17 जुलाई को यह चिट्ठी वहाँ के चांसलर ऑफ एक्स्चेकर की हमें मिलती है तो हम हैरान होते हैं कि चिदम्बरम जी ने उसको कब चिट्ठी लिख दी।... *(व्यवधान)* 17 जुलाई को यह चिट्ठी हमें मिलती है तो हम कहते हैं कि यह कौन सी चिट्ठी का जवाब है।... *(व्यवधान)* यह चिट्ठी चिदम्बरम जी ने कब लिख दी।... *(व्यवधान)* लेकिन उसमें उनके वित्त मंत्री लिखते हैं-

> "किसी भी आपराधिक जांच में प्रदान की जाने वाली यू.के. सहायता के लिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सहयोग के लिए सामान्य तंत्र के तहत प्रत्यर्पण अनुरोध किया जाना चाहिए। तो, हम निश्चित रूप से, पूर्ण सहायता प्रदान कर सकते हैं क्योंकि यू.के. कानून अनुमति देगा।"

अध्यक्ष जी, बार-बार यू. के. कह रहा है कि हमें एक्स्ट्रडिशन रिक्वेस्ट भेज दो, हम उसको वापस भेज देंगे।... *(व्यवधान)* लेकिन एक्स्ट्रडिशन रिक्वेस्ट नहीं भेजते, डिपोर्टेशन की बात करते हैं।... *(व्यवधान)* और उसके बाद जब दोबारा यह चिट्ठी लिखते हैं तो वह अपने विदेश राज्य मंत्री को कह देता है कि तुम इसका जवाब दे दो, मैं जवाब नहीं दे सकता। तुमको तो आदत पड़ गई है चिट्ठियाँ लिखने की। उसके बाद प्रेणीत कौर का जवाब आता है। ... *(व्यवधान)* चिदम्बरम की चिट्ठी का जवाब प्रेणीत कौर को आता है। चिदम्बरम को उनका समकक्ष मंत्री जी चिट्ठी लिखना गवारा नहीं करता। उनको वे फिर लिखते हैं - मेरा पत्र माननीय वित्त मंत्री श्री पी. चिदंबरम द्वारा 20.8.2010 को चांसलर ऑफ एक्सचेकर को लिखे गए पत्र का जिक्र करता है जिसमें श्री ललित मोदी को भारत प्रत्यर्पित करने का अनुरोध किया गया था और हम डीपोर्ट नहीं कर सकते हैं। ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष जी, मुझसे खड़गे जी सवाल पूछते हैं कि उसे राइट ऑफ रैज़ीडैंसी कैसे मिला। अरे, कौन किससे पूछ रहा है भइया? राइट ऑफ रैज़ीडैंसी अरुण जेटली के वित्त मंत्री बनने पर थोड़ी मिला। राइट ऑफ रैज़ीडैंसी तब मिला, जब तुम्हारी सरकार चार साल थी। ... *(व्यवधान)* यह सवाल मैं आपसे पूछती हूँ। मैं आपसे प्रश्न करती हूँ कि राइट ऑफ रैज़ीडैन्सी उसे क्यों मिला यह आप मुझे आज बताओ। यह आप मुझसे क्यों पूछते हैं? इसके बाद पूछते हैं कि अपील क्यों नहीं फाइल की गई? ... *(व्यवधान)* अपील इसलिए फाइल नहीं की गई क्योंकि जो केस यहाँ डाला गया था, वह इस कारण से खारिज हुआ कि ईडी चार साल तक निष्क्रिय रहा, उसने कोई कार्रवाई ललित मोदी के खिलाफ नहीं की। ... *(व्यवधान)* अध्यक्ष जी, यह मैं जजमैंट में से पढ़ रही हूँ।

> "कि फेमा की धारा 16(3) की सहमति को अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर, जिसे 16.9.2010 पर पंजीकृत किया गया था, 20.9.2010 दिनांकित कारण बताओ नोटिस द्वारा अनुसरण किया गया है, जिसके लिए अनिवार्य रूप से अपीलार्थी को कारण दिखाने की आवश्यकता है कि पूछताछ क्यों नहीं की जानी चाहिए। यह मामला उस स्तर से आगे नहीं बढ़ा है। "

शो कॉज़ नोटिस देने के बाद चार साल तक एक इंच भी केस नहीं खिसका। कौन दोषी है? वास्तव में, यह इंगित करने के लिए हमारे ध्यान में कुछ भी नहीं लाया गया है कि निर्णायक प्राधिकारी ने कोई राय बनाई है कि जांच की जानी चाहिए या जांच नहीं की जानी चाहिए। ... *(व्यवधान)* इसलिए अपील फाइल नहीं हुई क्योंकि आपने केवल शो कॉज़ नोटिस दिया। चार साल तक एक इंच भी कार्रवाई नहीं हुई और इस कारण से उन्होंने उसका पासपोर्ट वापस कर दिया। अब जब अरुण जी आए तब इन्होंने कार्रवाई प्रारंभ की है। अब ये लोग कार्रवाई करेंगे तो कहीं दोबारा से केस चालू होगा। ... *(व्यवधान)*

मैं आपको बता दूँ, जहाँ तक एम.ई.ए. का सवाल है, तीन तरह के केसेज़ होते हैं। एक केस होता है जो हम खुद फाइल करते हैं, जो पासपोर्ट का ऑफैन्स होता है। उसमें अगर हम हार जाते हैं तो हम अपील करते

हैं। एक होता है जहाँ ईडी एफ.आई.आर. करता है। वहाँ अगर हम किसी ईडी के कारण हार जाते हैं तो वह हमें कहते हैं अपील करो। ... *(व्यवधान)* तीसरा सीबीआई का होता है। अगर सीबीआई केस हार जाती है और हमें कहती है तो हम अपील करते हैं। सीबीआई दो केस कोयला घोटाले में हारी। कोयला घोटाले में सीबीआई ने हमें नहीं कहा।... *(व्यवधान)*

मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अपील फाइल नहीं हुई आपके कारण। राइट ऑफ रैज़ीडैंसी उसे मिला आपके कारण। वह वापस क्यों नहीं लाया जा सका - आपके कारण, क्योंकि आपने एक्सट्रेडीशन रिक्वैस्ट नहीं डाली। आप मुझसे पूछते हैं कि मैंने उसकी मदद की! ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष जी, मैं 38 साल से राजनीति में हूँ। जिस मर्यादा और संयम से राजनीति की है, वह तपस्या जैसी चीज़ होती है। ... *(व्यवधान)* आप साक्षी रही हैं मेरे राजनीतिक सफर की। एक तिल भर दाग नहीं लगा मेरे दामन पर, एक तिल भर दाग-धब्बा नहीं लगा। आज जीवन के इस पड़ाव पर आकर क्या मैं अपनी तपस्या भंग करूँगी? यह मुझसे किन चीज़ों का सवाल मांग रहे हैं? इन सारी चीज़ों के गुनहगार ये स्वयं हैं। खड़गे जी, आपके सातों के सातों सवाल का जवाब यह है। ... *(व्यवधान)* चिदम्बरम ने कोई चिट्ठी मुझे नहीं लिखी, एम. ई.ए. को, जो मैं शाया करती। आपने एक्स्ट्रैडीशन रिक्वैस्ट नहीं डाली। यूके कहता रह गया, लेकिन आपने नहीं डाली। आपके ई.डी. ने कोई कार्रवाई नहीं की, चार साल तक वे चुपचाप करके बैठे रहे और क्यों बैठे रहे, यह भी बता दूं। इस केस पर कांग्रेस नेतृत्व बंटा हुआ था। एक खेमा चाहता था कि ललित मोदी के खिलाफ कार्रवाई हो, दूसरा खेमा चाहता था, नहीं हो। जो चाहता था कि कार्रवाई हो, उसका नेतृत्व चिदम्बरम स्वयं कर रहे थे। उस खेमे में और कोई नहीं था, वे अकेले थे। इसलिए वे कोई भी प्रक्रिया नहीं निपटाना चाहते थे। उन्होंने वित्त मंत्री जी, यू.के. का पल्ला पकड़ा कि डायरैक्टली खतो-किताबत करके, मैं डायरैक्टली कोरस्पोंडेंस करके केस को आगे बढ़ाऊं। अगर वे ई.डी. को कहते तो नेतृत्व रोक देते। एक्स्ट्राडीशन की रिक्वैस्ट डालते तो पता चल जाता, इसलिए अपनी व्यक्तिगत शत्रुता के कारण उन्होंने एक ऐसा रास्ता निकाला और आज भी इनको पट्टी वही पढ़ा रहे हैं, इनको गुमराह वही कर रहे हैं, ये सातों सवाल, जो खड़गे जी ने पूछे, चिदम्बरम ने लिख कर

दिये हैं। वे मीडिया में भी पूछ रहे हैं, लेकिन मैं चाह रही थी कि संसद में खड़े होकर जवाब दूं, जो कहते है न कि देश जानना चाहता है। मेरा राष्ट्र यहां। यहां हर दल के प्रतिनिधि बैठे हैं, इसीलिए मैं बार-बार कह रही थी, यह सत्र नहीं निकलना चाहिए। मैं वेंकैया जी से कह रही थी, किसी भी विधा के तहत चर्चा करा लो, लेकिन मुझे बोलने का अवसर दो, ताकि मैं बताऊं, गुनहगार ये हैं, गुनहगार मैं नहीं हूं।

चाहे आज मुझे शोर-शराबे में ही बोलने का मौका मिला, मैं चाहती थी कि इस सारी बात को शाइस्तगी से, शालीनता से यहां रखूं, खड़गे जी अपने आप तो बोलकर चले गये और मेरे समय में इनको शोर-शराबा करने के लिए खड़ा कर दिया।

मैं आपकी धन्यवादी हूं, कम से कम इनके शोर-शराबे में ही आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं अपना पक्ष रख सकी। बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

पी. वेणुगोपाल (तिरुवल्लूर): माननीय अध्यक्ष महोदया, माननीय खड़गेजी द्वारा शुरू किए गए स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा में मुझे विचार रखने की अनुमति देने के लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

महोदया, सामान्य तौर पर कहा जाए तो, भारत में खेल जगत को विकास के लिए अधिक सहयोग की आवश्यकता है क्योंकि हमारी जनसंख्या 125 करोड़ से अधिक है। विश्व स्तर पर हमारे देश को गौरवान्वित करने के लिए खेल के क्षेत्र में बुनियादी ढाँचे का विकास और प्रशिक्षण गतिविधियाँ साथ-साथ चलनी चाहिए।

… (*व्यवधान*)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : वेणुगोपाल जी, क्या आप कृपया एक मिनट के लिए समय देंगे?

डॉ. पी. वेणुगोपाल: हां।

माननीय अध्यक्ष: वेणुगोपालजी, आप समय क्यों दे रहे हैं? बात क्या है?

… (*व्यवधान*)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं व्यवस्था के प्रश्न पर हूँ। … (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: व्यवस्था का प्रश्न क्या है? नियम क्या है?

… (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: खड़गे जी, क्या बोल रहे हैं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: पहले रूल नम्बर बताइये। ऐसा कुछ नहीं हुआ है, आपके भाषण में भी बहुत बार हुआ।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: नियम 352. … (*व्यवधान*) यह नियम 352 का उल्लंघन है। … (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: 352 का कोई वायलेशन नहीं हुआ, बैठिये।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: मैं इसे देख चुकी हूं। मुझे नियम 352 पता है।

… (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: जो आपने बोला, उसका जवाब आया है, बैठिये।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप बैठिये न।

[अनुवाद]

डॉ. पी. वेणुगोपाल: महोदया, यह हम सभी के लिए गौरव का क्षण है जब हम कहते हैं कि ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनन्द शतरंज के क्षेत्र में राजा बने हुए हैं। हमारे पास खेल के अन्य क्षेत्रों में भी कई अन्य हैं। यहां यह कहना उचित होगा कि क्रिकेट के अलावा कबड्डी, हॉकी, फुटबॉल, शतरंज, बैडमिंटन, टेनिस, कुश्ती आदि सभी खेलों को समान महत्व दिया जाना चाहिए। बुनियादी ढांचे के विकास के लिए*... (व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष: वेणुगोपाल *जी*, एक मिनट। श्री खड़गे।

... (*व्यवधान*)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: महोदया, नियम 352 कहता है, 'एक सदस्य बोलते समय ऐसा नहीं करेगा-

(1) किसी भी तथ्य को देखें जिस पर एक न्यायिक निर्णय लंबित है;

(2) जब तक कि वाद-विवाद के प्रयोजन के लिए यह अनिवार्य रूप से आवश्यक न हो, तब तक घर के किसी अन्य सदस्य की *निश्चितता* को प्रभावित करने या पूछताछ करने के उद्देश्य को प्रभावित करने वाले आरोप लगाने के माध्यम से एक व्यक्तिगत संदर्भ दें, जब तक कि यह उसके लिए एक मुद्दा या प्रासंगिक मामला न हो।

देखें, वाद-विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है। मुख्य मंत्री जी द्वारा उत्तर दिया जाना है। ... (*व्यवधान*) वह जवाब नहीं दे सकतीं। ... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : किसी नियम का उल्लंघन नहीं हुआ है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: वह कह सकतीं हैं। वह आपकी बातों का जवाब है। किसी नियम का उल्लंघन नहीं हुआ है।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: हाँ, अरुण *जी*।

... (*व्यवधान*)

श्री अरुण जेटली: महोदया, श्री खड़गे जी ने नियम 352 का हवाला दिया है। जब वे बोल रहे थे, डॉ. किरिट सोमैया ने भाषण के विरुद्ध नियम 352 का आह्वान किया। ... (*व्यवधान*) भाषण के प्रत्येक वाक्य की अवहेलना करनी होगी क्योंकि उनके द्वारा पूरे भाषण में नियम 352 के प्रत्येक पहलू का उल्लंघन किया गया है। ... (*व्यवधान*) आप मुख्यमंत्री के खिलाफ आरोप लगाते हैं; यह नियम 352 के खिलाफ है। ... (*व्यवधान*) आप किसी सदस्य के खिलाफ आरोप लगाते हैं; वह नियम 352 के खिलाफ है। ... (*व्यवधान*)

आपके प्रस्ताव में भी, आप एक ऐसे व्यक्ति का नाम लेते हैं जो सदन का सदस्य नहीं है; यह नियम 352 के विरुद्ध है। आप नियम 352 के प्रत्येक कार्मिक नियम का उल्लंघन करते हैं और अब आप सुषमा *जी* के खिलाफ नियम 352 का हवाला देना चाहते हैं। ... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: वेणुगोपाल *जी*, आप जारी रखें।

... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: कोई उल्लंघन नहीं किया गया है। मैंने पहले ही कह चुकी हूँ।

... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : सभी उसी विषय पर बोल रहे हैं। आपकी बातों का जवाब दिया गया है।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

डॉ. पी. वेणुगोपाल: बुनियादी ढांचे के विकास और खेल गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए, तमिलनाडु की मुख्यमंत्री माननीय अम्मा ने विश्व स्तरीय नेहरू स्टेडियम का निर्माण किया था और चेन्नई में विश्व शतरंज टूर्नामेंट आयोजित करने की भी व्यवस्था की थी। ... (*व्यवधान*)

इसी प्रकार, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए, तमिलनाडु की माननीय मुख्यमंत्री उनके लिए धनराशि प्रदान कर रहीं हैं और आवास सुविधाओं का विस्तार कर रहीं हैं... (*व्यवधान*)

खिलाड़ियों की मदद करने के प्रति तमिलनाडु की मुख्यमंत्री के जुनून का यह एक उत्कृष्ट उदाहरण है। कोलकाता की जिमनास्ट सौमिता डे के बारे में समाचार पत्र में एक लेख पढ़कर, जो कि न्यूरोलॉजिकल समस्याओं से पीड़ित हैं और उनके शरीर के निचले हिस्से में लकवा मार गया है, तमिलनाडु की माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5 लाख रुपये की नकद सहायता की घोषणा की, जिसके लिए मैं और मेरे सहयोगी श्री सेनगुट्टुवन, सांसद, व्यक्तिगत रूप से चेक और माननीय मुख्यमंत्री जी का एक पत्र सौंपने के लिए कोलकाता गए, जिसमें उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की गई... *(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष: वेणुगोपाल *जी*, क्या आप इस प्रस्ताव पर बोल रहे हैं?

डॉ. पी. वेणुगोपाल: हां, महोदया। मैं केवल खेल की बात कर रहा हूँ। *... (व्यवधान)*

खेल मूलतः खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने और देश के लिए पदक और गौरव प्राप्त करने के लिए हैं। ... (*व्यवधान*) यह व्यक्तिगत धन प्राप्त करने और धन कमाने के लिए नहीं है। ... (*व्यवधान*)

हाल के दिनों में, क्रिकेट, विशेष रूप से आई.पी.एल., विवादों और भ्रष्टाचार से घिरा हुआ है। ... (*व्यवधान*) आई.पी.एल. विवाद पिछले काफी समय से चल रहा है। ... (*व्यवधान*) सरकार को तभी इसका संज्ञान लेना चाहिए था... *(व्यवधान)* हमारा विचार यह है कि जिसने भी आई.पी.एल. घोटाले में गलती की है,

उसे दंडित किया जाना चाहिए, चाहे वह कितना भी बड़ा और शक्तिशाली हो। … (*व्यवधान*) दोषियों के साथ कानून के समक्ष समान व्यवहार किया जाना चाहिए। … (*व्यवधान*)

आई.पी.एल. बी.सी.सी.आई. के लिए एक धन कमाने वाली मशीन बन गया, जिसने बोर्ड की वार्षिक प्रतिवेदन के अनुसार वर्ष 2011-12 में 150.03 करोड़ रुपये और वर्ष 2012-13 में 261.43 करोड़ रुपये का अधिशेष कमाया। (*व्यवधान*)

इस देश की जनता को यह लगता है कि आई.पी.एल. के बैनर तले खेले जाने वाले क्रिकेट मैचों का दुरुपयोग निजी स्वार्थ के लिए, धन अर्जित करने के लिए और काले धन को सफेद करने के लिए किया जा रहा है... *(व्यवधान)* आई.पी.एल. अपनी स्थापना के बाद से ही विवादों का पर्याय बन गया है। … (*व्यवधान*)

अप्रैल 2010 में, उस वर्ष के आई.पी.एल. मैच समाप्त होने के तुरंत बाद, बी.सी.सी.आई. ने ललित मोदी को बाहर कर दिया। सितंबर 2013 में, उन्हें बी.सी.सी.आई. की अनुशासन समिति द्वारा आई.पी.एल. से संबंधित वित्तीय और प्रशासनिक मामलों में अनुशासनहीनता और कदाचार के आठ मामलों में दोषी पाए जाने के बाद क्रिकेट में किसी भी प्रशासनिक पद को संभालने से आजीवन प्रतिबंधित कर दिया गया था।

ललित मोदी ने लाखों क्रिकेट प्रेमियों और प्रशंसकों की भावनाओं का फायदा उठाया है और बहुत अपवित्र धन कमाया है। अब समय आ गया है कि सरकार इस पर ध्यान दे और उनके खिलाफ कार्रवाई करे।

ऐसा प्रतीत होता है कि ललित मोदी ने विदेश जाने के लिए यात्रा दस्तावेजों का दुरुपयोग किया है। उन्होंने पत्नी की बीमारी का हवाला देते हुए विदेश जाने के लिए आवेदन किया था। किसी को यकीन नहीं है कि वह अपनी पत्नी की देखभाल कर रहे हैं या नहीं, जो कथित तौर पर बीमार है। अगर वह वास्तव में अपनी पत्नी की मदद करना चाहते थे, जो कथित तौर पर कैंसर से पीड़ित है, तो उन्हें अस्पताल में उनके साथ होना चाहिए। लेकिन ऐसा लगता है कि वह अपना समय रिसॉर्ट्स में बिता रहे हैं। यह उनके बुरे इरादों को दिखाता है। उन्होंने बहुत सारा अवैध धन इधर-उधर कर दिया, खुद फरार हो गए और विदेश जाकर बस गए

वर्तमान में, प्रवर्तन निदेशालय ने ललित मोदी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस की मांग की है ताकि उन्हें गिरफ्तार किया जा सके और वित्तीय अनियमितता के लिए भारत में मुकदमे का सामना करने के लिए वापस लाया जा सके। चूंकि ललित मोदी प्रवर्तन निदेशालय की "सर्वाधिक वांछित सूची" में हैं और सरकार को उन्हें कोई नरमी नहीं दिखानी चाहिए। सरकार को उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। भाई-भतीजावाद, अधिकार के दुरुपयोग और नियमों के उल्लंघन के आरोप थे। लेकिन विदेश मंत्री जी ने भी संसद में एक बयान देकर इस पर अपनी स्थिति स्पष्ट की थी।

सरकार को पूरी तरह से - वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय - को इस मामले को पूरी गंभीरता से देखना चाहिए। सरकार को यह कहकर चुप नहीं रहना चाहिए कि कानून अपना काम करेगा। देश की जनता ठोस कार्रवाई चाहती है। ऐसे सभी मामलों में जहां भ्रष्टाचार और प्राधिकरण के दुरुपयोग का आरोप लगाया जाता है, उचित प्रक्रिया और कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। यह सरकार के लिए खेल के इस क्षेत्र को विनियमित करने का समय है और अवैध गतिविधियों में शामिल जुआरियों के खिलाफ सख्ती से काम करना चाहिए। खेल संघों को राजनीति से मुक्त होना चाहिए।

मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार भविष्य में उचित कार्रवाई करेगी ताकि आई.पी.एल. विवादों और भ्रष्टाचार के आरोपों से मुक्त हो सके। मुझे उम्मीद है कि सरकार ललित मोदी के खिलाफ उचित समझी जाने वाली आवश्यक कार्रवाई करेगी ताकि स्थिति पूरी तरह से साफ हो जाए। धन्यवाद।

श्री दिनेश त्रिवेदी (बैरकपुर) : महोदया, आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। यह लोकतंत्र का मंदिर है। टी.एम.सी. से जुड़े हम लोगों के लिए, यह लोकतंत्र का मंदिर, उन सभी मंदिरों से कहीं ऊँचा है जहाँ हम जाते हैं। मैडम, इस मंदिर में चर्चा का कोई विकल्प नहीं है। मैं समझदार होने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम सभी इन भावनाओं को साझा करेंगे और आपने इसे करने की पूरी कोशिश भी की है। लेकिन तथ्य यह है कि मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि जब भी भ्रष्टाचार की बात आती है, टी.एम.सी. और हमारी नेता ममता बनर्जी हमेशा इससे लड़ती पाई गई हैं। इस पक्ष बनाम उस पक्ष का कोई सवाल नहीं है। हम में से बहुत से संसद के बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं। आज, मैं आपको बता सकता हूं कि मुझे भी उतना ही दुख हुआ है जितना हममें से अधिकांश को हुआ होगा। मैं वर्ष 1990 से राज्य सभा का संसद सदस्य रहा हूँ। मैंने इस तरह की कटुता कभी नहीं देखी है और मैं उम्मीद करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि यह शायद आखिरी होगा। मैं यह क्यों कह रहा हूं? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण हैं। पूरा देश और शायद पूरी दुनिया भारत को देख रही है। हमें अपनी स्वतंत्रता पर बहुत गर्व है। हमें अपने लोकतंत्र पर बहुत गर्व है। दुनिया का लोकतंत्र भारत को देख रहा है क्योंकि दुनिया की स्थिरता के संबंध में भारत ने एक बढ़त बना ली है।

महोदया, मैं मुख्य विषय से विचलित नहीं हो रहा हूँ। मैं बस यहाँ आकर बताना चाहता हूँ कि मेरे सहयोगी और हमारे पार्टी नेता, श्री सुदीप बंदोपाध्याय ने सर्वदलीय बैठक में और आपके द्वारा कई बार बुलाई गई बैठकों में भी इस बात पर बल दिया है कि हम इस गतिरोध से बाहर निकलें। उन्होंने सुझाव दिया था: "कृपया स्थगन प्रस्ताव नोटिस स्वीकार करें और हमें वाद-विवाद आगे बढ़ाने दें।" दुर्भाग्य से, पहले ऐसा नहीं हुआ।

महोदया, व्यापम का एक और मुद्दा है। श्री सुदीप बन्दोपाध्याय और टी.एम.सी. ने भी उस मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं दी हैं, जो समान रूप से गंभीर है, और लोग कुछ स्पष्टीकरण भी चाहते हैं।

महोदया, मुझे नहीं लगता कि मुझे वास्तव में और आगे जाने की जरूरत है क्योंकि बहुत सी चीजों के बारे में पहले ही बात की जा चुकी है। मुझे नहीं लगता कि जो कुछ भी बोला गया है, मेरे पास उसमें जोड़ने के

लिए और कुछ है। लेकिन, 'हां', अंत में, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह सर्वोच्च मंदिर है, जिसका मैंने पहले उल्लेख किया था, और लोकतंत्र में इस महती सभा और राज्य सभा से बड़ा कोई स्थान नहीं हो सकता है।

महोदया, हम वैधानिकता के अनुसार नहीं जीते हैं। हम देश के लोगों की धारणा के अनुसार भी जीते हैं। हमें इस बात की भी चिंता करनी होगी कि धारणा क्या है और औचित्य क्या है। वैधानिकता एक चीज है; औचित्य दूसरी चीज है। मुझे नहीं लगता कि यह कहना उचित होगा कि हम किसी के फैसले पर बैठे हैं। हमारे लिए सबसे बड़ी अदालत भारत के लोग हैं। इसलिए, मैं कहता हूं कि हम धारणा के अनुसार जीते हैं और हम किसी के फैसले पर नहीं बैठे हैं, लेकिन यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि हम उन मुद्दों पर बहस करें जो देश के कब्जे में हैं जैसे कि शायद हम अभी बहुत शांत और मौन अवस्था में बहस कर रहे हैं। मैं बस उम्मीद करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि भविष्य में हम ऐसी बहस करेंगे जो इस देश के लोग सुनना चाहते हैं। मैं ईमानदारी से यह नहीं समझ पाया हूं कि माननीय सुषमा स्वराज जी ने क्या कहा। लेकिन महोदया, सरकार के उत्तर के बाद, जिसके बारे में मुझे विश्वास है कि वह अवश्य आएगा, यदि आप मुझे पुनः अवसर देंगी तो हमारी पार्टी इस विषय पर पुनः बोलेगी।

मुझे यह अवसर देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): माननीय अध्यक्ष महोदया, इतने हंगामे और शोर-शराबे के बाद, मुझे आशा है कि इससे कुछ सार्थक परिणाम निकलेगा और हममें से अधिकांश लोग, जो यहाँ बैठे हैं, अधिक शिक्षित होंगे क्योंकि शिक्षा हमें चीजों को समझने की प्रेरणा को संयमित करती है।

कल हमने चाणक्य का वह प्रसिद्ध कथन देखा, और उसमें एक बात मेरे मन में कौंधी। वह कथन था: "किसी व्यक्ति के प्रति प्रतिबद्ध मत रहो; किसी परिवार के प्रति प्रतिबद्ध मत रहो; राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्ध रहो।" व्यक्ति श्रेष्ठ हो सकते हैं; व्यक्ति परोपकारी तानाशाह भी हो सकते हैं; व्यक्ति राक्षसी भी हो सकते हैं; और परिवारों ने इस दुनिया के बड़े हिस्से पर बहुत लम्बे समय तक शासन किया है। उनके नाम पर युग घोषित किए गए हैं। लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो राष्ट्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। जब हमारे देशवासी, अशिक्षित लोग, शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ लड़ रहे थे, तो वे किसी एक व्यक्ति के प्रति प्रतिबद्ध नहीं थे; वे किसी एक परिवार के प्रति प्रतिबद्ध नहीं थे। वे इस राष्ट्र के विकास और प्रगति के लिए प्रतिबद्ध थे।

जब भी मैं इस गरिमामयी सदन में खड़ा होता हूं, जब भी मैं अपनी पार्टी के विचार व्यक्त करने जा रहा होता हूं, मैं हमेशा अध्यक्षपीठ की ओर देखता हूं और उन पंक्तियों को भी, जो वहां अंकित हैं। कभी-कभी मुझे आश्चर्य होता है, क्या यह चमक रहा है? क्या लाइट चालू है? कभी-कभी मुझे लगता है, यह थोड़ा धुंधला है। यह क्या चित्रित करता है? यह "*धर्मचक्र प्रवर्तन" चित्रित करता है।* "यह धर्म के बारे में कहता है; धर्म का चक्र प्रबल होगा। जब मैं इस सदन में कुछ कह रहा होता हूँ, मुझे विश्वास है कि चाहे कितनी भी कटुता हो, इस सदन में ऐसे लोग हैं, जो कुएं में कूद सकते हैं और बिना किसी नुकसान के वापस आ सकते हैं। लेकिन हमारी पार्टी में हम में से कई लोगों में कुएं में कूदने और बिना किसी नुकसान के बाहर आने की वह प्रतिभा नहीं है! … (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, कृपया।

… (*व्यवधान*)

श्री भर्तृहरि महताब : आपके पास वह विशेषज्ञता है, कांग्रेसियों! … (*व्यवधान*) आपके पास वह विशेषज्ञता है, जो मुझे लगता है*... (व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, कृपया। यह उचित नहीं है।

… (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : यह क्या है, सब टोका-टाकी कर रहे हैं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: धैर्य रखें। वह किसी और के लिए नहीं बोल रहे हैं।

… (*व्यवधान*)

श्री भर्तृहरि महताब: महोदया, कई बार, अनुभूति भी बहुत भ्रामक होती है। (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री भर्तृहरि महताब : मैं अपनी बात कह रहा हूं, अपनी पार्टी की बात कह रहा हूं। हमारी यह दक्षता नहीं है कुंए में कूदना और सुरक्षित आ जाना। अगर किसी में यह दक्षता है तो उन्हें मुबारक है। हमारे लिए यह दक्षता का मापदंड नहीं है। हम यहां आज जिस विषय में चर्चा करने के लिए खड़े हैं*... (व्यवधान)*_मैंने भी कई बार यह समझकर नोटिस दिया था कि मानसून सैशन में ये चीजें चर्चा के लिए आएंगी।

[अनुवाद]

कुछ संकल्पों के माध्यम से, बार-बार मैंने विनती भी की थी, महोदया, इस पर चर्चा करने की आवश्यकता है क्योंकि यह सार्वजनिक क्षेत्र में है। इस तरफ से और उस तरफ से बहुत सारी बातें कही जा रही हैं। इस पर सदन में चर्चा होनी चाहिए। आखिरकार, यह वह सभा है जहां देश की चिंताओं पर विचार करने की ज़रूरत है। लेकिन किसी न किसी कारण से ऐसा नहीं हो रहा था।

सबसे पहले, कहा गया था: “पहले इस्तीफा, फिर चर्चा। इस स्थगन प्रस्ताव के प्रारंभकर्ता ने अपना भाषण समाप्त करते हुए आज कहा, “हम भी इस्तीफे की मांग करते हैं।" यह होगा या नहीं, वे मानेंगे या नहीं, कल सभा चलेगी या नहीं, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन मैं यहाँ उल्लेख करना चाहता हूँ, महोदया, दो प्रतिवेदनों के लिए। एक तो वित्त संबंधी स्थायी समिति की का वर्ष 2010-11 का प्रतिवेदन है। इसे अगस्त, 2011 के महीने में इस सभा में रखा गया था। यह प्रतिवेदन संख्या 38 है। यह आई.पी.एल.-बी.सी.सी.आई. से संबंधित कर निर्धारण, छूट और संबंधित मामले हैं। मैं इस प्रतिवेदन पर बाद में आऊंगा। यहां समिति के अध्यक्ष श्री यशवंत सिंहा थे। एक और प्रतिवेदन है। यह आई.पी.एल.-बी.सी.सी.आई. से संबंधित कर निर्धारण, छूट और संबंधित मामले भी है। यह नवंबर 2014 का पहला प्रतिवेदन है और यह एक कार्यवाही नोट है।

यहाँ वर्ष 2014 में श्री वीरप्पा मोइली वित्त पर स्थायी समिति के अध्यक्ष हैं। ये दो प्रतिवेदन हैं। पहला सामान्य प्रतिवेदन है और दूसरा इस प्रतिवेदन से संबंधित कार्यवाही नोट है। यह आई.पी.एल. और बी.सी.सी.आई. से संबंधित है। मैं यहां उद्धृत करता हूंः

> "समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए प्रवृत्त है कि देश में लोकप्रिय खेल — जिसका उल्लेख डॉ. वेणुगोपाल कर रहे थे — जिसे एक 'सज्जनों का खेल' कहा जाता है, को कानून के उल्लंघन में 'मैदान के बाहर' फंसने और कलंकित नहीं होने देना चाहिए था।"

इस प्रतिवेदन में उत्तरवर्ती पैराग्राफों में विशिष्ट मुद्दों पर चर्चा और टिप्पणियां की गई हैं। मैं पूरा प्रतिवेदन नहीं पढ़ रहा हूं। लेकिन निष्कर्ष में, टिप्पणियों और सुझावों पर, प्रतिवेदन कहता है,

"समिति ने यह भी नोट किया कि अध्यक्ष द्वारा लिए गए अधिकांश निर्णयों को आई.पी.एल. परिषद द्वारा *कार्योत्तर* अनुमोदित किया गया था।" जब बारीकी से पूछताछ की गई — और मुझे नाम लेना होगा क्योंकि यह प्रतिवेदन में है — बी.सी.सी.आई. के अध्यक्ष श्री शशांक मनोहर ने समिति के समक्ष स्वीकार किया कि चेक श्री ललित मोदी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं थे, बल्कि कोषाध्यक्ष श्री एन. श्रीनिवासन द्वारा हस्ताक्षरित थे और बाद में श्री पांडोव द्वारा हस्ताक्षरित किए गए, जिन्होंने उनसे कोषाध्यक्ष का पदभार संभाला। श्री श्रीनिवासन ने समिति के समक्ष निम्नलिखित शब्दों में स्वीकार किया:-- और मैं यहां केवल एक पंक्ति का उल्लेख कर रहा हूं- “हमें छला गया था"।"

मुझे लगता है कि यह संसद की सम्पत्ति है। इस प्रतिवेदन को देखने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। यह हमारा दायित्व है कि हम कार्यवाई नोट को देखें, जिसे वित्त समिति ने श्री वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में प्रस्तुत किया था। उसी प्रतिवेदन से मैं कार्यवाही नोट का ऑपरेटिव अनुच्छेद पढ़ता हूँ। यह नवंबर, 2014 में प्रस्तुत किया गया एक प्रतिवेदन है।

उन्होंने कहा, "सरकार के उत्तरों में दी गई अद्यतन स्थिति इस महत्वपूर्ण मामले के प्रति दृष्टिकोण में गंभीरता की स्पष्ट अनुपस्थिति का संकेत है। यहां तक कि सरकार के उस दस्तावेज को मानते हुए भी जिसमें यह कहा गया है कि मूल्यांकन वर्ष की समाप्ति से 21 महीने की अवधि को प्रश्न में रखा गया है, तो यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के संदर्भ में अभी पूरी तरह से समापन नहीं हुआ है।

समिति को यह जानकर आश्चर्य होता है कि आयकर विभाग 1.6.2006 और 21.8.2007 को बी.सी.सी.आई. द्वारा अपने नियमों और विनियमों में किए गए संशोधनों से

अनजान था और उस विभाग को मार्च, 2008 के बाद ही इसके बारे में पता चला, जब आई.पी.एल. फ्रेंचाइजी की व्यावसायिक नीलामी और कर चोरी सहित संबंधित मुद्दों के बारे में खबर सार्वजनिक हो गई।

मुझे यह सब करने की जरूरत नहीं है। यह केवल एक आयकर अधिकारी था जो व्यक्तियों के एक समूह के खिलाफ खड़ा था। एक अकेले आयकर अधिकारी ने बार-बार कहा कि यहां कानून का उल्लंघन हो रहा है। हमारी संसद की वित्त समिति ने इसे उठाया। तत्पश्चात, दूसरों ने इसे अपनाया। और, यहां मुझे सारा चायस द्वारा लिखित पुस्तक 'थीव्स ऑफ स्टेट' की याद आ रही है। यहाँ मैं यह उल्लेख करना चाहूंगाः

"शासक को इस प्रकार भय पैदा करना चाहिए कि यदि वह प्रेम प्राप्त नहीं कर पाता, तो कम से कम वह घृणा से बच सके... यह वह हमेशा कर सकता है यदि वह अपने नागरिकों और प्रजा की संपत्ति और उनकी महिलाओं से दूर रहे।"

यह मशहूर पुस्तक 'द प्रिंस' से एक उद्धरण है, जिसे मैकियावेली ने लिखा है।

<u>अपराह्न 04.00 बजे</u>

हम में से कई लोग महसूस करते हैं कि मैकियावेली सामंती ढांचे के समर्थक थे, लेकिन जो इतिहास के छात्र हैं वे अच्छी तरह से जानते हैं कि मैकियावेली की प्रतिनिधि सरकार में एक प्रबल आस्था थी और उन्होंने फ्लोरेंस के अल्पकालिक गणराज्य की सेवा में एक दशक से अधिक समय बिताया था। लेकिन यहां यह मुद्दा नहीं है। यहां मुद्दा यह है कि उन्होंने क्या कहा। मैं आगे उद्धरण देता हूं:

"उदाहरण के लिए, धर्मपरायणता, ईश्वर का भय, दया और उदारता अनुमानित थे – शायद अरुचिकर – लेकिन सामान्य उपदेश थे। मैकियावेली ने जानबूझकर विरोधाभासी भूमिका निभाई। उसने लिखा, “यह स्वीकार्य था, यहाँ तक कि लाभदायक भी, अर्थपूर्ण होना, उदार नहीं

होना, कठोर होना, दयालु नहीं होना।" उन कड़वे गुणों के बारे में उनका तर्क था – अगर उन्हें सही ढंग से समझा और अपनाया जाए – तो वे राज्यों को सुरक्षित रख सकते हैं और शासकों को विनाश से बचा सकते हैं।

लेकिन एक बुराई थी जिससे मैकियावेली ने अपने पाठक को बचने की सलाह दी थी यदि वह अपने शासन को लंबा करना चाहता था: अपनी प्रजा की संपत्ति की चोरी।"

[हिन्दी]

प्रजा की सम्पत्ति का दुरुपयोग न करना, प्रजा की सम्पत्ति को सुरक्षित रखना, प्रजा की सम्पत्ति को कोई एक व्यक्ति विशेष, जिसके बारे में ... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

यही वह समस्या है जो लोग यह समझने में विफल रहते हैं कि आप लोगों के हितों की रक्षा कैसे करते हैं। हम इस सदन में लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हमें यहां के लोगों के हितों की रक्षा करने का काम सौंपा गया है। उस संबंध में, मैं कहता हूं, महोदया, यह भ्रष्टाचार ही है जो हमारे लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए राजनीति में प्रवेश करता है और यह भ्रष्टाचार ही है जिसने पिछले कई वर्षों से वास्तव में हमारी बुद्धि को कमजोर कर दिया है। और, यह अभी भी हमें बार-बार कमजोर कर रहा है।

लगभग 2,300 वर्ष पूर्व नंद राजवंश में जो कमजोरी थी, उसने एक विदेशी को हमारे राष्ट्र पर हमला करने के लिए आकर्षित किया क्योंकि राष्ट्रवाद की अवधारणा नहीं थी। हम आपस में लड़ रहे थे। हमारे पास इस दुनिया में बड़ी चुनौतियां हैं। हमें भूख के खिलाफ लड़ना है; हमें गरीबी के खिलाफ लड़ना है; और हमें उन लोगों के खिलाफ लड़ना है जो हमारे लोकतंत्र की मूल संरचना को खोखला कर रहे हैं। बीजू जनता दल ने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी और इसीलिए, वर्ष 2000 से बार-बार ओडिशा के लोगों ने राज्य के लोगों की

सेवा करने के लिए श्री नवीन पटनायक और बीजू जनता दल को उनके प्रतिनिधि के रूप में चुना है। यही कारण है कि हम उत्तर की गर्जना को झेल सके। इसीलिए, मेरा मानना है कि पश्चिम बंगाल भी भाजपा की प्रगति को रोक सका।। यही कारण है कि, हमें लगता है, तमिलनाडु में ए.आई.ए.डी.एम.के. भी इसका सामना कर सकती है।

हमें यह समझना होगा कि यहां बैठे लोग एक अलग चाल चल रहे हैं। यह धारणा है। इसलिए, मैं हमेशा दोहराता हूँ कि हम यहां लोगों की सेवा करने के लिए हैं। सरकार जनता की सेवा करने के लिए है। बीजेडी किसी से भी लड़ेगी, जो भ्रष्टाचार में पूर्णतः लिप्त है।

यहाँ एक मामला है, महोदया, जिस पर सरकार की ओर से उचित कार्रवाई की आवश्यकता है। अभी उचित कार्रवाई शुरू हुई है। दो प्रतिवेदनों के बावज़ूद पिछले इतने वर्षों से यह शुरू क्यों नहीं हुआ था? वर्ष 2010-11 की एक बहुत ही प्रामाणिक पूर्ण प्रतिवेदन के बावजूद जो अगस्त, 2011 में इस सभा में प्रस्तुत की गई थी, क्या कार्रवाई की गई थी? जैसा कि किसी चैनल में कहा गया है कि देश जानना चाहता है। मुझे लगता है कि हम सभी को जानना चाहिए। मैं श्री खड़गे का आभारी हूं क्योंकि उन्होंने दृढ़ता से अपना पक्ष रखा और इस स्थगन प्रस्ताव को चर्चा का विषय बनाया। मैं श्रीमती सुषमा जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार किया। यह एक सप्ताह पहले किया जा सकता था। बेशक, उन्होंने इस सदन में अपना बयान देकर एक प्रयास किया। … (*व्यवधान*) मैं जानकारी ले रहा था। *... (व्यवधान)* अगर आपको मालूम है तो ज़रा मुझे बता दीजिए कि दिल्ली से लंदन तक कितने मील की दूरी है। कोई वहां बैठा है, ट्विटर कर रहा है, फेसबुक में बता रहा है और हमारे यहां टिमिड लोग उसी के ऊपर डांस कर रहे हैं। हम सभी को उस व्यक्ति के प्रलोभन से अवगत होना चाहिए। कुछ लोगों की दहशत का भी पर्दाफाश होना चाहिए। … (*व्यवधान*)

इन शब्दों के साथ, महोदया, मैं अपनी पार्टी का दृष्टिकोण व्यक्त करूंगा कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं और भ्रष्टाचार हमारे सामने है। हमें इसे इस राष्ट्र के लाभ के लिए लड़ना होगा। धन्यवाद, महोदया।

[हिन्दी]

श्री आनंदराव अडसुल (अमरावती): माननीय अध्यक्ष जी, विपक्ष नेता खड़गे जी काम रोको प्रस्ताव लाए हैं, मैं उसके विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। जब मछली पानी से बाहर निकलती है तो तड़प जाती है। ऐसे ही चार हफ्ते कांग्रेस वाले, जो सत्ता के आदी हैं, तड़प रहे हैं। ... *(व्यवधान)* एक कहावत है - नौ सौ चूहे खाकर बिजली हज को चली। जो करप्शन के आदी हैं, उनको दूसरे में भी करप्शन दिखता है। सुषमा दीदी ने पहले दिन से कहा कि बाहर जो चर्चा मीडिया में है, पेपर में है, उसके बारे में मुझे स्टेटमेंट देना है। इनको पता है कि वह क्या स्टेटमेंट दे सकती हैं, वह स्टेटमेंट न दें इसलिए हंगामा चालू था। मानसून सत्र शुरु होने से पहले जब सब नेताओं की मीटिंग बुलाई गई, देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी भी वहां थे, तब यह सबने मान लिया था कि सत्र में काम चले। लेकिन जब सत्र शुरु हुआ तो सीधा हंगामा रेजिग्नेशन की बात पर शुरु हुआ। सदन में बाकी राज्यों के चीफ मिनिस्टर का संदर्भ नहीं आना चाहिए था लेकिन उसके बारे में यहां प्लैकार्ड्स दिखाने शुरु किए गए। यानी जो 50 साल से ऊपर सत्ता में रहे हैं, उनको डिसिप्लेन सिखाना मुश्किल है। ये डिसिप्लेन के आदि ही नहीं हैं।... *(व्यवधान)*

मैं 20 साल से सदन में हूं, सुषमा जी को मैंने और आप सबने देखा है। हमने उनका राजनीतिक करियर देखा है। जब वह इस सदन में बात कहने के लिए उठती हैं तब खड़गे साहब और उनके साथी बहुत ध्यान से उनकी बात सुनते हैं, एप्रिशिएट करते हैं। मैंने उनको सांसद के रूप में देखा है, मंत्री जी के रूप में देखा है, विपक्ष के नेता के रूप में देखा है। एक प्रभावी वक्तव्य कौन दे सकता है, जिसका व्यवहार अच्छा होता है, पारदर्शी होता है। जिनका चरित्र अच्छा होता है, वह दे सकता है। हमारे जेडीयू के नेता आदरणीय शरद यादव जी का स्टेटमेंट है 'जहां तक मेरा ताल्लुक है, यानी सुषमा दीदी के बारे में उन्होंने बताया है कि 'अगर वह सौ खून भी करतीं तो हम उनको माफ करते।' ... *(व्यवधान)* वो हरेक के दिल में बैठीं हैं। हमारे शिव सेना प्रमुख सुप्रीमो बाला साहेब ठाकरे जी का स्टेटमेंट था।... *(व्यवधान)* जब हमारे नरेन्द्र मोदी जी का नाम प्रधान मंत्री के लिए नहीं आया था, उसके पहले की बात है, उन्होंने कहा था कि अगर देश में इंदिरा गांधी के बाद महिला पंत प्रधान बनने के काबिल कौन है तो वह सुषमा स्वराज हैं।... *(व्यवधान)* देशवासियों के मन में उनके बारे में ऐसा है।... *(व्यवधान)* देखिए, विषय बदलने की कोशिश मत करिए। यानी बाला साहेब के मन में भी यह बात थी। यह चुनाव के बहुत पहले

की बात है। इसका मतलब यह है कि जो भी उन्होंने उनको देखा है, टी.वी. पर देखा है और प्रत्यक्ष मिलने के बाद भी सुना है तो ये उनके विचार थे। ... *(व्यवधान)* यह बात भी ध्यान में रखने की जरूरत है। आज यहां बैठा हुआ हर व्यक्ति अपने सीने पर हाथ रखकर बोले कि सुषमा दीदी गलत हैं तो आपका दिल कभी साथ नहीं देगा। ... *(व्यवधान)* यह भी मैं बोलता हूं। इसलिए जमकर उनका साथ देने के लिए और इस प्रस्ताव का विरोध करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं।

मैंने अभी अभी एक कहावत बताई थी। सौ चूहे... *(व्यवधान)* एक विरोध के लिए विरोध चल रहा है।... *(व्यवधान)* हां, हमने भी हंगामा किया था। तब किया था। स्पैक्ट्रम टू जी के बारे में किया था जब सीएजी की रिपोर्ट आई थी। एक लाख छयत्तर हजार करोड़ रुपये का घोटाला था। सीबीआई की चार्जशीट फाइल हुई थी तब भी उनका रेजीनेशन सरकार नहीं ले रही थी।... *(व्यवधान)* क्योंकि उस समय के प्रधान मंत्री के हाथ में कुछ नहीं था।... *(व्यवधान)* अगर गलत लगा भी तो भी मनमोहन सिंह जी को एक्सेप्ट करना पड़ता था। इसलिए हंगामा करना पड़ा। यहां सुषमा दीदी के ऊपर क्या चार्जेज हैं? आप बोलते हैं, क्या इसलिए चार्जेज हैं? क्या उनके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज है? क्या उनके खिलाफ कोई सीबीआई नोट है? क्या कोई सीएजी रिपोर्ट है? क्या कोई सीवीसी में मामला है? क्या है? क्यों है? वह तो स्टेटमेंट देने के लिए तैयार हैं क्योंकि मालूम है कि इसमें कुछ दम नहीं है और आज आपके सवालों का उन्होंने जमकर जवाब दिया।... *(व्यवधान)* हर बात आपके खिलाफ जा रही थी। आपका उत्तर देने के लिए भी आप काबिल नहीं हैं।... *(व्यवधान)* आपका उत्तर देने के लिए भी काबिल नहीं हैं।... *(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : आप बैठिए। चर्चा जल्दी ही पूरी करनी है।

... (व्यवधान)

श्री आनंदराव अडसुल: मैं कॉमनवैल्थ घोटाले की बात कह रहा था। कांग्रेस के एक सदस्य कल्माड़ी थे।... *(व्यवधान)* 80000 करोड़ रुपये यह सीएजी की रिपोर्ट थी। वह रेजीनेशन नहीं दे रहे थे। हमें तब भी हंगामा करना पड़ा।... *(व्यवधान)* एक सकारात्मक कारण था जिसमें दम है और अगर ये जानबूझकर कहते हैं तो हमें

उसका विरोध करना था। हमने किया था। कोल घोटाला था। ... *(व्यवधान)* आज क्या हो रहा है? सीएजी ने जो भी रिपोर्ट में दाम लिखे थे, उससे दुगुना दाम मिल रहा है। खाली सीएजी बोलती नहीं है लेकिन आज प्रैक्टिकल में हमें मिल रहा है।... *(व्यवधान)* फिर भी ये सुषमा दीदी के ऊपर आरोप लगाना और रेजीनेशन मांगना। अरे, कम से कम इतनी बात ध्यान में रखो। विरोधी पक्ष नेता बनने लायक भी आपकी संख्या नहीं रही।... *(व्यवधान)* तो भी आप ऐसा कर रहे हैं। इतनी दफा हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने आपको बुलाया। तीन बार मीटिंग बुलाई।... *(व्यवधान)* इनका कहना था, क्या सरकार को नहीं लगता है? आदरणीय पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर नायडू जी ने भी मीटिंग बुलाई तो भी वही बात कि पहले रेजीनेशन फिर बाद में हाउस चलेगा। कुछ कारण तो होने दो। उनका स्टेटमेंट तो होने दो। ये बात आज चल रही है और पूरा समय बर्बाद कर दिया। ... *(व्यवधान)* पूरा मानसून सैशन बर्बाद कर दिया। लैंड एक्विजिशन जैसा महत्वपूर्ण बिल है, जीएसटी जैसा महत्वपूर्ण बिल था। ऐसे महत्वपूर्ण बिल जो हमारे देशवासियों के हित में है, उस तरफ इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। शायद इन्हें लगा होगा कि जनता ने हमें नकारा है, इसलिए जनता के हित में कुछ भी नहीं होने देंगे, शायद ऐसी इनकी मंशा रही हो। मैं मानता हूं कि सही मायने में जनता का प्रतिनिधत्व करने का भी इन्हें आधिकार नहीं है।

महोदया, बोलने के लिए बहुत-सी और बातें भी हैं। मैं कहना चाहता हूं कि हम पूरी ताकत के साथ शिव सेना पार्टी की तरफ से सुषमा दीदी के साथ हैं और इस प्रस्ताव के विरोध में हैं।

[अनुवाद]

श्री थोटा नरसिम्हम (काकीनाडा): महोदया, मुझे स्थगन प्रस्ताव पर बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं सभा में यह कहना चाहूंगा कि मानसून सत्र के पिछले कुछ दिनों ने, यदि कुछ भी हो, तो सांसदों को इस देश के लोगों के सामने बिल्कुल खराब छवि दिखाई है। विपक्षी दल ने अपने कार्यों के माध्यम से, अकेले ही हमारे देश में लोकतंत्र के सर्वोच्च सदन के बार-बार बाधित होने को सुनिश्चित किया है। विपक्षी दल को अपने कार्यों के लिए देश की जनता को बहुत कुछ समझाना है।

अगर यह पूरा सत्र खराब हो जाता है, तो लगभग 260 करोड़ रुपये की धनराशि पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। मेहनत की कमाई करने वाले करदाताओं का पैसा विपक्ष के कारण व्यर्थ चला गया। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बिंदु वह भारी नुकसान है जो सरकार द्वारा पुरःस्थापित किए गए महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित करने में विफलता के परिणामस्वरूप होता है। विपक्षी दल और समान विचारधारा वाले दल जी.एस.टी. विधेयक जैसे विधेयक नहीं चाहते हैं जो पूरे देश में हजारों करोड़ रुपये का नुकसान कर रहा है। उद्योग जगत भी विपक्ष की खुलेआम आलोचना कर रहा है कि वह विधेयकों को पारित नहीं होने दे रहा है।

माननीय विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा जी पर लगाए गए आरोप बिल्कुल निराधार हैं और उन्होंने सदन के पटल पर अपने रुख को सही ठहराया है। तथ्य यह है कि जब आई.पी.एल. घोटाला सामने आया या अभी चल ही रहा था, तब सत्ता में यू.पी.ए. सरकार थी। उस व्यक्ति को ब्रिटेन भागने से रोकने के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। उसके खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किया गया था और केवल वर्तमान सरकार के अधीन ही हाल ही में उसे गिरफ्तार करने के लिए न्यायालयी आदेश जारी किए गए हैं।

अंत में, मैं आपसे बस इतना ही अनुरोध करना चाहूंगा कि किसी एक पक्ष को सदन की कार्यवाही को हाईजैक करने की अनुमति न दें। आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन अधिनियम के कार्यान्वयन और विशेष श्रेणी का दर्जा जैसे कई अन्य मुद्दे हैं जिन पर सदन में चर्चा की आवश्यकता है। मैं विपक्ष से अनुरोध करूंगा कि सभा को

सुचारू रूप से चलने दें ताकि सभी सदस्यों के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो सके। मैं आपको धन्यवाद देता हूं महोदया।

श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी (महबूबनगर): महोदया, मुझे यह अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया, मुझे सच में समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। इस नतीजे पर पहुंचने के लिए 22 दिन का समय लगा। 22 दिन सदन की कार्यवाही नहीं चली। यहां आने से पहले 20 तारीख को आपने आल पार्टी मीटिंग बुलाई थी। हैदराबाद में हमारे मुख्यमंत्री जी ने संसद सदस्यों को बुलाया था और कहा था कि संसद सत्र शुरू होने वाला है तथा वहां जमकर अपनी बात सदन में रखना। अपना राज्य 29वां नया राज्य बना है। हमारे बहुत-से मुद्दे हैं। सदानंद गौड़ा जी से बात कर लेना, नायडु जी से बात कर लेना। हाई कोर्ट का मुद्दा है, केम्पा फंड्स का मुद्दा है, जेटली जी ने इनकम टैक्स के 1250 करोड़ रुपए ले लिए। इसी तरह से हमारा एयरपोर्ट का इश्यू है। हमारा बेगमपुर एयरपोर्ट है, वह एयरफोर्स को देना चाह रहे हैं। हमारी इरिगेशन प्रौब्लम्स हैं, जिसके बारे में उमा भारती जी से बात करनी है, फुड पार्क के बारे में मंत्री जी से बात करनी है, एम्स के बारे में श्री नड्डा जी से बात करनी थी,

माननीय अध्यक्ष : कहते-कहते आपने सारी बातें कह दीं।

श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी : इस तरह से हम यहाँ पर इतने आरज़ू लेकर आए थे कि इन सभी को हम 25-25 दिनों के अंदर हासिल करेंगे। लेकिन यहाँ पर आकर देखता हूँ कि जैसे बचपन में हम टेबल-टेनिस खेला करते थे, उसमें एक बॉल इधर से उधर जाता है और एक बॉल उधर से इधर जाता है और बीच में खड़ा होकर देखते रहते हैं, वैसे ही हमें भी यही मौका दिया गया है। हमें यहाँ पर वही जगह दिया गया है, वे बोलते हैं कि तुम बीच में बैठो और हम खेलेंगे। बाहर गये तो पब्लिक कहती है कि वे अपना हिसाब बराबर कर रहे हैं। वे कहते हैं कि जब यूपीए की सरकार थी, तो बीजेपी ने एक महीना सदन नहीं चलने दिया, तो ये कहाँ 15 दिनों में मानने वाले हैं, तो अभी और 15 दिन बाकी हैं। लेकिन देखते-देखते आज दोनों पार्टियों के अंदर बुद्धि आ गयी और दोनों ने इस बात को समझा। मैंने पहले बीएसी मीटिंग में यही बताया था। श्री खड़गे जी आप नहीं थे, आपने श्री सिंधिया जी को भेजा था। मैंने रूडी जी को यही कहा था कि एडमिट कर लें मैडम और चर्चा के लिए तैयार हो

जाएं। तो रूडी जी बोल देते हैं कि नहीं-नहीं, यह वोटिंग पर जाएगा। यदि वोटिंग पर जाएगा, तो आपकी संख्या ही तो ज्यादा है। 330 की संख्या तो आपके पास ही है, तो आप किस तरह से हारेंगे, सरकार तो गिरेगी नहीं। मुझ से साइन भी करा लिया। इस तरह से मैं यह कहना चाह रहा हूँ, एक तरफ देखेंगे, तो तेलंगाना दिलाने वाली बड़ी अम्मा हैं और दूसरी तरफ छोटी अम्मा हैं, दोनों के सामने हम खड़े हैं। एक चीज तो हम साफ कहते हैं कि जब हम सुषमा जी को देखते हैं तो जिस तरीके से वे तैयार होकर आती हैं, एक हिन्दू स्त्री की तरह, अच्छी तरह से साड़ी पहनकर आती हैं, जब मैं उनको देखता हूँ, तो नमस्कार करता हूँ और मुझे यह नहीं लगता है कि उन्होंने कभी कुछ मिस्टेक की होगी। कभी मिस्टेक नहीं की होगी। उन्होंने जिस तरह से कहा है कि मानवीय आधार पर उन्होंने कहा कि यदि इससे आपके देश को कोई समस्या नहीं होती है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। शायद वह उनके लिए है। लेकिन ललित मोदी का जो प्रौब्लम है, मैं भी एक खिलाड़ी हूं। तेलंगाना स्टेट ओलम्पिक्स में मैं रहा हूँ। [अनुवाद] यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि क्रिकेट जैसा खेल जिसे बच्चों से लेकर साठ साल के बूढ़ों तक सभी वर्ग के लोग इतने आनंद और हर्ष के साथ खेलते और देखते हैं, कुछ *दुर्भावनापूर्ण हितों* के कारण इसे धूमिल और नष्ट किया जा सकता है। यह खेल भावना के अनुरूप नहीं है। क्रिकेट में कई उपलब्धियां हासिल की गयी हैं। हम विश्व चैंपियन भी बने हैं। क्रिकेट जगत के आदर्श सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। हमें उन खेलों की पवित्रता की रक्षा और समर्थन करना चाहिए, जिनके प्रति हम, एक राष्ट्र के रूप में, इतने जुनूनी हैं।

मेरा व्यक्तिगत मानना है कि आरोपियों के खिलाफ समयबद्ध तरीके से उचित कार्रवाई की जानी चाहिए और राजनीति को इस अद्भुत खेल को नष्ट नहीं करना चाहिए। मैं आई.पी.एल. विवाद से जुड़े कुछ तथ्य रखना चाहता हूं जो दुनिया और हमारी संसद को विदित हैं। महोदया, मैं सभी विवादों का उल्लेख तो करना चाहता था, लेकिन उनमें से कईयों पर, जैसे वित्तीय अनियमितताएं, धन शोधन, ललित मोदी के खिलाफ विभिन्न जांच एजेंसियों द्वारा दायर किए गए आपराधिक मामले, पहले ही बात हो चुकी है। प्रवर्तन निदेशालय ने ललित मोदी को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के कथित उल्लंघन के लिए 16 कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं।

सर्वोच्च न्यायालय ने मई, 2014 में सेवानिवृत्त उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश श्री एम. बी. शाह की अध्यक्षता में काले धन पर विशेष जांच दल नियुक्त किया। धन-शोधन निवारण अधिनियम के तहत एक गैर-जमानती वारंट भी जारी किया गया है। इसलिए, उन सभी द्वारा ये सभी कदम उठाए गए हैं। इसलिए, मैं केवल यह कहना चाहूंगा कि बी.सी.सी.आई. को प्रशासनिक सुधारों पर विचार करना चाहिए जो स्पष्ट रूप से इसकी प्रथाओं और प्रक्रियाओं की रक्षा करते हैं और साथ ही इसके निर्णय लेने की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाते हैं ताकि क्रिकेट के सुंदर खेल की प्रतिष्ठा और भावना मार्ग में खो न जाए। इंडियन प्रीमियर लीग पर पहले से ही काफी आरोप लग चुके हैं। [हिन्दी]आजकल हम देखते हैं टीवी पर, शाम होते ही आठ बजे हम स्टार टीवी ऑन करते हैं तो कबड्डी आता है। कबड्डी में बहुत लोगों को इंट्रेस्ट है। इसमें इतने ज्यादा लोग रुचि लेने लगे हैं कि डर लगता है कि कहीं इसमें भी ललित मोदी जी जैसा कोई आ जाए और इस गेम को खराब कर दे। कबड्डी देखने के बाद गांव में, ग्रासरूट लेवल पर पब्लिक कुश्ती भी खेलना चाहती है, वॉलीबॉल भी खेलना चाह रही है।... *(व्यवधान)* गांव-गांव में स्पोर्ट्समैन पैदा होने के चांसेज हमारे देश में हैं, लेकिन अगर ऐसा होगा तो कौन आगे आएगा। मैं कहना चाहता हूं कि अगले गेम्स में जो प्रक्रिया चालू होगी, उस टाइम पर कुछ रूल्स-रेगुलेशन्स पहले से ही तय कर दिए जाएं और जो भी इस तरह से गेम्स को खराब करे, उसे छोड़ना नहीं है। वह कोई भी हो, उसे वहां से लेकर आना, यहां सजा दिलाना होगा और भारत का जो पैसा है, उसे वापस लाना होगा। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री पी. करूणाकरन (कासरगोड) : माननीय अध्यक्ष महोदया, स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की पहल करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। हम, विपक्षी दल, शुरुआत से ही, दिन की शुरुआत से ही स्थगन प्रस्ताव की मांग कर रहे थे। सभी स्थगन प्रस्तावों को अध्यक्ष या सरकार द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था। वैसे भी,सत्र के अंत में सरकार चर्चा के लिए आगे आई है। मैं वास्तव में अध्यक्ष और सरकार की पहल की सराहना करता हूं। मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि सभा में विपक्षी दलों द्वारा किए गए लंबे संघर्ष के बाद और पांच दिनों के लिए 25 सदस्यों के निलंबन की कीमत पर यह निर्णय लिया गया है। सरकार पहले यह फैसला लेने के लिए तैयार क्यों नहीं थी? … (*व्यवधान*) सरकार तैयार नहीं थी और हमारे स्थगन प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया था। … (*व्यवधान*) हम जिम्मेदार नहीं हैं क्योंकि सरकार या अध्यक्ष द्वारा कोई स्थगन प्रस्ताव मंजूर नहीं किया गया था। इस कारण इसमें देरी हो रही है। इसलिए आप यह नहीं कह सकते कि विपक्षी दल ज़िम्मेदार थे।

मैं सरकार को याद दिलाना चाहता हूं कि वर्ष 2010 में हमने श्रीमती सुषमा स्वराज के नेतृत्व में एक महीने के लिए इस सभा को स्थगित कर दिया था। हमारी नेता सुषमा जी थीं और हम, वामपंथी दल, एक साथ थे। उस समय, हमने स्पष्ट कर दिया था कि कार्रवाई की जानी है; सरकार के कार्रवाई करने के बाद ही हम इस मामले पर चर्चा कर सकते हैं। प्रधानमंत्री को कार्रवाई के प्रस्ताव के साथ आना चाहिए। इस सभा के कई सदस्य हमारे साथ थे।

यही स्थिति 2010 में भी थी। इसलिए, हम, सी.पी.एम, उस समय विपक्ष पार्टी के रूप में मौजूद थे। उस समय, यू.पी.ए. सत्ता में था। लेकिन अब भाजपा सरकार में है और कांग्रेस विपक्ष में है। हम एक ही तरफ हैं, विपक्ष में। इसलिए हमने अपने रुख में कोई बदलाव नहीं किया है। वर्ष 2010 वाली स्थिति अभी भी बनी हुई है। इसलिए, प्रधानमंत्री जी को ही प्रस्ताव लेना होगा। जैसा कि श्री खड़गे ने कहा, प्रधानमंत्री जी यहां नहीं आए हैं। लोकतंत्र में सरकार संसद के प्रति जवाबदेह होती है और संसद जनता के प्रति जवाबदेह होती है। यहां सरकार

का मुखिया प्रधानमंत्री जी होते है। हमें इस बात का गर्व हो सकता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी पिछले कुछ महीनों में 26 देशों में गए हैं। 20 दिनों में, उन्होंने हर देश का दौरा किया है। निःसंदेह, हमें इस पर गर्व है।

जब उनकी सहकर्मी श्रीमती सुषमा स्वराज कड़ी आलोचनाओं का सामना कर रही हैं, तब प्रधानमंत्री जी चुप हैं। उन्होंने बाहर कोई बयान नहीं दिया है; सदन में कोई बयान नहीं दिया है। … (*व्यवधान*) मैं यह बताना चाहूंगा कि मिस्र की एक कहावत है, 'भाषण चाँदी है और मौन स्वर्ण है। प्रधान मंत्री जी ने उस मिस्र की कहावत को स्वीकार कर लिया है। जब पूरे देश में चर्चा चल रही है, तो प्रधानमंत्री अपनी चुप्पी साधे हुए हैं। इस चुप्पी का मतलब कुछ भी हो सकता है: या तो वह मंत्री जी का समर्थन कर रहे हैं या वह मंत्री जी का विरोध कर रहे हैं। इस मुद्दे पर उनका क्या दृष्टिकोंण है? यह प्रधानमंत्री जी को स्पष्ट करना होगा। इस समय भी वे यहां नहीं हैं जब इतनी गंभीर चर्चा चल रही है। प्रधानमंत्री जी यहां क्यों नहीं हैं?

अब प्रश्न किसी व्यक्ति का आरोप या आलोचना नहीं है। मंत्रियों को संविधान का पालन करना ही होता है। मैंने सबसे पहले श्री मल्लिकार्जुन खडगे जी का भाषण सुना। उन्होंने करीब सात-आठ मुद्दे उठाए। श्रीमती सुषमा स्वराज ने भी उत्तर दिया। … (*व्यवधान*) उन्होंने कुछ उत्तर दिए हैं, कुछ जानकारी दी है, लेकिन साथ ही वे जवाबी आरोप भी लगा रही हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि वह विपक्ष में थीं, तब हम पूछते थे कि सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर सकती। अब भी, हम इस मुद्दे को उठाना चाहते हैं। लेकिन जब इस सभा में इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा हो रही है, तो विदेश मंत्री जी, जो बहुत ज़िम्मेदार पद पर हैं, कोई जवाब नहीं दे रहीं, बल्कि आरोप लगा रही हैं। यह बुद्धिमानी नहीं है। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी क्योंकि मैं वास्तव में श्रीमती सुषमा स्वराज का सम्मान करता हूं। इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सरकार द्वारा अपनाया जाने वाला यह तरीका नहीं है। कोई भी प्रतिकूल आरोप लगा सकता है, लेकिन जब सार्थक चर्चा हो रही हो, तो यह उचित तरीका नहीं है।

मैं मुख्य विषय पर आना चाहूंगा। मैं सभा के सामने एक गंभीर मुद्दा रखना चाहूंगा, वह है हमारी माननीय विदेश मंत्री जी श्रीमती सुषमा स्वराज द्वारा ललित मोदी को ब्रिटिश यात्रा पत्र प्राप्त करने में मदद करने के लिए विदेश कार्यालय के मानक प्रोटोकॉल को तोड़ना। यह मुख्य मुद्दा है। वर्ष 2010 में भारत से भागकर लंदन गए

ललित मोदी ब्रिटिश यात्रा दस्तावेजों का इस्तेमाल कर रहे थे। वह आई.पी.एल. प्रमुख थे और भ्रष्टाचार के आरोपों में शामिल थे। उन दिनों भारत सरकार ने ब्रिटिश अधिकारियों को यह भी सूचित किया था कि ललित मोदी विदेशी मुद्रा कानूनों के कथित उल्लंघन से जुड़े मामले में वांछित थे, उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया था, और उन्हें मिलने वाली कोई भी राजनयिक मदद ब्रिटेन के साथ भारत के संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती थी। यही संदेश पिछली सरकार ने दिया था, चाहे वह गृह मंत्रालय हो, वित्त मंत्रालय हो या विदेश मंत्रालय हो। इसलिए, उसके खिलाफ मामला लंबित है।

<u>अपराह्न 04.34 बजे</u> (माननीय उपाध्यक्ष *पीठासीन हुए*)

वह न केवल भारत आने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि उसने कई कानूनों का भी उल्लंघन किया है। दो दिन पहले, हमने देखा है कि उसके खिलाफ कुछ और कार्रवाई शुरू की गई है। विदेश मंत्री जी ने नई दिल्ली में ब्रिटिश उच्चायुक्त को बताया था कि अगर ब्रिटिश सरकार ललित मोदी को यात्रा दस्तावेज देना चाहती है, तो इससे हमारे द्विपक्षीय संबंध खराब नहीं होंगे। वह ऐसा कैसे कह सकती हैं? हम पहले के फैसलों और इस फैसले की तुलना कैसे कर सकते हैं? पहले यह कहा गया था कि ब्रिटिश सरकार को कोई समर्थन नहीं देना चाहिए। अब, वे कहते हैं, अगर वह ललित मोदी को यात्रा दस्तावेज देना चाहती है, तो इससे हमारे द्विपक्षीय संबंध खराब नहीं होंगे। यह पिछली सरकार के नियमों और फैसले की भावना के विरूद्ध है। इसलिये, यह एक उल्लंघन है जो मंत्री जी ने किया है। मैं जानना चाहता हूँ कि यह निर्णय प्रधान मंत्री जी की जानकारी में लिया गया था या मंत्रिमंडल में इस पर चर्चा हुई।

यह वास्तव में विदेश कार्यालय के प्रोटोकॉल का उल्लंघन है। यह कहा जाता है कि घटना के मानवीय पहलू के आधार पर कार्रवाई की गई क्योंकि मोदी की पत्नी कैंसर से पीड़ित थी। निःसंदेह, हमें मानवीय आधार पर सोचना होगा। यदि सुषमा जी के सामने ऐसा कोई मुद्दा आया है, तो उन्हें क्या करना चाहिए? एक मंत्री के रूप में उन्हें उससे भारतीय उच्चायोग या ब्रिटिश उच्चायोग जाने के लिए कहना चाहिए। वहाँ से कागज़ी प्रक्रिया

करनी चाहिए और फिर यह मंत्रालय के पास आना चाहिए। मंत्रालय से यह मंत्रिमंडल में जाना चाहिए और फिर कोई निर्णय लिया जाना चाहिए।

मुझे पता है कि कई अन्य मुद्दों पर मंत्री जी ने अच्छे फैसले लिए हैं, जैसे यमन मुद्दे पर या ऐसे अन्य मुद्दों पर, लेकिन इस पर संसद में चर्चा होती है। इसकी चर्चा मंत्रिमंडल में होती है। लेकिन यह एक सामान्य, सामाजिक मुद्दा बन गया है। वह इस मामले में इन सभी प्रक्रिया का पालन करना कैसे भूल गई है? यह एक प्रमुख मुद्दा बन गया है। यह किसी व्यक्ति का मुद्दा नहीं है। मंत्री जी को नियमों का पालन करना होगा, जो सबसे महत्वपूर्ण है। भले ही इस पर मानवीय विचार करना पड़े, सरकार सहायता कर सकती है लेकिन अकेले एक मंत्री यह निर्णय कैसे ले सकता है? यह सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि उन्होंने ब्रिटिश आयुक्त को भारत की स्थिति में बदलाव के बारे में बताया था। प्रधानमंत्री जी को यह स्पष्ट करना होगा कि क्या भारत की स्थिति में कोई बदलाव हुआ है। क्या मंत्री जी को अधिकृत किया गया था या मंत्रिमंडल द्वारा कोई बदलाव करने का फैसला लिया गया था?

इस पूरे विवाद में प्रधानमंत्री चुप हैं। आपने कई आरोप यह कहते हुए लगाए हैं कि यू.पी.ए. शासन के दौरान, श्री मनमोहन सिंह चुप रहे। वर्तमान प्रधानमंत्री जी के संबंध में मुझे क्या कहना चाहिए? मैं कोई और आरोप नहीं लगाना चाहता, लेकिन साथ ही मुझे आश्चर्य होता है कि वह सो रहे हैं या चुप हैं। किसी ने कहा है कि वह एक 'मौनी बाबा' हैं। मैं यह नहीं कहना चाहता।

विदेश मंत्री जी यह कहकर कार्रवाई को सही ठहराती हैं कि यह मानवीय विचार पर आधारित है। निःसंदेह, हमें मानवीय आधार पर किसी मामले पर विचार करना होता है। ललित मोदी की पत्नी पिछले कई वर्षों से पुर्तगाल में कैंसर के एक गंभीर चरण का सामना कर रही हैं। यह कोई नई बात नहीं है। लेकिन पुर्तगाल के अस्पताल के नियम के अनुसार, उसके सहयोग के बिना ऑपरेशन नहीं किया जा सकता। मैं अनुमति प्राप्त करने के बाद जानना चाहता हूं कि वह कहाँ गया है। उसने अपनी पत्नी के साथ अपने घर में कितने दिन

बिताए? मुझे लगता है कि उन्होंने अपनी पत्नी के साथ कुछ दिन बिताए हैं और वह कई अन्य देशों की यात्रा कर रहे थे। क्या हम इसे मानवीय विचार कह सकते हैं?

मुझे पता है कि ललित मोदी एक सामान्य नागरिक नहीं हैं। उनकी वित्तीय स्थिति असाधारण है। उनके उच्च दर्जे वाले लोगों के साथ संबंध हैं। वह आई.पी.एल. के पूर्व अध्यक्ष थे लेकिन वह बहुत गंभीर आपराधिक वित्तीय गबन और प्रवर्तन कानून के उल्लंघन के मामलों में शामिल हैं। उसके खिलाफ लगभग 16 मामले हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने उनके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है। यह इस आधार पर है कि पहले की सरकार ने उन्हें पासपोर्ट देने से इनकार कर दिया था। यह एक जरूरी मामला क्यों बन गया है? उनका कहना है कि विदेश मंत्रालय के साथ उनके बहुत करीबी संबंध हैं। मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री जी के बारे में कुछ नहीं कह रहा हूं लेकिन साथ ही ललित मोदी कहते हैं कि उनके राजस्थान के सी.एम. के साथ 30 साल के घनिष्ठ संबंध हैं। ये मैं नहीं कह रहा बल्कि वो कहते हैं। बड़े लोगों के साथ उनके ऐसे ही संबंध हैं। मैं किसी राजनीतिक नेता या मंत्री के किसी व्यापारी के साथ संबंध होने का विरोध नहीं कर रहा हूं। यह स्वाभाविक है लेकिन साथ ही मुख्य मुद्दा यह है कि क्या इस तरह के संबंध ने प्रभावित किया है या क्या ऐसी स्थिति ने व्यक्ति को लाभान्वित करने के लिए अनुचित पक्षपातपूर्ण निर्णय लेने के लिए प्रभावित किया है। यह यहां का प्रमुख मुद्दा है।

इसलिए, यह एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है। मेरी पार्टी मांग करती है कि इस मुद्दे पर जांच होनी चाहिए। यह ब्रिटिश सरकार से संबंधित है और कई अन्य व्यक्तियों से संबंधित है। तो, उच्च-स्तरीय जांच होनी चाहिए और जब तक जांच पूरी न हो जाए - जैसा कि आपने कहा सुषमा जी - मंत्री जी के लिए मंत्रालय से दूर रहना ही बेहतर है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद अर्पित करता हूँ।

श्री मेकापति राज मोहन रेड्डी (नेल्लोर): महोदय, हमें अपने महान लोकतंत्र पर गर्व है। यह दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और भारत के लोग किसी अन्य प्रकार की सरकार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए, कम से कम हम सभी में सद्बुद्धि आई और अन्त में हम इस मुद्दे पर बहस कर रहे हैं।

जब हम कोई गलती करते हैं, चाहे कोई जाने या न जाने, हमारा विवेक उसे जानता है और हम हमेशा इसके लिए दोषी महसूस करते हैं। हम, 543 लोग, 125 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। यह महान देश है। इसलिए, हमें अपने देश के लोगों के लिए एक आदर्श बनना चाहिए। हमारे देश के लोगों ने एन.डी.ए. सरकार को बड़ी उम्मीदों के साथ सत्ता में भेजा है। श्री आडवाणी जी को नमन, जब उन पर कुछ आरोप लगाए गए, तो उन्होंने सीधे इस्तीफा दे दिया और वे सभा में तभी वापस आए जब उन्हें सभी आरोपों से मुक्त कर दिया गया। यह प्रत्येक नेता के लिए एक आदर्श होना चाहिए। हमारी क्षेत्रीय पार्टी, निश्चित रूप से यह एक छोटी पार्टी है, का मानना है कि लोकतंत्र और हर बात पर बहस होनी चाहिए और अगर कुछ गलत है तो उसकी जांच होनी चाहिए।

क्या भारत की ताकतवर सरकार इंग्लैंड में छिपे ललित मोदी को वापस नहीं ला सकती? निश्चित रूप से, भारत की शक्तिशाली सरकार उन्हें वापस ला सकती है। मैं अंतरराष्ट्रीय मामलों के नियमों और विनियमों को नहीं जानता, लेकिन इतने मजबूत भारतीय लोकतंत्र के साथ, हम निश्चित रूप से उसे वापस ला सकते हैं और हर चीज की जांच कर सकते हैं।

हर कोई नैतिक उपदेश देता है, लेकिन हम उनका पालन नहीं करते। यही आजकल का चलन है। निश्चित रूप से, अगर कोई गलती करता है, तो पूरी तरह से जांच होनी चाहिए। मामले के गुणों के आधार पर निर्णय होना चाहिए, न कि सिर्फ इसलिए कि किसी ने मुझ पर आरोप लगाए हैं, तो मैं उस पर आरोप लगा दूंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। निश्चित रूप से, सब कुछ मामले के गुणों पर निर्भर करना चाहिए। स्वाभाविक रूप से, कानूनी मुद्दे हैं और जांच विभाग हैं। सब कुछ अच्छी तरह से जांचा जाए और मामले का फैसला उसके गुणों के आधार पर हो।

[हिन्दी]

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (आनंदपुर साहिब) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी पार्टी शिरोमणि अकाली दल की ओर से जो खड़गे साहब ने एडजर्नमैन्ट मोशन रखा है, उसके विरोध में खड़ा हुआ हूं। इस हाउस की परम्परा है और रूल्स भी हैं, विपक्ष की ओर से सरकार का ध्यान किसी महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना हो तो एडजर्नमैन्ट मोशन आ सकता है। जहां तक इस एडजर्नमैन्ट मोशन का सवाल है, पिछले कई रोज से यह गतिरोध हाउस में डाला गया। यह लोग एक दिन गतिरोध कर सकते थे, दो दिन कर सकते थे, लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि गतिरोध के समय डेमोक्रेटिक वैल्यूज, ह्यूमैन वैल्यूज और मोरल वैल्यूज का ध्यान बिल्कुल नहीं रखा गया। जब दीनानगर में पुलिस से पाकिस्तान के टैररिस्ट्स का मुकाबला हो रहा था, हमारे बहादुर सिपाही खून बहा रहे थे तो इन्होंने हमें हाउस में पांच मिनट भी उस पर बोलने का समय नहीं दिया और यहां गतिरोध बरकरार रखा। मैंने बहुत रिक्वैस्ट की कि एक घंटे के लिए शांत हो जाइए। पंजाब में मुकाबले के दौरान देश के लिए जो बलजीत सिंह शहीद हुआ है, उसके लिए सहानुभूति के दो शब्द कह दो, अपना गतिरोध बंद कर दो, लेकिन इन्होंने बंद नहीं किया।

इसके अलावा वहां भाखड़ा डैम के फ्लड गेट्स खोले गये, हमने कहा कि लोगों के घर गिर रहे हैं, फसलें खराब हो रही हैं, चारों तरफ से पानी आ गया है, हमें उस पर दो मिनट के लिए बोलने दो। लेकिन इन्होंने गतिरोध बंद नहीं किया। देश के सामने बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं, रोजगार का विषय है, किसानों का विषय है, गन्ना काश्तकारों का मामला चल रहा था, उस समय इन्होंने हमें बोलने नहीं दिया। आज मुझे समझ आ रहा है कि ये क्यों नहीं कर रहे थे, इनको मालूम था कि जो फटकार और जो लानतें आज हाऊस में कांग्रेस के मित्रों की पड़ रही हैं, इनको उसकी शर्मिंदगी हो रही थी, मैं समझता हूँ ये आज आराम से नहीं आए हैं, आज देश के लोग घेर कर इनको इधर ले कर आए हैं। मैं समझता हूँ कि इनके साथियों ने साथ छोड़ दिया, तब ये मजबूर हुए हैं, क्योंकि इनकी शर्मिंदगी, इनकी जो परेशानी थी, वह मुझे अच्छी तरह मालूम है। क्योंकि ये समझ रहे हैं, इनको आश्चर्य हो रहा है कि दीदी सुषमा जैसी मंत्री जी मुफ्त में कैसे काम कर सकती हैं। ये समझते हैं कि हमारे

राज में तो छींक मारने के भी पैसे लिए जाते थे। ये आज की सरकार ऐसे मुफ्त में काम कैसे कर सकती है। इसकी इनको हैरानी थी, परेशानी थी। ... *(व्यवधान)*

डिप्टी स्पीकर साहब, जब करप्शन की बात कांग्रेस वाले मित्र करते हैं तो पंजाबी में एक कहावत है कि छाछ तो बोले, छन्नी क्यों बोले। जिनका रोम-रोम, बाल-बाल करप्शन में लिप्त है और जिनको देश के करप्शन का जन्मदाता कहा जाता है, वे करप्शन की बातें करें और सारा मानसून सैशन ऐसे ही इन्होंने लगा दिया, कोई बात ही नहीं करने दी। ये हाऊस का तो बॉयकॉट करते रहे, सदन में तो गतिरोध डालते रहे और जो हजिरी वाला रजिस्टर है, उसका बॉयकॉट नहीं किया, तो इनकी सीरियसनैस उससे ही पता चल जाती है।

डिप्टी स्पीकर साहब, मैं समझता हूँ कि मैडम सुषमा स्वराज जी ने जो स्पष्टीकरण दिया, उससे और क्या तसल्ली हो सकती थी कि ललित मोदी के विरोध में न तो वारंट था, न उस पर कोई रोक लगी हुई थी और इन्होंने जो स्पष्टीकरण में कहा कि जो रिकमेंड किया, उसमें स्पष्ट लिखा कि यदि वहां के कानून अलाऊ करते हों तो इसको देख लिया जाए, तो उसमें आपत्ति है। स्पोर्ट्स में 80-80 हज़ार करोड़ के स्कैंडल कर के, जहाजों के लाखों के स्कैंडल कर के और बोफोर्स में लाखों-करोड़ों का स्कैंडल कर के और कोयले में घोटाला कर के ये तो अपने आपको पाक-पवित्र कराने की बात करते हैं।

डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि कौआ किसी तालाब में स्नान करने से हंस नहीं बन सकता है। ये लोग जितना मर्जी जो कुछ कहते रहें, इनको देश के लोग कभी बख्श नहीं सकते हैं। ये करप्शन के चार्ज से निकल नहीं सकते हैं। जो इन पर स्टिगमा लगा हुआ है, उसको ये धो नहीं सकते हैं। इसलिए जो एड्जर्न्मेंट मोशन खड़गे जी ने रखा है, उसका मैं विरोध करता हूँ। इनकी सीरियसनेस तो इसमें ही दिखाई देती है, जो उकसाने वाले थे, श्रीमती सोनिया गांधी जी भी यहां से चली गईं, क्योंकि सुनना बहुत मुश्किल है। खड़गे साहब भी चले गए। ये चर्चा ही करना चाहते हैं, चर्चा सुनना नहीं जानते हैं। गुरूनानक देव साहब ने कहा है कि जब तक दुनिया रहिए नानक, किस सुनिए, किस कहिए, जे सुनाना है तो उसे सुनने की भी हिम्मत होनी चाहिए। सुनने की हिम्मत नहीं है, सुना कर परे चले गए हैं। इसलिए देश के लोगों ने जैसे इनको

मजबूर किया है, मैं देश के लोगों को भी बधाई देता हूँ, इस हाऊस को भी बधाई देता हूँ कि इनको मजबूर कर के यहां ला कर बिठाया है।

श्री तारिक अनवर (कटिहार): उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपका और स्पीकर महोदया का धन्यवाद अदा करूंगा कि उन्होंने आज इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए सरकार को तैयार कर लिया। जैसा खड़गे जी ने कहा कि अगर यह काम पहले हो गया होता, सत्र के शुरू में हो गया होता तो शायद इस सत्र का इतना समय बर्बाद नहीं होता और हम लोग और भी बहुत सारे काम इस सदन में कर सकते थे।

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : तारिक साहब, हम भी तो आपकी आवाज़ सुनने के लिए तरस रहे थे, लेकिन आपके साथी आपको बोलने नहीं दे रहे थे। यही दिक्कत हो गई थी।

श्री तारिक अनवर : महोदय, चलिए देर से आए दुरूस्त आए, आज की इस बहस और मन्थन के बाद क्या निकलेगा, क्या नतीजा आएगा, यह तो नहीं मालूम, लेकिन कम से कम बात शुरू हुई है, चर्चा शुरू हुई है और सभी पक्षों को अपनी बात कहने का मौका मिला। सुषमा जी ने आज फिर एक बार यह साबित करने की कोशिश की वह एक अच्छी वक्ता भी हैं और एक अच्छी वकील भी हैं, क्योंकि जिस तरह से कमजोर मुकद्मे की पैरवी होती है, जो रविशंकर जी भी करते हैं, कभी-कभी सुषमा जी उन दलीलों से कोशिश करती हैं कि जो सच्चाई है, वह सामने न आए और हकीकत सामने न आए। लेकिन मैं समझता हूँ कि सिर्फ दलीलों से असलियत को झुपाया नहीं जा सकता है। सदन के बाहर भी यह चर्चा चल रही है, अगर हमारी बात को, विपक्ष की बात को दबा भी दिया जाए, लेकिन सदन के बाहर भी, चाहे वह पत्र-पत्रिका हो, इलेक्ट्रॉनिक मीड़िया हो, विदेश की पत्रिकाएं हों, सभी जगह इस मुद्दे को लेकर काफी चर्चा चल रही है, काफी बहस चल रही है। इसलिए हम सब लोगों को इस पर चिन्तन करने की जरूरत है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि सिर्फ दलील से काम नहीं चलता है, सार्वजनिक जीवन में नैतिकता का भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। यहाँ पर आडवाणी जी बैठे हैं, मैं समझता हूँ कि इनसे बेहतर कोई नहीं होगा जो नैतिकता के बारे में हम सबको बता सकता है। सिर्फ यह कह देने से कि हमने किसी की मदद की, ठीक है, आपके दिल में उसके लिए हमदर्दी होगी सहानुभूति होगी, आपने कहा कि उसकी बीवी 17 सालों से कैंसर से पीड़ित थी, इसलिए मुझे उस पर रहम आया और मैंने उसकी मदद की। लेकिन शायद सुषमा जी यह बात भूल गईं कि वह एक आम शहरी की तरह नहीं हैं, वह इस देश की विदेश

मंत्री जी भी हैं और मंत्री के रूप में उन्होंने कुछ संकल्प लिया है, कुछ शपथ ली है, जिसमें यह बात कही गई है कि किसी भी मौके पर, किसी भी अवसर पर हम कोई भी पक्षपात नहीं करेंगे, हम किसी की उस तरह से मदद नहीं करेंगे, उस तरह से सहायता नहीं करेंगे। लेकिन जो भी उनकी मजबूरी रही हो, उन्होंने ऐसा किया। हम यही चाहेंगे, हम ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहते, मैं इतना ही कहूँगा कि हम सब लोगों को इस बात पर विचार जरूर करना चाहिए कि जब ऐसे मौके आते हैं तो उस समय देश की गरिमा, देश का सम्मान जरूर हमें ध्यान रखना चाहिए और जिस प्रकार से ये तमाम घटनाएं एक के बाद एक हुई हैं, उससे कोई हमारे देश का सम्मान बढ़ा हो, ऐसी बात नहीं है। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूँगा, क्योंकि इस पर बहुत कुछ कहा जा चुका है, बहुत सारे सवालात उठाए गए हैं, जिनका उत्तर भी दिया गया है, इसलिए मैं उन बातों में फिर से नहीं जाना चाहता हूँ, उन प्रश्नों में नहीं जाना चाहता। मुझे इस मौके पर उर्दू का एक शेर याद आ रहा है, जिसे मैं आपकी इजाजत से यहाँ पढ़ना चाहता हूँ-

"रहम की भीख माँगना भी चाहूँ तो किससे कहूँ, शहर का शहर कातिल के तरफदारों में है,

और क्या चाहिए मकतल को सजाने के लिए, खुद मसीहा भी कातिल के तरफदारों में है।"

इस मौके पर हम इतना ही कहेंगे कि स्वयं हमको आत्मचिन्तन करने की जरूरत है कि हमारे सार्वजनिक जीवन पर अगर इस तरह का कोई प्रश्नचिन्ह लगता है तो उस दाग को हम कैसे धोयें, यह हम सब लोगों को अपने हृदय में झाँककर सोचना चाहिए।

श्री भगवंत मान (संगरूर): उपाध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी पार्टी एंटी करप्शन आंदोलन में से निकली है और किसी भी किस्म की करप्शन के खिलाफ हम अपनी पार्टी की तरफ से अपनी आवाज़ उठाते रहते हैं। सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि आज एडजर्नमैंट मोशन को एक्सैप्ट करने का जो फैसला किया गया, अगर थोड़ा पहले हो जाता तो और भी कीमती समय बच सकता था, और भी ज़रूरी काम हो सकते थे। मैंने खुद भी तीन-चार बार इसी विषय पर एडजर्नमैंट मोशन दिया था लेकिन उसको डिसअलाउ कर दिया गया। चूँकि विषय क्रिकेट का चल रहा है तो मैं यह कहूँगा कि आखिरी ओवर में सरकार ने जो फैसला लिया है, चलो, देर आयद दुरुस्त आयद। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि मुद्दा यह है कि हम भी डिसकशन करना चाहते थे। हम भी चाहते थे कि विपक्ष और सरकार की तरफ से बातें रखी जाएँ ताकि सामने आएँ, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हो पाया।

महोदय, एक गंभीर आर्थिक अपराधी जिसके खिलाफ लाइट ब्लू कार्नर नोटिस जारी किया हुआ है और करोड़ों रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग में जिसका नाम है, वह किसी देश में बैठा है और उस देश ने उसको अपनी कंट्री से बाहर जाने पर पाबंदी लगाई हुई है। सबसे पहले तो मुझे इस बात का आश्चर्य होता है कि वह सीधा किसी देश के विदेश मंत्री से कॉन्टैक्ट करता है। चलो कोई बात नहीं, आजकल गूगल और विकीपीडिया के जरिये सबके कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाते हैं। जब विदेश मंत्री जी के पास उनका फोन आया कि मुझे ये ट्रैवल डॉक्यूमैंट्स चाहिए, तो चाहिए तो यह था कि विदेश मंत्री जी उसी वक्त कैबिनेट को या प्रधान मंत्री जी को बताते कि एक ऐसे अपराधी के साथ हमारा संपर्क हुआ है, उसकी यह मांग है। उसके बदले अगर हमने मानवता के आधार पर उसकी पत्नी के कैंसर के इलाज के लिए उसके पास जाने की इजाज़त देनी है तो उसमें शर्त रखी जा सकती थी कि मानवता के आधार पर आपको पुर्तगाल जाने देंगे, लेकिन पुर्तगाल से आप वापस यू.के. नहीं जाएँगे, आप भारत आएँगे और यहाँ पर आकर कानून का सामना करेंगे क्योंकि आपके खिलाफ यहाँ धाराएँ लगी हुई हैं। यह नहीं हुआ। वे वहाँ पुर्तगाल गए या नहीं गए, पता नहीं, लेकिन दो चार दिन बाद किसी बीच पर उनके छुट्टियाँ मनाने की फोटो ज़रूर ट्विटर और फेसबुक पर आई हैं। एक टीवी इंटरव्यू में एक वरिष्ठ पत्रकार को ललित मोदी जी ने इंटरव्यू देते हुए कहा भी है क्योंकि वह पुर्तगाल का इतना अच्छा हॉस्पिटल था कि

चौबीस घंटे में मेरी पत्नी का इलाज हो गया और हम इसी खुशी में छुट्टियाँ मनाने चले गए थे। यह बात उन्होंने एक इंटरव्यू में कही है।

इस बात पर मैं यह कहूँगा कि माननीय विदेश मंत्री जी की तरफ से अगर मानवता के आधार पर मदद करने की बात कही जा रही है तो लाखों किसान हर रोज़ खुदकुशियाँ कर रहे हैं। क्या सरकार को मानवता के आधार पर उन पर दया नहीं आई? हर रोज़ गरीब और पिछड़े लोग महंगे इलाज की वजह से बिना इलाज के मर रहे हैं, क्या उनको कभी इस देश में मानव नहीं समझा जाएगा? बहुत से ऐसे लोग हैं जो जेलों में बंद हैं, अंडरट्रायल हैं, कई-कई साल हो गए ज़मानत देने के लिए, वकील को सौ रुपये देने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं हैं। क्या उनको भी कभी मानवता के आधार पर ऐसी दया की लिस्ट में लाया जाएगा? मैं सुषमा जी से कहना चाहता हूँ कि इराक में अभी भी 41 भारतीय फँसे हुए हैं, उनका कोई पता ही नहीं चल रहा है। कोई कहता है कि वे मार दिए गए, कभी खबर आती है कि वे हैं। उन पर भी मानवता के आधार पर थोड़ी दया करें। उनके परिवार वाले आपके घर के सामने प्रदर्शन करने आए थे तो पुलिस की लाठियाँ खाकर गए हैं। उन पर भी थोड़ा मानवता के आधार पर दया करिये।

मैं सुषमा जी से कहना चाहता हूँ कि अगर गलती हो भी गई तो आगे से आप जो रिकमंडेशन करते हैं, ऐसे साइन करते हैं, उनकी ज़रा रीचैकिंग कर लीजिए। कई बार गलत आदमियों की रिकमंडेशन हो जाती है। इस घटना से हमने भी सीखा है और पहली बार हम राजनीतिक जीवन में आए हैं कि रिकमंडेशन पूरी पढ़कर और पूरी क्रॉसचैक करके करेंगे। यह न हो कि उसी केस में कहीं हमारे बारे में भी कुछ चल रहा हो जिसके बारे में देश जानना चाहे। हम किसी भी किस्म की करप्शन के खिलाफ अपनी पार्टी की तरफ से और अपनी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल की तरफ से विरोध करते हैं और फ्यूचर में ऐसा न हो, इसके लिए मैं चाहता हूँ कि सरकार कठोर से कठोर कदम उठाए। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया।

अपराह्न 05.00 बजे

[अनुवाद]

श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर (पोन्नानी) : महोदय, आई.यू.एम.एल. की ओर से, मैं इस स्थगन प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी द्वारा व्यक्त विचारों का समर्थन करता हूं।

महोदय, विपक्ष बहुत सन्तुष्ट है कि हमने भ्रष्टाचार का एक बहुत ही गंभीर मुद्दा उठाया है और इस महती सदन में इस पर विस्तृत चर्चा के लिए लाए हैं। मुझे उन सभी संसद सदस्यों को बधाई देनी चाहिए जिन्हें भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी नेक लड़ाई के लिए इस सभा से एक सप्ताह के लिए निलंबित किया गया था। ... (*व्यवधान*)

भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई इस सभा के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखी जाएगी और यह हमेशा बनी रहेगी। यह मुद्दा बहुत बड़ा है। यह कोई छोटी या अलग-थलग बात नहीं है। विदेश मंत्री जी द्वारा भाई-भतीजावाद, सत्ता का दुरुपयोग, सरकार की तरफ से नियमों का उल्लंघन, आर्थिक अपराधी को सुरक्षित पनाहगाह देना - ये सब हमारे सामने हैं। सरकार के मुखिया, माननीय प्रधानमंत्री जी इन सब चीजों को मूक दर्शक बने हुए हैं। यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। इस मामले में गहरे जड़ें जमाए हुए खतरनाक तत्व मौजूद हैं। मैं विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि इस देश में भाजपा शासित सरकार भ्रष्टाचार के साये में है। यह सिर्फ केंद्र सरकार की ही बात नहीं है बल्कि अलग-अलग राज्यों में भाजपा के अधीन चल रही सरकारों में भी ये चीजें हो रही हैं। चूंकि यह राज्य का विषय है, इसलिए मैं इस बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहता। मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला हो, महाराष्ट्र में चिक्की घोटाला हो, छत्तीसगढ़ में पी.डी.एस. घोटाला हो, ये सब चीजें हर रोज भारतीय दैनिक समाचार पत्रों में आ रहीं हैं। लेकिन मजेदार बात ये है कि विदेश मंत्री जी को सही ठहराने या समर्थन की वकालत करने वाले लोग ये कहते हैं। मैंने एक समाचार पत्र में पढ़ा: "उन्होंने जो भी किया होगा, वह उनके मानवीय स्वभाव और राष्ट्रवादी भावना से प्रेरित रहा होगा।" अगर यही आपका राष्ट्रवाद और मानवीय स्वभाव है, तो पूरा देश आपके इस दृष्टिकोण से शर्मिंदा है। मैं यह कहना चाहूंगा। ... (*व्यवधान*)

ललित मोदी मुद्दे पर हमारे मित्र बोलते समय इसके बारे में विवरण दे रहे थे। यह मानने के लिए हर कारण है कि इस सरकार का ललित मोदी के प्रति नरम रुख था। यह सिर्फ इस मामले में ही नहीं है, बल्कि हम यह भी जानते हैं कि राजस्थान में सरकार के कार्यकाल के दौरान - इस सरकार के दौरान नहीं बल्कि पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान - उन्हें एक विशेष दर्जा प्राप्त था। वह क्या था? वह एक सुपर मुख्यमंत्री का दर्जा था! वो उस रुतबे का आनंद ले रहे थे। आपने हमेशा एक नरम रुख रखा था। आपने हमेशा ललित मोदी को समर्थन दिया है। शायद, इसी ने उन्हें इस तरह के काम करने के लिए प्रेरित किया होगा।

अब भी, राजस्थान की एक फर्म के खिलाफ विदेशी मुद्रा उल्लंघन का मामला दर्ज है, जिसे ललित मोदी का बताया जाता है। इस मामले में मॉरीशस की एक कंपनी से कथित रूप से रु. 21 करोड़ के अवैध धनराशि गबन का आरोप है। प्रवर्तन निदेशालय ने जांच शुरू कर दी है। इतने गंभीर अपराधी को आपका आशीर्वाद मिला है! यह बहुत खतरनाक बात है। इस तरह के भ्रष्टाचार के मामले को बहुत गंभीरता से लेना होगा।

अंत में, मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि उन्हें सद्बुद्धि देनी चाहिए। सबसे अच्छा विकल्प यह होना चाहिए कि विदेश मंत्री जी को बाहर रखा जाए और इस मामले की व्यापक जांच की जाए।

इन कुछ शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

माननीय उपाध्यक्ष : कृपया बहुत संक्षिप्त रहें।

[हिन्दी]

श्री असादुद्दीन ओवैसी (हैदराबाद) : महोदय, मुझे तीन से चार मिनट लगेंगे।

सर, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और जो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब द्वारा एडजर्नमेंट मोशन मूव किया गया है, मैं उसकी ताईद में खड़ा हूं।

जहां पर मैं ताईद कर रहा हूं, वहीं पर मुझे थोड़ा ताज्जुब भी है, वैसे तो सियासत का एक तालिब इल्म होने के नाते मुझे यह समझ में नहीं आया कि इतने दिन ऐवान को रोकने के बाद कांग्रेस पार्टी एक दिन पहले अचानक डिस्कशन के लिए तैयार हो जाती है। मुझे नहीं मालूम कि इसके लिए वेंकैया नायडू साहब ने कौन सी नैल्लोर की मिर्ची खिलाई या कौन सी गुगली डाली। और वज़ीर-ए-खारज़ा को अपनी बात रखने का मौका दे दिया। अभी हमने वज़ीर-ए-खारज़ा मोहतरमा का जवाब सुना। मैं यह समझता हूं कि 2009 से 2014 तक कांग्रेस पार्टी को सबसे ज्यादा अगर किसी ने नुकसान पहुंचाया, तो वह मोहतरमा सुषमा स्वराज थीं, जो यहां पर बैठ कर प्वायंटेड तख़ारीर करती थीं। यह और बात है कि उनकी पार्टी ने उसका कभी एक परसेंट भी क्रेडिट नहीं दिया। कोई और दूल्हा बन गया।

तीसरी बात यह है कि असल मुद्दा क्या है? असल मुद्दा आई.पी.एल. - इंडियन पॉलिटिकल लीग है। जब तक यह इंडियन पॉलिटिकल लीग रहेगी, तब तक तमाम चीज़ों का सत्यानाश होगा। मैं आपके सामने बात रख रहा हूं कि जम्मू-कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में 120 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ, जिसमें से एक शख्स 20 करोड़ रुपये लेकर पाकिस्तान को भाग गया। आप एक साल से सरकार में क्या कर रहे हैं? ये मेरे अल्फाज़ नहीं हैं। दरभंगा के हमारे एम.पी. के मैंने अल्फाज़ सुने कि एक 400 मिलियन डॉलर का घोटाला हुआ। ये कोई चालीस चोर नहीं थे, बल्कि आठ चोरों ने ललित मोदी के साथ 400 मिलियन डॉलर खा लिए। यह ग़ारत का घड़ा है। क्या इनका पेट भरता नहीं है? हमारे हिन्दुस्तान के 400 करोड़ रुपये खा गए। यह आर.बी.आई., एफ.डी.आई., आई.टी. के नॉर्म्स का वॉयलेशन है। यह ड्रग मनी भी हो सकती है। यह 1,365 करोड़ रुपये लाने

के लिए हुकूमत क्या कर रही है? इसका तो जवाब दे देते। अफ़सोस इस बात का है कि मोहतरमा सुषमा स्वराज को इस ऐवान में, इतनी गड़बड़ में खड़े होकर अपनी सफाई बयान करना पड़ा। पार्लियामानी जम्हूरियत में तो यह होना चाहिए था कि उनके वज़ीर-ए-आज़म, जो उनका कॉन्फिडेंस एन्जॉय करते हैं, वे ऐवान में आकर कहते कि मुझे अपने वज़ीर पर पूरा भरोसा है, मुझे उनकी सच्चाई पर भरोसा है। मगर, अफ़सोस यह है कि उनको अकेला छोड़ दिया गया। उन्हें अकेला क्यों छोड़ दिया गया? मैं मोहतरमा को बताना चाह रहा हूं कि ये जो तमाम मालूमात हमें मिली है, वह आपके पास से मिली है, हमारे पास से नहीं मिली। 'घर का भेदी लंका ढाए' - जरा इस बात को सोच लीजिए, समझ लीजिए।

सर, यहां पर बैठ कर मोहतरमा सुषमा स्वराज ने एक शेर कहा था-

मुझे रहज़नों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है

सर, मैं आपके ज़रिए हूकूमत से पूछना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के दलित, हिन्दुस्तान के मुसलमान, जिन पर आई.पी.सी. के 324 का केस होता है, उनका पासपोर्ट नहीं बनता है। उनका पासपोर्ट कैसे बनेगा? यह फ्यूडलिज्म है कि जो वज़ीर-ए-खारज़ा जानता है, उसे पासपोर्ट मिलता है। हमारे दलित और मुसलमान क्या करेंगे? इसीलिए, मैं हुकूमत से मुतालिबा करता हूं कि आप इसको देखिए, इन चीज़ों को रोकिए और यह जो 1,365 करोड़ रुपये का मामला है, तो वज़ीर-ए-आज़म को यहां आना चाहिए और आकर कहना चाहिए कि मुझे इन पर अटूट भरोसा है, वरना लगता है कि ये तमाम चीज़ें एक साज़िश का हिस्सा हैं।

श्रीमती सुषमा स्वराज : आप पसमांदा मुस्लिम की जो यह बात कर रहे हैं, तो मैंने ह्यूमैनिटैरियन ग्राउण्ड्स पर गिलानी साहब तक को पासपोर्ट दिया है।... *(व्यवधान)*

माननीय उपाध्यक्ष: कुछ भी कार्यवाही वृतांत में नहीं जाएगा।

... (*व्यवधान*) [9*]

[9*] कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्रीमती अनुप्रिया पटेल (मिर्ज़ापुर): उपाध्यक्ष महोदय, मेरी पार्टी पहली बार जीत कर संसद में पहुंची है और एक नए सदस्य के रूप में मैं बहुत सारे महत्वपूर्ण विषय इस मॉनसून सत्र में उठाना चाहती थी, लेकिन यहां कुछ ऐसी परिस्थिति रही कि चालीस लोगों ने मिलकर इस संसद सत्र को इस तरह बाधित किया कि एक नए सदस्य के रूप में, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि शायद लोकतंत्र में सारे आधिकार विपक्ष के होते हैं और सत्ता पक्ष के कोई आधिकार ही नहीं होते हैं। 450 सदस्य इस संसद के अंदर यह इंतज़ार करते रहे कि उन्हें भी मौका मिले और वे राष्ट्रीय महत्व के कुछ विषय उठाएं, लेकिन हमें उठाने नहीं दिया गया। अंततः आज इस सदन में चर्चा हुई। आदरणीय खड़गे जी ने एक घंटे से ज्यादा लम्बे समय के लिए हमारे सरकार की मंत्री आदरणीय श्रीमती सुषमा स्वराज जी पर बहुत सारे आरोप मढ़े। लेकिन, माननीय मंत्री जी का आज जो उद्बोधन रहा, जो वक्तव्य रहा, उस ने आज हमारे कांग्रेस के साथियों को ऐसे मोड़ पर ला कर खड़ा कर दिया है कि जो लोग बार-बार जाकर मीडिया के सामने बयानबाजी कर रहे थे, आज वे मीडिया से बचने के रास्ते ढूंढ़ेंगे। वे सोचेंगे कि अब हम मीडिया के सामने जाएंगे तो क्या जवाब देंगे हम क्वात्रोची पर, क्या जवाब देंगे हम आदम शहरयार पर, क्या जवाब देंगे एंडरसन पर, आज ये सोचेंगे कि क्विड प्रो को की कौन सी परिभाषा आज मीडिया को बतायेंगे, जिससे कांग्रेस का पक्ष मजबूत होता हुआ नजर आए? यह राष्ट्रीय महत्व का विषय है, इन्होंने यही कहा था और पूरी संसद को बाधित किया था। यह मान लिया था कि इसके अलावा कोई भी ऐसा विषय नहीं है जो राष्ट्रीय महत्व का है। आज इनके तमाम आरोपों की जो चीरफाड़ हुई, उसके बाद एक कहावत चरितार्थ होती है कि खोदा पहाड़ और निकली चुहिया। अच्छा हुआ कि आज यह चर्चा हुई, पूरा देश जान गया कि कांग्रेस सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध कर रही थी और इनके आरोपों में कोई दम नहीं था।

एक माननीय सदस्य अभी कह रहे थे कि सुषमा जी बड़ी अच्छी वकील हैं। एक कमजोर केस को बड़ी मजबूती से लड़ती हैं। भगवार करे कि आपके पास भी ऐसा वकील हो और आप जो दुनिया भर के घोटाले करके बैठे हैं, आप भी इसी तरह से मजबूती से अपना पक्ष रखें। आप आज तक अपने केस को देश के सामने लड़ नहीं पाए। पूरा देश जान गया और आज हम इस बात की बधाई देना चाहते हैं अपनी सरकार को और अपनी मंत्री को कि पूरा देश और भी मजबूती के साथ आपके साथ खड़ा है।

एक सदस्य कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी आपका बचाव करने के लिए नहीं आए। आपको इसकी जरूरत होगी। हमारे मंत्री जी ही सक्षम हैं, अपना बचाव कर सकते हैं। आप रहो, आपको मुबारकबाद। आदरणीय खड़गे जी के एडजर्नमेंट मोशन का मैं विरोध करती हूं। अपनी पार्टी की ओर से अपनी मंत्री जी का समर्थन करती हूं। धन्यवाद।

श्री दुष्यंत चौटाला (हिसार) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने खड़गे जी के एडजर्नमेंट मोशन पर मुझे बोलने का अवसर दिया।

<u>अपराह्न 05.12 बजे</u> (**माननीय अध्यक्ष** *पीठासीन हुई*)

अध्यक्ष महोदया, यहां 317 नए सांसद चुनकर आए। लोगों ने चाहे अच्छे दिन के नाम पर, चाहे अपने भविष्य को देखते हुए उनके पक्ष में वोट डाले और उनको सदस्य बनाकर इस सदन में भेजा। जिस तरीके से 12 दिन, चाहे कांग्रेस के साथियों ने, चाहे भारतीय जनता पार्टी के साथियों ने हाउस एडजर्न कराने का काम किया। कुछ सदस्यों ने आपकी टेबल तक पहुंचकर सस्पेंड होने का काम किया।

चौधरी देवीलाल जी कहा करते थे कि लोकराज लोकलाज से चलता है। मुझे लगता है कि पूरे मानसून के अंदर इस सदन का एक-एक सदस्य लोकलाज को भूल गया, सिर्फ राज के प्रति अपना ध्यान रखने लग गया। आज इस सदन का सबसे कम आयु का सांसद होने के नाते मुझे लज्जा आने लग गई है। कांग्रेस के साथी कहते हैं कि करप्शन हुई। मैं पूछना चाहता हूं कि हरियाणा के अंदर 73 हजार एकड़ जमीन की सीएलयू बेची गई, क्यों नहीं आज तक इस सदन में उस पर चर्चा की गई? *... (व्यवधान)*

महोदया, आज एक ट्विटर के ट्वीट के कारण इन साथियों ने पूरे मानसून सैशन को खत्म करने का काम किया। *... (व्यवधान)* अगर ये साथी चाहते हैं तो कल सुबह मैं एडजर्नमेंट मोशन देता हूं कि जिस तरीके से 73 हजार एकड़ जमीन हमारे किसानों से ली गई, उस पर भी इस सदन में चर्चा हो। *... (व्यवधान)* मैं एडजर्न

मोशन देता हूं कि एसईजेड में गुड़गांव के अंदर रिलायंस को जमीन कौड़ियों के भाव दी गयी, उस पर भी चर्चा की जाए। ... *(व्यवधान)*

महोदया, जिस तरह सुषमा जी ने जवाब में कहा कि रेड कार्नर नोटिस हमारी सरकार द्वारा ईश्यू कर दिया गया। माननीय जेटली जी के विभाग ने इसे ईश्यू किया। पुर्तगाल से अबू सलेम को रेड कार्नर नोटिस के बाद उसे देश में वापस लाए। मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कि जब रेड कॉर्नर नोटिस इश्यू हो गया है तो आपको ललित मोदी को भी देश में वापस लाकर सजा दिलवानी चाहिए। मैं यही बोलना चाहूंगा कि आज सोशल मीडिया, ट्विटर की ताकत देखिए कि कोई व्यक्ति इंगलैंड में बैठ कर ट्विट कर रहा है, और इस देश के पौने आठ सौ सांसद उस पर चर्चा करने के लिए संसद को रोक कर बैठे हैं।... *(व्यवधान)* मैं आपसे यही आग्रह करूंगा कि आप इस सदन की अध्यक्ष हैं, आप सारी पार्टियों या सभी को बुला कर कोई गाइडलाइन देने का काम करें, जो इस देश के महत्व की बात हो, इस देश को आगे ले जाने की बात हो। हम उनको सदन के पटल पर लाने का काम करें न कि जो ट्विटर फेस बुक पर चर्चायें होती हैं। यह 123 करोड़ लोगों की आबादी का देश है। असली बात इस 12-13 दिनों के वाक्ये में यह आयी है कि आई.पी.एल. घोटाला हुआ है। महताब जी यहां पर नहीं हैं, उन्होंने फाइनैंस कमेटी की रिपोर्ट भी सदन के सामने रखी है। मैं यह आग्रह करूंगा कि आई.पी.एल. में घोटाला हुआ है, उसमें बहुत-से लोग शामिल हैं, उसके ऊपर भी सदन पूरी सहमति से इंक्वायरी करवाये, कमेटी बनाये और उसका दूध का दूध और पानी का पानी करने का काम करे। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन; आपको बोलने के लिए केवल दो मिनट मिलेंगे।

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन (कोल्लम): महोदया, मुझे यह अवसर देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैंने नियम 184 के तहत माननीय मंत्री के खिलाफ निंदा प्रस्ताव का नोटिस भी दिया है; दुर्भाग्य से, इसे अस्वीकार

कर दिया गया है। तो, माननीय अध्यक्ष के समक्ष मेरा विनम्र निवेदन यह है। कृपया इसे अस्वीकार किए जाने के बाद से कुछ अतिरिक्त समय दें। यह मेरा पहला निवेदन है।

माननीय अध्यक्ष महोदया, हम माननीय विदेश मंत्री जी का बहुत सम्मान करते हैं और विदेश मंत्री के रूप में उनके द्वारा किए गए प्रदर्शन की हम सराहना करते हैं। लेकिन मेरा कहना यह है। लोकतंत्र के सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की परंपराओं और प्रथाओं को बनाए रखने के लिए, मैं विनम्रतापूर्वक माननीय विदेश मंत्री के यथा-शीघ्र इस्तीफे की मांग करता हूं। मैं इस पर क्यों कायम हूं क्योंकि हमारे पास बहुत सारे पूर्वोदाहरण हैं; मैं पूर्वोदाहरणों पर नहीं जा रहा हूं। श्री पवन कुमार बंसल, डॉ. शशि थरूर और अनेक व्यक्तियों ने अपना त्यागपत्र दे दिया है। ... (*व्यवधान*) हमारे आदर्श, एन.डी.ए. पूर्व-अध्यक्ष, माननीय सदस्य, प्रो. एल.के. आडवाणी *जी* भी यहाँ है। इसे एक आदर्श के रूप में भी स्वीकार किया जा सकता है।

महोदया, हमारे पास माननीय विदेश मंत्री के दो उत्तर हैं। एक है, पिछले सप्ताह जारी किया गया लिखित बयान, और आज मौखिक उत्तर। माननीय विदेश मंत्री ने चुनौती दी है कि क्या उनके खिलाफ किसी भी आरोप को साबित करने के लिए कोई सबूत या प्रमाण हैं। मैं चुनौती लेता हूं और स्वीकार करता हूं। मैं कह रहा हूँ कि आपका अपना वक्तव्य स्वयं एक सबूत और प्रमाण है। ... (*व्यवधान*)

मुझे बुलेटिन से बयान मिला है। यह बुलेटिन के पृष्ठ 89 में है, और मैं उद्धृत करता हूँ:

"मैंने उन्हें जो मौखिक संदेश भेजा था, उसका पहला वाक्य यह है कि 'अगर ब्रिटिश सरकार ललित मोदी को यात्रा दस्तावेज़ देने का विकल्प चुनती है, तो इससे हमारे द्विपक्षीय संबंध खराब नहीं होंगे।"

महोदया, पहले की स्थिति क्या थी? ललित मोदी के संबंध में पहले की विदेश नीति क्या थी? यदि यू.के. सरकार के अधिकारियों द्वारा कोई सहायता दी जाती है, तो निश्चित रूप से भारत-यू.के. संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष : अब, यह दो मिनट से अधिक है।

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन: महोदया, मैं एक वक्तव्य दे रहा हूँ; मैं कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं लगा रहा हूँ।

माननीय अध्यक्ष : मुझे पता है लेकिन अब यह दो मिनट से अधिक है।

… (*व्यवधान*)

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन: महोदया, मैं फिर से वक्तव्य को उद्धृत कर रहा हूँ।

मैं उनके लिखित कथन के अंतिम वाक्य का उल्लेख कर रहा हूँ। … (*व्यवधान*)

> "यू.के. के गृह विभाग ने सोमवार को दावा किया: 'अपनी बीमार पत्नी की सहायता के लिए पुर्तगाल की यात्रा करने के लिए आई.पी.एल. प्रमुख ललित मोदी को जारी किए गए यात्रा दस्तावेज उचित नियमों के अनुसार निर्धारित किए गए थे।"

मैं सहमत हूं। हां, यू.के. सरकार के नियम ललित मोदी को यात्रा दस्तावेज देने से नहीं रोकते हैं। … (*व्यवधान*) इसे क्यों रोका जा रहा है? ऐसा इसलिए है क्योंकि पूर्व यू.पी.ए. सरकार ने पत्र दिया था कि यदि आप श्री ललित मोदी की सहायता करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे संबंधो पर असर पड़ेगा। … (*व्यवधान*)

महोदया, मेरा सवाल बहुत सरल है। … (*व्यवधान*) मान लीजिए, दाऊद इब्राहिम दुबई में है या पाकिस्तान में है। उनकी पत्नी मुंबई में बीमार हैं। … (*व्यवधान*) मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या मानवीय आधार पर दाऊद इब्राहिम को यात्रा दस्तावेज उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि वह अपनी पत्नी की सहायता के लिए भारत की यात्रा कर सके। क्या यह उचित है? … (*व्यवधान*)

मेरी दूसरी बात संविधान से है। माननीय मंत्री जी ने विदेश मंत्री का पद संभालने का अधिकार खो दिया है। … (*व्यवधान*) उन्होंने पद की शपथ के संवैधानिक दायित्व का उल्लंघन किया है। संविधान के अनुच्छेद

75, अनुसूची 3 के अनुसार, मैं भय या पक्षपात के बिना और दुर्भावना या स्नेह के बिना अपने आधिकारिक कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा। यहां यह उपकार के तौर पर किया जा रहा है। ... (*व्यवधान*)

माननीय मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में स्वीकार किया है कि उन्होंने मानवीय विचार के आधार पर ऐसा किया है। ... (*व्यवधान*) इसलिए, हितों का टकराव और पद की शपथ का उल्लंघन है। नीति परिवर्तन में माननीय प्रधान मंत्री जी को भी विश्वास में नहीं लिया गया। ... (*व्यवधान*) इन सभी संदेहों के साथ, मेरा निवेदन यह है कि माननीय मंत्री जी को लोकतांत्रिक परंपराओं और प्रथाओं के सिद्धांतों को बनाए रखना होगा। ... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष : अब, यह खत्म हो गया है।

... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष : सुषमाजी, आप हर बार उत्तर क्यों दे रही हैं?

... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष महोदया, मैं एक मिनट अपनी बात कहना चाहती हूं क्योंकि प्रेमचंद्रन जी ने यह कहा है कि मैंने ह्युमैनिटेरियन ग्राउंड पर काम करके अपनी कौन्सटीट्यूशन की ओथ वॉयलेट की है। ... *(व्यवधान)* मैं सिर्फ इनका एक पत्र यहां प्रेषित करना चाहती हूं। मैं दो लाइन पढ़कर सुनाती हूं कि प्रेमचंद्रन जी ने मुझे, एक व्यक्ति जो ओमान में लाइफ सैंटैंस काट रहा है... *(व्यवधान)* उसका जुर्म क्या है - प्लांड बरगलरी विद मर्डर - उसके लिए लिखा है कि उसकी एलिंग मदर इंतजार कर रही है, आप ह्युमैनिटेरियन ग्राउंड पर... *(व्यवधान)*

"आदरणीय श्रीमती सुषमा स्वराज जी, श्री माधवन पिल्लई पिछले 18 वर्षों से सेंट्रल जेल में हैं।

... (*व्यवधान*) बिस्तर पर पड़ी उसकी बूढ़ी मां मौत से पहले अपने बेटे को देखने का इंतजार

कर रही है। … (*व्यवधान*) आवेदक और उन की बेटी भी उसे देखने के लिए उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं। … (*व्यवधान*)"

जब मैं इनके व्यक्ति के लिए ह्युमैनिटेरियन ग्राउंड पर बात करूं तो मैं कर्तव्य परायण हूं और जब मैं किसी कैंसर पीड़ित के लिए मदद करूं तो मैं अपराधी हूं। यह प्रेमचंद्रन जी को मैं सुनाना चाहती हूं। जिनके अपने घर शीशे के हों उन्हें दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए।*... (व्यवधान)*

श्री चिराग पासवान (जमुई) : अध्यक्ष महोदया, आज आदरणीय खड़गे जी द्वारा जो मोशन पेश किया गया है, *... (व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : यह आरोप-प्रत्यारोप की जगह नहीं है।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष : केवल श्री चिराग पासवान का भाषण ही कार्यवाही वृतांत में जाएगा।

… (*व्यवधान*) *

[हिन्दी]

श्री चिराग पासवान : मैं उसके विरोध में अपनी लोक जनशक्ति पार्टी और हमारे नेता माननीय राम विलास पासवान जी की तरफ से बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह सब देखकर दुख होता है, खास तौर पर मेरे जैसे फर्स्ट टाइमर सांसदों के लिए यह बहुत गलत प्रिसिडैंट सैट हो रहा है। मैं जिस सोच के साथ इस सदन में आया था, हकीकत यह है कि यहां आकर मुझे जो देखने को मिल रहा है, इससे ज्यादा दुख मुझे संसद में आने के बाद कभी नहीं हुआ। मुझे उम्मीद थी और बचपन से हम लोगों को सिखाया गया है, हमारे संस्कारों में दिया गया

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

है कि बातचीत बड़ी से बड़ी समस्या का हल होता है। आज जिस तरह से बातचीत को बहस में बदला जा रहा है ... *(व्यवधान)*, आज दो-तीन मुद्दे को पूरे देश में इतना हावी किया जा रहा है ... *(व्यवधान)*, यहां मौजूद हरेक सांसद किसी न किसी जिले का प्रतिनिधित्व करता है ... *(व्यवधान)* हमारे पास जिले की अपनी समस्या है ... *(व्यवधान)*, मेरे लोक सभा क्षेत्र की अपनी समस्याएं हैं ... *(व्यवधान)* मेरे प्रदेश की समस्याएं हैं, जहां कुछ दिन पहले 150 दलित महिलाओं के साथ बर्बरता से व्यवहार किया गया ... *(व्यवधान)* इस बारे में हम संसद में अपनी बात रखना चाहते थे ... *(व्यवधान)* लेकिन हमें बोलने नहीं दिया गया ... *(व्यवधान)* हमारे जनप्रतिनिधियों को वहां मारा जा रहा है ... *(व्यवधान)* वहीं दो-चार मुद्दे को हावी किया जा रहा है ... *(व्यवधान)* महज 40 लोगों ने इतना बड़ा मुद्दा बना दिया कि शायद देश इन मुद्दों के बिना नहीं चलेगा ... *(व्यवधान)* अगर इन मुद्दों पर चर्चा नहीं हुई, ... *(व्यवधान)*। सुषमा जी का व्यक्तिव ऐसा है कि हमने हमेशा उनका समर्थन किया है ... *(व्यवधान)* मैंने युवा राजनीतिज्ञ होने के नाते यू-टूयब पर सुषमा जी की न जाने कितने भाषण सुने हैं और उनसे प्रोत्साहन लिया है ... *(व्यवधान)* उनसे मैंने बोलना सीखा है ... *(व्यवधान)* आज जब सुषमा जी द्वारा अपने बारे में अपना पक्ष रखना पड़ रहा है ... *(व्यवधान)*

<u>अपराह्न 05.26 बजे</u>

इस समय डॉ. ए. संपत और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: कृपया अपने स्थान पर वापस जाएं।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: कृपया अपनी सीटों पर वापस जाएं।

… (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री चिराग पासवान: तो मेरे जैसे फौलोअर को जिन्होंने दलगत राजनीति से हटकर नेताओं को अपना आदर्श माना *... (व्यवधान)* जिसमें सुषमा जी मेरी बहुत बड़ी आदर्श हैं *... (व्यवधान)* आज उनको अपना पक्ष रखते हुए सुनना पड़ रहा है तो मुझे दुख होता है *... (व्यवधान)* सुषमा जी के बारे में कोई भी व्यक्ति इस सदन में कोई भी बात बोले *... (व्यवधान)* किंतु ईमानदारी से कोई भी व्यक्ति अपने दिल पर हाथ रख कर बोल दे *... (व्यवधान)* कि सुषमा जी के 38 साल के राजनीतिक कैरियर में उन्होंने कभी कुछ गलत किया हो, *... (व्यवधान)* कोई भी इस बात को मानने को तैयार नहीं होगा। मैं आग्रह करूंगा कि सदन इस बात को समझे, बहुत सारे मुद्दे हैं, हर सांसद को अपनी बातें रखने की जरूरत है *... (व्यवधान)* सुषमा जी के बारे में इतने दिनों से भ्रम फैलाया जा रहा है, हमारी पार्टी पूरी मजबूती से उनके साथ खड़ी है *... (व्यवधान)* सुषमा जी कोई ऐसा कार्य नहीं करेगी जो देश के हित में न हो। … (*व्यवधान*)

[अनुवाद]

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं व्यवस्था के प्रश्न पर हूँ। … (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: यह क्या है?

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: कृपया अपने स्थान पर वापस जाएं।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: आप अपने स्थान पर जाएं। मैं देखूंगी कि श्रीमती सुषमा जी द्वारा कोई गलत बात कही गई है, तो मैं उसे कार्यवृत्त से निकाल दूंगी।

… (*व्यवधान*)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं नियम 356 के तहत व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूँ। … (*व्यवधान*) यह कहता है:

> “अध्यक्ष ने सभा का ध्यान एक ऐसे सदस्य के आचरण की ओर आकर्षित करने के बाद दिया जो अप्रासंगिक है या अपने ही तर्कों में या कठिन दोहराव में लगा हुआ है।” ”

महोदया, नियम 357 भी देखें, जो कहता हैः

> "एक सदस्य, अध्यक्ष की अनुमति से, एक व्यक्तिगत स्पष्टीकरण दे सकता है, हालांकि सदन के सामने कोई सवाल नहीं है, लेकिन इस मामले में कोई बहस योग्य मामला सामने नहीं लाया जा सकता है, और कोई बहस नहीं उठेगी।"

इसलिए, नियम 357 के अनुसार, उन्हें स्पष्टीकरण देने की अनुमति दी जानी चाहिए। यह संदर्भित करने के लिए प्रासंगिक है *... (व्यवधान)* आप नीचे नहीं जा सकते *... (व्यवधान)* यह मंत्री जी पर आरोप है। वह आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा सकतीं। … (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: आप कृपया बैठ जाएं।

… (*व्यवधान*)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: वे समझाएंगे। आप उन्हें नियम 357 के तहत बोलने की अनुमति दीजिये। … (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : आप सभी लोग ऐसे क्यों चिल्ला रहे हैं, जैसे मैंने उनको परमिशन नहीं दी, आप क्यों चिल्ला रहे हैं?

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: आप आसन के समीप क्यों हैं?

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: मैंने कुछ नहीं कहा। मुझे खेद है। उन्हे बोलने दो।

… (*व्यवधान*)

<u>अपराह्न 05.29 बजे</u>

इस सामय डॉ. ए. संपत और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने अपने स्थान पर वापस चले गए।

माननीय अध्यक्ष: श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन, आप क्या कहना चाहते हैं?

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: श्री प्रेमचन्द्रन जी, क्या हुआ?

… (*व्यवधान*)

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन (कोल्लम): माननीय अध्यक्ष महोदया, मुझे यह अवसर देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। … (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: यह क्या है?

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन : क्या आप अध्यक्ष के भी ऊपर हैं? … (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: उन्हें अन्यथा नहीं बोलना चाहिए था।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष : कृपया ऐसा न करें। मुझे मालूम है।

… (*व्यवधान*)

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन : महोदया, बहुत-बहुत धन्यवाद। (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : अगर एक-दूसरे को इस प्रकार से रिप्लाई देना शुरू कर देंगे, तो इसका अंत कभी भी नहीं होगा।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन: महोदया, सुषमाजी द्वारा संदर्भित पत्र के संबंध में मुझे व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देने का अवसर देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: ठीक है।

श्री एन.के. प्रेमचंद्रन: मुझे पत्र याद नहीं है। यह सही हो सकता है *... (व्यवधान)* हाँ, मैं स्वीकार करता हूँ।

माननीय अध्यक्ष: ठीक है।

… (*व्यवधान*)

श्री एन.के. प्रेमचंद्रन: मैं स्वीकार कर रहा हूं, महोदया... *(व्यवधान)* इतनी सतर्कता न बरतें।

महोदया, हां, मैं स्वीकार करता हूं। मैंने लिखा है- (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, कृपया। यह इस प्रकार नहीं चल सकता।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: जब उन्होनें कुछ कहा है, तो मुझे उन्हें अनुमति देनी होगी।

… (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : यह क्या हो रहा है?

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन : माननीय अध्यक्ष महोदया, यह बिल्कुल सही है और मैं इसे स्वीकार करता हूं, और मैं इसका समर्थन करता हूं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरे पास एक पत्र या प्रतिनिधित्व है। मैंने अपने विदेश मंत्री जी को लिखा है, यू.ए.ई. अधिकारियों को नहीं। (*व्यवधान*) जांच करें और आवश्यक कार्य करें... *(व्यवधान)*

महोदया, कृपया दया करें। माननीय विदेश मंत्री जी, मंत्रिमंडल में इतनी वरिष्ठ शख्सियत का मुझ पर आरोप लगाना और ललित मोदी की तुलना मेरे साथ करना उचित नहीं है... *(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, कृपया। यह अनुचित है। वह जो भी कह रहे हैं, मैं सुन रही हूं।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: ये सब क्या हो रहा है?

… (*व्यवधान*)

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन: महोदया, किस बारे में बात कर रही थीं। मेरे ज्ञान के अनुसार या मेरी स्मृति के अनुसार, श्री माधवन पिल्लई जेल में हैं, उनकी मां बीमार हैं। मैं अपने मंत्री जी, अपने माननीय विदेश मंत्री को यह देखने के लिए पत्र लिख रहा हूं कि क्या मदद के लिए या स्थिति से निपटने के लिए कुछ किया जा सकता है। मंत्री जी को क्या करना है? … (*व्यवधान*) महोदया, मंत्री जी को क्या करना है? … (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष महोदया, मंत्री जी को विदेश मंत्रालय से जांच करनी होगी कि क्या ऐसा करना उचित है। लेकिन दूसरे मामले में क्या किया गया है? … (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : बात यह है कि ऐसा होता है। इतना कहना ही काफी है।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्रीमती सुषमा स्वराज: आज वित्त मंत्री जी*... (व्यवधान)*

श्री एन.के. प्रेमचंद्रन: महोदया, कृपया, एक सेकंड, *... (व्यवधान)*

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : यहां पर हर पत्र का एक्सप्लानेशन देना शुरू कर देंगे।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: मैं आपसे अपील करती हूं।

… (*व्यवधान*)

श्री एन.के. प्रेमचंद्रन: मंत्री जी मेरी तुलना ललित मोदी से कर रहे हैं। लेकिन स्थिति बिल्कुल अलग है। यहां, ललित मोदी ने मंत्री जी से अनुरोध किया; और मंत्रालय को सूचित किए बिना, प्रधानमंत्री को सूचित किए बिना, वित्त मंत्री को सूचित किए बिना, लंदन में मिशन को सूचित किए बिना, उन्होनें यात्रा दस्तावेजों को देने का निर्देश दिया है। (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: ठीक है।

अब, हमें चर्चा समाप्त करनी होगी।

… (*व्यवधान*)

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन: तो, यह पूरी तरह से एक अलग स्थिति है। मेरा कहना यह है कि, उन्हें इसे वापस लेना होगा*... (व्यवधान)*

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : ठीक है, आपने अपना एक्सप्लानेशन दे दिया।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: यह ठीक है।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: अब, कुछ भी रिकॉर्ड पर नहीं जाएगा।

… (*व्यवधान*)... *

माननीय अध्यक्ष: नहीं, सुषमा जी। मुझे खेद है, यह इस तरह नहीं चल सकता।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: नहीं, मुझे खेद है। यह कोई तरीका नहीं है ।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: मुझे खेद है। किसी को भी आपस में बातचीत नहीं करनी चाहिए। यह कोई तरीका नहीं है । संवाद इस तरह नहीं होना चाहिए। हर समय, आपको भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

… (*व्यवधान*)

श्री एम. वेंकैया नायडू: महोदया, इसका एक समाधान है। माननीय मंत्री जी पत्र को प्रमाणित करेंगी और सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन: मैं इसे स्वीकार कर रहा हूं . . . (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: लेकिन वह नहीं, नहीं कह रहे हैं।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: मैं इसे समझ सकती हूं।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: अब, आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। यह ठीक है।

… (*व्यवधान*)

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

माननीय अध्यक्ष: प्रमाणित करने या कुछ भी करने का कोई प्रश्न नहीं है।

… (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : बात केवल इतनी ही है। यह सबको समझना चाहिए कि हमारे पास भी एज ए पब्लिक रिप्रैजेंटेटिव के नाते कई सारी बातें आती हैं और उनमें से कुछ होती हैं। उनका कहना इतना ही था कि हमें भी समझ कर ही किसी को रिक्वैस्ट करनी है। मुझे लगता है कि यही एकमात्र चीज़ थी और इसीलिए उन्होंने इसका उल्लेख किया था। यह ठीक है।

अब, श्री राहुल गांधी। पहले से ही शाम के 5.30 बज चुके हैं, आपको सिर्फ दो मिनट मिलेंगे, उससे ज्यादा नहीं।

… (*व्यवधान*)

[अनुवाद]

श्री राहुल गांधी (अमेठी): माननीय अध्यक्ष महोदया, आपकी अनुमति से मैं सुषमा जी से एक प्रश्न पूछकर प्रारंभ करना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष: अब, कोई प्रश्न-उत्तर नहीं। आप बोल सकते हैं और यह रिकॉर्ड पर जाएगा और यह समाप्त हो जाएगा। कोई प्रश्न-उत्तर नहीं।

... (व्यवधान)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : सुषमा जी के समय भी हुआ था..

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री राहुल गांधी : सुषमा जी ने अभी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात उठाई है। मैं उनसे जवाब लेना चाहूंगा। ... (*व्यवधान*) उन्होंने उल्लेख किया कि सज्जन ने मानवीय आधार पर एक अनुरोध दिया था। ... (*व्यवधान*) मैं उनसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। ... (*व्यवधान*) क्या उन्होनें अनुरोध पूरा किया या नहीं?

माननीय अध्यक्ष: नहीं, मैं प्रश्न-उत्तर की अनुमति नहीं दे रही हूं। मुझे खेद है।

श्री राहुल गांधी : मैं सुषमा जी से पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने अनुरोध पूरा किया। क्या सुषमा जी उत्तर दे सकती हैं कि क्या उन्होंने अनुरोध पूरा किया?

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : राहुल जी, आपको बोलना है तो नो क्वैश्चन, आंसर। मैं प्रश्न-उत्तर की अनुमति नहीं दे रही हूँ। आपको बोलना है तो अपनी बात बोलिए। इसे रिकॉर्ड पर जाने दें लेकिन कृपया कोई प्रश्न-उत्तर नहीं।

श्री राहुल गांधी : जवाब नहीं दिया।*... (व्यवधान)* मोदी जी ने देश को एक वादा किया था, कहा था 15 लाख रुपए हर बैंक एकाउंट में जाएंगे। कहा था, न खाऊंगा, न खाने दूंगा। अब मैं उसके बारे में बोलना चाह रहा हूं तो ये मुझे चिल्लाकर चुप करा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी चुप नहीं रहेगी, कांग्रेस पार्टी बोलती रहेगी।*... (व्यवधान)* अब सवाल क्या है? सवाल यह है कि देश की जनता ने मोदी जी पर भरोसा किया था। देश की जनता को लगा था कि मोदी जी कालेधन में से 15 लाख रुपए हमारे एकाउंट में डालेंगे।*... (व्यवधान)*

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: यह मुद्दा नहीं है।

[हिन्दी]

श्री राहुल गांधी : यह मुद्दा है।

आई.पी.एल. भारत में *काला धन* का केंद्र है.... *(व्यवधान)* ललित मोदी भारत में *काले धन* का प्रतीक है। ... (*व्यवधान*) वह इस देश में काले धन के प्रतीक के अलावा और कुछ नहीं है। ... (*व्यवधान*) अब हमारे प्रधान मंत्री जी ने कहा न खाऊंगा, न खाने दूंगा।... (*व्यवधान*) आज उनमें कुर्सी पर बैठकर हमारे प्रश्नों का उत्तर देने की हिम्मत नहीं है.... *(व्यवधान)* वह यहां इसलिए नहीं बैठे हैं कि उनमें इस सदन का सामना करने की हिम्मत नहीं है। ... (*व्यवधान*) फिर भी, गांधी जी के तीन बंदर थे छोटे-छोटे और छोटी उनकी मूर्तियां हुआ करती थी,एक बंदर कहता था बुरा मत देखो, दूसरा बंदर कहता था कि बुरा मत सुनो, तीसरा बंदर कहता था कि बुरा मत बोलो।... *(व्यवधान)* मोदी जी ने इसे मोडिफाई कर दिया है। मोदी जी का कहना है, सच को मत देखो, सच को मत सुनो और सच को मत बोलो।... *(व्यवधान)* कल सुषमा जी ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, तुम मेरे से गुस्सा क्यों हो? मैंने तुम्हारा क्या किया है और मैंने सुषमा जी से कहा कि मैं आपसे गुस्सा नहीं हूं, मैं आपका आदर करता हूं। तब मैंने उनकी आंखों में देखा जैसे मैं अभी देख रहा हूं और कहा - सुषमा जी मैं सत्य बोल रहा हूं, तब उन्होंने अपनी आंखें नीचे की।... *(व्यवधान)* यह सच है।... *(व्यवधान)* अब सवाल उठता है कि आपने यह क्यों किया? मैं बताता हूं, आपके परिवार को ललित मोदी जी पैसा देते हैं।... *(व्यवधान)* आपका परिवार उनके लीगल अफेयर्स को देखता है उसी समय आप मिनिस्ट्री में उनकी मदद करती हैं।... *(व्यवधान)* बहुत सारे लोग ह्युमेनिटेरियन काम करते हैं। आप लोग भी ह्युमेनिटेरियन काम करते हो, कोई अस्पताल बनाता है, कोई किसी की मदद करता है लेकिन सुषमा जी दुनिया में पहली ह्युमेनिटेरियन हैं जो छुपकर ह्युमेनिटेरियन काम करती हैं। मैडम, हमने सुषमा जी से दो सवाल पूछे हैं। एक सवाल यह था कि कितना पैसा मिला?... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: कृपया अब समाप्त करें।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: राहुल जी, कृपया इसे अभी पूरा करें।

... (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राहुल गांधी: मैडम,*... (व्यवधान)* जो काला धन है, उसका जो चिन्ह है, उसको बचाने के लिए कितना पैसा मिला?*... (व्यवधान)* और दूसरा सवाल यह है कि आपने यह काम छुपकर क्यों किया?*... (व्यवधान)* खुले में क्यों नहीं किया? सदन सामने क्यों नहीं किया? प्रधान मंत्री जी को क्यों नहीं बताया?...(व्यवधान) या बताया या नहीं बताया? *... (व्यवधान)*

दूसरी तरफ, वहां आपके एक एम. पी. बैठे हैं, उनको आज छुपाया जा रहा था। एमपीज की लाइन उनके सामने खड़ी थी।*... (व्यवधान)* उनको छुपाया जा रहा था। *... (व्यवधान)* उनको 11-12 करोड़ रुपये सीधे दिये गये।*... (व्यवधान)* उनकी कंपनी को सीधा 12 करोड़ रुपया दिया गया? किसने दिया? ललित मोदी जी ने दिया।*... (व्यवधान)* उनकी बिजनैस रिलेशनशिप है। आपके यहां जो जेटली जी बैठे हैं, *... (व्यवधान)* उन्होंने कहा यह एक वाणिज्यिक लेनदेन है। स्पीकर मैम, कमर्शियल ट्रांजेक्शन में दो लोगों को फायदा होता है। ये *... (व्यवधान)* हमें यह बहुत अच्छी तरह दिख रहा है कि यहां पर जो एमपीज हैं, उनको क्या फायदा हुआ?... उनकी मदर को क्या फायदा हुआ। *...(व्यवधान*) हमें यह बता दीजिए कि कमर्शियल ट्रांजेक्शन में ललित मोदी का क्या फायदा हुआ?*... (व्यवधान)* मोदी जी, देश ने आप पर भरोसा किया था।*... (व्यवधान)* आपने देश को कहा कि न खाऊंगा, न खाने दूंगा। *... (व्यवधान)* काला धन*... (व्यवधान)*

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष : अब, यह खत्म हो गया है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: अब, यह ठीक है।

माननीय मंत्री जी - श्री जेटली जी।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: क्या आप समाप्त कर रहे हैं?

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: जेटली जी, वह समाप्त कर रहे हैं।

अब, इसे समाप्त करें।

... (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राहुल गांधी : ये आपकी रक्षा नहीं कर रहे हैं। ये लोग आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं।*... (व्यवधान)* आपकी रक्षा आपके बोलने से होगी।*... (व्यवधान)* आप बोलिए। आप बोलने से नहीं डरिए।*... (व्यवधान)* देश आपकी आवाज सुनना चाहता है। *... (व्यवधान)* आप कहते हैं, मन की बात करूंगा।*... (व्यवधान)* आप देश के मन की बात भी कर लो। देश सुनना चाहता है, पन्द्रह लाख रुपये कहां गये? देश सुनना चाहता है कि ललित मोदी को, ब्लैक मनी के नैटवर्क को क्यों बचाया जा रहा है? *... (व्यवधान)* आपके यहां की मंत्री जी बचा रही हैं। वहां चीफ मिनिस्टर बचा रहे हैं। यहां उनका बेटा बचा रहा है।*... (व्यवधान)* यह देश हित में नहीं है।*... (व्यवधान)*

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: अब, यह ठीक है। कृपया बैठ जाइए।

श्री जेटली जी अब बोल सकते हैं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: हाँ, श्रीमान जेटली जी।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: अब, माननीय मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं।

... (व्यवधान)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, आप एक घंटा बोल चुके हैं। पहले इनका रिप्लाई आने दीजिए। बीच में नहीं बोलते। रिप्लाई के बाद बोलिएगा।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: कृपया अपने स्थान पर बैठें। सरकार जवाब दे रही है। कृपया इस तरह से न करें।

... (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अरुण जेटली : माननीय अध्यक्ष जी, आज पूरे देश को और जितने सांसद इस सदन में बैठे हैं, ... *(व्यवधान)* सबकी अपेक्षा यह थी कि जो एडजर्नमेंट मोशन खड़गे जी ने पेश किया है, ...(*व्यवधान*) उसकी बहस में कोई तर्क सामने आएंगे। कोई तथ्य सामने आएंगे कि पूरा देश जान सके कि पूरा पार्लियामेंट का एक सैशन वॉश आउट हो गया। कोई बहुत बड़े कारण रहे होंगे कि कांग्रेस पार्टी ने इस रणनीति को अपनाया।... *(व्यवधान)* लेकिन खेद इस बात का है कि न खड़गे जी के भाषण में और न ही उनकी पार्टी के दूसरे सदस्य जिन्होंने इसमें भाग लिया, वे अपने आपको खोखले नारों से ऊपर नहीं उठा पाए और कोई तर्क आधार नहीं दे पाए।

अपराह्न 05.45 बजे

इसके बाद श्री मल्लिकार्जुन खड़गे और कुछ अन्य माननीय सदस्य सदन से बाहर चले गए।

माननीय अध्यक्ष जी, यह उम्मीद थी कि कोई इतना बड़ा कांड हो गया कि पूरे देश के लोकतंत्र को खतरा पहुंचा हो और सदन में कानून न बनने दे। जिन विषयों से देश की आर्थिक प्रगति होनी है, जिन विषयों पर एक राय भी बन चुकी है, फिर भी उनको पारित न होने दे, शायद कोई बहुत बड़ा अपराध होगा जो सरकार की तरफ से किसी ने किया होगा। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि खड़गे जी ने, श्री राहुल गांधी जी ने और अन्य सदस्य जिन्होंने आरोप लगाए हैं, सरकार इन आरोपों को पूरी तरह से निराधार मानती है और खारिज करती है।

अपराह्न 05.47 बजे

श्री पी. करुणाकरन और श्री मोहम्मद सलीम फिर सदन से बाहर चले गए।

महोदया, कहा गया कि खोदा पहाड़ निकला चूहा, शायद अनुप्रिया जी ने कहा। यह भी अपने आप में आतिश्योक्ति थी क्योंकि वह भी नज़र नहीं आ रहा है। यह सारा विषय क्या है, क्या हम सिर्फ नारों तक इसे सीमित रखेंगे कि वास्तविकता क्या है। वास्तविकता यह है कि आरोप क्या था और इसका मूल विषय क्या था। यह तब शुरू हुआ जब वर्ष 2009 में आम चुनाव होने वाले थे। जब देश में आम चुनाव थे तब आईपीएल का

क्रिकेट टूर्नामेंट देश में नहीं हो पाया क्योंकि जितनी पुलिस थी, जितना सिक्योरिटी एपेरेटस था, वह चुनाव में व्यस्त था। कुछ सप्ताहों का नोटिस दिया गया और उसे दक्षिण अफ्रीका शिफ्ट कर दिया गया। इनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उस टूर्नामेंट के बाद इस आधार के ऊपर नोटिस दिए और आरोप था कि वहां टूर्नामेंट कराने के लिए जो पैसा भेजा गया, वह रिजर्व बैंक की अनुमति के बगैर भेजा गया। पैसा बैंकिंग चैनल से गया, बैंकिंग चैनल से आया लेकिन रिजर्व बैंक की परमिशन नहीं थी। ये वर्ष 2009-2010 की घटना है। जिस व्यक्ति का नाम बार-बार लिया जाता है, जो इसके लिए जिम्मेवार थे इनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उन्हें नोटिस भेजकर कहा कि आप हमारे सामने आकर अपनी इनवेस्टिगेशन करवाइए। वह इनवेस्टिगेशन के लिए नहीं गए। जो इनवेस्टिगेशन में नहीं जाते हैं उन लोगों को तीन प्रकार के नोटिसिस भेजे जाते हैं। पहला नोटिस इंटरपोल के माध्यम से रेड कार्नर अलर्ट भेजा जाता है कि इस व्यक्ति को हम लोग पकड़ना चाहते हैं, इसे अरेस्ट करना चाहते हैं और यह व्यक्ति गायब हो गया इसलिए दुनियाभर में रेड कार्नर अलर्ट पहुंच जाता है। सभी एयरपोर्ट्स पर होता है कि यह व्यक्ति कभी आए तो इसे पकड़ कर हिंदुस्तान ले आइए। यह इंटरपोल के माध्यम से होता है।

दूसरा नोटिस रेड कार्नर नहीं होता है, लेकिन उसे ब्लू कार्नर कहा जाता है। वह भी इंटरपोल के माध्यम से होता है और वह नोटिस होता है कि अगर वह व्यक्ति दुनिया के किसी एयरपोर्ट से आता-जाता दिख जाए तो उसे वेयरएबाउट्स भारत की एजेंसी को बता दिए जाएं। यह भी इंटरपोल के माध्यम से होता है। एक तीसरा नोटिस होता है, जिसे लाइट ब्ल्यू कॉर्नर नोटिस कहा जाता है। यह केवल देश के भीतर, देश की इंवेस्टिगेटिव एजेंसी डीआरआई इश्यू करती है ताकि देश के भीतर किसी एयरपोर्ट पर यह व्यक्ति नज़र आ जाए, तो उसकी जानकारी हमें पहुंचा दी जाए। उस वक्त मुझे नहीं मालूम कि यूपीए सरकार को क्या सूझी, इनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट को क्या सूझी कि व्यक्ति लंदन में छिप गया, इन्होंने रेड कॉर्नर नोटिस नहीं दिया, ब्ल्यू कॉर्नर नोटिस नहीं दिया, लेकिन जयपुर और जोधपुर के तमाम एयरपोर्ट्स को लाइट ब्ल्यू कॉर्नर नोटिस दे दिया। लाइट ब्ल्यू कलर नोटिस के बेस पर वह लुक-आउट नोटिस चलता रहा। उन 15 शो-कॉज़ नोटिसेज़ में, कि हर चेक, जो साऊथ अफ्रीका गया, हर चेक के ऊपर एक नोटिस था। वह व्यक्ति इंवेस्टिगेशन के लिए नहीं

आया और जो केस था, वह फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट ऐक्ट का था। वर्ष 2002 में दो कानून बने। फेरा (एफईआरए) को रिपील करके एक फेमा (एफईएमए) और दूसरा पीएमएलए (प्रीवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग ऐक्ट) कानून बना। दोनों में इतना अंतर है कि पीएमएलए का जो कानून है, वह मनी लांड्रिंग का कानून होता है। मनी लांड्रिंग के कानून में कोई व्यक्ति अगर अपराध करता है और उससे कोई कमाई करता है, तो उस कमाई को जो इस्तेमाल करता है, उस मनी को जो लौंडर करता है, तो पीएमएलए का केस बनता है। पीएमएलए के लिए आवश्यक है कि एक एंटिसिडेंट ऑफेंस हो, कहीं पर एफआईआर हो, कहीं चार्जशीट हो।[अनुवाद] इसलिए, अपराध का कोई भी लाभ जिसे लॉन्ड्र किया जाता है और उपयोग किया जाता है वह पी.एम.एल.ए. की ओर ले जाता है। अपराध होना चाहिए, एफ.आई.आर. होनी चाहिए और दूसरी बात, उस अपराध से होने वाले मुनाफे की लूट भी होनी चाहिए। वह है पी.एम.एल.ए.।

फेमा का जो कानून है, वह उसकी तुलना में सरल कानून है। इसमें है कि आपने फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट कानून का उल्लंघन किया है। इस ऐक्ट के तहत आपको नोटिस जाएगा, आप उसका जवाब दीजिए। जैसे इनकम टैक्स की एसेसमेंट होती है, वैसे एडजुडिकेशन होगी और आप दोषी पाए गये, तो आप पर पेनल्टी लग जाएगी।

[अनुवाद]

फ़ेमा के तहत दी जाने वाली अधिकतम सजा जुर्माना और दंड है। फेमा में गिरफ्तारी का कोई प्रावधान नहीं है, किसी रेड कॉर्नर अलर्ट का कोई प्रावधान नहीं है और किसी जमानती या गैर-जमानती वारंट का भी कोई प्रावधान नहीं है। फेमा के तहत, आपको भगोड़ा या फरार घोषित नहीं किया जा सकता है क्योंकि आपको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। पी.एम.एल.ए. में, आपको गिरफ्तार किया जा सकता है, आपको अपराधी घोषित किया जा सकता है, या आपको भगोड़ा घोषित किया जा सकता है। आपके खिलाफ वारंट हो सकता है।

[हिन्दी]

अब आप उस चूहिया की तलाश कर रहे थे ... *(व्यवधान)* वह चूहिया यह थी कि हमने फेमा के इंवेस्टिगेशन के लिए नोटिस भेजा, वह व्यक्ति नहीं आया, वह लंदन चला गया, हमने डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स पर कह दिया कि आपको पता हो, तो बता दो कि इसका एड्रेस क्या है। इस बेस पर आपने एक्सटर्नल अफेयर्स को लिख दिया कि इसका पासपोर्ट रद्द कर दो, आपने ब्रिटेन के चांसलर को कह दिया कि इसको आप पकड़कर हिन्दुस्तान डिपोर्ट कर दो। अब इन्होंने कहा कि आरटीआई में चिट्ठी क्यों नहीं दी, यह बहुत बड़ा राज है। आरटीआई कानून यूपीए ने बनाया था। यूपीए के उस आरटीआई कानून में इंवेस्टिगेटिव कानून को यह छूट है कि इंवेस्टिगेटिव एजेंसीज़ अपनी इंवेस्टिगेशन के कोई कागज नहीं दे सकता।

[अनुवाद]

कारण यह है कि अगर सी.बी.आई. या प्रवर्तन निदेशालय को आर.टी.आई. के तहत दस्तावेज देने के लिए बाध्य किया जाएगा तो हर आरोपी सी.बी.आई. के पास जाएगा और कहेगा, "जांच के दौरान आपके पास मेरे खिलाफ जो भी दस्तावेज हैं, कृपया मुझे दे दीजिए।" हर आरोपी प्रवर्तन निदेशालय को बताएगा, "मुझ पर पी.एम.एल.ए. के तहत मुकदमा चलाया जा रहा है, मुझे देखने दो कि मेरे खिलाफ क्या सबूत हैं, फिर मैं आपको अपना बचाव बताऊंगा।" इसलिए, एक नियम के रूप में, प्रवर्तन निदेशालय और सी.बी.आई. ये दस्तावेज नहीं देते हैं क्योंकि यू.पी.ए. ने उन्हें प्रतिरक्षा प्रदान की थी।

अब तत्कालीन वित्त मंत्री ने इंग्लैंड में राजकोष के कुलाधिपति को तीन पत्र लिखे। मुझे आपके चैंबर में श्री खड़गे जी को वे पत्र दिखाने में कोई कठिनाई नहीं है। वे यहां मेरे साथ हैं। लेकिन हम उन्हें आर.टी.आई. के तहत सार्वजनिक नहीं कर सकते क्योंकि हम नहीं चाहते कि लंदन में बैठे व्यक्ति को जांच के सारे दस्तावेज मिलें क्योंकि वह उनके हकदार नहीं है। इसलिये, उन्होंने तीन पत्र लिखे। पहला 8 जुलाई 2013 को, दूसरा 21 अगस्त 2013 को और तीसरा 14 मार्च 2014 को। पत्र में लिखा था कि हमने उनका पासपोर्ट रद्द कर दिया है। पासपोर्ट के बिना, वह इंग्लैंड में कैसे रह रहे हैं? अब यह एक बहुत ही वैध प्रश्न लग रहा था। उत्तर में, वित्त मंत्री

जी ने कहा कि अगर आप वैध पासपोर्ट के साथ इंग्लैंड में प्रवेश करते हैं और उसके बाद आप अपना पासपोर्ट खो देते हैं या उसे रद्द कर दिया जाता है, तो यह अंग्रेजी कानून के तहत निर्वासन का आधार नहीं है। इसलिए, हम उन्हें वापस नहीं भेज सकते। और निर्वासन के लिए, कुछ आपराधिक मामला होना चाहिए। उनके खिलाफ आपके पास जो सबसे अच्छा मामला था, वह फेमा के तहत था, जिसके तहत कोई गिरफ्तारी नहीं हो सकती; कोई जमानत नहीं हो सकती; कोई वारंट नहीं हो सकता; और केवल कुछ जुर्माना ही हो सकता है। तो सिर्फ इसलिए कि किसी के पास आयकर का मामला है या फेमा का मामला है, आप उसे इंग्लैंड में शारीरिक रूप से पकड़कर भारत नहीं ला सकते। ये सभी बनावटी कार्रवाई थीं। जैसे घरेलू हवाई अड्डों को सूचित करना कि उन्हें लंदन में बैठे एक आदमी के बारे में बताया जाए, आप गलत रास्ता अपनाते हैं ताकि आप उस आदमी को वापस लाने में सक्षम न हों। ब्रिटिश अधिकारियों ने कहा कि आपके पास केवल एक तरीका है कि आप हमारे प्रत्यर्पण कानून के तहत उसके प्रत्यर्पण के लिए आवेदन करें। यदि आप उन मानदंडों को पूरा करते हैं, तो हम उनका प्रत्यर्पण करेंगे। आखिरकार, वे भी कानून के द्वारा शासित एक समाज हैं। इस बीच, पासपोर्ट प्राधिकरणों ने उनका पासपोर्ट रद्द कर दिया था। दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक फैसला सुनाया कि उनका पासपोर्ट गलत तरीके से रद्द कर दिया गया है। न्यायालय को इस बात का ध्यान रखा होगा कि प्रवर्तन निदेशालय का केवल एक कारण बताओ नोटिस है। बहुत लंबे समय तक उस कारण बताओ नोटिस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई थी। वह कारण बताओ नोटिस वर्ष 2010 का था और अब हम वर्ष 2014 में हैं और यह अभी भी कारण बताओ नोटिस चरण पर लंबित है। न तो इसमें वह अरेस्ट हो सकता है, न इसमें नॉन-बेलेबल वारण्ट जारी हो सकते हैं क्योंकि कानून में ही उसका प्रावधान नहीं था। इसलिए दिल्ली हाईकोर्ट ने उसका पासपोर्ट वापस कर दिया। उसके पारिवारिक विषय क्या थे, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं, मैं सरकार की तरफ से जवाब दे रहा हूं, इसमें उसका कोई ताल्लुक नहीं है, सुषमा जी ने अपना निजी स्पष्टीकरण दिया है। सही कार्यप्रणाली यह थी कि उनके खिलाफ बड़ी संख्या में ऐसे तथ्य थे जिनके संबंध में चेन्नई में उनके खिलाफ मामला लंबित था। उस मामले की विषय वस्तु ने पी.एम.एल.ए. के तहत कार्रवाई के कारण को जन्म दिया। पी.एम.एल.ए. के तहत प्राथमिकि वर्ष 2012 में दर्ज़ की गई थी। यह मामला प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज किया गया था। प्राथमिकी वर्ष 2012 की

है लेकिन कार्यवाही वर्ष 2012 में पी.एम.एल.ए. के तहत दर्ज की गई थी। लेकिन कार्यवाही को आगे नहीं बढ़ाया गया। यह केवल अब है कि पी.एम.एल.ए. के तहत कार्यवाही शुरू की गई है क्योंकि *प्रथम दृष्टया* उनमें से कुछ उल्लंघनों पर पी.एम.एल.ए. के तहत मामला बन सकता है। पीएमएलए मामले में प्रवर्तन निदेशालय के सामने आने और पेश होने के लिए उन्हें लंदन में समन जारी किया गया था। वह उपस्थित नहीं हुए। इसलिए, प्रवर्तन निदेशालय ने मुंबई में संबंधित न्यायालय का रुख किया और उन्हें गैर-जमानती वारंट जारी करवाया। आज हम उसी स्थिति में हैं।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : आप सभी की सहमति हो, इसके बाद सदन का कुछ बिजनेस और भी है, उसे पूरा होने तक हम हाउस का समय एक्सटेंड करते हैं।

श्री एम. वैंकैय्या नायडू : बिजनेस पूरा होने तक एक्सटेंड करें।

माननीय अध्यक्ष : हां, बिजनेस पूरा होने तक एक्सटेंड करते हैं। यही मैंने कहा है।

<u>सायं 06.00 बजे</u>

[अनुवाद]

श्री अरुण जेटली: महोदया, पहली बार वह अगस्त, 5 अगस्त 2015 को गैर-जमानती वारंट पर गिरफ्तारी के लिए उत्तरदायी बने। इसलिए, यदि आप फेमा के तहत आगे बढ़ते हैं और फिर कहते हैं कि उन्हें शारीरिक रूप से उठा लिया जाए और भारत ले आया जाए, तो इसे बनाए रखना कठिन हो सकता है। ब्रिटिश सरकार इससे सहमत नहीं थी। ऐसा केवल तभी होता है जब उन्हें यहां गिरफ्तारी की आवश्यकता होती है और वह उस गिरफ्तारी से बचते है, जिसके बाद रेड कॉर्नर अलर्ट या किसी प्रत्यर्पण कार्यवाही या किसी वैध रद्दीकरण या पासपोर्ट को जब्त करने जैसी अन्य कार्यवाही की जा सकती है। जब तक आप सही कदम नहीं उठाएंगे, तब तक आप सही दिशा में नहीं बढ़ेंगे।

आज हम कहां खड़े हैं? सुषमाजी पर आरोप है कि जिस दिन उनके खिलाफ कोई गिरफ्तारी वारंट नहीं था, कोई आपराधिक मामला नहीं था, उनके खिलाफ फेमा कार्यवाही लंबित थी, उन्होंने एक अनुरोध किया, सही या गलत, और उन्होंने उच्चायुक्त को सावधानी से बताया कि यह अंतरराष्ट्रीय संबंधों का सवाल नहीं है, आप इसे अपने कानून के तहत निपटाएं। वे कहते हैं कि यह एक बड़ा अपराध है जो आपने किया है। दुर्भाग्य से हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां पहली बार उन्हें टेलीविजन चैनलों द्वारा भगोड़ा और फरार घोषित किया जाता है, न कि न्यायालय द्वारा, या कांग्रेस पार्टी के कुछ सदस्यों द्वारा क्योंकि यह उनके तर्क के अनुकूल था।

अब, रणनीति क्या है? रणनीति ये है कि तथ्यात्मक रूप से 26 मई 2014 तक आप सत्ता में थे। आपके पास केवल एक पुरानी फेमा न्यायनिर्णयन कार्यवाही थी जहां मुख्य प्रश्न यह है कि क्या दक्षिण अफ्रीका में धन का हस्तांतरण और वापस स्थानांतरण - और ये बैंक हस्तांतरण हैं - आर.बी.आई. की अनुमति के बिना फेमा का उल्लंघन है या नहीं। यह हो सकता है। यह सब कार्यवाही है, एक कार्यवाही जिसमें उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सका।

इसलिए, आपके द्वारा उठाए गए हर कदम, जिसमें उन्हें शारीरिक रूप से वापस लाने की इच्छा भी शामिल है - अंग्रेजों ने कहा कि यह कानूनन अनुमति नहीं है - आप गलत कदम उठा रहे थे और एक गलत धारणा पैदा कर रहे थे जैसे कि आप कुछ कर रहे थे और वर्तमान सरकार उनका पक्ष ले रही है। सच्चाई इसके विपरीत है कि आपने ऐसे कदम उठाए जहां आप कभी सफल नहीं हो सकते। सही कदम - अर्थात पी.एम.एल.ए. के तहत मामला दर्ज करना, उस मामले को सक्रिय करना, उसे पहली बार उस मामले में समन करना, उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट प्राप्त करना, उसके खिलाफ रेड कॉर्नर अलर्ट के लिए आगे बढ़ना - ये सभी कदम हैं जो अब उठाए जाएंगे। अन्यथा, लंदन में रहने वाले एक व्यक्ति के लिए घरेलू हवाई अड्डों को दिए गए हल्के नीले रंग के दिखावटी नोटिस का कोई अर्थ नहीं है। और यही वह कदम है जो उन्होंने उठाया था।

अब रणनीति क्या है? रणनीति यह है कि अगर आप इन तथ्यों को शांत वातावरण में उसी तरह से रखते हैं जैसे हम रख रहे हैं, तो संभवत: आपके पास खड़े होने के लिए कोई आधार नहीं है। आपने दस साल

तक सरकार चलाई थी। उन दस वर्षों में क्या था, ये केस हमें नहीं डालने पड़े। आपको जब हमने कहा कि स्पेक्ट्रम एलोकेशन गलत हो रहा है, बे-ईमानी से हो रहा है, इसमें 1,76,000 करोड़ रुपए का नुकसान है, संसद में बहस हुई, सी.एंड ए.जी. की रिपोर्ट आई। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कांट्रेक्ट रद्द किए, एफ.आई.आर. रजिस्टर हुई। फिर जाकर हमने कहा कि मंत्री जी को हटाओ। कोयले के कांड में, उस वक्त के प्रधान मंत्री जी के पास कोयला मंत्रालय था। आज पता चल रहा है कि उनके साथ जितने सहयोगी थे, जो एम.ओ.एस. थे, सब उसमें शामिल थे। उसमें भी 1,87,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। आज जब ऑक्शंस हुई हैं, उससे यह स्पष्ट हो गया। मोदी जी की सरकार ने आते ही कहा कि यह सब ऑक्शंस से होगा। आप कोई आरोप नहीं लगा पाए। स्पेक्ट्रम में हमने तो कोई एफ.आई.आर. नहीं की, सुप्रीम कोर्ट के कहने पर हुई। कोयले के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनके ऊपर केसेज़ चलाएं और आबंटन रद्द किए। आपकी सरकार के जमाने में कहा और जब वह कलंक आपके ऊपर लग गया, अब एक साफ-सुथरी सरकार दिल्ली में काम कर रही है, तो, आप उस चीज़ का पहाड़ बना देते हो जो तिल का भी नहीं है। जहां चुहिया भी नहीं निकली, वहां उसे आप चुहिया कह दीजए कि एक हमने डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स पर नोटिस था, एक लंदन में बैठे व्यक्ति का, उसकी क्यों मदद की। राहुल जी ने अभी कहा कि क्या आपने प्रेमचन्द्रन जी की रिक्वैस्ट पर कार्रवाई की या नहीं? आपने तो केवल उस एक व्यक्ति की मदद की? सुषमा जी ने उस रिक्वैस्ट पर भी वही की। उस रिक्वैस्ट पर प्रेमचन्द्रन जी को 31 अक्टूबर, 2014 को जवाब दिया-[अनुवाद] मैंने इस मामले को देखा है। श्री माधवन पिल्लई और दो अन्य भारतीय नागरिक ओमानी सुरक्षा गार्ड की हत्या से जुड़े सुनियोजित चोरी के मामले में 1997 से एक ओमानी जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। इन भारतीयों के परिवारों की दया याचिका पर विचार करने और जेल की सजा की शर्तों को कम करने के लिए नियमित रूप से स्थानीय सरकार को भेज दिया गया है। ओमान में भारतीय मिशन ने मानवीय आधार पर क्षमादान पर विचार करने के लिए सितंबर, 2014 में ओमान में केंद्रीय कारागार के पुलिस महानिरीक्षक के समक्ष भी अपने मामले उठाए हैं।

श्री राहुल गांधी के साथ कठिनाई यह है कि वह ज्ञान के बिना एक विशेषज्ञ हैं। इसलिए, मामले को जाने बिना, वह यह मान रहे हैं कि श्रीमती सुषमा जी केवल एक आदमी की मदद करना चाहती थीं, न कि इन व्यक्तियों

की। बिल्कुल यही नीति वहां भी थी। आप बताइए कि उस व्यक्ति को लाने के लिए मई 2014 से पहले क्या हुआ था? आपकी सरकार ने जो कानूनी रूप से स्थायी कार्रवाई की, वह कौन सी थी? आप केवल 'काले धन का केंद्र' या 'काले धन का प्रतीक' शब्दों का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन आपकी सरकार ने विदेशों में पड़े काले धन को भारत में लाने के लिए क्या कदम उठाए? हमने कुछ कड़े कदम उठाए हैं। कुछ लोग जो इस सरकार के आलोचक हैं, हमारी आलोचना करते हुए कह रहे हैं कि ये बहुत कठोर कदम हैं। लेकिन आपने कुछ नहीं किया। हर कदम हमने उठाया है।

आपको यह कहने का बहुत शौक है कि तीन बंदर थे लेकिन इस देश को एक बंदर मत बनाइये। बिना किसी मुद्दे के, जो कि एक बहस योग्य मुद्दा है, आप संसद को रोके रखते हैं, आप पूरा सत्र बर्बाद करते हैं और असली कारण यह है कि आपने एक विफल सरकार चलाई। आप एक भ्रष्ट सरकार चलायी। इसलिए, जब भारत में चीजें बेहतर होने लगी हैं और एक नया आत्मविश्वास आया है, तो आप किसी तरह भारतीय विकास की कहानी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं।

भारतीय विकास की कहानी को नुकसान पहुंचाने के लिए, उनका सबसे अच्छा मौका थाः मुझे उस पर वापस जाने दें जो मैंने वादा किया था - माल और सेवा कर। इसलिए, वर्ष 2006 में उन्होंने जो घोषणा की थी और वर्ष 2011 में जो प्रस्ताव पेश किया था, वे सभी प्रस्ताव, जिन्हें उनके वित्त मंत्रियों ने स्वीकार कर लिया था, उन्हें स्वीकार्य नहीं हैं। अब वे कहते हैं, लोक सभा से मंजूरी मिलने के बाद हम असहमति जताएंगे, एक बार जब दूसरे सदन में संख्या आपके खिलाफ होगी, तो हम मतदान की अनुमति नहीं देंगे क्योंकि संविधान संशोधन के लिए केवल फेफड़ों की शक्ति का उपयोग करके और सदन को परेशान करके वोट की आवश्यकता होती है।

मेरी पूरी सहानुभूति सुषमा जी के साथ है क्योंकि वह तो केवल बलि का बकरा हैं, एक बहाना हैं। वास्तविक कारण यह था कि वे कानून, विशेष रूप से जी.एस.टी. पर संविधान संशोधन को रोकना चाहते थे। यह कहना बहुत आसान है कि आपके परिवार के सदस्य एक मामले में दिखाई दिए। उन्होंने साफ किया है कि उनकी बेटी अपने वरिष्ठ के साथ नजर आईं। नौ अन्य कनिष्ठ थे। वह उस भीड़ में से एक थी। उन्हें भुगतान नहीं

किया गया है। वह अपने वरिष्ठ के साथ न्यायालय गई थीं। तो क्या यही बड़ा घोटाला है? इस देश में अभी भी कई ईमानदार लोग हैं जिनके बच्चों को रोज़ी-रोटी का काम करना पड़ता है।

इस देश की राजनीति में हावी परिवार की पीढ़ियों ने आजीविका चलाने का काम नहीं किया है। उन्होंने बिना काम किए आराम से जीने की कला सीखी है; हम में से कुछ ने नहीं सीखी है। इसलिए, सरकार इनमें से प्रत्येक आरोप को अस्वीकार करती है और सुषमा जी के इस्तीफे का प्रश्न ही नहीं उठता है। इसी तरह, मैं यह भी स्पष्ट कर सकता हूं कि जिस तरह धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत यह मामला अब लंबित है, उन्होंने एक संसद सदस्य और उनकी मां, जो मुख्यमंत्री हैं, के मामले का उल्लेख किया। मैं कोई राय नहीं दे रहा हूं। मैं सिर्फ तथ्य बता रहा हूं।

यह इस प्रस्ताव का हिस्सा नहीं था, लेकिन कांग्रेस के दोनों वक्ताओं द्वारा उस पर भारी मात्रा में समय बिताया गया था। पहला आरोप यह है कि एक साल चेक से लोन दिया गया और अगले साल वापस कर दिया गया। इसलिए, यदि मैंने कहा होता कि यह दो लोगों के बीच एक व्यावसायिक लेनदेन था, जब किसी परिवार के दामाद को एक रियल एस्टेट कंपनी से अग्रिम धनराशि मिली जो राष्ट्रीय मुद्दा बन गई, तो मेरे पूर्ववर्ती श्री चिदम्बरम जी ने भी कहा था कि यह एक व्यावसायिक लेनदेन था। लेकिन उस व्यावसायिक लेनदेन में, जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा कुछ था। तो, आपको एक वर्ष में ऋण मिलता है, आप अगले वर्ष ऋण वापस देते हैं, तो यह एक बड़ा घोटाला है!

आपकी एक कंपनी है जिसके पास एक महल है। तो, आप एक काल्पनिक तर्क शुरू करते हैं, 'अब हम इस पर विवाद कर रहे हैं। यह महल आपका नहीं है। ' क्या कांग्रेस पार्टी और उनके प्रवक्ता एक सिविल न्यायालय पर एक अपीलीय प्राधिकारी हैं जिसने फैसला किया है कि महल श्री दुष्यंत सिंह का है? कचहरी ने कह दिया उनका है, उन्होंने कहा कि नहीं हम कचहरी के ऊपर अपीलेट अथारिटी हैं, हमारे प्रवक्ता कह रहे हैं कि आपका नहीं है तो चार दिन उसी की बहस चला दो। अब, अगर उस महल को एक होटल में बदल दिया जाता है, तो यह श्री दुष्यंत सिंह का अधिकार है। यदि कोई निवेश लेकर आया है दस रुपये का शेयर 96 हजार रुपये में

मूल्यांकन की एक प्रणाली है। एक कंपनी का मूल्य लिया जाएगा। यदि आप किसी अन्य निवेशक को कंपनी में निवेश करने के लिए बुलाते हैं, यदि प्रमोटर उन्हें बुलाते हैं, उन्हें किसी कंपनी में निवेश करने के लिए कहते हैं, और फिर क्या निवेश बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया है, कम बताया गया है या वास्तविक है, अधिकारियों द्वारा इसकी जांच की जा सकती है। मुझे नहीं पता कि श्री खड़गे बार-बार मुझ पर कानून जानने का आरोप लगा रहे थे या तारीफ कर रहे थे, लेकिन मैं अनुपस्थिति में उनके साथ कुछ जानकारी साझा करूंगा। एक बहुत ही सरल तर्क है। महल का कुल क्षेत्रफल निकालें, जाकर सर्किल रेट पता करें और आपको एहसास हो जाएगा कि शेयरों का मूल्यांकन क्या होना चाहिए। आपको यह मिल जाएगा। मैं इस पर अंतिम राय व्यक्त नहीं करना चाहता क्योंकि एक शिकायत लंबित है, जिसकी जांच की जाएगी। लेकिन, इन तथ्यों को जाने बिना, एक धारणा बनाने के लिए और यह कहने के लिए कि इसमें घोटाला है, कई घोटाले हुए हैं जिन्हें छिपा दिया गया है। इन सभी को एजेंसियों द्वारा निष्पक्ष और ईमानदारी से जांच लिया जाएगा और उन्हें तार्किक निष्कर्ष पर पहुंचाया जाएगा, न कि उस तरीके से जिस तरह लंदन में उस सज्जन की 26 मई, 2014 से पहले जांच की गई थी। बस इतना ही मुझे इस बारे में कहना है।

श्री एम. वेंकैया नायडू: मैं बहस में कुछ नहीं जोड़ रहा हूं, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री के रूप में, यह मेरी जिम्मेदारी है। पिछले कुछ दिनों से मेरे लिए यह पीड़ादायक रहा है। पहला तो श्रीमती सुषमा स्वराज के कारण है, एक ईमानदार और सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली मंत्री जी को इस तरह के पूरी तरह से नकारात्मक प्रचार का सामना करना पड़ रहा है। मैंने सोचा, यह आज समाप्त हो जाएगा। लेकिन आज भी, मुझे आपके साथ साझा करना चाहिए माननीय अध्यक्ष महोदया, जब मेरे लोग चिल्ला रहे थे तो आप कभी-कभी नाराज हो जाती थीं। मैं आपसे सहमत हूं कि उन्हें चिल्लाना नहीं चाहिए। जो लोग इस प्रस्ताव पर जोर दे रहे थे, वे क्या कर रहे थे जब श्रीमती सुषमा स्वराज जी सदन में बोल रही थीं? क्या यह एक मंत्री के साथ व्यवहार करने का तरीका है, जो एक महिला मंत्री भी हैं, जिनके खिलाफ आपने कई दिनों तक तरह-तरह के आरोप लगाए? क्या आप उनकी छवि खराब करना चाहते हैं?

आप चाहते हैं कि जब आप खड़े हों तो हर कोई चुप रहे। हमें चुप रहना होगा लेकिन जब कोई मंत्री उत्तर देना चाहता है तो आपमें शिष्टाचार नहीं है। श्री खड़गे एक बहुत ही वरिष्ठ व्यक्ति हैं जिनके पास जीवन में इतना अनुभव है। क्या उन्हें श्रीमती सुषमा स्वराज के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए?

दूसरी बात यह है कि मैं संसदीय कार्य मंत्री हूँ। एक संसदीय कार्य मंत्री को क्या करना होता है, आज कुछ लोग मुझे सलाह दे रहे हैं। मैं सलाह का स्वागत करता हूं। मुझे उनसे कम ज्ञान है। मैंने 20 तारीख को एक बैठक बुलाई थी। इस बैठक में 29 राजनीतिक दलों के 41 राजनीतिक नेता मौजूद थे - यह रिकॉर्ड में होना चाहिए। हमने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। हमारे कई साथी यहां मौजूद हैं। दिन के अंत में, 28 दलों ने कहा, सभा को कार्य करना चाहिए और ललित मोदी मामले सहित सभी मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। यही व्यापक सहमति थी। अगर मैं गलत हूं, तो श्री भर्तृहरि महताब यहां हैं, श्री जितेन्द्र रेड्डी यहां हैं, श्री राजमोहन रेड्डी यहां हैं, डॉ. वेणुगोपाल ए.आई.ए.डी.एम.के. से यहां हैं, और अन्य लोग भी यहां हैं, वे मुझे सही कर सकते हैं। उन्होंने कहा, 'हां, इस पर चर्चा होनी चाहिए। यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। ' सरकार की प्रतिक्रिया क्या थी? मैंने कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करना चाहती है।

दूसरी बात, हमारे नेता, देश के प्रधान मंत्री जी उपस्थित थे और उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि सभी मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इस बैठक में कांग्रेस ने क्या कहा? यह कार्यवृत में है। आम तौर पर, मैं संसदीय कार्य मंत्री के रूप में झगड़ा नहीं करना चाहता, यह मेरे कद के अनुरूप भी नहीं है। मुझे सभी के साथ मित्रवत होना चाहिए, जो मैं बनने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन साथ ही मैं सच्चाई के साथ मित्रवत नहीं हो सकता। मुद्दा यह है कि कांग्रेस पार्टी ने ऑन रिकॉर्ड कहा कि जब तक मंत्री जी इस्तीफा नहीं देंगे तब तक सभा नहीं चलेगा। 'पहले इस्तीफा फिर चर्चा' ऐसा बयान दिया गया।

उसके बाद, हम माननीय अध्यक्ष जी के पारंपरिक भोज के लिए आपके पास आए महोदया। मोटे तौर पर सरकार ने यही बात कही कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा को इच्छुक है उन्होंने कुछ मुद्दे उठाए। मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता क्योंकि यह माननीय अध्यक्ष की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था।

30 तारीख को माननीय अध्यक्ष ने फिर से एक बैठक बुलाई थी। रिकॉर्ड के लिए मैं याद दिलाना चाहूंगा, 30 जुलाई को, अध्यक्ष ने एक बैठक बुलाकर संसद सदस्यों से आपस में राजनीतिक और अन्य मुद्दों को सुलझाने का अनुरोध किया था, लेकिन कम से कम लोकतंत्र के लिए सभा के कुएं में आकर और तख्तियां दिखाने से बचा जाना चाहिए। यह अध्यक्ष की सभी के लिए गंभीर अपील थी। यही स्पीकर ने कहा है।

चूंकि गतिरोध था और वे सदन में हंगामा कर रहे थे, इसलिए महोदया, 3 अगस्त को, मैंने सर्वदलीय नेताओं की एक बैठक बुलाई। उससे पहले, अरुण जी ने उनसे बात करने का प्रयास किया था। अनौपचारिक रूप से वे सहमत हुए लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि वे नहीं आ सकते। इसलिए, अरुण जी ने वह बैठक रद्द कर दी। नकवी जी ने उन सभी से बात की है। 3 तारीख को, मैंने विपक्षी दलों के नेताओं की एक बैठक बुलाई और उन्हें आश्वासन दिया कि नियमों के अनुसार सरकार इस मुद्दे सहित हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है, जैसा कि वे चाहते हैं। सभा में चर्चा को स्वीकार करना संसदीय कार्य मंत्री के हाथ में नहीं है बल्कि नियमानुसार अध्यक्ष के हाथ में है। अध्यक्ष भी नियमों और परंपराओं का पालन करते हैं। वहां भी, कांग्रेस ने स्पष्ट रूप से

कहा: 'पहले इस्तीफा दें, बाद में चर्चा करें। अधिकांश दलों ने कहा कि हमें इस मामले पर चर्चा करनी चाहिए और सभा को कार्य करने दिया जाए।

10 तारीख को, मुलायम सिंह जी ने सभा में माननीय अध्यक्ष को सुझाव दिया कि वे नेताओं को बुलाएं और इस मुद्दे को सुलझाएं क्योंकि अन्य सदस्यों को मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर नहीं मिल रहा है। आप मेरे सहित कई नेताओं को अपने कक्ष में बुलाने के लिए काफी दयालु थे। मैं भी आया और हमने चर्चा की। मुलायम सिंह जी ने कहा लोकतंत्र का अपमान नहीं होना चाहिए, पार्लिमेंट में बहस होनी चाहिए, ऐसा मुलायम सिंह जी ने कहा, बाकी लोगों ने भी कहा। सुप्रिया जी यहां बैठी थीं, उन्होंने भी कहा था और अन्य लोगों ने भी कहा। बी.जे.डी. शुरू से ही यही मत की था, वाई.आर.एस. कांग्रेस पार्टी, टी.आर.एस. पार्टी, ए.डी.एम. के और बाकी जो पार्टीज़ हैं, उनका यही मत था कि सदन में बहस होनी चाहिए। इसे भी रिकॉर्ड में लिया गया। लेकिन, मुलायम सिंह जी ने विरोध किया और जिद की कुछ रास्ता निकालना चाहिए, मैंने इतने दिन आपका साथ दिया, अभी आप साथ दीजिए और हाऊस चलाओ, जो भी आपको कहना है, कह दीजिए, मंत्री जी ने क्या पाप किया? उन्होंने पूछा तो कांग्रेस वालों ने कहा कि यह तो सब कुछ मालूम है, उन्होंने कहा कि मुझे मालूम नहीं है। हाऊस में चर्चा होने दीजिए, मंत्री जी को जवाब देने दीजिए और बाद में आपको पसंद नहीं आया तो फिर जो करना है, कीजिए, जो आज आज किया है न उन्होंने, वही काम कीजिए।

महोदया, मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूं, वह यह स्कोर तय करने या अंक अर्जित करने के लिए नहीं है। कुछ लोग बाहर सलाह दे रहे हैं कि सरकार को थोड़ा ज्यादा लचीला होना चाहिए था। बैठक में उन्होंने कहा, "हमारी सरकार के छह मंत्रियों को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया या कराया गया। हम केवल दो मंत्रियों की मांग कर रहे हैं।

[हिन्दी]

सभी के सम्मान में, मद्रास पंचायत नामक एक छोटी सी कहानी है। मद्रास चेन्नई शहर है। शहर के हमारे सभी दोस्त यहाँ बैठे हैं। एक साथी दूसरे साथी के साथ झगड़ा कर रहा था मुझे पचास हज़ार रूपये देना, आपने

दिया नहीं। फिर झगड़ा बढ़ गया तो भीड़ जमा हो गयी, तब लोगों ने कहा कि झगड़ा क्यों करते हो, आपस में बात करो। उन्होंने कहा कि हम दोनों आपस में बात नहीं करते तो उन्होंने कहा कि एक पेदमंशी, तुलगु में कहते हैं कि पेदमंशी, बुज़ुर्ग व्यक्ति, यहां कहते हैं पंच, पंच को चुनो और वह जो कहेगा, उसके अनुसार आप इसको सॉर्टआउट करो तो फिर पंच को चुना गया। पंच ने पूछा कि क्या हुआ। पहले वाले ने कहा कि सर, इन्होंने मुझसे पचास हज़ार रूपये लिए और वापस नहीं कर रहे हैं। दूसरे व्यक्ति से पूछा कि तुम्हारा आर्ग्युमेंट क्या है। उन्होंने कहा कि सर मैं अभी-अभी ट्रेन से उतरा हूँ। ये कौन है, मुझे मालूम भी नहीं है और मेरा हैंड बैग देख कर यह मेरे साथ झगड़ा कर रहा है कि मुझे पचास हजार वापस करो। मैंने कभी इनको देखा नहीं, इनका चेहरा भी मुझे मालूम नहीं है। वे जेंटलमैन, जिनको पंच चुना, उन्होंने कहा कि दोबारा रिपीट करो, दोबारा रिपीट किया। बाकी लोगों ने कहा कि आप जजमेंट दे दो, आर्बिट्रेशन कर दो तो इन्होंने आर्बिट्रेशन दे दिया। उन्होंने एक से कहा कि आप कह रहे हैं कि पचास हजार लिया, दूसरे से कहा कि आपका कहना है कुछ दिया नहीं, ठीक है ऐसा करो कि पच्चीस हजार देकर मामला खत्म करो।

[अनुवाद]

वह एक बेहतर प्रदर्शन करने वाली मंत्री हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन लोगों की सेवा में बिताया है। जनता के चहेते एक मुख्यमंत्री ने सामान्य पृष्ठभूमि से आते हुए बहुत कम उम्र में मध्य प्रदेश में तीन चुनाव जीते हैं। राजस्थान में एक मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो बहुत लोकप्रिय हैं। बिना किसी बात के, आप उनका सिर चाहते हैं और फिर आप चाहते हैं कि मैं सहमत हो जाऊं। ऐसा इसलिए क्योंकि आपके छह मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा और मेरे भी कम से कम दो को इस्तीफा देना चाहिए। हम लोकतंत्र के साथ भी अन्याय करेंगे।

अंत में, बहुत सारे पत्रकार भी पूछ रहे थे वैंकैय्या जी थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। मैंने कहा कि आप बताइए फ्लेक्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए? उन्होंने कहा कि उनको कुछ न कुछ वे-आउट देना चाहिए। हमने उन्हें वे-आउट दिया। आज सुषमा जी ने खड़े होकर कहा कि एडमिट करो। अभी आरोप क्या है? इसलिए मैं खड़ा हो गया, आरोप क्या है, उन्होंने कहा कि यह काम पहले ही दिन कर सकते थे। पहले दिन से आप लोग

कह रहे हैं कि इस्तीफा पहले चर्चा बाद में, आज पहली बार आपको ज्ञानोदय हो गया, आपने कहा कि बहस और बाद में इस्तीफा। हमने तुरन्त स्वीकार किया। शब्दावली के बारे में भी आपत्ति थी। मैडम, मैं आपके पास आया तो वह भी सॉर्ट-आउट हो गया। सुषमा जी ने कहा है कि कोई भी शब्दावली हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मगर आप अध्यक्ष हैं, कुछ रूल्स हैं, नियम हैं और प्रिसिडेंट बनेगा, इसलिए हम सबने मिलकर बात करके उसको शार्ट आउट किया है। हमने उनके कहने से जो थ्री-फोर्थ मेजोरिटी से लोक सभा ने लैंड बिल पास किया, उसे सिलेक्ट कमेटी को भेजा। जो जीएसटी बिल सर्वसम्मति से लोक सभा में पारित हो गया, उनके कहने से, उनके एश्योरेंस पर हमने उसे सिलेक्ट कमेटी को भेजा। हमने रियल एस्टेट बिल, जो मेरा इंपोर्टेंट लेजिस्लेशन है, पहले स्टैंडिंग कमेटी में गया, दोबारा आया, फिर भी उन्होंने कहा कि वैंकैय्या जी फर्स्ट राउंड में, ऑन रिकार्ड है, फर्स्ट राउंड में हम इन तीनों कानूनों को पारित करायेंगे। इसलिए इसको थोड़ा सा वे-आउट दिखाना है, रेफर करो कमेटी को, तो हमने कमेटी को रेफर किया। कमेटी में क्या हुआ, आप लोग जानते हैं। बाद में रिपोर्ट आई, अब कह रहे हैं कि ये नया-नया विषय ला रहे हैं। अभी कह रहे हैं कि जीएसटी के बारे में बीएसी ने टाइम एलॉट नहीं किया। बीएसी ने चार घंटे एलॉट किया। यह दूसरे सदन का विषय है, मैं उसमें पड़ना नहीं चाहता हूँ।

आख़िरकार इस देश की जनता ने हमारे नेता श्री नरेन्द्र मोदी और हमारी सरकार को ऐसा जनादेश दिया है। मैं पार्टियों, विशेष रूप से, बी.जे.डी, वाई.एस.आर. कांग्रेस, टी.आर.एस., और ए.आई.ए.डी.एम.के. का आभारी हूं। शिव सेना हमारी सहयोगी और पुरानी मित्र है। अकाली दल भी हमारा सहयोगी है। टी.डी.पी. भी हमारा साथी है। अपना दल भी हमारा पार्टनर है, लोक जन शक्ति पार्टी हमारी पार्टनर है और कुशवाहा जी की पार्टी भी हमारी पार्टनर है। कुछ पार्टियों के साथ हमारी प्रदेशों में लड़ाई चल रही है, फिर भी लोकतंत्र के हित में उन लोगों ने सदन चलाने में मदद की है, इसलिए मैं पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर होने के नाते उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारी लड़ाई होती रहेगी, आइए हम बहस करें, चर्चा करें, बहस करें और निर्णय लें लेकिन संसद को चलने दें।। जब वे सत्ता में थे, तो उन्होंने देश को पीछे खींच लिया और अब वे विपक्ष में हैं, वे देश को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री देश को आगे ले जाना चाहते हैं।

[अनुवाद]

हमें दुख है कि इतनी ताकत वाला सत्तारूढ़ दल कुछ नहीं कह सकता। संसदीय कार्य मंत्री कुछ नहीं कह सकते। मेरी मंत्री जी को अपना दिल खोलकर आरोपों का जवाब देने की कोई स्वतन्त्रता नहीं है।' आपने उन्हें अंतिम दिन भी ऐसा करने की अनुमति नहीं दी। यह वह जगह है जहां मैं वास्तव में आहत हूं। यह दुख की बात है। आज, सुषमाजी के साथ क्या व्यवहार किया गया। मुझे लगता है कि राहुल जी को भी बोलने देना चाहिए और हमें उन्हें सुनना चाहिए। लेकिन खड़गे जी को लगता है कि उन्हें अकेले सुना जाना चाहिए और दूसरों को कोई अधिकार नहीं है। लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है। इसलिए मैं उन लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि कम से कम आगे के लिए, जो जनता का मैन्डेट है, जनादेश देश के शासन के लिए एन.डी.ए. के लिए है। आपको विपक्ष में बैठने का जनादेश है। इसलिए, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, आप अपनी बारी का इंतजार करें, शायद 10 साल या 15 साल या 20 साल तक। आपको धैर्य रखना चाहिए। बड़े-बड़े आरोप न लगाएं। प्रधानमंत्री जी के खिलाफ आरोप लगाने के लिए संसद का दुरुपयोग न करें। मेरे प्रधान मंत्री जी आज दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेता हैं। मैं इस बात की चुनौती देता हूँ। न केवल भारत में बल्कि दुनिया के हर हिस्से में उनका सम्मान किया जाता है। जहां भी भारतीय प्रधानमंत्री जाते हैं, उनका सम्मान किया जाता है और उनकी प्रशंसा की जाती है। भारत की प्रतिष्ठा बढ़ रही है। दुनिया में हर जगह भारत को पहचाना और सम्मानित किया जाता है।

विपक्ष प्रत्येक दिन उनके खिलाफ नारेबाजी कर रहा है। वे लोगों से बदला लेना चाहते हैं क्योंकि लोगों ने नरेन्द्र मोदी को चुना है। यह बहुत अनुचित है। मैं कांग्रेस पार्टी से अनुरोध करना चाहता हूँ जो कहती है कि उनके पास इस देश पर शासन करने के लिए 130 वर्ष का अनुभव और 50 वर्ष का अनुभव है, कृपया लोकतंत्र को चलने दें।

महोदया, मुझे खेद है कि मुझे कुछ चीजों को उद्धृत करना पड़ा क्योंकि संसदीय कार्य मंत्री के रूप में मुझे रिकॉर्ड सीधे रखने थे।

बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री मल्लिकार्जुन खड़गे को बहस का जवाब देना है, लेकिन वह मौजूद नहीं हैं। इसलिए, मैं प्रस्ताव को सदन के मतदान के लिए रखूंगी।

प्रश्न यह है:

“कि सभा अब स्थगित हो।"

प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया गया।

सायं 06.25 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र...जारी

[हिन्दी]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. रामशंकर कठेरिया): श्री उपेन्द्र कुशवाहा की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ।

श्री उपेन्द्र कुशवाहा निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखेंगे:-

(1) (एक) एक्जोम सर्व शिक्षा आभियान मिशन, गुवाहाटी के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एक्जोम सर्व शिक्षा आभियान मिशन, गुवाहाटी के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 3075/16/15]

(3) (एक) उत्तराखण्ड सर्व शिक्षा आभियान, देहरादून के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) उत्तराखण्ड सर्व शिक्षा आभियान, देहरादून के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 3076/16/15]

(5) (एक) यू. पी. एजुकेशन फॉर ऑल प्रोजेक्ट बोर्ड (सर्व शिक्षा आभियान), लखनऊ के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) यू.पी. एजुकेशन फॉर ऑल प्रोजेक्ट बोर्ड (सर्व शिक्षा आभियान), लखनऊ के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 3077/16/15]

(7) (एक) सर्व शिक्षा आभियान नागालैंड, कोहिमा के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्व शिक्षा आभियान नागालैंड, कोहिमा के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 3078/16/15]

(9) (एक) सर्व शिक्षा आभियान आंध्र प्रदेश, हैदराबाद के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्व शिक्षा आभियान आंध्र प्रदेश, हैदराबाद के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 3079/16/15]

(11) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा आभियान अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा आभियान अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 3080/16/15]

(13) (एक) वेस्ट बंगाल सोसायटी फॉर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा आभियान, कोलकाता के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वेस्ट बंगाल सोसायटी फॉर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा आभियान, कोलकाता के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 3081/16/15]

(15) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा आभियान केरल, त्रिवेंद्रम के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा आभियान केरल, त्रिवेंद्रम के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 3082/16/15]

(17) (एक) सर्व शिक्षा आभियान समिति कर्नाटक, बंगलुरू के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्व शिक्षा आभियान समिति कर्नाटक, बंगलुरू के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 3083/16/15]

(19) (एक) महिला समाख्या उत्तराखण्ड, देहरादून के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) महिला समाख्या उत्तराखण्ड, देहरादून के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 3084/16/15]

(21) (एक) छत्तीसगढ़ महिला समाख्या सोसायटी, रायपुर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) छत्तीसगढ़ महिला समाख्या सोसायटी, रायपुर के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 3085/16/15]

(23) (एक) आंध्र प्रदेश महिला समता सोसायटी, सिकंदराबाद के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) आंध्र प्रदेश महिला समता सोसायटी, सिकंदराबाद के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 3086/16/15]

(25) (एक) सर्व शिक्षा आभियान स्टेट मिशन अथॉरिटी मणिपुर, इम्फाल के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्व शिक्षा आभियान स्टेट मिशन अथॉरिटी मणिपुर, इम्फाल के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) उपर्युक्त (25) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 3087/16/15]

सायं 06.26 बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: अब माननीय सदस्यगण, नियम 377 के तहत मामलों को सदन के पटल पर रखा जाएगा। सदस्य पटल पर पर्चियां सौंप सकते हैं।

(एक) ललितपुर-सिंगरौली रेल परियोजना के निर्माण में तेजी लाएजाने तथा सिंगरौली से दिल्ली और भोपाल तक सीधी ट्रेन चलाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्रीमती रीती पाठक (सीधी) : मैं सीधी (मध्य प्रदेश) संसदीय क्षेत्र से संबंधित अत्यन्त पुरानी रेल परियोजना ललितपुर-सिंगरौली रेलवे लाइन की गति, इसकी आवश्यकता व तात्कालिक समाधान के विषय पर सदन का ध्यान आकर्षित कराना चाहती हूँ।

मेरे संसदीय क्षेत्र सीधी के लोग स्थानीय रेल व्यवस्था के अभाव में अपनी गुजर-बसर काफी कठिनाइयों से कर रहे हैं। यदि इन लोगों को दिल्ली या भोपाल (जो सवारधिक आवश्यकता के केन्द्र हैं) की यात्रा करनी होती है तो ट्रेन के नियत समय से 4 घण्टे पहले घर से निकलते हैं और उन्हें ट्रेन पकड़ने नजदीक के रीवा रेलवे स्टेशन पर जाना पड़ता है, जहाँ तक की दूरी 90 किलोमीटर है। अगर दिल्ली की यात्रा किसी चिकित्सा या कार्यालय कार्य के प्रयोजन से करनी पड़ती है तो 1 दिन पूर्व पहुंचना पड़ता है क्योंकि रीवा से आनन्द विहार के लिए चलने वाली ट्रेन 12 427/12428 आधिकांशतः काफी लेट रहती है। इन सभी नियमित समस्याओं के बाद भी क्षेत्र की जनता सीधी में रेलवे लाइन की आस लगाए हुए है।

---

* सभा पटल पर रखे माना गया

अतः मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि इस परियोजना को द्रुत गति प्रदान करते हुए सिंगरौली छोर से भी कार्य चालू करवाने व सिंगरौली से नियमित दिल्ली व भोपाल के लिए ट्रेन चलवाने की कृपा करें।

(दो) गाय और गाय प्रजातियों के संरक्षण के लिए उचित उपायकिए जाने तथा गौहत्या तथा गौमांस के निर्यात और तस्करी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाएजाने हेतु कठोर कानून बनाए जाने की आवश्यकता

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (मेहसाणा) : भारतीय ऋषि महर्षियों द्वारा गाय को माँ सम्बोधन करके सर्वोपरि महत्व प्रदान किया गया है। गौ-माता केवल मनुष्य का ही नहीं जीव मात्र का रक्षण करती है फिर भी स्वतंत्र भारत में गाय एवं गौवंश का विनाश निरन्तर जारी है। अनेक प्रान्तों में गौरक्षा के कानून बनाये गए लेकिन कानूनों का प्रमाणिकता के साथ पालन न होने के कारण गौवंश की संख्या निरन्तर घट रही है। गाय की तस्करी की जा रही है। इनका मांस निर्यात किया जा रहा है। भारतीय नस्ल की गाय की उपेक्षा की जा रही है। गायों की तस्करी करके हम अपने देश में दूध उत्पादन स्वयं घटा रहे हैं और विदेशों से पाउडर का दूध मांग रहे हैं। इससे हमारी खेती भी अलाभकारी हो रही है जिसके कारण किसान शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। भारत के समग्र विकास और देश में 'श्वेत क्रान्ति' लाने के लिए भारतीय नस्ल के गौवंश का संरक्षण और संवर्धन आवश्यक है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि गौवंश की बढ़ोत्तरी के लिए गौमांस के निर्यात तथा तस्करी और गौवंश हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध का कानून बनाया जाए। साथ ही, केन्द्र व सभी राज्यों में गौ संवर्धन मंत्रालय की स्थापना हो, ताकि गौवंश पर समग्र चिन्तन हो सके

(तीन) अनुकम्पा के आधार पर रोजगार प्रदान किए जाने हेतु एकपारदर्शी नीति तैयार किए जाने की आवश्यकता

श्री ए.टी. नाना पाटील (जलगांव) : मैं सरकार का ध्यान गंभीर एवं चिंताजनक विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। कल्याणकारी सरकार होने के नाते भारत सरकार ने एक आति जनकल्याणकारी नीति बनाई और अपनाई है। वह यह है कि सेवाकाल के दौरान किसी कारणवश मृत्यु को प्राप्त होने वाले सरकारी कर्मचारी के परिवार के किसी पात्र व्यत्ति को सरकार अनुकम्पा के आधार पर सामान्यता उसी विभाग में नौकरी देती है जिसमें मृत व्यत्ति कार्य कर रहा था। इस प्रयोजनार्थ सरकार ने नियुत्ति में 5 प्रतिशत का कोटा निश्चित किया है और सभी विभागों द्वारा नियुत्ति हेतु विज्ञापन निकाला जाता है तो ऐसे अभ्यर्थियों पर विचार किया जाता है।

विशेष रूप से रक्षा विभाग के कर्मियों तथा अर्द्धसैनिक बलों के मामले में इस प्रकार की आवश्यकता सवारधिक है, परंतु ऐसी नियुत्तियों में पारदर्शिता की कमी दिखाई देती है। किसी विभाग विशेष द्वारा इस प्रकार की नियुत्तिया की जाती हैं, इसका कोई लेखा-जोखा अथवा ब्यौरा उपलब्ध नहीं है। यह भी पता नहीं कि क्या 5 प्रतिशत का कोटा पूरा किया जाता है अथवा नहीं। यदि दुर्भाग्यवश किसी कर्मचारी की सेवाकाल के दौरान मृत्यु हो जाती है तो इसके आश्रितों को यह आशा बंध जाती है कि उनके परिवार के किसी सदस्य को आज नहीं तो कल नौकरी मिल जाएगी और परिवार का भरण-पोषण करने वाले को परिवार की आजीविका चलाने में मदद मिलेगी। परन्तु जब आश्रित को अनुकम्पा के आधार पर नौकरी पर नहीं रखा जाता है तो उस परिवार को भूखे मरने की नौबत आ जाती है। भगवान से और सरकार से उस परिवार का विश्वास कम होने लगता है और कभी-कभी वे आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाते हैं अथवा अपराध की दुनिया में प्रवेश कर लेते हैं।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि मृत कर्मचारी के आश्रित को अनुकम्पा के आधार पर नियुत्त करने संबंधी नीति को और आधिक सुदृढ़ व कल्याणकारी बनाया जाए और उस परिवार में किसी न किसी को नौकरी मिले, यह सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है ताकि ऐसे आश्रित हताशा और निराशा का शिकार न हों और उन्हें आत्मसम्मान से जीने का आधिकार मिले।

(चार) अवैध बूचढ़खानों को बंद किए जाने तथा उत्तर प्रदेश केकोने-कोने में गौमांस की खुली बिक्री जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर संकट बनीहुई है, को बंद किए जाने की आवश्यकता

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर) : नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अभी हाल ही में देश के अन्दर खासतौर पर उत्तर प्रदेश में चल रहे अवैध बूचड़खानों तथा खुले मांस की बिक्री पर चिंता व्यत्त करते हुए इन्हें तत्काल बन्द करने का आदेश सरकार को दिया है लेकिन दो माह बीत जाने के बाद भी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश पर कोई प्रभावी कार्यवाही उत्तर प्रदेश सरकार ने नहीं की है। उत्तर प्रदेश में चले रहे अवैध बूचड़खाने जहां नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश की खुलेआम अवहेलना कर रहे हैं, वहीं पर्यावरण के लिए भी एक गंभीर चुनौती है। खुलेआम चौराहे और मौहल्लों में मांस बेचा जा रहा है। खुला मांस तमाम प्रकार की संक्रामक बीमारियों के साथ-साथ 'स्वाइन फ्लू' और 'बर्ड फ्लू' आदि की दृष्टि से भी खतरनाक है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश में चल रहे अवैध बूचड़खाने तथा खुलेआम बेचे जा रहे मांस की दुकानों को तत्काल प्रभाव से बन्द करके पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य के साथ किए जा रहे खिलवाड़ को बन्द किया जाए।

(पाँच) उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के गन्ना कृषकों ओर कामगारों के हितों का संरक्षण किए जाने की आवश्यकता

श्री रविन्दर कुशवाहा (सलेमपुर) : मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत देवरिया जनपद (उत्तर प्रदेश) के प्रतापपुर में स्थित बजाज ग्रुप की चीनी मिल को वहां के प्रबंधन द्वारा हमेशा के लिए बन्द कर देने की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है। इस क्रम में प्रबंधन द्वारा कर्मचारियों को वी.आर.एस. लेने का नोटिस जारी कर दिया गया है। इसके चलते मिल कर्मचारियों, गन्ना किसानों और जनप्रतिनिधियों में व्यापक आक्रोश है और पिछले माह से ही धरना-प्रदर्शन का दौर चल रहा है। देवरिया जनपद की पांच चीनी मिलों में से एक भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के उपक्रम बी.आई.सी. द्वारा संचालित गौरी बाज़ार की चीनी मिल करीब दो दशक से बन्द है। इसी तरह उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम द्वारा संचालित भटनी, देवरिया तथा बैतालपुर की चीनी मिलें लगभग तीन साल से बंद पड़ी हैं। निजी क्षेत्र की प्रतापपुर चीनी मिल जिले की एकमात्र चालू चीनी मिल थी। ऐसी हालत में इसके बंद हो जाने पर इस जिले का गन्ना उद्योग चौपट हो जाएगा और गन्ना किसान तथा बेरोज़गार किए जाने वाले चीनी मिल मजदूर बदहाली के शिकार हो जाएंगे, क्योंकि गन्ना ही यहां के किसानों की एकमात्र नकदी फसल थी।

अतः मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि वह उत्तर प्रदेश सरकार से समन्वय स्थापित करके गन्ना किसानों तथा मिल मजदूरों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करें।

(छह) उत्तर प्रदेश में गन्ना कृषकों को बकाया रकम के भुगतान मेंतेजी लाए जाने की आवश्यकता

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज) : भारत में गन्ना किसानों का गन्ना मूल्य बकाया वर्तमान चालू वर्ष 2014-2015 में लगभग 21 हज़ार करोड़ रूपए है। केवल उत्तर प्रदेश में चालू वित्तीय वर्ष में बकाया गन्ना मूल्य 8 हज़ार करोड़ रूपए है जबकि गन्ना किसानों की नगदी फसल है। गन्ने की आय से किसानों के परिवार की जीविका चलती है। किसान के गन्ने की पर्चियों के भुगतान से वे अपने बच्चों की पढ़ाई की फीस, बेटी का विवाह तथा परिवार के सदस्यों का इलाज कराते हैं। किसानों का गन्ना नकदी फसल होने के बावजूद देश एवं उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों द्वारा विगत पेराई सत्र का भुगतान अभी तक नहीं हो पाया। सरकार के बार-बार चेतावनी देने के बाद भी किसानों का हज़ारों करोड़ रूपया चीनी मिलों पर वर्ष 2014-15 का बाकी है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बकाया 8 हज़ार करोड़ रूपए गन्ना मूल्य के सापेक्ष में 50 करोड़ रूपए जारी करने का निर्णय लिया गया है जिसके कारण किसानों में काफी रोष एवं क्षोभ व्याप्त है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि किसानों की परेशानियों को देखते हुए उनके गन्ने की बकाया धनराशि के भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाए।

(सात) उत्तर प्रदेश के गौंड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में चीनी मिलों द्वारा गन्ना कृषकों के बकायों का भुगतान किए जाने की आवश्यकता

श्री कीर्ति वर्धन सिंह (गौंडा) : मैं अपने संसदीय क्षेत्र गोण्डा के करीब 2 लाख काश्तकारों का दर्द एवं उनकी परेशानी की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। देवीपाटन मंडल की 10 चीनी मिलें किसानों के लगभग चार अरब रूपए दबाए बैठी है। भुगतान न होने से किसानों को धान की खेती हेतु खाद खरीदने में परेशानी हो रही है। उन्हें अपना पैसा समय से नहीं मिल पा रहा है। 22 जुलाई, 2015 तक सरकारी आंकड़ों तथा कुछ समाचार-पत्रों के आंकड़ों के अनुसार जिन चीनी मिलों पर किसानों का बकाया है, उनका विवरण निम्नवत् है- मनकापुर चीनी मिल पर 32.90 करोड़ रूपए, चिलवरिया पर 73.33 करोड़ रूपए, तुलसीपुर पर 34.32 करोड़ रूपए, बलरामपुर पर 47.93 करोड़ रूपए एवं ईटईमैदा पर 74.42 करोड़ रूपए। इन चीनी मिलों ने गन्ना मूल्य भुगतान में न सिर्फ नियमों को ताक पर रखा बल्कि आधिकारियों के निर्देशों का भी पालन नहीं किया। यहां तक कि हाई कोर्ट के 15 जुलाई, 2015 तक 75 प्रतिशत भुगतान किए जाने के आदेश की समय-सीमा को भी ध्यान में नहीं रखा। भुगतान के नियम के अनुसार 14 दिनों के भीतर भुगतान न हो तो मिलों को भुगतान पर ब्याज देना चाहिए। किन्तु, ऐसा होता नहीं है। पिछले वर्ष इन 10 चीनी मिलों पर 33.69 करोड़ रूपए का ब्याज निकला था जिसका भुगतान किसानों को नहीं किया गया था।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि किसानों की बकाया राशि का तुरन्त भुगतान करवाने के आदेश देने का कष्ट करें।

(आठ) कर्नाटक के बेल्लारी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के कुडलगी तालुकको फ्लूरायड रहित पानी प्रदान किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री बी. श्रीरामुलु (बेल्लारी): बेल्लारी जिले के 217 गांवों में फ्लोराइड युक्त पानी की आपूर्ति को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पेयजल मिशन के तहत वर्ष 2012 में 260 करोड़ रुपये स्वीकृत किए थे। दिसंबर 2014 में इस कार्य को मंजूरी दे दी गई थी। यह मार्च 2015 तक शुरू होने की उम्मीद थी, लेकिन अभी भी इस संबंध में कोई प्रगति नहीं हुई है।

फ्लोराइड द्वारा भूजल का प्राकृतिक संदूषण मानव स्वास्थ्य को अपूरणीय क्षति पहुंचाता है। फ्लोराइड के उच्च मौखिक सेवन के परिणामस्वरूप शारीरिक विकार, कंकाल और दंत फ्लोरोसिस, थायरोक्सिन परिवर्तन और मनुष्यों में गुर्दे की क्षति होती है। 1 पी.पी.एम. तक पानी में फ्लोराइड संदूषण सहन करने योग्य है लेकिन बेल्लारी जिले के कुदलगी तालुका में, 30 विषम गांवों में 3.5 पी.पी.एम. से अधिक और 160 गांवों में पानी में 2 पी.पी.एम. से अधिक फ्लोराइड संदूषण हो रहा है जिसके कारण इस तालुका में कई लोगों को शारीरिक विकार के साथ देखा जा सकता है।

इसलिए, मैं माननीय पेयजल और स्वच्छता मंत्री से इस मामले पर गौर करने और मेरे जिले के कुदलगी तालुका के लोगों को फ्लोराइड मुक्त पानी की आपूर्ति की सुविधा प्रदान करने के लिए काम में तेजी लाने का आग्रह करता हूँ।

(नौ) सरकारी विभागों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कल्याणसंघों को अपनी शिकायतें प्रस्तुत करने के लिए प्रबंधन के साथ बैठक करने की अनुमति दिए जाने की आवश्यकता

डॉ. उदित राज (उत्तर-पश्चिम दिल्ली): सभी सरकारी विभागों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कल्याण संघ हैं। इन कल्याणकारी संघों का उद्देश्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की शिकायतों को प्रसारित करना है, लेकिन प्रायः उन्हें अधिकारियों तक पहुंच से वंचित कर दिया जाता है। एस.सी./एस.टी. कल्याण संघों को कार्यालय आवास और संबंधित सामग्री जैसी आवश्यक सुविधाएं भी नहीं दी जाती हैं। कई स्थानों पर, सामान्य श्रेणी के यूनियनों द्वारा अधिकारियों पर एस.सी./एस.टी. संघों को मान्यता नहीं देने का दबाव बनाया जाता है। भले ही एस.सी./एस.टी. संघों को सामान्य संघों के बराबर सुविधाएं और शक्ति प्रदान नहीं की जाती है, फिर भी उनकी शिकायतों पर विचार किया जाना चाहिए और उन्हें बैठकें आयोजित करने की अनुमति दी जानी चाहिए। यह एस.सी./एस.टी. संघों के प्रति पूर्वाग्रह के अलावा और कुछ नहीं है और अधिकारियों को उनकी शिकायतों के समाधान के लिए समय देने में कोई बुराई नहीं है। आख़िरकार, एस.सी./एस.टी. कर्मचारियों की संख्या कुल कार्यबल का लगभग 25% है और उनके कल्याण संघों की उपेक्षा करने का मतलब है या तो उनकी राय को बेअसर करने में उन्हें निराश करना, जिसका सरकार के कामकाज पर समग्र प्रभाव पड़ता है। मेरा अनुरोध है कि एस.सी./एस.टी. कल्याण संघों को प्रबंधन के साथ बैठकें करने और उनके सामने अपनी शिकायतें पेश करने की अनुमति दी जाए।

(दस) उत्तराखण्ड के चमोलीजिले में केन्द्रीय विद्यालय गोपेश्वर के लिए एक स्थायी स्कूल इमारत का निर्माण किएजाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी, एवीएसएम (गढ़वाल) : मैं माननीय मानव संसाधन मंत्री जी का ध्यान एक गंभीर समस्या की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। मेरे संसदीय क्षेत्र गढ़वाल (उत्तराखण्ड) के सीमान्त जनपद चमोली के मुख्यालय गोपेश्वर में एक केन्द्रीय विद्यालय वर्ष 2004 में अथक प्रयासों के बाद खुला था। आज 11 वर्षों बाद भी उत्त विद्यालय का स्थायी भवन नहीं है। उत्त विद्यालय के लिए राज्य सरकार द्वारा भूमि उपलब्ध कराने के उपरान्त भी इस विद्यालय का भवन न होना खेद का विषय है। पूर्व में यह विद्यालय राज्य सरकार के खाली पड़े भवनों में चलता था। कुछ वर्ष उपरान्त इस विद्यालय को इन भवनों से भी स्थानान्तरित कर मुख्य शहर से दूर स्वास्थ्य विभाग के खाली पड़े भवन में स्थानान्तरित कर दिया गया। अब चूंकि स्वास्थ्य विभाग को इस भवन की आवश्यकता है, जिस कारण एक बार पुनः इस विद्यालय को कहीं अन्यत्र दूर भेजा जा रहा है। पहाड़ों पर सीमित संसाधन होने के साथ ही यह एक सैन्य बाहुल्य क्षेत्र भी है। गोपेश्वर में केन्द्रीय विद्यालय खुलने के बाद से ही कई परिवार अपने घर-गांव छोड़कर यहाँ सिर्फ अपने बच्चों की शिक्षा के लिए ही रहते हैं।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि भवनों के अभाव में विद्यालय का बार-बार स्थानान्तरित होना इन विद्यार्थियों के पठन-पाठन को प्रभावित करता है, इसलिए इस विद्यालय के स्थायी भवन का निर्माण शीघ्र किया जाए ताकि विद्यार्थियों की शिक्षा बाधित न हो।

(ग्यारह) उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में ऐसे व्यथितकिसान जिनकी फसल अतिवर्षा ओर ओलावृष्टि के कारण नष्ट हुई है, को वित्तीयसहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री शरद त्रिपाठी (संत कबीर नगर) : देश के कई हिस्सों में ओला एवं आतिवृष्टि से भारी तबाही हुई थी। पुनः बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने से कुछ जगहों पर फिर से भारी तबाही हो रही है। वहीं उत्तर प्रदेश एवं बिहार के 19 संभाग सूखे के चपेट में हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में मात्र 30 प्रतिशत बारिश हुई। कुल बारिश का आंकड़ा तो संतोषजनक है लेकिन यह इतनी असमानता के रूप में है कि देश को बाढ़ एवं सूखा दोनों का खतरा पैदा हो गया है। ऐसी परिस्थिति में केन्द्र सरकार उदारतापूर्वक प्रदेश सरकार के माध्यम से पीड़ित लोगों को सहायता पहुंचाने का कार्य कर रही है। अभी कुछ महीने पहले उत्तर प्रदेश एवं बिहार में आतिवृष्टि से हुए नुकसान पर पीड़ित किसानों को केन्द्र सरकार द्वारा पर्याप्त सहायता धनराशि उपलब्ध करायी गयी, किन्तु यह जानकर आश्चर्य हुआ कि उत्तर प्रदेश में पहले से ही तकनीकी आधार पर कुछ तहसीलों का चयन किया गया है। उन्हीं तहसीलों में कर्मचारियों द्वारा मनमाने तरीके से सहायता धनराशि का वितरण किया गया। उदाहरणस्वरूप मैं कहना चाहूंगा कि देश में सन्त कबीर नगर लोक सभा अंतर्गत तीन जिलों में ओला एवं आतिवृष्टि से हानि हुई थी किन्तु तकनीकी आधार पर आपदा क्षेत्र में घोषित नहीं होने के कारण मेंहदावल, खलीलाबाद तथा खजनी तहसीलों के किसानों को कोई सहायता धनराशि नहीं मिल पायी।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि आपदा में सहायता धनराशि उपलब्ध कराने में किसी तकनीक को आधार बनाकर पीड़ित किसानों के साथ अन्याय न किया जाए।

(बारह**) उत्तर प्रदेश कं अकबरपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में ऐसे सभीव्यथित किसान जिनकी फसल अतिवर्षा ओर ओलावृष्टि के कारण नष्ट हुई है, कोवित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता**

श्री देवन्द्र सिंह भोले (अकबरपुर) : विगत माह पूर्व में हुई बेमौसम बरसात, भयंकर ओलावृष्टि एवं तूफानी हवाओं से पूरे क्षेत्र में तिलहनी एवं दलहनी फसलों का शत-प्रतिशत एवं गेहूं का सत्तर प्रतिशत से आधिक नुकसान हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किसानों के नुकसान की भरपाई के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद भी प्रदेश सरकार द्वारा अभी तक आपदा राहत धनराशि का आबंटन पूर्ण नहीं हो पाया है जिसके कारण आधिकतर किसानों को अभी तक मदद नहीं मिल पायी है। इस प्राकृतिक आपदा से किसान की कमर टूट गयी है तथा किसान असहाय हो गया है। यदि तत्काल इन्हें आर्थिक सहायता उपलब्ध नहीं हुई तो इनके सामने भूख से मरने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में अभी तक 71 करोड़ रूपए में से मात्र 49 करोड़ रूपए ही आवंटित किए गए हैं जबकि अब तक पूर्ण धनराशि का आबंटन सुनिश्चित होना चाहिए था। यही स्थिति प्रदेश के अन्य जनपदों की है तथा धन के आबंटन में विभागीय आधिकारियों द्वारा काफी गड़बड़ियां की जा रही हैं। किसानों की भूमि का जो हिस्सा है, उसके अनुसार चेकों का वितरण नहीं हो पा रहा है। उदाहरणार्थ, सरसौल ब्लॉक, कानपुर नगर में एक ही परिवार के बराबर के हिस्सेदार को अलग-अलग धनराशि के चेक दिये जा रहे हैं। अभी भी किसानों की जो सदमे से मौत हो रही है, उसे प्रशासन द्वारा स्वाभाविक मौत बताकर आर्थिक सहायता प्रदान नहीं की जा रही है। किसानों के साथ अभी भी न्याय नहीं हो रहा है। आसिंचित फसलों लाही, अरहर एवं चना आदि पर मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। यह कहा जा रहा है कि यह फसलें बर्बाद नहीं हुई है। भारत सरकार द्वारा मुआवजा राशि डेढ़ गुना बढ़ाये जाने के बावजूद उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को पुराने रेट 9000 हज़ार रूपए सिंचित एवं 4500 रूपए आसिंचित के हिसाब से भुगतान किया जा रहा है जो किसानों के साथ अन्याय है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र अकबरपुर के अंतर्गत कानपुर नगर एवं कानपुर देहात जनपद के किसानों को आपदा धनराशि का आबंटन जल्द से जल्द कराये जाने हेतु राज्य सरकार को निदेरशित करने की कृपा करें। साथ ही, इन परिस्थितियों में किसानों के सभी बकाया ऋण एवं सिंचाई तथा विद्युत के बकाया बिल तत्काल माफ किये जाएं तथा अन्य देयों की वसूली स्थगित की जाए। आने वाले समय में खरीफ एवं रबी की फसलों के लिए किसानों की आर्थिक तंगी को देखते हुए खाद एवं बीज की समय पर निःशुल्क व्यवस्था सुनिश्चित की जाए ताकि किसानों को लाभ मिल सके।

(तेरह) असम के शिवसागर जिले के प्राचीन स्मारक का संरक्षणकिए जाने हेतु कदम उठाए जाने तथा उसे एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री कामख्या प्रसाद तासा (जोरहाट): शिवसागर असाम का एक ऐतिहासिक शहर है और कभी अहोम राजाओं की राजधानी था, जिन्होंने ब्रिटिश के आगमन से पहले छह सौ से अधिक वर्षों तक असम पर शासन किया था। अहोम राजाओं ने विभिन्न देवी-देवताओं को समर्पित विभिन्न मंदिरों के निर्माण का विशेष ध्यान रखा और बड़े-बड़े तालाब खोदे जिनके खंडहर आज भी जिले में उनके गौरव के स्मारक के रूप में खड़े हैं।

उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, प्राचीन स्मारक केवल शिवसागर में उपलब्ध हैं।

वर्ष 1826 में ब्रिटिशर्स के साथ यांडाबू की संधि ने लगभग छह सौ वर्षीय अहोम शासन को समाप्त कर दिया। शिवसागर जिला वर्ष 1839 में बनाया गया था।

मैं सरकार से शिवसागर जिले के प्राचीन स्मारकों की सुरक्षा और जिले को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए कदम उठाने का अनुरोध करता हूँ।

(चौदह) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तिरुचिरापल्ली के नॉन-टीचिंगनॉन-मस्टर रोल कर्मचारियों की सेवाओं को विनियमित किए जाने की आवश्यकता

श्री पी. कुमार (तिरुचिरापल्ली): राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एन.आई.टी.) तिरुचिरापल्ली, देश का एक प्रमुख संस्थान मेरे संसदीय क्षेत्र में है। वर्ष 1964 में स्थापित, पहले, इसे क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज (आर.ई.सी.) तिरुचिरापल्ली के रूप में जाना जाता था।

आर.ई.सी.-से-एन.आई.टी. स्थिति में परिवर्तन के कारण, प्रशासनिक नियंत्रण को स्थानांतरित कर दिया गया था, जिससे गैर-शिक्षण गैर-मस्टर रोल कर्मचारी परेशान हो गए थे। तत्कालीन आर.ई.सी. में 100 से अधिक ऐसे एन.एम.आर. कर्मचारी कार्यरत थे, जिन्हें पांच साल के अनुभव के बाद आर.ई.सी. में समाहित किया जा सकता था। लेकिन अब भी, वे अस्थायी आधार पर काम कर रहे हैं, दैनिक वेतन कमा रहे हैं, भले ही उनके पास शैक्षणिक योग्यता है। वे वर्तमान में बहुत खराब परिस्थितियों में और अत्यधिक मानसिक पीड़ा के साथ रह रहे हैं, क्योंकि उन्हें अब तक एन.आई.टी., त्रिची में शामिल नहीं किया गया है।

जब मैंने इस मामले को पहले उठाया, तो केंद्रीय मंत्री जी ने कहा कि संस्थान में सेवारत एन.एम.आर. द्वारा 50% रिक्तियों को आंतरिक आदेश जारी करके भरा जाएगा और शेष 50% रिक्तियों में समायोजित किया जा सकता है। इसके अलावा, यह आश्वासन दिया गया था कि यदि वे न्यूनतम शैक्षिक मानकों से कम हैं, तो छह महीने के लिए एन.एम.आर. को इन-हाउस प्रशिक्षण दिया जाएगा।

वर्तमान में, 203 रिक्तियां हैं जिनमें इन 101 एन.एम.आर. को आंतरिक आदेश जारी करके समाहित किया जा सकता है। इसलिए, मैं माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि कृपया इस वास्तविक मांग पर विचार करें और गैर-शिक्षण एन.एम.आर. को उसी संस्थान में नियमित करें।

(पंद्रह) तमिलनाडु के मदुरै शहर में आउटर रिंग रोड के निर्माण को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता

श्री आर. गोपालकृष्णन (मदुरै): मैं एक बार फिर मदुरै की बाहरी रिंग रोड को पूरा करने के संबंध में मामला उठाना चाहता हूँ।

मदुरै शहर तमिलनाडु का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। लोकप्रिय मीनाक्षी अम्मान मंदिर दुनिया भर से रोजाना लाखों लोगों को आकर्षित करता है। तमिलनाडु के दक्षिणी और उत्तरी जिलों के बीच केंद्रीय रूप से स्थित होने के कारण, मदुरै में बेहतर बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिए और मदुरै शहर के आसपास बाहरी रिंग रोड का निर्माण इसी तरह के बुनियादी ढांचे में से एक है।

मदुरै की जनता की ओर से, मैं हाल ही में मदुरै से रामनाथपुरम राजमार्ग को चार लेन का बनाने की आधारशिला रखने के लिए अपना आभार व्यक्त करना चाहूंगा। भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एन.एच.ए.आई.) बाहरी रिंग रोड के निर्माण को निष्पादित करने के लिए नोडल संगठन है। मदुरै शहर की विकास क्षमता और जरूरत को समझते हुए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने पहले ही मौजूदा हाफ रिंग रोड को फोर-लेन करने के लिए 200 करोड़ रुपये आवंटित कर दिए हैं।

इसलिए, मैं केंद्र सरकार से आग्रह करता हूँ कि जनहित में मदुरै की बाहरी रिंग रोड को शीघ्र पूरा करने के लिए सभी औपचारिकताएं और प्रक्रियाएं पूरी की जाएं।

(सोलह) जेनेक्सपर्ट टीबी टेस्ट मशीनों की खरीद में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

श्री कलिकेश एन. सिंह देव (बोलंगीर): तपेदिक भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतियों में से एक है। भारत में दुनिया में टीबी का बोझ सबसे अधिक है और वैश्विक रूप से इसके मामलों की संख्या का ¼ हिस्सा भारत में पाया जाता है। हर साल, 2.2 मिलियन लोग इस बीमारी से ग्रस्त होते हैं, जिनमें से लगभग 8,00,000 संक्रामक होते हैं और लगभग 3,00,000 लोग टीबी के कारण अपनी जान गंवा देते हैं।

टीबी का पता लगाने के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली विधि 125 साल पुरानी थूक परीक्षण (स्मीयर माइक्रोस्कोपी) है। इस तरीके में संवेदनशीलता कम है और यह दवा प्रतिरोधक क्षमता का पता लगाने में असमर्थ है। इसके अलावा, दवा प्रतिरोधी टीबी का पारंपरिक निदान एक धीमी और जटिल प्रक्रिया है। इस दौरान, रोगियों का गलत इलाज किया जा सकता है, दवा प्रतिरोधी किस्में फैलती रह सकती हैं और प्रतिरोध क्षमता और बढ़ सकती है।

निदान में देरी की समस्या से निपटने के लिए, सरकार के केंद्रीय टीबी विभाग ने 300 तीव्र जीनएक्सपर्ट टीबी परीक्षण मशीनों को शुरू करने की घोषणा की। राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण के बाद, यह पाया गया कि यह परीक्षण दवा प्रतिरोधी तपेदिक के पांच गुना अधिक मामलों का पता लगा सकता है। इस प्रकार, इस मशीन में सरकार के दवा प्रतिरोधी तपेदिक के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने की क्षमता है।

हालांकि, जेनेक्सपर्ट टीबी परीक्षण मशीनों की खरीद में देरी हुई है। राज्यों को मशीनों को चलाने के लिए भंडारण और वित्त की समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है। जेनेक्सपर्ट कार्ट्रिज की स्टॉक खत्म होने की खबरें आई हैं, जो मशीनों के कामकाज में बाधा डाल रही हैं। इसलिए,पर्याप्त वित्तीय और परिचालन सहायता के साथ पूरे देश में मशीनों की तैनाती के लिए एक व्यापक योजना विकसित करने की आवश्यकता है।

(सत्रह) एअर इंडिया कार्यालय को मुम्बई से दिल्ली स्थानांतरित किए जाने के निर्णय की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री गजानन कीर्तिकर (मुम्बई उत्तर पश्चिम) : वर्ष 2007 में एयर इण्डिया और इण्डियन एयर लाइन का विलय सिर्फ कागजों पर हुआ लेकिन इतने सालों बाद भी स्थिति बद से बदतर बनी हुई है। मुम्बई स्थित एयर इण्डिया का कार्यालय दिल्ली के इण्डियन एयर लाइन्स की कमज़ोर एवं जर्जर हो चुकी इमारत में शिफ्ट किया गया है। अतः विलय समझौते के अनुसार एयर इण्डिया का कार्यालय मुम्बई में ही रहने दिया जाए। एयर इण्डिया में भ्रष्ट आधिकारियों की जांच न करते हुए उनकी पुनर्नियुक्ति करना अनुचित है। पचेरजिंग टेण्डरिंग में गड़बड़ियां तथा पदोन्नति नीतियों में धाँधली कीट उच्च स्तरीय समिति का गठन कर जांच करानी चाहिए।

(अट्ठारह) कोयला खान कर्मकारों के कल्याण के लिए कोयला खानपेंशन स्कीम, 1988 का पुनरीक्षण किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री पी. श्रीनिवास रेड्डी (खम्माम): तेलंगाना भारत के कोयला खान समृद्ध राज्यों में से एक है। कोयला खदान पेंशन योजना - 1998 कोयला खदान श्रमिकों और उनके आश्रितों के कल्याण के लिए शुरू की गई थी और उन्हें 5वें राष्ट्रीय कोयला खदान वेतन समझौते के आधार पर वेतन मिलता था। उनके जीवन यापन के लिए यह पेंशन ही आय का एकमात्र स्रोत है। हालाँकि, सरकार ने आज तक इसकी समीक्षा और संशोधन नहीं किया है।

कोयला खदान पेंशन योजना - 1998 के अनुसार, सी.एम.पी.एस.-1998 के कोष का हर तीन साल में मूल्यांकन किया जाना है और मूल्यांकन पर, लाभ पेंशनभोगियों तक बढ़ाया जाना है। लेकिन, अब तक कोई मूल्यांकन नहीं हुआ है, जबकि, पिछले 17 वर्षों के दौरान कोयला मजदूरों की मजदूरी को चार बार संशोधित किया गया है। कोयला खदान पेंशनभोगी, संबंधित अधिकारियों से सी.एम.पी.एस. 1998 को संशोधित करने का अनुरोध कर रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

अतः मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि उनके लंबे समय से लंबित मुद्दों का समाधान इस प्रकार से किया जाए :- (1) प्रत्येक 5 वर्षों में सी.एम.पी.एस.-1998 को संशोधित करें जैसा कि यह पी.एस.यू. में किया जा रहा है, (2) 6,500 रुपये की न्यूनतम पेंशन तय करें। (3) पिछले 14 वर्षों के लिए सी.एम.पी.एस. 1998 कोष का मूल्यांकन करें और ब्याज के साथ बकाया का भुगतान करें, (4) तीन साल में एक बार के बजाय हर साल इस कोष का मूल्यांकन करें, (5) सी.एम.पी.एस. - 1998 पेंशनभोगियों को हर 3 महीने में महंगाई भत्ता का भुगतान करें। (6) नियोक्ता अंशदायी राशि वेतन के 2% और नियमित कर्मचारी के मामले में एक वेतन वृद्धि के बराबर होगी, (7) पेंशन उत्परिवर्तन सुविधा प्रदान करें, (8) पेंशन के उद्देश्य से 1971 से 1989 तक की पूरी सेवा पर विचार करें, (9) पेंशन से बचत योजना को जारी रखा जाए, (10) दी गई सेवा की अवधि के बावजूद विकलांगों

को पेंशन का भुगतान करें, (11) पेंशन के प्रयोजन के लिए अंतिम आहरित वेतन मापदंड होना चाहिए, (12) सेवा के दौरान उपलब्ध सभी चिकित्सा सुविधाएं सेवानिवृत्ति के बाद जारी रहनी चाहिए और (13) 10,000 रुपये अंतिम संस्कार का खर्च प्रदान करें।

(उन्नीस) केरल में इलायची कृषकों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं के बारे में

एडवोकेट जॉएस जॉर्ज (इडुक्की): छोटे भारतीय इलायची किसानों को बाजार मूल्य में गिरावट के कारण गंभीर संकट का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि किसान अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं, मसाला बोर्ड, जिसे इलायची बोर्ड को समाप्त करके बनाया गया था, इलायची के विकास और विपणन के लिए जिम्मेदार है, केवल दर्शक के रूप में काम कर रहा है। यद्यपि छोटे इलायची का 90% से अधिक केरल से उत्पादित किया जा रहा है, मसाला बोर्ड ने निदेशक विपणन के कार्यालय कोच्चि से सेलम और बॉडीनाईकन्नूर में सहायक निदेशक कार्यालय को बंगलुरु में स्थानांतरित करने के लिए कदम उठाए हैं। यह छोटी इलायची के बाजार विस्तार को प्रभावित करेगा और परिणामस्वरूप इलायची की कीमत में गिरावट आएगी। वर्तमान में छोटी इलायची की कीमत केवल 600 रुपये प्रति किलोग्राम है, जबकि पिछले वर्षों के दौरान इसका बाजार मूल्य 1800 रुपये प्रति किलोग्राम था। चूंकि इलायची की उत्पादन लागत 750 रुपये प्रति किलोग्राम से अधिक है, इसलिए छोटे और मध्यम उत्पादकों के लिए जीवित रहना असंभव है। जी.एस.टी. शुरू करते समय, इलायची को एक कृषि वस्तु के रूप में माना जाना चाहिए ताकि सुरक्षा प्राप्त हो सके। इसलिए, मैं सरकार से मसाला बोर्ड के कोच्चि कार्यालय में इलायची के विपणन की ज़िम्मेदारी बहाल करने के लिए कदम उठाकर इस मामले में हस्तक्षेप करने और उत्पादन की लागत से 50 प्रतिशत अधिक एम.एस.पी. की घोषणा करने और इस तरह गरीब किसानों के हितों और जीवन को बचाने का आग्रह करता हूँ।

सायं 06.27 बजे

नियम 193 के अंतर्गत चर्चा

सतत विकास लक्ष्य – जारी..

माननीय अध्यक्ष : अब सभा नियम 193 - सतत विकास लक्ष्यों के तहत चर्चा करेगा।

[हिन्दी]

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (दमोह) : अध्यक्ष महोदया, बहुत-बहुत धन्यवाद। चौथी बार में भी मैं अपनी बात पूरी नहीं कर पाया और आज पाँचवाँ दिन है।

माननीय अध्यक्ष : आज भी लगता है कि अपनी बात पूरी नहीं कर पाएँगे। आज थोड़ा सा बोल दीजिए।

श्री प्रहलाद सिंह पटेल **:** महोदया, मैं आपका धन्यवाद करूँगा कि इतने गंभीर मुद्दे पर जहाँ देश को चर्चा करनी चाहिए थी, मैंने अपनी बात कही थी। कुछ गलतियाँ जो हुई हैं विरासत में हमें मिली हैं, उनको सुधारना और आगे के बारे में वह सावधानी रखना कि हम अपने संसाधनों को बचा सकें, मुझे लगता है कि इस बात को लेकर इस चर्चा को गंभीरता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। सदन में वे तमाम लोग, सभी पार्टी के लोग, अपनी बात को यहाँ ज़िम्मेदारी के साथ रखें, इस दुराग्रह को छोड़कर कि जो गलतियाँ की हैं, वह किसी व्यक्ति ने नहीं की हैं, बल्कि देश के संसाधनों के लिए ज़रूरी है कि हम उन बातों को आगे बढ़ाएँ। मैं चाहता हूँ कि इस चर्चा को शांत चित्त से लंबा चलना चाहिए और दुराग्रह के बगैर चलना चाहिए।

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: हम इसे अगली बार उठाएंगे।

सायं 06.28 बजे

तत्पश्चात लोक सभा गुरुवार, 13 अगस्त, 2015 / 22श्रावण, 1937 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण, अंग्रेजी संस्करण और हिन्दी संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध हैं:

https://sansad.in/ls

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का संसद टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की कार्यवाही समाप्त होने तक होता है।

© 2015 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (सोलहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित